



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-28032024-253449
CG-TL-E-28032024-253449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 209]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 मार्च, 2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/10/204/2024.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंडों (जी), (एच), (आई), (आईए), (आईबी), (वाई), (जेड), (जेडए), (जेडडी) और (जेडएबी) तथा धाराओं 11, 13, 20, 27, 27ए, 27बी, 27सी, 27डी, 28, धारा 29 की उप-धारा (3) के खंड (ए), धारा 49, 64बी, और 64बीए एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से अथवा 1 अप्रैल 2024 से, जो भी बाद में हो, प्रवृत्त होंगे।

- (3) ये विनियम एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए बीमाकर्ताओं सहित, सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।
- (4) इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में इनकी समीक्षा की जाएगी, जब तक कि किसी समीक्षा, निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता इसके पहले न हो।

2. उद्देश्य: इन विनियमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है कि:

- (1) बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों के प्रभावी निर्वहण और विश्लेषण के लिए सुदृढ़ और अनुक्रियाशील प्रबंधन की प्रथाएँ लागू हों, जिनमें आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, विनियामक रिपोर्टिंग, बोनस वितरण, आस्ति-देयता प्रबंध, शोधन-क्षमता, निवेश और जोखिम-प्रबंध के क्षेत्र शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
- (2) विनियामक विवरणियाँ बीमाकर्ता की परिस्थिति का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए लागू मानकों, सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार तैयार की जाएँ और सूचित की जाएँ;
- (3) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण किया जाए तथा
- (4) व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाया जाए।

3. परिभाषाएँ:

- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- (ii) “बीमांकिक व्यवहार मानक” से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये व्यवहार के मानक और मार्गदर्शी नोट्स अभिप्रेत हैं;
- (iii) “बीमांकक” से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(1) में यथापरिभाषित बीमांकक अभिप्रेत है;
- (iv) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (v) “उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन” से अभिप्रेत है

जीवन बीमाकर्ता के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वीकार्यता के मानदंडों के अधीन, गणितीय आरक्षित निधियों तथा पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों के मूल्य से अधिक पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में उपलब्ध आस्तियों के मूल्य का आधिक्य;

साधारण बीमाकर्ता या स्वास्थ्य बीमाकर्ता के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वीकार्यता के मानदंडों अधीन, तकनीकी देयताओं तथा पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों की अन्य देयताओं से अधिक पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में उपलब्ध आस्तियों के मूल्य का आधिक्य;

पुनर्बीमाकर्ता के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वीकार्यता के मानदंडों के अधीन, गणितीय आरक्षित निधियों, तकनीकी देयताओं तथा पालिसीधारकों की और शेयरधारकों की निधियों से अधिक पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में उपलब्ध आस्तियों के मूल्य का आधिक्य;

- (vi) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है

(क) अध्यक्ष अथवा

(ख) ऐसा पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की ऐसी समिति या प्राधिकरण का (के) ऐसा(ऐसे) अधिकारी जैसा(जैसे) कि अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है (किये जा सकते हैं)।

- (vii) “साधारण बीमाकर्ता” से अधिनियम में परिभाषित रूप में साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अभिप्रेत है;
- (viii) “जीवन बीमाकर्ता” से अधिनियम में परिभाषित रूप में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अभिप्रेत है;
- (ix) “गणितीय आरक्षित निधियाँ” से जीवन बीमा (पुनर्बीमा) व्यवसाय की पालिसियों या संविदाओं के अंतर्गत या उनके संबंध में उत्पन्न होनेवाली देयताओं (देय हुई देयताओं तथा किसी पालिसी के संबंध में जमा पञ्च (वैक) व्यवस्था से उत्पन्न होनेवाली देयताओं को छोड़कर, जिनके द्वारा पुनर्बीमाकर्ता के द्वारा अध्यक्ष के पास कुछ राशि जमा की जाती है) को कवर करने के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रावधान अभिप्रेत हैं, जिनमें उक्त सभी आधारों के प्रतिकूल विचलनों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, परंतु इनमें शामिल हैं और जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं मृत्यु और अस्वस्थता दरें; व्यपगम दरें, ब्याज दरें और व्यय; तथा देयताओं के मूल्यांकन में किया गया कोई सुस्पष्ट प्रावधान;
- (x) “प्रीमियम कमी आरक्षित निधि” (पीडीआर) से अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि से अधिक धारित आरक्षित निधि अभिप्रेत है, जो ऐसी किसी प्रत्याशा की अनुमति देती है कि अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि असमाप्त जोखिम की अवधि के दौरान किये गये दावों और व्ययों की लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त होगी;
- (xi) “अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन” से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 के अंतर्गत बताये गये रूप में न्यूनतम पूँजी की राशि के न्यूनतम पचास प्रतिशत के अधीन प्रयोज्य रूप में इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III या भाग IV या भाग V के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तरीके से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;
- (xii) “शोधन-क्षमता अनुपात” से अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुपात अभिप्रेत है;
- (xiii) “तकनीकी देयताएँ” से साधारण बीमा (पुनर्बीमा) व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा (पुनर्बीमा) व्यवसाय की पालिसियों या संविदाओं के अंतर्गत या उनके संबंध में उत्पन्न होनेवाली देयताओं को कवर करने के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रावधान अभिप्रेत हैं जिनमें बीमांकिक मूल्यांकन के सभी आधारों के प्रतिकूल विचलनों के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं;
- (xiv) “अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि” (यूपीआर) से अंकित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करनेवाली राशि अभिप्रेत है जो परवर्ती लेखांकन अवधियों के कारण है और उन अवधियों को आबंटित की जानेवाली है;

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों, अथवा नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय-II

बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

4. बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों को नियंत्रित करनेवाले सिद्धांत

- (1) गणितीय आरक्षित निधियाँ अथवा तकनीकी देयताएँ, जैसी स्थिति हो, सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों पर आधारित हों;
- (2) बीमाकर्ता का शोधन-क्षमता मार्जिन हर समय कम से कम नियंत्रण स्तर पर सुनिश्चित किया जाए;
- (3) वित्तीय विवरण बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्र निरूपित करें;
- (4) निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाए कि पालिसीधारकों की देयताएँ जब भी देय हों, पूरी की जाएँ;
- (5) बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य करने के लिए बीमाकर्ता के पास उपयुक्त और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।

5. बीमाकर्ता की बोर्ड अनुमोदित नीतियाँ

बीमाकर्ता बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों के क्षेत्रों को नियंत्रित करनेवाली नीतियाँ लागू करेंगे जैसे यथाप्रयोज्य बोनस वितरण दर्शन, आस्ति-देयता प्रबंध, निवेश और जोखिम प्रबंध जो विधिवत् निदेशक बोर्ड द्वारा अथवा भारत में स्थापित एक शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनी के मामले में प्रबंधन की कार्याकारी समिति के द्वारा अनुमोदित हो।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बीमाकर्ता नीचे निर्धारित किये अनुसार संबंधित उपबंधों का पालन करें :

- (1) अनुसूची-I: बीमांकिक कार्य
- (2) अनुसूची-II: वित्त कार्य
- (3) अनुसूची-III: निवेश कार्य
- (4) अनुसूची-IV: बीमा कंपनियों द्वारा ऋण और अग्रिम
- (5) अनुसूची-V: विवरणियों का निरीक्षण और आपूर्ति

अध्याय-III**विविध****7. परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी करने की शक्ति**

सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर इन विनियमों से संबंधित परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी कर सकता है, यदि आवश्यक हों, जिनमें शामिल हैं परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, लाभ सहित (विद प्राफिट) समिति, नियुक्त बीमांकक के संबंध में लागू मानदंड, विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ, बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले विवरणों के संबंध में प्राप्त की जानेवाली विस्तृत सूचना, जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा, जैसा लागू हो, के संबंध में किन्हीं अन्य अतिरिक्त फार्मों या विवरणों का प्रस्तुतीकरण।

8. कठिनाइयाँ दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने या उसका अर्थ-निर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जब भी आवश्यक हो तब उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

9. निरसन

(1) ये विनियम इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निम्नलिखित विनियमों को निरस्त करेंगे:

- क. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 और अनुवर्ती संशोधन;
- ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिशेष के वितरण) विनियम, 2002;
- ग. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016;
- घ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 और अनुवर्ती संशोधन;
- ङ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022;
- च. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016;
- छ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और अनुवर्ती संशोधन;
- ज. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निरीक्षण और विवरणियों की प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015;
- झ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016.

(2) अन्य उपबंध जो ऊपर विनियम 9 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत उल्लिखित विनियमों में विद्यमान थे और इन विनियमों में उल्लिखित नहीं हैं, इन विनियमों के विनियम 7 के उपबंध के अंतर्गत जारी किये गये परिपत्र के द्वारा अलग से दिये जाएँगे।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./865/2023-24]

अनुसूची-I: बीमांकिक कार्य

भाग I: परिभाषाएँ

1. सामान्य:

- (1) “भारतीय बीमांकिक संस्थान” से बीमांकिक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 3 के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय अभिप्रेत है;
- (2) “मूल्यांकन दिनांक” से किसी भी मूल्यांकन के संबंध में वह दिनांक अभिप्रेत है जब मूल्यांकन किया जाता है;
- (3) “साधारणतः भारत का निवासी” से आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार परिभाषित भारत का निवासी अभिप्रेत है।

2. जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू परिभाषाएँ :

- (1) “अतिरिक्त प्रीमियम” से मानक प्रीमियम दरों को व्युत्पन्न करने में फैक्टरिंग किये गये जोखिम से अधिक अतिरिक्त जोखिम एक्सपोजर के लिए संगृहीत प्रभार या प्रीमियम अभिप्रेत है;
- (2) “सामूहिक व्यवसाय” से वैयक्तिक व्यवसाय से इतर व्यवसाय अभिप्रेत है;
- (3) “गारंटियाँ” से लाभों अथवा प्रीमियमों अथवा प्रभारों से संबंधित शर्तें अभिप्रेत हैं, जिनमें पालिसी की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा;
- (4) “वैयक्तिक व्यवसाय” से एकल या संयुक्त जीवन के आधार पर जारी की गई वैयक्तिक बीमा संविदाएँ अभिप्रेत हैं;
- (5) “अंतर मूल्यांकन अवधि” से बीमाकर्ता की आस्तियों और देयताओं के दो क्रमिक बीमांकिक मूल्यांकनों के बीच की अवधि अभिप्रेत है;
- (6) “परिपक्वता दिनांक” से वह नियत दिनांक अभिप्रेत है जब परिपक्वता लाभ समग्र रूप में या आकस्मिक तौर पर देय हो सकता है;
- (7) “सममूल्येतर पालिसियाँ” अथवा “लाभों में सहभागिता से रहित पालिसियाँ” से वे पालिसियाँ अभिप्रेत हैं जो किसी अधिशेष या किन्हीं लाभों में किसी अंश के लिए पात्र नहीं हैं;
- (8) “लाभरहित पालिसीधारकों” से “सममूल्येतर पालिसियों” के धारक अभिप्रेत हैं;
- (9) “विकल्प” से किसी पालिसी के अंतर्गत पालिसीधारक के लिए उपलब्ध अधिकार अभिप्रेत हैं;
- (10) “सममूल्य पालिसियाँ” या “लाभों में सहभागिता से युक्त पालिसियाँ” से वे पालिसियाँ अभिप्रेत हैं जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार पालिसी की अवधि के दौरान अधिशेष या लाभों में अंश के लिए पात्र हैं;
- (11) “लाभों में आस्थगित सहभागिता से युक्त पालिसियाँ” से वे पालिसियाँ अभिप्रेत हैं जो पालिसी के प्रारंभ की तारीख से एक निश्चित अवधि के बाद लाभों में सहभागिता के लिए पात्र हैं;
- (12) “सहभागी पालिसीधारक” से “सममूल्य पालिसियों” और “लाभों में आस्थगित सहभागिता से युक्त पालिसियों” के धारक अभिप्रेत हैं;
- (13) “प्रीमियम भुगतान अवधि” से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान प्रीमियम देय हैं;

- (14) “पालिसी खाते” से परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय और परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक पालिसी के लिए निधियाँ अभिप्रेत हैं;
- (15) “जोखिम पर राशि” किसी भी समय पालिसी के संबंध में पालिसी की (गणितीय आरक्षित निधियाँ) की तुलना में {‘वार्षिकी भुगतानों सहित आवधिक भुगतानों के रूप में मृत्यु या किसी अन्य आकस्मिकता के कारण देय लाभों का वर्तमान मूल्य’}
- और
- {‘कवर की गई मृत्यु या किसी अन्य आकस्मिकता पर देय एकमुश्त लाभ’}
- का जोड़
- का आधिक्य।

3. साधारण बीमाकर्ताओं के लिए लागू:

- (1) “आबंटित हानि समायोजन व्यय (एएलएई)” दावे से संबंधित व्यय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी विशिष्ट दावे के कारण हैं;
- (2) “दावा संबंधी आरक्षित निधियाँ” से उन दावों से संबंधित आरक्षित निधियाँ (रिज़र्व) अभिप्रेत हैं जो मूल्यांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार पहले ही घटित हो चुके हैं;
- (3) “उपगत परन्तु पर्याप्त रूप से सूचित न की गई (आईबीएनईआर) आरक्षित निधियाँ” से वे आरक्षित निधियाँ (रिज़र्व) अभिप्रेत हैं जो एएलएई, यदि कोई हो, सहित सूचित किये गये दावों के अनुमानों में प्रत्याशित परिवर्तन निरूपित करती हैं;
- (4) “उपगत परन्तु सूचित न की गई दावा (आईबीएनआर) आरक्षित निधियाँ” में आईबीएनईआर, पुनः खोले गये दावों के लिए अनुमान, उपगत परन्तु सूचित न किये गये दावों के लिए प्रावधान, मूल्यांकन की तारीख को मार्गस्थ दावों के लिए प्रावधान और एएलएई शामिल हैं;
- (5) “बकाया दावा आरक्षित निधियाँ (ओएस रिज़र्व)” से एएलएई सहित मूल्यांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार सूचित किये गये सभी बकाया दावों के संबंध में किया गया प्रावधान अभिप्रेत है;
- (6) “असमाप्त जोखिम आरक्षित निधियाँ” से असमाप्त जोखिमों के लिए देयताओं से संबंधित तथा अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) और प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) के कुल जोड़ के रूप में निर्धारित आरक्षित निधियाँ अभिप्रेत हैं।

भाग II: नियुक्त बीमांकक

1. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति:

भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत बीमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर एक बीमांकक की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “नियुक्त बीमांकक” के रूप में जाना जाएगा।

2. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया:

- (1) बीमाकर्ता के लिए नियुक्त बीमांकक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि वह:

- (i) साधारणतः भारत का निवासी है;
- (ii) बीमांकक अधिनियम, 2006 के अनुसार एक फेलो सदस्य है;
- (iii) जीवन बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला, भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का एक फेलो सदस्य है:

(क) जीवन बीमा के क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव और उसमें से कम से कम 7 वर्ष के लिए फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

बशर्ते, यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान से अथवा किसी अन्य संस्थान या निकाय जिसके साथ आईएआई का परस्पर मान्यता करार हो, से जीवन बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग या विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण किया है, तो ऊपर अनुसूची-1 के भाग II के विनियम 2(1)(iii)(क) में यथाउल्लिखित फेलोशिप के बाद के अनुभव के मानदंड सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष घटाया जाएगा।

(ख) इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग II के खंड 2(1)(iii)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में 7 वर्ष या 5 वर्ष, जैसा लागू हो, में से कम से कम 3 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव किसी जीवन बीमाकर्ता या भारतीय पुनर्बीमाकर्ता या भारत में स्थापित शाखा के विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन अथवा उत्पाद कीमत-निर्धारण की तैयारी या समीक्षा में होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समक्ष (पियर) समीक्षक या स्वतंत्र बीमांकक या पैनल बीमांकक या बीमांकक के रूप में जीवन बीमा के क्षेत्र में अनुभव अथवा जीवन बीमा व्यवसाय में बीमांकक परामर्श कार्य (कन्सल्टन्सी) में अनुभव अथवा प्राधिकरण के पास संगत अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम या वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।

- (iv) साधारण बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करते हुए भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्य:

(क) साधारण बीमा के क्षेत्र में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव और जिसमें से कम से कम 4 वर्ष फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

बशर्ते, यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान या ऐसे किसी अन्य संस्थान या निकाय, जिसके साथ आईएआई का पारस्परिक मान्यता करार हो, से साधारण बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग या विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण किया है, तो इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग II के खंड 2(1)(iv)(क) में उल्लिखित रूप में फेलोशिप के बाद के अनुभव के मानदंड सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष घटाया जाएगा।

(ख) इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग II के खंड 2(1)(iv)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में 4 वर्ष या 2 वर्ष, जैसा लागू हो, में से कम से कम 2 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव किसी भारतीय साधारण बीमाकर्ता या भारतीय पुनर्बीमाकर्ता या भारत में स्थापित विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन या उत्पाद कीमत-निर्धारण की तैयारी या समीक्षा में होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समक्ष समीक्षक या पैनल बीमांकक या बीमांकक के रूप में साधारण बीमा के क्षेत्र में अनुभव अथवा साधारण बीमा व्यवसाय में बीमांकक परामर्श कार्य (कन्सल्टन्सी) में अनुभव या प्राधिकरण के पास संगत अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम या वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।

(v) स्वास्थ्य बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्य:

(क) साधारण या स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

बशर्ते, यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान या किसी अन्य संस्थान या निकाय, जिसके साथ आईएआई का पारस्परिक मान्यता करार हो, से साधारण या स्वास्थ्य बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग अथवा विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण किया है, तो इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग II के खंड 2(1)(v)(क) में उल्लिखित रूप में फेलोशिप के बाद का अनुभव 2 वर्ष घटाया जाएगा।

(ख) इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग II के खंड 2(1)(v)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में 4 वर्ष या 2 वर्ष, जैसा लागू हो, में से कम से कम 2 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव किसी भारतीय साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ता या भारत में स्थापित विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन या उत्पाद कीमत-निर्धारण की तैयारी या समीक्षा में होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, साधारण या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समकक्ष समीक्षक या पैनल बीमांकक या बीमांकक के रूप में साधारण या स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में अनुभव अथवा साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में बीमांकक परामर्श कार्य (कन्सल्टेन्सी) में अनुभव या प्राधिकरण के पास संगत अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम या वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।

(vi) पूर्णकालिक आधार पर बीमाकर्ता का कर्मचारी हो;

(vii) एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने व्यावसायिक या अन्य कदाचार नहीं किया हो;

(viii) भारत में किसी अन्य बीमाकर्ता का नियुक्त बीमांकक न हो;

(ix) एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया व्यवहार का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस) हो;

(x) 70 वर्ष से अधिक आयु का न हो।

2. इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार विद्यमान नियुक्त बीमांककों के लिए उपबंध:

इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को यथाविद्यमान वर्तमान नियुक्त बीमांकक संबंधित बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में जारी रहने के लिए पात्र हैं।

3. बीमाकर्ता समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फॉर्मेट में आवेदन प्रस्तुत करनेवाले नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

4. सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन के अंदर आवेदन को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा।

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर देगा।

5. बीमाकर्ता जो इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(1) के अनुसार नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति नहीं कर सकता, प्राधिकरण को पात्रता की किन्हीं शर्तों से छूट देने के लिए लिखित में आवेदन प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी एक या उससे अधिक शर्तों से छूट प्रदान कर सकता है। तथापि, इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(1)(ii), 2(1)(vii) और 2(1)(ix) के अंतर्गत शर्तों के संबंध में कोई छूट नहीं होगी।

6. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख को या उसके बाद प्रभावी होगी।

3. आवेदन के अस्वीकरण का प्रभाव

बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(5) के अंतर्गत उल्लिखित आवेदन की अस्वीकृति से चार सप्ताह के अंदर इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(4) के अंतर्गत उसके द्वारा अस्वीकृत नियुक्त बीमांकक को छोड़कर अन्य नियुक्त बीमांकक के रूप में किसी बीमांकक की नियुक्ति के लिए इन खंड 2(5) की अनुसूची-I के भाग II के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

4. नियुक्त बीमांकक के बिना व्यवसाय का संचालन करना

(1) कोई भी बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के बिना बीमा/पुनर्बीमा का व्यवसाय नहीं करेगा। इस संबंध में किसी अनुपालन से अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाई की जाएगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 4(1) के अंतर्गत उपबंधों की छूट के लिए बीमाकर्ता का अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी अवधि (एक वर्ष से अनधिक) के लिए छूट प्रदान कर सकता है, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

(3) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 4(2) के अंतर्गत उल्लिखित छूट पर विचार करने के लिए अस्थायी उपबंधों के संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी कर सकता है।

5. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति की समाप्ति

(1) नियुक्त बीमांकक को निम्नलिखित कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन को वापस लेने की एक सूचना दी जाएगी:

(i) वह इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2 (1) के अनुसार उसका पात्र होना समाप्त हो गया/गई है।

(ii) उसने सक्षम प्राधिकारी की राय में इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों और दायित्वों का पर्याप्त रूप से और उचित रूप से निष्पादन नहीं किया है।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे नियुक्त बीमांकक को नोटिस देने के बाद उसको अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा और उसके बाद अनुमोदन को वापस लेने अथवा जारी की गई नोटिस के प्रतिसंहरण के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

(3) यदि नियुक्त बीमांकक इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 5 (1) में उल्लिखित कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से बीमाकर्ता का नियुक्त बीमांकक के नहीं होने की औपचारिक सूचना बीमाकर्ता को देता है, तो बीमाकर्ता और नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता को ऐसी सूचना देने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर इसके लिए कारण सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेंगे।

(4) बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के साथ परामर्श करने के बाद नियुक्त बीमांकक की सेवाओं के समापन के कारण उत्पन्न होनेवाले वार्षिक सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में विलंब से बचने के लिए प्रयास करेगा।

6. नियुक्त बीमांकक की शक्तियाँ

- (1) नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के कब्जे में या नियंत्रण में स्थित ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेजों तक पहुँच रखेगा यदि ऐसी पहुँच नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक है।
- (2) नियुक्त बीमांकक इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 6 (1) के प्रयोजन के लिए किसी भी सूचना की अपेक्षा बीमाकर्ता के किसी अधिकारी या कर्मचारी से कर सकता है।
- (3) नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता की निदेशकों की बैठक सहित प्रबंधन की बैठकों तथा बीमाकर्ता के शेयरधारकों या पालिसीधारकों की बैठकों में उपस्थित होने, किसी भी विषय पर बोलने और चर्चा करने के लिए हकदार होगा;
 - (i) जो निदेशकों को दिये गये बीमांकिक परामर्श से संबंधित हो;
 - (ii) जो बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता को प्रभावित कर सकता हो;
 - (iii) जो पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकता हो; अथवा
 - (iv) जिस पर बीमांकिक परामर्श आवश्यक हो।
- (4) नियुक्त बीमांकक, नियुक्त बीमांकक के रूप में अपने कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता को कोई भी वक्तव्य देने के लिए पात्र होगा। यह किन्हीं अन्य विनियमों के अंतर्गत नियुक्त बीमांकक के रूप में प्रदत्त किसी अन्य विशेषाधिकार के अतिरिक्त है।
- (5) नियुक्त बीमांकक के नियुक्ति-पत्र का कोई भी उपबंध इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों, दायित्वों और विशेषाधिकारों को प्रतिबंधित या निवारित नहीं करेगा।

7. नियुक्त बीमांकक के कर्तव्य और दायित्व

विशेष रूप से, पूर्वोक्त विषयों की किसी भी सामान्यता, तथा बीमा उद्योग और पालिसीधारकों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों और दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता की देयताओं और आस्तियों के बीमांकिक मूल्यांकन को संचालित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक अभिलेख उसको उपलब्ध कराये गये हैं;
- (2) बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श देना, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा वाक्यरचना, निवेश और पुनर्बीमा के क्षेत्रों में;
- (3) हर समय शोधन-क्षमता को बनाये रखने के लिए बीमाकर्ता के सामर्थ्य के साथ संबद्ध जोखिमों की पहचान और निगरानी करना तथा उन जोखिमों की सूचना बीमाकर्ता के बोर्ड को देना जहाँ नियुक्त बीमांकक विश्वास करता है कि ऐसी महत्वपूर्ण चिंताएँ हैं जो बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं, वहाँ शोधन-क्षमता की स्थिति को सुधारने के लिए की जानेवाली कार्रवाइयों पर अपनी सिफारिशों के साथ बोर्ड को सूचना देना तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना, यदि बीमाकर्ता स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम नहीं उठाता;
- (4) अधिनियम की धारा 64बी के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से मूल्यांकित की गई आस्तियों और देयताओं के प्रमाणीकरण के संबंध में उक्त धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

- (5) अधिनियम की धारा 64वीए के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से शोधन-क्षमता के मार्जिन का अपेक्षित नियंत्रण स्तर बनाये रखने के संबंध में उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन करना;
- (6) बीमाकर्ता के प्रबंधन का ध्यान ऐसे किसी भी विषय की ओर आकर्षित करना जिसपर वह सोचता है या सोचती है कि अधिनियम के ऐसे स्वरूप के उल्लंघन से बचने के लिए, जो पालिसीधारकों के हितों को प्रभावित कर सकता है, बीमाकर्ता के द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित है;
- (7) समय-समय पर प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन करना;
- (8) यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता की समग्र कीमत-निर्धारण नीति बीमाकर्ता की समग्र जोखिम-अंकन और दावा प्रबंध नीति के अनुरूप है;
- (9) पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना;
- (10) जोखिम प्रबंध प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान करना;
- (11) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना के संबंध में अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों का अनुपालन करना;
- (12) उपर्युक्त के अतिरिक्त, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले किसी बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश तथा अन्य विवरणियों को प्रमाणित करना;
 - (ii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान जिन पालिसीधारकों की पालिसियाँ मृत्यु या अन्य किसी कारण से भुगतान के लिए भुगतान हेतु परिपक्व होती हैं, उनको जीवन बीमाकर्ता द्वारा देय अंतरिम बोनस या बोनसों की सिफारिश के संबंध में अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों का अनुपालन करना;
 - (iii) बीमाकर्ता के प्रबंधन व्ययों के संबंध में बीमांकिक सलाह देना;
 - (iv) यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;
 - (v) प्रमाणित करना कि गणितीय आरक्षित निधियाँ इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III में निर्धारित तरीके से तथा भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी नोट्स/बीमांकिक व्यवहार मानक और प्राधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं निदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई हैं;
 - (vi) यह सुनिश्चित करना कि देयताओं के मूल्यांकन के और सहभागी पालिसीधारकों को, जो अधिशेष के अंश के लिए पात्र हैं, अधिशेष के वितरण के विषय में पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को ध्यान में रखा गया है;
 - (vii) बीमा उद्योग और पालिसीधारकों के हित में बीमांकिक सलाह प्रस्तुत करना
 - (viii) गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन का समन्वय करना;
 - (ix) गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त पद्धतियों और अंतर्निहित माडलों एवं पूर्वानुमानों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करना;
 - (x) गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करना;

- (xi) गणितीय आरक्षित निधियों की विश्वसनीयता और पर्याप्तता के बारे में बीमाकर्ता के बोर्ड को सूचित करना;
- (13) इस विनियम की अनुसूची-I के भाग II का खंड 7 के उप-खंड (1) से (11) तक के अतिरिक्त, साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (i) यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;
 - (ii) यह प्रमाणित करना कि उपगत परन्तु सूचित नहीं किये गये दावों के लिए आरक्षित निधियों (आईबीएनआर) सहित दावा आरक्षित निधियों और अन्य आरक्षित निधियों (उपगत परन्तु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये दावों के लिए आरक्षित निधियों सहित)(आईबीएनईआर) तथा प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) का निर्धारण बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए और इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग IV में निर्धारित तरीके से किया गया है;
 - (iii) बीमाकर्ता के प्रबंधन व्ययों के संबंध में बीमांकिक सलाह देना;
 - (iv) आईबीएनआर और अन्य आरक्षित निधियों (आईबीएनईआर और पीडीआर के लिए आरक्षित निधियों सहित) के लिए आरक्षित निधियों के परिकलन का समन्वय करना;
 - (v) आईबीएनआर के लिए आरक्षित निधियों तथा आईबीएनआप और पीडीआर के लिए आरक्षित निधियों सहित अन्य आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करना;
 - (vi) बीमाकर्ता के बोर्ड को आईबीएनआर तथा आईईएनआर और पीडीआर के लिए आरक्षित निधियों सहित अन्य आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के बारे में बीमाकर्ता के बोर्ड को सूचित करना;
- (14) एक उचित समय के अंदर अपनी राय लिखित में सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित की सूचना देना:
- (i) बीमाकर्ता द्वारा अधिनियम या किन्हीं अधिनियमों का किसी उल्लंघन का स्वरूप यदि ऐसा है कि वह उल्लेखनीय रूप में बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पालिसियों के पालिसीधारकों या लाभार्थियों के हितों को प्रभावित कर सकता है;
 - (ii) क्या बीमाकर्ता के निदेशकों ने ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उचित रूप में आवश्यक है; अथवा
 - (iii) क्या बीमाकर्ता के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने से उसे रोकने के लिए उद्दिष्ट आचरण में लिप्त रहा है।
- (15) यदि कोई नियुक्त बीमांकक, बीमांकक के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित (डिस्कालिफाई) किया जाता है, तो उसका नियुक्त बीमांकक के रूप में रहना तत्काल समाप्त हो जाता है:
- (16) अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करते समय नियुक्त बीमांकक सामान्य रूप से स्वीकृत बीमांकिक सिद्धांतों और व्यवहारों का उचित ध्यान रखेगा;
- (17) नियुक्त बीमांकक सक्षम प्राधिकारी को किसी भी संस्था के द्वारा उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की सूचना ऐसे प्रारंभ की तारीख से सात दिन के अंदर देगा।

8. हितों का संघर्ष

- (1) नियुक्त बीमांकक इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा, तथा वह किसी ऐसी क्षमता में कार्य नहीं करेगा जो इन विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकक के रूप में अपनी भूमिका का निष्पादन करने में हितों के किसी संघर्ष के रूप में परिणत हो सकती है।
- (2) बीमाकर्ता और नियुक्त बीमांकक हर समय नियुक्त बीमांकक के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के खंड 8(1) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

9. बीमाकर्ता के दायित्व

- (1) बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायेगा।
- (2) पर्याप्त बीमांकिक विशेषज्ञता निर्मित या विकसित करने के लिए, जीवन बीमाकर्ताओं के पास कम से कम दो बीमांकक तथा साधारण/स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के पास समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जानेवाली अवधि के अंदर कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त बीमांकक के अतिरिक्त कम से कम एक बीमांकक होगा।
- (3) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ता के विभिन्न कार्य नियुक्त बीमांकक को उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने में पर्याप्त समर्थन उपलब्ध कराएँगे।
- (4) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त बीमांकक एक ही समय बीमाकर्ता के मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका निष्पादित नहीं करेगा। तथापि, मुख्य जोखिम अधिकारी अधिमानतः नियुक्त बीमांकक से अलग स्वतंत्र रूप में एक बीमांकक हो सकता है।
- (5) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त बीमांकक सीधे बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

10. पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए प्रयोज्यता

इन विनियमों की अनुसूची-I का भाग II भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा। एफआरबी के संबंध में लागू मानदंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

भाग III: जीवन बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग सभी जीवन बीमाकर्ताओं पर लागू होगा।

(क) आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन

1. आस्तियों का मूल्यांकन

जीवन बीमाकर्ता की सभी आस्तियों का मूल्यांकन इन विनियमों की अनुसूची-II-वित्त कार्य, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और सम्मेलन) विनियम, 2024 सहित अन्य प्रयोज्य विनियमों तथा प्रयोज्य वर्तमान मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, निम्नलिखित आस्तियों को छोड़कर जो शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के लिए शून्य मूल्य के साथ रखी जाएँगी:

- (1) भारत में एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, तीस दिन की अवधि के अंदर उनके वसूल न की गई सीमा तक;
- (2) भारत के बाहर एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, उनके वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक;

- (3) विविध कर्ज, उनके वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक;
- (4) वसूलीयोग्य न होने के स्वरूप के अग्रिम और प्राप्य राशियाँ;
- (5) इन विनियमों की अनुसूची-IV के अनुसार ऋण और अग्रिम;
- (6) फर्नीचर, जुड़नार, जड़वस्तु स्टॉक और स्टेशनरी;
- (7) आस्थगित व्यय;
- (8) लाभ-हानि विनियोजन खाता शेष का नामे शेष तथा पूर्वदत्त व्ययों को छोड़कर कोई भी काल्पनिक आस्तियाँ;
- (9) पुनर्बीमाकर्ता की एक सौ बीस दिन से अधिक के लिए बकाया शेषराशियाँ;
- (10) पट्टाधृत सुधार;
- (11) 120 दिन से अधिक के लिए बकाया अप्रयुक्त वस्तु-सेवा कर (जीएसटी) जमा;
- (12) “संचित हानियाँ” के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्तियों को छोड़कर अन्य “आस्थगित कर आस्ति” का पचहत्तर प्रतिशत;
- (13) “संचित हानियाँ” के कारण उत्पन्न होनेवाली “आस्थगित कर आस्ति”;
- (14) अदावी राशियों का निरूपण करनेवाले निवेश तथा उनपर उपचित या अर्जित आय;
- (15) वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक कोई अन्य आस्तियाँ।

2. देयताओं की राशि का निर्धारण

जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता देयताओं की राशि का मूल्यांकन नीचे निर्धारित तरीके से करेगा:

- (1) गणितीय आरक्षित निधियों का निर्धारण प्रत्येक संविदा के लिए इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III(क) के खंड 2 के उप-खंड (2) से (4) तक के अनुसार मूल्यांकन की एक भावी पद्धति के द्वारा किया जाएगा।
- (2) मूल्यांकन पद्धति में सभी संभावित आकस्मिकताओं को हिसाब में लिया जाएगा जिनके अंतर्गत पालिसी की शर्तों के द्वारा निर्धारित रूप में पालिसी के अंतर्गत कोई प्रीमियम (पालिसीधारक द्वारा) अथवा लाभ (पालिसीधारक/ लाभार्थी को) देय हो सकता है। लाभों का स्तर पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं (बोनसों के संबंध में, अंतिम बोनसों, यदि कोई हों, सहित) तथा लाभों के भुगतान के लिए किसी बीमाकर्ता की किन्हीं स्थापित प्रथाओं को हिसाब में लेगा।
- (3) मूल्यांकन पद्धति किन्हीं विकल्पों और गारंटियों की लागत को हिसाब में लेगी जो संविदा की शर्तों के अंतर्गत पालिसीधारक को उपलब्ध हो सकती है।
- (4) प्रत्येक पालिसी के अंतर्गत देयता की राशि का निर्धारण सभी संगत मानदंडों के विवेकपूर्ण पूर्वानुमानों पर निर्भर होगा। ऐसे प्रत्येक मानदंड का मूल्य बीमाकर्ता के प्रत्याशित अनुभव पर आधारित होगा और इसमें प्रतिकूल विचलनों (इन विनियमों में इसके बाद एमएडी के रूप में उल्लिखित) के लिए उपयुक्त मार्जिन शामिल होगा जो गणितीय आरक्षित निधियों की राशि में किसी कमी के रूप में परिणत नहीं होगा।
- (5) ऋणात्मक आरक्षित निधियों का व्यवहार और अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियाँ :

- (i) किसी पालिसी के संबंध में गणितीय आरक्षित निधि की राशि जिसकी गणना उप-पैरा (4) के अनुसार निर्धारित है, ऋणात्मक हो सकती है (जो “ऋणात्मक आरक्षित निधियाँ” कहलाएँगी) अथवा मूल्यांकन की तारीख को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य से कम (“अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियाँ” कहलाएँगी) हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्पण मूल्य विशेष अभ्यर्पण मूल्य और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य का उच्चतर होगा।
 - (ii) अधिनियम की धारा 35 के प्रयोजन के लिए नियुक्त बीमांकक किसी आशोधन के बिना ऐसी गणितीय आरक्षित निधियों की राशि का उपयोग करेगा।
 - (iii) नियुक्त बीमांकक अधिनियम की धाराओं 13, 49, 64वी और 64वीए के प्रयोजन के लिए, जैसी स्थिति हो, ऐसे ऋणात्मक आरक्षित निधि के मामले में ऐसे गणितीय आरक्षित निधि की राशि को शून्य के रूप में निर्धारित करेगा, अथवा ऐसी अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियों के मामले में, अभ्यर्पण मूल्य के रूप में निर्धारित करेगा।
- (6) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर मूल्यांकन पद्धति “सकल प्रीमियम मूल्यांकन” होगा:
- (i) सामूहिक बीमा के साथ संबद्ध राइडरों सहित एक-वर्षीय नवीकरणयोग्य सामूहिक सावधि बीमा जिसमें आरक्षित निधियाँ अनर्जित प्रीमियम, प्रीमियम की कमी और उपगत परंतु सूचित न किये गये दावों की अनुमति देंगी।
 - (ii) वैयक्तिक उत्पादों के साथ संबद्ध राइडर जिनमें आरक्षित निधि सकल प्रीमियम मूल्यांकन आरक्षित निधि और अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि का उच्चतर होगी।
- (7) वैयक्तिक व्यवसाय के लिए, नियुक्त बीमांकक उपगत परंतु सूचित न किये गये दावों के संबंध में अतिरिक्त आरक्षित निधि को रोक सकता है।
- (8) यदि नियुक्त बीमांकक की राय में मूल्यांकन की सकल प्रीमियम पद्धति को छोड़कर मूल्यांकन की अन्य पद्धति को अपनाना है, तो अन्य सन्निकटन (अप्राक्सिमेशन) पद्धतियों (उदा. पूर्वव्यापी पद्धति) का प्रयोग किया जा सकता है।
- बशर्ते कि** परिकलित आरक्षित निधि की राशि के संबंध में प्रत्याशित है कि वह कम से कम उस राशि के समान होगी जो सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति लागू करने के द्वारा उत्पन्न की जाएगी।
- (9) देयताओं की राशि के परिकलन की पद्धति और मूल्यांकन मानदंडों के लिए पूर्वानुमान एक वर्ष से अगले वर्ष तक यादृच्छिक समाप्तियों के अधीन नहीं होंगे।
3. **पालिसी नकदी प्रवाह:** मूल्यांकन की सकल प्रीमियम पद्धति एक उपयुक्त ब्याज दर पर निम्नलिखित भावी पालिसी नकदी प्रवाहों को घटाएगी,
- (1) देय प्रीमियम, यदि कोई हो;
 - (2) मृत्यु, उत्तरजीविता, परिपक्वता, संविदा के स्वैच्छिक समापन अथवा पालिसी के अंतर्गत कवर की गई कोई अन्य आकस्मिकताएँ;
 - (3) पहले से ही मूल्यांकन दिनांक की स्थिति के अनुसार निहित बोनस, यदि कोई हों;
 - (4) मूल्यांकन दिनांक को मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बोनस, यदि कोई हों;
 - (5) अंतिम बोनसों सहित, भावी बोनस (मूल्यांकन दिनांक के एक वर्ष बाद), यदि कोई हों;
 - (6) कोई अन्य लाभ, जैसे लागू हों;

- (7) पालिसी के संबंध में देय कमीशन और पारिश्रमिक, यदि कोई हो, पॉलिसी के संबंध में (यह बीमाकर्ता की वर्तमान प्रथा पर आधारित होगा)। देखभाल रहित (अर्फन्ड) पालिसियों के संबंध में कमीशन का भुगतान न करने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी
- (8) पालिसी के संबंध में पालिसी रखरखाव व्यय, यदि कोई हो;
- (9) शेयरधारकों को लाभ का आवंटन, यदि कोई हो, जहाँ शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभों और पालिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच विशिष्ट संबंध है, बशर्ते कि छूट अवश्य कर, यदि कोई हो, के लिए दी जानी चाहिए;
- (10) कोई अन्य नकदी प्रवाह, जैसा लागू हो।

4. पालिसी विकल्प और गारंटियाँ:

जहाँ पालिसी अंतर्निहित विकल्प उपलब्ध कराता है जिनका प्रयोग पालिसीधारक के द्वारा किया जा सकता है, जैसे परिवर्तन अथवा अच्छे स्वास्थ्य के साक्ष्य के बिना भावी दिनांक(कों) को कवरेज का परिवर्धन अथवा गारंटियाँ, जैसे संविदा की परिपक्वता पर वार्षिकी दर गारंटियाँ, निवेश गारंटियाँ आदि, वहाँ ऐसे विकल्पों अथवा गारंटियों की लागतों का अनुमान गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में विशेष नकदी प्रवाहों के रूप में किया जाएगा।

5. मूल्यांकन मानदंड:

- (1) मूल्यांकन मानदंड उन आधारों को बनाते हैं जिनपर भावी पालिसी नकदी प्रवाहों की संगणना की जाएगी और घटाया जाएगा। प्रत्येक मानदंड मूल्यांकन किये जानेवाले व्यवसाय के खंड के लिए उपयुक्त होगा। नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:
- (i) मानदंड का(के) मूल्य बीमाकर्ता का अनुभव अध्ययन पर आधारित होगा(होंगे) जहाँ उपलब्ध हो। यदि विश्वसनीय अनुभव अध्ययन उपलब्ध नहीं है, तो उक्त मूल्य उद्योग अध्ययन पर आधारित हो सकते हैं, यदि उपलब्ध और उपयुक्त हो। यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो उक्त मूल्य उत्पाद के कीमत-निर्धारण के लिए प्रयुक्त आधारों पर निर्भर होंगे। किसी मानदंड के प्रत्याशित स्तर को स्थापित करने में, अनुभव में किसी संभावित ह्रास को हिसाब में लिया जाएगा।
 - (ii) इस विनियम की अनुसूची-1 के भाग III का खंड 5 के उप-खंड 1(i) में निर्धारित रूप में प्रत्याशित स्तर का समायोजन प्रतिकूल विचलनों के लिए उपयुक्त मार्जिन (एमएडी) द्वारा किया जाएगा, जहाँ प्रत्येक मानदंड में ऐसे एमएडी का स्तर प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक व्यवहार मानकों / मार्गदर्शी नोट्स पर आधारित होगा।
 - (iii) विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों के लिए प्रयुक्त मूल्य आपस में सुसंगत होने चाहिए।
- (2) प्रयुक्त की जानेवाली मृत्यु दरें किसी प्रकाशित सारणी के संदर्भ द्वारा होंगी, जब तक कि बीमाकर्ता ने अपने अनुभव के आधार पर एक अलग सारणी निर्मित नहीं की हो:
- बशर्ते कि ऐसी प्रकाशित सारणी प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा बीमा उद्योग को उपलब्ध करायी जाएगी।
- परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि एक प्रकाशित सारणी के संदर्भ द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि प्रकाशित सारणी के संदर्भ के द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम हो सकती हैं यदि नियुक्त बीमांकक एक निम्नतर प्रतिशत को उचित सिद्ध कर सके।

- (3) प्रयुक्त की जानेवाली अस्वस्थता दरें किसी प्रकाशित सारणी के संदर्भ के द्वारा होंगी, जब तक बीमाकर्ता अपने अनुभव के आधार पर एक अलग सारणी निर्मित नहीं की हो:

बशर्ते कि ऐसी प्रकाशित सारणी प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा बीमा उद्योग को उपलब्ध कराई जाएगी:

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि एक प्रकाशित दर के संदर्भ के द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि प्रकाशित सारणी के संदर्भ के द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम हो सकती हैं यदि नियुक्त बीमांकक एक निम्नतर प्रतिशत को उचित सिद्ध कर सके।

- (4) पालिसी अनुरक्षण व्यय बीमाकर्ता के वास्तविक व्यय अनुभव का ध्यान रखेंगे। सभी व्यय मुद्रास्फीति के लिए भावी वर्षों में बढ़ाये जाएँगे; अनुमानित मुद्रास्फीति दर मूल्यांकन ब्याज-दर के साथ सुसंगत होगी।

बशर्ते कि उपयुक्त अतिरिक्त प्रावधान किये जाएँगे यदि वास्तविक अनुभव पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया गया हो।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि उपर्युक्त उपबंध जीवन बीमा कंपनियों के लिए व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख से प्रथम पाँच वर्ष के लिए लागू नहीं होगा।

(5) मूल्यांकन ब्याज दर:-

- (i) सर्वोत्तम अनुमान ब्याज दर का निर्धारण सर्वप्रथम जीवन बीमा व्यवसाय के खंडों के कारण वर्तमान आस्तियों से वर्तमान और प्रत्याशित प्रतिफलों तथा उन प्रतिफलों के आधार पर होगा जो बीमाकर्ता भविष्य में निवेश की जानेवाली राशियों से प्राप्त करने की प्रत्याशा करता है, तथा ऐसा निर्धारण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा-

(क) देयताओं का समर्थन करनेवाली आस्तियों, हाथ में विद्यमान निवेशों से प्रत्याशित नकदी प्रवाहों, मूल्यांकन की जानेवाली पालिसियों के खंड से नकदी प्रवाहों, संभावित भावी निवेश परिस्थितियों, तथा भावी निवल नकदी प्रवाहों के साथ व्यवहार करने में प्रयुक्त की जानेवाली पुनर्निवेश और विनिवेश रणनीति की संरचना;

(ख) ऐसे निवेश या मूल धन की चुकौती पर आय की प्राप्ति के संबंध में निवेश के साथ संबद्ध जोखिम;

(ग) बीमाकर्ता के निवेश कार्यों के साथ संबद्ध व्यय।

- (ii) ऐसे सर्वोत्तम अनुमान का समायोजन मूल्यांकन ब्याज दर प्राप्त करने हेतु प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन के द्वारा किया जाएगा।

- (iii) इसके अलावा, उक्त मूल्यांकन ब्याज दर,

(क) जीवन बीमा व्यवसाय के खंडों के कारण वर्तमान आस्तियों से प्रतिफलों के विवेकपूर्ण आकलन तथा उन प्रतिफलों से जिनकी प्रत्याशा बीमाकर्ता भविष्य में निवेश की जानेवाली राशियों से प्राप्त करने के लिए करता है, से निर्धारित ब्याज दरों से उच्चतर नहीं होगा।

- (ख) विशेष श्रेणी की संविदाओं के संबंध में पालिसी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य, ऐसी श्रेणी की संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित आस्तियों के प्रतिफलों के परिकलन के लिए उच्चतर नहीं होगी
- (ग) लाभरहित व्यवसाय के संबंध में, भावी व्याज दरों के जोखिम की पहचान करेगी
- (घ) सहभागी व्यवसाय के संबंध में, पूर्वानुमान (भावी निवेश स्थितियों के संबंध में) के आधार पर होगी, कि मूल्यांकन में प्रयुक्त भावी बोनसों का मान मूल्यांकन व्याज दर के साथ सुसंगत है।
- (6) व्यपगम दर, पर यदि मूल्यांकन के लिए विचार किया जाता है, तो उत्पाद या इसी प्रकार के उत्पादों के पिछले अनुभव के आधार पर एक विवेकपूर्ण पूर्वानुमान होनी चाहिए, तथा यह उत्पादों के स्वरूप, लक्ष्य बाजार, वितरण माध्यम आदि के आधार पर प्रत्याशित भावी अनुभव का ध्यान रखते हुए होगी।
- (7) अन्य मानदंड पालिसी के प्रकार के आधार पर हिसाब में लिये जा सकते हैं। ऐसे मानदंडों के मूल्य स्थापित करने में इस अनुसूची के भाग III-क में निर्धारित मान्यताओं को हिसाब में लिया जाएगा।
- (8) सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के पुनर्बीमाकर्ताओं से किसी भी प्रकार की जमाराशि या जमा के रूप में उधार के तत्व के साथ पुनर्बीमा व्यवस्था को, अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पुनर्बीमा हेतु जमा के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (9) यदि गणितीय आरक्षित निधि का परिकलन पुनर्बीमा प्रीमियम के संबंध में व्यय के लिए अनुमति देते हुए किया जाता है, तथा जमा को पुनर्बीमाकर्ता से दावा वसूलियों के लिए लिया जाता है, तो मूल्यांकन का आधार और पद्धतियाँ इन विनियमों की अनुसूची- I के भाग III के अनुसार होंगी।

6. संबद्ध बीमा व्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

- (1) संबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधियों के दो घटक होंगे, अर्थात् यूनिट आरक्षित निधियाँ या पालिसी खाता मूल्य और सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ।
- (2) यूनिट आरक्षित निधियाँ या पालिसी खाता मूल्य का परिकलन मूल्यांकन दिनांक को यूनिट मूल्यों या पालिसी खाता मूल्य, यदि लागू हो, का उपयोग करते हुए मूल्यांकन दिनांक को प्रचलित पालिसियों को आबंटित यूनिटों या पालिसी खाता मूल्य के संबंध में किया जाएगा।
- (3) सामान्य निधि आरक्षित निधियों का निर्धारण बट्टागत नकद प्रवाह पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
- भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;
 - सामान्य निधि आरक्षित निधि के द्वारा व्यवस्थित मृत्यु पर देय लाभ, यदि कोई हों (यूनिटों के मूल्य या पालिसी खाता मूल्य से अधिक);
 - सामान्य निधि को प्रदत्त प्रभार;
 - अभ्यर्पण मूल्यों या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;
 - निधि वृद्धि दरें और निधि प्रबंध प्रभार। (अन्य के साथ इन मानदंडों के मूल्यों का निर्धारण इन विनियमों की अनुसूची I के भाग III (क) के पैरा 5(5) के अनुसार किया जाएगा;
 - गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;

- (vii) अन्य भावी नकदी प्रवाह, यदि कोई हों;
- (viii) किसी भी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए आरक्षित निधियों की स्थापना के द्वारा उपयुक्त रूप में प्रावधान किया जाएगा;
- (4) उपर्युक्तानुसार परिकलित संबद्ध पालिसियों के अंतर्गत सामान्य निधि आरक्षित निधि यदि ऋणात्मक हो, तो शून्य के रूप में निर्धारित किया जाएगा।
- (5) सामान्य निधि आरक्षित निधियों को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध लाभरहित व्यवसाय हेतु आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।

7. परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

- (1) परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधि में दो घटक होंगे, अर्थात् पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ और सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ
- (2) पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ मूल्यांकन दिनांक को पालिसी खाते में शेष राशि होंगी।
- (3) सामान्य निधि आरक्षित निधियों का निर्धारण बढ़ागत नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
 - (i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;
 - (ii) सामान्य निधि द्वारा प्रदत्त मृत्यु पर देय लाभ (पालिसी खाते के मूल्य से अधिक);
 - (iii) सामान्य निधि में प्रदत्त प्रभार;
 - (iv) अभ्यर्पण मूल्य या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;
 - (v) पालिसी खाता वृद्धि दरें और निधि प्रबंध प्रभार। (अन्य के साथ इन मानदंडों के मूल्यों का निर्धारण इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III के पैरा 5(5) के अनुसार किया जाएगा);
 - (vi) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;
 - (vii) अन्य भावी नकदी प्रवाह, यदि कोई हों;
 - (viii) किसी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त रूप में व्यवस्था आरक्षित निधियों की व्यवस्था करने के द्वारा की जाएगी।
- (4) उपर्युक्तानुसार परिकलित परिवर्ती संबद्ध पालिसियों के अंतर्गत सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ, यदि ऋणात्मक हों, शून्य तक निर्धारित की जाएँगी।
- (5) सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध लाभरहित आरक्षित निधि के रूप में मानी जाएँगी।

8. परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय (सममूल्य और सममूल्येतर) के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

- (1) परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधि में दो घटक हैं, अर्थात् पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ और सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ।
- (2) पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ मूल्यांकन के दिनांक को पालिसी खाते में शेष राशि होंगी।
- (3) सामान्य निधि आरक्षित निधियों का निर्धारण बढ़ागत नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करने के द्वारा किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-

- (i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;
- (ii) सामान्य निधि के द्वारा प्रदत्त मृत्यु पर देय लाभ (पालिसी खाते के मूल्य से अधिक);
- (iii) सामान्य निधि में प्रदत्त प्रभार;
- (iv) अभ्यर्पण मूल्यों या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;
- (v) निधि वृद्धि दरें और निधि प्रबंध प्रभार। (इन मानदंडों के मूल्य, अन्यो के साथ, इन विनियमों की अनुसूची I के भाग III (क) के खंड 5(5) के अनुसार निर्धारित किये जाएँगे);
- (vi) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;
- (vii) अन्य भावी नकदी प्रवाह, यदि कोई हों;
- (viii) किसी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त रूप में आरक्षित निधियों की स्थापना करने के द्वारा प्रावधान किया जाएगा;
- (ix) अंतिम बोनसों (मूल्यांकन ब्याज दर के साथ सुसंगत) सहित भावी बोनस (मूल्यांकन दिनांक के एक वर्ष के बाद);
- (x) शेयरधारकों को लाभ का आबंटन, यदि कोई हो, जहाँ शेयरधारकों के कारण लाभों और पालिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच विनिर्दिष्ट संबंध है।

बशर्ते कि कर, यदि कोई हो, के लिए अवश्य छूट दी जाएगी।

- (4) उपर्युक्तानुसार परिकलित परिवर्ती असंबद्ध पालिसियों के अंतर्गत सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ, यदि ऋणात्मक हों, तो शून्य तक निश्चित की जाएँगी।
- (5) परिवर्ती असंबद्ध लाभरहित व्यवसाय के अंतर्गत साधारण निधि आरक्षित निधियों को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध सहभागी व्यवसाय के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।
- (6) परिवर्ती असंबद्ध सहभागी व्यवसाय के अंतर्गत साधारण निधि आरक्षित निधियों को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध सहभागी व्यवसाय के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।

9. अतिरिक्त प्रावधानों के लिए अपेक्षाएँ :

नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित के संबंध में समग्र प्रावधान करेगा, जहाँ गणितीय आरक्षित निधियों के निर्धारण में, प्रत्येक पालिसी के लिए गणितीय आरक्षित निधियों का परिकलन करते समय फैक्टर करना संभव नहीं है:-

- (1) पालिसियाँ जिनके संबंध में अवमानक जीवनो के जोखिम-अंकन के कारण अतिरिक्त जोखिमों के अधीन जैसे व्यवसाय संकट, अति-भार, न्यूनभार, धूम्रपान वृत्त, स्वास्थ्य, मौसमी या भौगोलिक परिस्थितियाँ; अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किये गये हैं;
- (2) व्यपगत पालिसियाँ जो मूल्यांकन में शामिल नहीं किये गये हैं, परंतु जिनके अंतर्गत देयता विद्यमान है या उत्पन्न हो सकती है;

- (3) घटाई गई प्रदत्त पालिसियाँ जहाँ अतिरिक्त आरक्षित निधियों में परिणत होनेवाले पुनःप्रवर्तन की संभावना है;
- (4) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प;
- (5) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के लिए उपलब्ध गारंटियाँ;
- (6) विनिमय की दरें जिन पर विदेशों में जारी की गई पालिसियों के संबंध में लाभ भारतीय रुपयों में परिवर्तित किये गये हैं और विनिमय दरों में भावी घट-बढ़ से उत्पन्न होनेवाली गणितीय आरक्षित निधियों की संभावित वृद्धि के लिए प्रावधान किया गया है;
- (7) महामारी की घटनाएँ, यदि कोई हों;
- (8) अन्य, यदि कोई हों।

10. शोधन-क्षमता मार्जिन

- (1) प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन, और शोधन-क्षमता अनुपात का निर्धारण इन विनियमों के अनुबंध एसीटीएल-6 से अनुबंध एसीटीएल-8 तक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में फार्म केटी1, केटी2 और केटी3 के अनुसार करेगा।
- (2) शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए की उप-धारा 3 के प्रयोजन के लिए अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का एक सौ पचास प्रतिशत होगा।
- (3) प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से अन्यून शोधन-क्षमता मार्जिन बनाये रखेगा।

11. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

जहाँ जीवन बीमाकर्ता स्वास्थ्य कवर देते हुए स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करता है, वहाँ देयताओं की राशि का निर्धारण इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

12. भारत के बाहर व्यवसाय

जहाँ जीवन बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी देश में बीमाकर्ता की एक शाखा के रूप में जीवन बीमा व्यवसाय करता है तथा मेजबान विनियमनकर्ता को विवरण या विवरणियाँ या ऐसा कोई ब्योरा प्रस्तुत करता है, वहाँ बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (ख) में यथाविनिर्दिष्ट फार्मों के साथ वह भी संलग्न करेगा।

बशर्ते कि यदि नियुक्त बीमांकक की राय है कि भारत के बाहर जहाँ बीमाकर्ता व्यवसाय करता है, वहाँ देयता और शोधन-क्षमता मानदंड भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों की तुलना में निम्नतर देयता और/या शोधन-क्षमता की अपेक्षा में परिणत होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बीमाकर्ता से अपेक्षा करेगा कि वह भारत के बाहर किसी देश में मेजबान विनियमनकर्ता को प्रस्तुत विवरणों या विवरणियों या किसी ऐसे ब्योरे में दर्शाई गई आरक्षित निधियों से अधिक अतिरिक्त आरक्षित निधियाँ अलग रख दे जिससे भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों का अनुपालन किया जा सके।

13. विवरण प्रस्तुत करना

आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता मार्जिन के विवरण इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (ख) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट फार्मों में प्रस्तुत किये जाएँगे तथा ये भारत के अंदर जीवन बीमा व्यवसाय के लिए और बीमाकर्ता द्वारा किये जानेवाले कुल व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँगे।

(ख) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यथानिर्धारित जीवन बीमा व्यवसाय के लिए रिपोर्ट और सारांश।**1. बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश की तैयारी के लिए प्रक्रिया।**

- (1) उक्त सारांश और विवरण अवश्य इस प्रकार व्यवस्थित किये जाने चाहिए कि पैराग्राफों की संख्याएँ और अक्षर इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (ख) के खंड 2 के अनुरूप हों।
- (2) उक्त सारांश और विवरण सक्षम प्राधिकारी को उक्त अवधि के अंत से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत किये जाएँगे जिससे वे संबंधित हैं अथवा बोर्ड द्वारा खातों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर प्रस्तुत किये जाएँगे, जो भी पहले हो।
- (3) ऐसे प्रत्येक सारांश और विवरण के साथ निम्नलिखित को संलग्न किया जाएगा:
 - (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि प्रत्येक पालिसी का पूर्ण और सही ब्योरा जिसके अंतर्गत कोई देयता है, चाहे वास्तविक हो या आकस्मिक, जाँच के लिए नियुक्त बीमांकक के पास भेजा गया है; तथापि, मूल्यांकन डेटा में कमी को सुधारने के लिए की जा रही कार्रवाई के साथ अपवर्जन, यदि कोई हों, प्रकट किये जाएँ।
 - (ii) नियुक्त बीमांकक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र उसकी टिप्पणी के साथ इस आशय का कि:
 - (क) सीईओ द्वारा प्रस्तुत डेटा जाँच के प्रयोजन के लिए देयताओं के मूल्यांकन के संचालन में शामिल किया गया है;
 - (ख) अधिनियम के उपबंधों का पालन किया गया है;
 - (ग) प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक व्यवहार मानकों का पालन किया गया है;
 - (घ) डेटा के सहीपन और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये गये हैं (यदि डेटा की कोई कमी पाई जाती है तो उसपर विशेष बल दिया जाए);
 - (ङ) नियुक्त बीमांकक की राय में, गणितीय आरक्षित निधियाँ संविदाओं के अंतर्गत बीमाकर्ता की भावी प्रतिबद्धताओं और पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

2. सारांश और विवरणों के लिए लागू अपेक्षाएँ

- (1) सारांश और विवरण निम्नलिखित के संबंध में अलग-अलग तैयार किये जाएँगे –
 - (i) सहभागी;
 - (ii) लाभरहित व्यवसाय।
- (2) प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों के अनुसार तैयार किये गये सारांश के साथ अनुबंध एसीटीएल-(1) से अनुबंध एसीटीएल-(9) में विनिर्दिष्ट फार्म में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा:-
 - (i) देयताओं का विवरण – फार्म एच, फार्म एनएलबी, फार्म एलबी, फार्म वीआईपी-एनएलबी और फार्म वीआईपीएलबी
 - (ii) फार्म आईए एनपीएआर (लाभरहित व्यवसाय के संबंध में)
 - (iii) फार्म आईए पीएआर (लाभरहित व्यवसाय के संबंध में)
 - (iv) मूल्यांकन तुलन-पत्र – फार्म आई

- (v) आस्तियों का विवरण – फार्म एए
 - (vi) फार्म केटी1
 - (vii) फार्म केटी2
 - (viii) उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन और शोधन-क्षमता अनुपात का विवरण – फार्म केटी3
 - (ix) अधिशेष की संरचना और वितरण – फार्म एस
- (3) प्रत्येक बीमाकर्ता उपर्युक्त विवरणों के साथ निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा:
- (i) लाभसहित (विथ प्राफिट) समिति की रिपोर्ट
 - (ii) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य फार्म
 - (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्मेटों में उपर्युक्त विवरणों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- (4) प्रत्येक सारांश निम्नलिखित को दर्शायेगा-
- (i) मूल्यांकन दिनांक – वह दिनांक जब मूल्यांकन (जाँच) किया गया है;
 - (ii) उत्पाद – मूल्यांकन में शामिल किये गये सभी उत्पादों/राइडरों की सूची उनकी संबंधित यूआईएन के साथ;
 - (iii) विदेशी परिचालन – अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान बीमाकर्ता के विदेशी परिचालनों का संक्षिप्त विवरण;
 - (iv) मूल्यांकन डेटा – नियुक्त बीमांकक सीईओ द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा की सुसंगति, संपूर्णता और सहीपन का सत्यापन करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में टिप्पणी करेगा।
 - (v) मूल्यांकन पद्धति – निम्नलिखित का एक संक्षिप्त विवरण –
 - (क) बीमा उत्पादों के संबंध में गणितीय आरक्षित निधियों के निर्धारण में अपनाई गई पद्धतियाँ;
 - (ख) वह पद्धति जिसके द्वारा प्रवेश के समय आयु, प्रीमियम अवधि, परिपक्वता दिनांक, मूल्यांकन आयु, मूल्यांकन दिनांक से परिपक्वता दिनांक तक की अवधि, का व्यवहार मूल्यांकन के लिए किया गया है;
 - (ग) वह तरीका जिसमें पुनर्बीमा को घटाकर मूल्यांकन आरक्षित निधियों को प्राप्त करने में पुनर्बीमा को हिसाब में लिया गया है;
 - (घ) निम्नलिखित के लिए अनुमति देने की पद्धति-
 - (1) प्रीमियम आय का व्यय-भार: और
 - (2) वार्षिक तौर पर देने के अलावा अन्य प्रकार से देय प्रीमियम;
 - (ङ) विभिन्न विकल्पों और गारंटियों के लिए मूल्यांकन की पद्धति:
 - (1) जाँच में शामिल किये गये विभिन्न उत्पादों के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये विभिन्न विकल्पों का ब्योरा दें।
 - (2) इन विकल्पों के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों का सारांश दें, जहाँ भी स्पष्ट रूप से दी गई हैं।

- (3) जाँच में शामिल किये गये विभिन्न उत्पादों के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न गारंटियों का ब्योरा दें।
- (4) इन गारंटियों के लिए प्रावधान करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों का सारांश दें, जहाँ भी स्पष्ट रूप से दी गई हैं।
- (vi) **अन्य समायोजन (प्रावधान) –** वे पद्धतियाँ जिनके द्वारा प्रावधान, यदि कोई हों, निम्नलिखित विषयों के लिए किये गये हैं, जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ मूल्यांकन के आधारों के भाग के रूप में आधारों के एक विवरण के साथ,-
- (क) पालिसियाँ जिनके संबंध में कम-औसत (अंडर ऐवरेज) जीवनो के जोखिम-अंकन के कारण अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किये गये हैं जो अतिरिक्त जोखिमों के अधीन हैं जैसे व्यवसाय संकट, अति-भार, न्यूनभार, धूम्रपान वृत्त, स्वास्थ्य, मौसमी या भौगोलिक परिस्थितियाँ;
- (ख) मूल्यांकन में शामिल न की गई व्यपगत पालिसियाँ परंतु जिनके अंतर्गत एक देयता विद्यमान है या उत्पन्न हो सकती है;
- (ग) घटाई गई प्रदत्त पालिसियाँ जहाँ अतिरिक्त आरक्षित निधियों में परिणत होनेवाले पुनःप्रवर्तन की संभावना है;
- (घ) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प;
- (ङ) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के लिए उपलब्ध गारंटियाँ;
- (च) विनिमय की दरें जिन पर विदेशी मुद्राओं में जारी की गई पालिसियों के संबंध में लाभों को भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया गया है तथा विनिमय दरों में भावी घट-बढ़ से उत्पन्न होनेवाली गणितीय आरक्षित निधियों में संभावित वृद्धि के लिए क्या प्रावधान किया गया है;
- (छ) देशव्यापी (पेंडमिक) घटनाएँ, यदि कोई हों;
- (ज) अन्य, यदि कोई हो।
- (vii) **मूल्यांकन के आधार:**
- मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन मानदंड यहाँ नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट तरीके से सर्वोत्तम अनुमान, प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन, तथा मूल्यांकन के पूर्वानुमान अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँगे:-

[illegible]

पूर्णतः प्रदत्त									
iii) घटाया गया प्रदत्त									
(ख) बीमा उत्पाद									
(i) नियमित प्रीमियम									
(ii) एकल प्रीमियम और पूर्णतः प्रदत्त									
(iii) घटाया गया प्रदत्त									

टिप्पणियाँ:

- (क) इन मानदंडों के लिए प्रतिकूल विचलनों हेतु मार्जिनों का सारांश दें।
- (ख) अनुभव, यदि कोई हो, के साथ मूल्यांकन मानदंडों पर पहुँचने के लिए आधार दें।
- (ग) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान पूर्वानुमानों में किये गये किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सारांश प्रभाव के साथ दें।
- (घ) सारणी के स्तंभ (6) के अंतर्गत प्रीमियमों, बीमित राशि, वार्षिकी, आदि और प्रति पालिसी से संबंधित व्ययों को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें।
- (ङ) सारणी के स्तंभ (9) के अंतर्गत मदों जैसे लाभ युक्त संविदाओं के संबंध में अंतिम बोनस तथा संबद्ध व्यवसाय के संबंध में प्रबंध प्रभागों, यूनिट वृद्धि दर, पालिसी खाता वृद्धि दर आदि को विनिर्दिष्ट करें।
- (च) अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, से संबंधित मदों को स्तंभ (9) के भाग के रूप में शामिल करें।

3. ऋणात्मक आरक्षित निधियाँ और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियाँ:

ऋणात्मक आरक्षित निधियों और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियों के लिए अपनाये गये व्यवहार का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

4. आस्तियों संबंधी विवरणी:

निवेश पर प्राप्ति व्यवसाय / संवर्गों आदि के खंडों के कारण आस्तियों पर समय के चलते मध्यम निधि (मीन फंड) के प्रतिशत के रूप में निवेश आय होगी। इस प्रयोजन के लिए आस्तियों का मूल्य इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग III-क में निर्धारित आस्ति मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करते हुए आस्तियों के समायोजित मूल्य होगा। मध्यम निधि (मीन फंड) का निर्धारण राशि और निधि में नकदी प्रवाह के विस्तार पर विचार करते हुए किया जाएगा।

5. अधिशेष का वितरण:

अधिशेष के वितरण में अपनाया गया आधार शेयरधारकों और पालिसीधारकों के बीच के रूप में है, तथा क्या ऐसे वितरण का निर्धारण बीमाकर्ता को संघटित करनेवाले लिखतों के द्वारा अथवा उसके विनियमों के द्वारा अथवा उप-विधियों के द्वारा अथवा अन्य किस प्रकार से किया गया था, इसका उल्लेख किया जाएगा।

6. अधिशेष के वितरण में अपनाये गये सिद्धांत:

पालिसीधारकों के बीच अधिशेष के वितरण में अपनाये गये सामान्य सिद्धांत, निम्नलिखित बिन्दुओं पर विवरणों सहित, प्रस्तुत किया जाएगा:-

- (1) क्या उक्त सिद्धांत बीमाकर्ता को संघटित करनेवाले लिखतों के द्वारा निर्धारित किये गये थे, अथवा उसके विनियमों के द्वारा अथवा उप-विधियों के द्वारा अथवा अन्यथा किस प्रकार से
- (2) बोनस का आबंटन करने से पहले, उन वर्षों की संख्या जब प्रीमियम का भुगतान किया जाना है, व्यतीत होनेवाली अवधि, तथा पूरी की जानेवाली अन्य शर्तें
- (3) क्या बोनस का आबंटन प्रत्येक वर्ष भुगतान किये गये प्रीमियम के संबंध में किया गया है, अथवा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के संबंध में है, अथवा बीमा के वर्ष अथवा अन्यथा किस प्रकार से है; तथा
- (4) क्या बोनस आबंटन के तुरंत बाद निहित होता है, अथवा यदि ऐसा नहीं, तो निहित करनेवाली शर्तें।

7. पालिसीधारकों की निधियों के संबंध में अधिशेष की संरचना और अधिशेष के वितरण का विवरण

- (1) तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिशेष की कुल राशि और ऐसे अधिशेष के आबंटन को दर्शाते हुए पालिसीधारकों की निधियों के संबंध में अधिशेष की संरचना और अधिशेष के वितरण का एक विवरण निम्नलिखित ब्योरे के साथ सहभागी व्यवसाय और लाभरहित व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाएगा:

अधिशेष की संरचना:

- (i) मूल्यांकन वर्ष के दौरान निकलनेवाला अधिशेष;
- (ii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतरिम बोनस;
- (iii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतिम बोनस;
- (iv) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त निष्ठा परिवर्धन अथवा अन्य प्रकार के बोनस, यदि कोई हों;
- (v) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान शेयरधारकों की निधियों से अंतरित की गई राशि;
- (vi) पूर्ववर्ती मूल्यांकन से आगे लाया गया, पालिसीधारकों की निधियों से अधिशेष की राशि;
- (vii) कुल अधिशेष ((i) से (vi) तक की मदों का कुल जोड़);

अधिशेष का वितरण:

पालिसीधारकों की निधि:

- (i) प्रति, भुगतान किये गये अंतरिम बोनस;
- (ii) प्रति, अंतिम बोनस;
- (iii) प्रति, निष्ठा परिवर्धन अथवा कोई अन्य प्रकार के बोनस, यदि कोई हों;
- (iv) पालिसीधारकों के बीच तत्काल सहभागिता के साथ, उन पालिसियों की संख्या देते हुए जिन्होंने सहभागिता की तथा उनके अंतर्गत बीमित राशियाँ (बोनसों को छोड़कर);
- (v) पालिसीधारकों के बीच आस्थगित सहभागिता के साथ, उन पालिसियों की संख्या देते हुए जिन्होंने सहभागिता की और उनके अंतर्गत बीमित राशियाँ (बोनसों को छोड़कर);
- (vi) प्रति, प्रत्येक आरक्षित निधि अथवा अन्य निधि या खाता (अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान खातों के जरिये पारित कोई ऐसी राशियाँ अलग-अलग बताई जाएँ);
- (vii) आगे ले जाये गये रूप में तथा अ-विनियोजित।

शेयरधारकों की निधि:

- (viii) प्रति, शेयरधारकों की निधियाँ (अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान खातों के माध्यम से पारित कोई ऐसी राशियाँ अलग से बताई जाएँ);

कुल राशियाँ:

(ix) आबंटित कुल अधिशेष: ((i) से (viii) तक की मदों का कुल जोड़)

- (2) एक हजार रुपये के लाभ के लिए पालिसियों को आबंटित बोनसों का नमूना विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत, जिनमें बोनस प्राप्य है, प्रभाजित राशियों के साथ प्रत्येक प्रकार के सहभागी उत्पाद के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा।

8. विवरणों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित उपबंध

- (1) इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III(ख) के खंड 2 के अंतर्गत उल्लिखित विवरणों का निम्नानुसार वर्णन होगा, जैसा लागू हो:-
- (i) वर्गीकरण
 - (ii) प्रकार
 - (iii) श्रेणी
 - (iv) प्रभाग
 - (v) उप-वर्ग
 - (vi) समूह
- (2) दो वर्गीकरण होंगे, अर्थात् भारत के अंदर व्यवसाय तथा कुल व्यवसाय (जिसमें भारत के अंदर व्यवसाय तथा भारत के बाहर व्यवसाय निहित हैं), जहाँ वर्गीकरण कूट क्रमशः 'बीडब्ल्यूआई' और 'बीटी' हैं।
- (3) दो प्रकार होंगे, अर्थात् सहभागी और लाभरहित जिनके कूट प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत क्रमशः 'पीएआई' और 'एनपीएआर' हैं।
- (4) प्रत्येक प्रकार के अंतर्गत चार श्रेणियाँ होंगी, अर्थात्,
- (i) असंबद्ध (परिवर्ती बीमा उत्पादों को छोड़कर अन्य) श्रेणी कूट 'एनएल' सहित
 - (ii) संबद्ध (परिवर्ती बीमा उत्पादों को छोड़कर अन्य) श्रेणी कूट 'एल' सहित
 - (iii) असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद, श्रेणी कूट 'वीआईपी-एनएल' सहित
 - (iv) संबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद, श्रेणी कूट 'वीआईपी-एल' सहित
- (5) दो प्रभाग होंगे, अर्थात् वैयक्तिक व्यवसाय और सामूहिक व्यवसाय, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः प्रभाग कूट 'आई' और 'जी' सहित।
- (6) चार उप-वर्ग होंगे, अर्थात्, जीवन व्यवसाय, पेंशन व्यवसाय, साधारण वार्षिकी व्यवसाय और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय, उप-वर्ग कूट 'एल', 'पी', 'ए', और 'एचएल' सहित।

- (7) दो समूह होंगे, अर्थात् तत्काल सहभागिता, आस्थगित सहभागिता, उप-वर्ग – सहभागिता प्रकार के अंतर्गत वैयक्तिक प्रभाग का जीवन व्यवसाय - के अंतर्गत समूह कूट क्रमशः 'आई-पीएआर' और 'डी-पीएआर' के साथ।
- (8) दो समूह होंगे, अर्थात् तात्कालिक वार्षिकी और आस्थगित वार्षिकी, सामान्य वार्षिकी व्यवसाय के उप-वर्ग के अंतर्गत समूह कूट 'आईए' और 'डीए' सहित।
- (9) दो समूह होंगे अर्थात् एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम तथा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम जिनके समूह कूट हैं असंबद्ध श्रेणी के अंतर्गत सामूहिक व्यवसाय के प्रभाग के अंतर्गत जीवन व्यवसाय के उप-वर्ग के अंतर्गत क्रमशः 'एनजीपी' और 'जीपी' हैं।
- (10) दो समूह होंगे, अर्थात्, गारंटी युक्त और गारंटी रहित जो असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद तथा संबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद में से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः 'डब्ल्यूजी' और 'डब्ल्यूओजी' के साथ।
- (11) उन फार्मों के लिए 'शून्य' विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे जहाँ बीमाकर्ता के कोई लेनदेन नहीं हैं।
- (12) सभी आंकड़े हजार में प्रस्तुत किये जाएँगे और सभी राशियाँ भारतीय रुपयों में प्रस्तुत की जाएँगी।
- (13) सामूहिक व्यवसाय के संबंध में, फार्मों और विवरणियों में 'पालिसियों की संख्या' को जहाँ भी लागू हो वहाँ 'योजनाओं की संख्या' के रूप में पढ़ा जाएगा।

(ग) जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अधिशेष का वितरण

1. एक जीवन बीमा निधि का अनुरक्षण करने की अपेक्षा

- (1) अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकृत जीवन बीमाकर्ता से निम्नलिखित का अनुरक्षण अलग-अलग करने की अपेक्षा है:
 - (i) एक जीवन निधि सहभागी पालिसीधारकों के लिए; तथा
 - (ii) एक जीवन निधि लाभरहित पालिसीधारकों के लिए।
- (2) इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (ग) के खंड 1(1) की अपेक्षाओं के अननुपालन का अर्थ होगा कि बीमाकर्ता द्वारा अनुरक्षित जीवन निधि केवल सहभागी पालिसीधारकों के लिए ही होगी।

2. अधिशेष के वितरण के लिए प्रक्रिया

जीवन बीमाकर्ता अपने नियुक्त बीमांकक की सलाह पर अपने शेयरधारकों के लिए निम्नलिखित तरीके से, इन विनियमों के भाग III के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए किये गये आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन से उत्पन्न होनेवाले बीमांकिक अधिशेष (मूल्यांकन अधिशेष के रूप में भी उल्लिखित) का एक भाग आरक्षित करे:

- (1) एक सौ प्रतिशत, लाभरहित पालिसीधारकों के लिए अनुरक्षित जीवन निधि के मामले में;
- (2) पालिसीधारकों को आबंटित अधिशेष का 1/9 भाग, सहभागी पालिसीधारकों के लिए अनुरक्षित जीवन निधि के मामले में।

बशर्ते कि तथापि बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह उन मामलों में जहाँ उपर्युक्त आबंटन अधिशेष का 1/9 भाग नहीं है, वहाँ प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करे।

परंतु आगे यह शर्त भी होगी कि बीमाकर्ता अपने शेयरधारकों को उपर्युक्त बीमांकिक अधिशेष के दस प्रतिशत से अधिक आबंटन नहीं करेगा या आरक्षित नहीं रखेगा।

भाग IV : साधारण बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग सभी साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

2. आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन

(1) आस्तियों का मूल्यांकन:

साधारण बीमाकर्ता या स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता की सभी आस्तियों का मूल्यांकन इन विनियमों की अनुसूची-II – वित्त कार्य, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 सहित अन्य प्रयोज्य विनियमों, और लागू वर्तमान मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, निम्नलिखित आस्तियों को छोड़कर जिन्हें शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के लिए शून्य मूल्य पर रखा जाएगा;

- (i) भारत में एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेषराशियाँ और बकाया प्रीमियम, उस सीमा तक जहाँ तक तीस दिन की अवधि के अंदर उनकी वसूली नहीं की गई है;
- (ii) राज्य/केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्रीमियम प्राप्य राशियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक 365 दिन की अवधि के अंदर उनकी वसूली नहीं की गई है;
- (iii) भारत के बाहर एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेषराशियाँ और बकाया प्रीमियम, उस सीमा तक जहाँ तक वे वसूलीयोग्य नहीं हैं;
- (iv) फुटकर कर्ज, उस सीमा तक जहाँ तक वे वसूलीयोग्य नहीं हैं;
- (v) अग्रिम और प्राप्य राशियाँ जो वसूलीयोग्य न होने के स्वरूप की हैं;
- (vi) इन विनियमों की अनुसूची-IV के अनुसार ऋण और अग्रिम;
- (vii) फर्निचर, जुड़नार, जड़वस्तु स्टॉक और स्टेशनरी;
- (viii) आस्थगित व्यय;
- (ix) लाभ-हानि विनियोजन खाता शेष का नामे शेष तथा पूर्व-दत्त व्ययों को छोड़कर कोई अन्य काल्पनिक आस्तियाँ;
- (x) सह-बीमाकर्ता की नब्बे दिन से अधिक के लिए शेष राशियाँ;
- (xi) भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और भारत में शाखाएँ रखनेवाले विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की 365 दिन से अधिक के लिए शेष राशियाँ;
- (xii) बिन्दु (xi) पर उल्लिखित को छोड़कर पुनर्बीमाकर्ताओं की अन्य शेष राशियाँ जो 180 दिन से अधिक बकाया हैं;
- (xiii) पट्टाधृत सुधार;
- (xiv) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की उपयोग न की गई जमा 120 दिन से अधिक के लिए बकाया;

- (xv) 'संचित हानियों' के कारण उत्पन्न होनेवाली को छोड़कर अन्य 'आस्थगित कर आस्ति' का पचहत्तर प्रतिशत;
- (xvi) 'संचित हानियाँ' के कारण उत्पन्न होनेवाली 'आस्थगित कर आस्ति';
- (xvii) अदावी राशियों का निरूपण करनेवाले निवेश और उनपर उपचित या अर्जित आय
- (xviii) कोई अन्य आस्तियाँ वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक।

(2) देयताओं की राशि का निर्धारण

तकनीकी देयताओं की राशि का निर्धारण मूल्यांकन दिनांक को व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग-अलग किया जाएगा तथा यह असमाप्त जोखिम आरक्षित निधियों और दावा आरक्षित निधियों का कुल जोड़ होगी। नियुक्त बीमांकक सुनिश्चित करेगा कि अनुमानित आरक्षित निधियाँ देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(i) असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर):

उक्त यूआरआर का परिकलन सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए किया जाएगा तथा यह निम्नलिखित से बनेगी:

(क) अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर):

अनर्जित प्रीमियम के लिए एक आरक्षित निधि का प्रावधान अंकित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करनेवाली राशि के रूप में किया जाएगा जो अनुवर्ती लेखांकन अवधियों के कारण होगी और उनको आबंटित की जाएगी। यूपीआर का अनुमान इन विनियमों की अनुसूची-II के भाग II के खंड 4 के अनुसार किया जाएगा। तथा इसे मुख्य वित्तीय अधिकारी और सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ख) प्रीमियम कमी पूरक आरक्षित निधि (पीडीआर):

पीडीआर का परिकलन सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। यद्यपि पीडीआर का अनुरक्षण बीमाकर्ता के स्तर पर किया जाएगा, तथापि खंडीय आधार पर पीडीआर की निगरानी उत्पादों की धारणीयता का निर्धारण करने के लिए तथा व्यवसाय की व्यवस्थाओं के स्तर पर अनुरक्षित किये जाने के लिए की जाएगी। बीमाकर्ता के स्तर पर अनुरक्षित रूप में पीडीआर न्यूनतम शून्य मूल्य के अधीन होगी।

प्रीमियम कमी की पहचान की जाएगी यदि अनुमानित दावा लागतों, व्ययों और रखरखाव की लागतों की कुल राशि अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि से अधिक हो जाती है। प्रीमियम कमी पूरक आरक्षित निधि का परिकलन नियुक्त बीमांकक द्वारा किया जाएगा और उसे विधिवत् प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) दावा आरक्षित निधि

(क) दावा आरक्षित निधि का निर्धारण बकाया दावा आरक्षित निधि, उपगत परंतु सूचित न किये गये दावों की आरक्षित निधि (आईबीएनआर) तथा उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये दावों की आरक्षित निधि (आईबीएनईआर) की समग्र राशि के रूप में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार व्यवसाय की निम्नलिखित व्यवस्थाओं के लिए किया जाएगा। एफआरबी के मामले में, यदि कणीय (ग्रैन्युलर) डेटा उपलब्ध नहीं है तो दावा आरक्षित निधि की गणना व्यवसाय की मोटर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में से प्रत्येक के लिए समग्र स्तर पर की जा सकती है।

मद सं. व्यवसाय की व्यवस्था	
मोटर	
1	मोटर ओडी-निजी कार
2	मोटर ओडी-दुपहिया वाहन
3	मोटर ओडी-वाणिज्यिक वाहन
4	मोटर टीपी- निजी कार
5	मोटर टीपी- दुपहिया वाहन
6	मोटर टीपी- वाणिज्यिक वाहन (असावीकृत समूह)
7	मोटर टीपी- वाणिज्यिक वाहन (टीपी समूह)
8	मोटर टीपी- वाणिज्यिक वाहन (समूह को छोड़कर अन्य)
स्वास्थ्य	
9	स्वास्थ्य बीमा – वैयक्तिक
10	स्वास्थ्य बीमा – समूह - सरकारी योजनाएँ
11	स्वास्थ्य बीमा – समूह – नियोक्ता/कर्मचारी योजनाएँ
12	स्वास्थ्य बीमा – समूह – अन्य योजनाएँ
वैयक्तिक दुर्घटना	
13	वैयक्तिक दुर्घटना – व्यक्तिगत
14	वैयक्तिक दुर्घटना – समूह (सरकारी योजनाएँ)
15	वैयक्तिक दुर्घटना – समूह – अन्य योजनाएँ
16	यात्रा
17	अग्नि (फायर)
मरीन	
18	मरीन कार्गो
19	मरीन – मरीन कार्गो को छोड़कर अन्य
अन्य विविध	
20	इंजीनियरिंग
21	विमानन
22	उत्पाद देयता
23	देयता बीमा
24	कर्मकार प्रतिकर/ नियोक्ता की देयता
25	फ़सल बीमा
26	मौसम बीमा
27	जमा बीमा
28	अन्य

(ख) बकाया दावा आरक्षित निधि

बकाया दावा आरक्षित निधि का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

- i. जहाँ बीमाकर्ताओं के बकाया दावों की राशि ज्ञात है, वहाँ उक्त राशि का पूर्णतः प्रावधान करना होगा

- ii. जहाँ बीमाकर्ता के अनुसार बकाया दावों की राशि का उचित रूप से अनुमान किया जा सकता है, वहाँ बीमाकर्ता निपटान के स्वरूप या औसत दावा राशियों, व्ययों और मुद्रास्फीति में परिवर्तनों के लिए सुस्पष्ट छूट को ध्यान में रखने के बाद 'मामला दर मामला पद्धति' का अनुसरण करेगा।
- iii. व्यवसाय की उन व्यवस्थाओं के लिए, जहाँ नियुक्त बीमांकक की राय है कि बकाया दावों के अनुमान के लिए सांख्यिकीय पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है, वहाँ नियुक्त बीमांकक मामला-दर-मामला पद्धति का अनुसरण करने के स्थान पर दावों के लिए आरक्षित व्यवस्था की उपयुक्त सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में, नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावा आरक्षित निधि को प्रमाणित किया जाएगा। जहाँ नियुक्त बीमांकक दावों पर कार्रवाई की प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करता है, वहाँ बकाया दावों के आरक्षित स्वरूप पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा और उसकी सूचना दी जाएगी।

(ग) उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) दावा आरक्षित निधि

- i. उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) दावों की आरक्षित निधि का निर्धारण उपयुक्त बीमांकक सिद्धांतों और पद्धतियों का उपयोग करते हुए की जाएगी तथा इसे नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- ii. नियुक्त बीमांकक आईबीएनआर का अनुमान दोनों पुनर्बीमा को घटाकर और पुनर्बीमा को सकल रूप में लेने के आधार पर करेगा।
- iii. नियुक्त बीमांकक घटना के प्रत्येक वर्ष के लिए आईबीएनआर हेतु प्रावधान का अनुमान करेगा तथा आंकड़ों का कुल जोड़ करेगा जिससे प्रावधान की जानेवाली कुल राशि प्राप्त की जा सके।
- iv. यदि घटना के किसी वर्ष के लिए आईबीएनआर के प्रावधान का अनुमान एक ऋणात्मक मूल्य उत्पन्न करता है, तो नियुक्त बीमांकक घटना के उस वर्ष के लिए आईबीएनआर के प्रावधान को कम से कम शून्य पर मानेगा।
- v. अनुमान की प्रक्रिया दावों के अनुमानित भावी विकास को वर्तमान तारीख तक नहीं घटाएगी।

3. अन्य देयताओं का निर्धारण

साधारण बीमाकर्ता निम्नलिखित मदों के संबंध में एक उचित मूल्य पूर्णतः रखेगा:

- i. अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान; घोषित या सिफारिश किये गये लाभांशों तथा बकाया लाभांशों के लिए आरक्षण की व्यवस्था;
- ii. बीमा व्यवसाय करनेवाली बीमा कंपनियों को देय राशि;
- iii. विविध लेनदारों को देय राशि;
- iv. कराधान के लिए प्रावधान;
- v. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि; तथा
- vi. अन्य देयताएँ, यदि कोई हों।

4. शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण

- (1) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता अनुबंध एसीटीएल-12 के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा शोधन-क्षमता अनुपात का निर्धारण करेगा।
- (2) शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर:

- (क) शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए की उप-धारा 3 के प्रयोजन के लिए अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का एक सौ पचास प्रतिशत होगा।
- (ख) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से अन्यून शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण करेगा।

5. प्रस्तुत किये जानेवाले विवरण

- i. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता अनुबंध एसीटीएल-10 के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में स्वीकार्य आस्तियों के मूल्य का एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- ii. अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की राशि का निर्धारण फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम में सूचीबद्ध रूप में व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग-अलग किया जाएगा। प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता अनुबंध एसीटीएल-11 के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर में देयताओं का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसे नियुक्त बीमांकक, प्रधान अधिकारी, सांविधिक लेखा-परीक्षक और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 64वी के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
- iii. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता अनुबंध एसीटीएल-12 के अनुसार फार्म आईआरडीए-जीआई-एसएम में शोधन-क्षमता मार्जिन का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- iv. साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में कोई भी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करेगा।
- v. ऊपर निर्धारित किये रूप में फार्म, अर्थात् फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए, फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर और फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम भारत के अंदर साधारण बीमा व्यवसाय के लिए और साधारण बीमाकर्ता द्वारा किये गये कुल व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँगे।
- vi. ये फार्म सक्षम प्राधिकारी को उस अवधि की समाप्ति से, जिससे वे संबंधित हैं, तीन महीने के अंदर अथवा बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा खातों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर, जो भी पहले हो, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किन्हीं अन्य रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किये जाएँगे।

6. भारत के बाहर व्यवसाय:

जहाँ बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी देश में साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय बीमाकर्ता की एक शाखा के रूप में करता है और उस देश के मेजबान विनियमनकर्ता को विवरण या विवरणियाँ या ऐसे कोई ब्योरे प्रस्तुत करता है, वहाँ बीमाकर्ता उसकी एक प्रति इन विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट फार्मों के साथ तथा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में संलग्न करेगा।

वशर्ते कि यदि नियुक्त बीमांकक की राय है कि भारत के बाहर जहाँ बीमाकर्ता व्यवसाय करता है, वहाँ देयता और शोधन-क्षमता मानदंड भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों की तुलना में निम्नतर देयता और/या शोधन-क्षमता की अपेक्षा में परिणत होते हैं, तो नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता से अपेक्षा करेगा कि वह भारत के बाहर किसी देश में मेजबान विनियमनकर्ता को प्रस्तुत किये गये विवरणों या विवरणियों या ऐसे किसी ब्योरे में दर्शाई गई आरक्षित निधियों से अधिक अतिरिक्त आरक्षित निधियाँ अलग रख दे, जिससे भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों का अनुपालन किया जा सके।

भाग V: शोधन-क्षमता मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए 'विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं' सहित पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए प्रयोज्यता:

1. जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय:

- (1) देयताओं की राशि का निर्धारण इन विनियमों के अनुसूची-I का भाग III के अनुसार किया जाएगा

- (2) अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण इन विनियमों के अनुसूची-I का भाग III के अनुसार किया जाएगा।
- (3) जहाँ तक बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पित व्यवसाय का संबंध है, इन विनियमों की अनुसूची-I का भाग III बीमाकर्ताओं द्वारा रखी गई जोखिम पर निवल राशियों पर लागू होगा।
- (4) जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पित जीवन और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय शामिल है।

2. साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय:

- (1) देयताओं की राशि का निर्धारण इन विनियमों के अनुसूची-I का भाग IV के अनुसार किया जाएगा;
- (2) अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण इन विनियमों के अनुसूची-I का भाग IV के अनुसार किया जाएगा
- (3) जहाँ तक बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पित व्यवसाय का संबंध है, इन विनियमों की अनुसूची-I का भाग IV बीमाकर्ता द्वारा रखी गई जोखिम पर निवल राशियों पर लागू होगा।
- (4) साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय में साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पित साधारण और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय शामिल है।

3. आस्तियों का मूल्यांकन

- (1) उपलब्ध आस्ति का मूल्यांकन इन विनियमों की अनुसूची-II – वित्त कार्य के अनुसार पुनर्बीमाकर्ता के स्तर पर किया जाएगा।
- (2) अस्वीकार्य आस्तियों का मूल्यांकन यथाप्रयोज्य रूप में इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III और भाग IV के अनुसार किया जाएगा।

4. शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर:

- (1) शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर कुल अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का एक सौ पचास प्रतिशत होगा, जहाँ कुल अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन और साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का योग होगा।
- (2) प्रत्येक पुनर्बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से अन्यून शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण करेगा।

5. प्रस्तुत किये जानेवाले विवरण

- (1) जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए विवरण:
 - (क) देयताओं का विवरण – फार्म एच (अनुबंध एसीटीएल-1)
 - (ख) फार्म केटी1 (अनुबंध एसीटीएल-6)
 - (ग) फार्म केटी2 (अनुबंध एसीटीएल-7)
- (2) साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए विवरण:
 - (क) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर (अनुबंध एसीटीएल-11)
 - (ख) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम की सारणी आईए (अनुबंध एसीटीएल-12)
- (3) जीवन और साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए संयुक्त विवरण

- (क) आस्तियों का विवरण – फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए (अनुबंध एसीटीएल-13)
- (ख) शोधन-क्षमता फार्म – आईआरडीएआई-आरआई-एसएम (अनुबंध एसीटीएल-14)
- (4) प्रत्येक पुनर्बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची I के भाग V के खंड 5(1) से 5(3) के अंतर्गत ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (5) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में कोई अन्य फार्म
6. इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग V के खंड 5 में उल्लिखित रूप में फार्म सक्षम प्राधिकारी को उस अवधि, जिससे वे संबंधित हैं, की समाप्ति से तीन महीने के अंदर अथवा पुनर्बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा खातों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर, जो भी पहले हो, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किन्हीं अन्य रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किये जाएँगे।

अनुसूची-II: वित्त संबंधी कार्य

भाग I: जीवन बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण, प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करना

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन सिद्धांतः

लेखांकन सिद्धांतों की प्रयोज्यता – बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलन-पत्र, राजस्व लेखा [पालिसीधारकों का लेखा], प्राप्ति और भुगतान खाता [नकदी प्रवाह विवरण] तथा लाभ और हानि लेखा [शेयरधारकों का लेखा] कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित रूप में लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप होंगे, जहाँ तक वे निम्नलिखित को छोड़कर जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए लागू हैं –

- (1) लेखांकन मानक 3 (एएस 3) – नकदी प्रवाह विवरण – नकदी प्रवाह विवरण केवल प्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत ही तैयार किया जाएगा।
- (2) लेखांकन मानक 17 (एएस 17) – खंड रिपोर्टिंग – उसमें उल्लिखित सूचीबद्धता और टर्नओवर का विचार किये बिना सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

3. प्रीमियमः

प्रीमियम को आय के रूप में तब माना जाएगा जब वह प्राप्य हो। संबद्ध व्यवसाय के लिए भुगतान के लिए नियत दिनांक को उस दिनांक के रूप में लिया जा सकता है जब संबद्ध यूनिट निर्मित किये जाते हैं।

4. अधिग्रहण लागतेंः

अधिग्रहण लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि में व्यय की जाएँगी जिस अवधि में वे उपगत की जाती हैं।

अधिग्रहण लागतें वे लागतें हैं जो परिवर्तनशील हैं तथा प्राथमिक तौर पर नई और नवीकरण बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं। सर्वाधिक आवश्यक जाँच तो बीमा संविदाओं की लागतों और उनके निष्पादन के बीच का अनिवार्य संबंध (अर्थात् जोखिम का प्रारंभ) है।

5. दावों की लागतः

दावों की अंतिम लागत में पालिसी लाभ की राशि और विशिष्ट दावा निपटान लागतें निहित हैं, जहाँ भी लागू हो।

6. बीमांकिक मूल्यांकन – जीवन पालिसियों के लिए देयताः

जीवन पालिसियों के आधार पर देयता के अनुमान का निर्धारण बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय की अपनी वार्षिक जाँच के अनुसरण में किया जाता है। वास्तविक पूर्वानुमान लेखों की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किये जाने चाहिए।

देयता का परिकलन इस प्रकार किया जाएगा कि भावी प्रीमियम भुगतानों और निवेश आय को एकसाथ लेते हुए बीमाकर्ता सभी भावी दावों (पालिसीधारकों की बोनस संबंधी पात्रताओं को मिलाकर) को पूरा कर सकता है।

7. निवेशों का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया:

बीमाकर्ता निवेशों के मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से करेगा:-

(1) स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) – निवेश संपत्ति:

निवेश संपत्ति के मूल्य का निर्धारण ऐतिहासिक लागत पर, कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनर्मूल्यांकन के अधीन किया जाएगा। निवेश संपत्ति की रखाव (कैरीइंग) लागत में परिवर्तन पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में ले जाया जायेगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह निर्धारण करेगा कि क्या निवेश संपत्ति में कोई क्षति हुई है।

स्थावर संपत्ति की रखाव राशि में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभ/हानियाँ 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाई जाएँगी। 'निवेशों के विक्रय पर लाभ' या 'निवेशों के विक्रय पर हानि', जैसी स्थिति हो, किसी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में शीर्ष 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' के अंतर्गत पूर्व में ईक्विटी में स्वीकृत रखाव राशि में संचित परिवर्तनों को शामिल करेगी तथा उस संपत्ति के विक्रय पर संबंधित राजस्व लेखा अथवा लाभ-हानि खाते में पुनः वापस ले जाएगी।

पुनर्मूल्यांकन के लिए आधार लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किये जाएँगे। सक्षम प्राधिकारी पालिसीधारकों को बोनस की घोषणा करने के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निर्मुक्त की जानेवाली राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकता है। शंका के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के निदेश के अनुसार पालिसीधारकों को निर्मुक्त की जानेवाली राशि को छोड़कर शेयरधारकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से किसी भी अन्य राशि का वितरण नहीं किया जाएगा।

किसी क्षतिमूलक हानि को राजस्व/लाभ-हानि खाते में एक व्यय के रूप में तत्काल माना जाएगा, जब तक कि उक्त आस्ति को पुनःमूल्यांकित राशि पर रखा नहीं जाता। किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की किसी भी क्षतिमूलक हानि को उस आस्ति की पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाएगा तथा यदि क्षतिमूलक हानि तदनुसूची पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से अधिक हो जाती है, तो ऐसे आधिक्य को राजस्व/ लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में माना जाएगा।

(2) कर्ज प्रतिभूतियाँ:

कर्ज प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में माना जाएगा तथा परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर इनका मापन किया जाएगा।

(3) ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत जो सक्रिय बाजारों में व्यापारित किये जाते हैं:

सक्रिय बाजारों में व्यापारित सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों का मापन तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर किया जाएगा। उचित मूल्य के परिकलन के प्रयोजन के लिए मापन एनएसई पर अंतिम उद्धृत भाव होगा। तथापि, एनएसई पर सूचीबद्ध न किये गये किसी भी स्टॉक के लिए बीमाकर्ता ईक्विटी का मूल्यांकन बीएसई में अंतिम उद्धृत भाव के आधार पर कर सकता है।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को निर्धारण कर सकता है कि क्या सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूति(यों)/व्युत्पन्नी लिखतों को कोई क्षति घटित हुई है।

एक सक्रिय बाजार से एक ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जहाँ व्यापारित प्रतिभूतियाँ समरूप हैं, इच्छुक खरीदारों और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य है तथा कीमतें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाली अप्राप्त लाभों/हानियों को शीर्ष 'उचित मूल्य परिवर्तन खाता' के अंतर्गत ईक्विटी में लिया जाएगा। 'निवेशों के विक्रय पर लाभ' या 'निवेशों के विक्रय पर हानि', जैसी स्थिति हो, में किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध में शीर्ष 'उचित मूल्य परिवर्तन खाता' के अंतर्गत ईक्विटी में पूर्व में प्राप्त उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल किये जाएँगे तथा उस सूचीबद्ध प्रतिभूति का वास्तविक विक्रय होने पर संबंधित राजस्व लेखा अथवा लाभ-हानि खाते में पुनः वापस लिये जाएँगे।

सक्षम प्राधिकारी पालिसीधारकों को बोनस की घोषणा करने के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते से निर्मुक्त की जानेवाली राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकता है। शंका के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार पालिसीधारकों को उन्मुक्त की जानेवाली राशि को छोड़कर उचित मूल्य परिवर्तन खाते से शेयरधारकों को किसी भी अन्य राशि का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, लाभान्शों की घोषणा करते समय उचित मूल्य परिवर्तन खाते में विद्यमान कोई भी नामे शेष लाभ/मुक्त आरक्षित निधियों से घटाया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को निर्धारण करेगा कि क्या कोई क्षति घटित हुई है। किसी भी क्षतिमूलक हानि (अर्थात् मूल्य में अस्थायी कमी को छोड़कर अन्य) को राजस्व/लाभ-हानि खाते में एक व्यय की तरह, उक्त प्रतिभूति/निवेश के पुनः मापे हुए उचित मूल्य तथा राजस्व/ लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में मानी गई पहले की किसी क्षतिमूलक हानि के द्वारा घटाये गये उसके अधिग्रहण मूल्य के बीच के अंतर की सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। राजस्व/ लाभ-हानि खाते में पूर्व में स्वीकृत क्षतिमूलक हानि का कोई भी प्रतिवर्तन राजस्व/ लाभ-हानि खाते में स्वीकार किया जाएगा।

बीमाकर्ता खातों की टिप्पणी में क्षति की स्वीकृति पर अपनी नीति प्रकट करेगा।

(4) असूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापारित से इतर ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत:

असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत तथा सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत जो सक्रिय बाजारों में नियमित रूप से व्यापारित नहीं हैं, ऐतिहासिक लागत पर मापे जाएँगे। ऐसे निवेशों के मूल्य पर ह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार किया गया प्रावधान परवर्ती अवधियों में प्रतिवर्तित किया जाएगा यदि बाह्य साक्ष्य के आधार पर अनुमान निवेश के मूल्य में उसकी रखाव राशि में वृद्धि दर्शाते हैं। उक्त प्रावधान के प्रतिवर्तन के कारण निवेश की बढ़ी हुई रखाव राशि ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी।

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, किसी प्रतिभूति को सक्रिय रूप से व्यापारित न किये जाने के रूप में समझा जाएगा, यदि सेवा द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल निधियों को नियंत्रित करनेवाले दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूति को "अत्यल्प रूप में व्यापारित" (थिनली ट्रेडेड) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(5) ऋण:

ऋणों को क्षति से संबंधित प्रावधानों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाएगा।

बीमाकर्ता अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करेगा और क्षति के लिए प्रावधान करेगा। क्षति संबंधी प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर व्युत्पन्न राशियों से निम्नतर नहीं होगा, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं।

(6) संबद्ध व्यवसाय:

निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांत ऊपर बताये गये सिद्धांतों के साथ सुसंगत होने चाहिए। संबद्ध व्यवसायों की प्रत्येक अलग की गई वियोजित निधि के लिए, वित्तीय विवरणों का एक अलग सेट अनुबद्ध किया जाएगा।

वियोजित निधियाँ पालिसीधारकों, जो निवेश जोखिम को वहन करते हैं, के विशिष्ट निवेश उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुरक्षित निधियों को निरूपित करती हैं। निवेश आय/लाभ और हानियाँ सामान्यतः सीधे पालिसीधारकों को प्राप्त होती हैं। प्रत्येक खाते की आस्तियाँ अलग की जाती हैं और वे बीमाकर्ता के किसी अन्य व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाले दावों के अधीन नहीं हैं।

(7) भावी विनियोजन के लिए निधियाँ:

भावी विनियोजन के लिए निधियाँ अलग से प्रस्तुत की जाएँगी।

भावी विनियोजन के लिए निधियाँ उन सभी निधियों को निरूपित करती हैं जिनका पालिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित नहीं किया गया है।

8. वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटीकरण-

(1) निम्नलिखित का प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणियों के रूप में किया जाएगा:-

(i) आकस्मिक देयताएँ :

(क) अंशतः प्रदत्त निवेश

- (ख) जोखिम-अंकन की बकाया प्रतिबद्धताएँ
- (ग) पालिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर अन्य दावे जो कर्जों के रूप में स्वीकार नहीं किये गये हैं;
- (घ) कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ
- (ङ) विवादाधीन सांविधिक माँगें/देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है
- (च) खातों में प्रावधान न करने की सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व
- (छ) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)
- (ii) प्रचलित जीवन पालिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक पूर्वानुमान।
- (iii) भारत के अंदर और बाहर कंपनी की आस्तियों पर ऋण-भारा।
- (iv) ऋणों, निवेशों और अचल आस्तियों के लिए की गई और बकाया प्रतिबद्धताएँ।
- (v) कर्ज प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार।
- (vi) तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार निपटाये गये दावे और छह महीने से अधिक अवधि के लिए अदत्त रूप में विद्यमान दावे।
- (vii) निम्नलिखित के लिए निवेशों के संबंध में संविदाओं का मूल्य:
 - (क) खरीदियाँ जहाँ वितरण लंबित हैं
 - (ख) विक्रय जहाँ भुगतन अतिदेय हैं
- (viii) बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय: व्यवसाय के विभिन्न खंडों के लिए व्यय का आबंटन और प्रभाजन।
- (ix) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना।
- (x) उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किये गये निवेशों की ऐतिहासिक लागतें।
- (xi) निवेश आस्ति के पुनर्मूल्यांकन का आधार।
- (xii) चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए किये गये प्रावधान, जो नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित हैं।
- (xiii) प्रकटीकरण कि पालिसीधारकों के खाते में शेयरधारकों के द्वारा किये गये अंशदान अप्रतिवर्तनीय स्वरूप के हैं, तथा बीमाकर्ता की ऐसी सामान्य बैठक के संदर्भ में भविष्य में किसी भी समय ये शेयरधारकों को वापस नहीं किये जाएँगे जिस बैठक में शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(2) निम्नलिखित लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनेंगी:

- (i) लेखांकन मानकों तथा महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नीतियों के तौर पर सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ लेखांकन सिद्धांतों के भाग I में दी गई हैं। बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण की गई कोई भी अन्य लेखांकन नीतियाँ लेखांकन मानक एएस 1 के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से बताई जाएँगी।
- (ii) लेखांकन नीतियों से कोई भी विचलन ऐसे विचलन के लिए कारणों के साथ प्रकट किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित सूचना भी प्रकट की जाएगी

- (i) किसी भी सांविधिक अपेक्षा के अनुसार किये गये निवेश उसकी राशि, स्वरूप, सुरक्षा तथा भारत के अंदर और बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों के साथ अलग से प्रकट किये जाने चाहिए;
- (ii) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए अर्जक/अनर्जक निवेशों के रूप में पृथक्करण;
- (iii) भारत के अंदर या बाहर स्थानीय कानूनों के अंतर्गत या अन्य प्रकार से भार-ग्रस्त रूप में जमा की जाने के लिए अपेक्षित सीमा तक आस्तियाँ;

- (iv) व्यवसाय का क्षेत्र-वार प्रतिशत;
- (v) पालिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेशों और उनपर आय के आबंटन के आधार;
- (vi) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में पूर्वानुमानों और अनुभव के आधार पर निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए प्रावधानीकरण करने हेतु नीति और सिद्धांतों का प्रकटीकरण;
- (vii) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

9. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

- (1) तुलन-पत्र, राजस्व खाते, लाभ-हानि खाते तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसूची राशियाँ दी जाएँगी।
- (2) वित्तीय विवरणों में आंकड़े निकटतम लाख तक पूर्णांकित किये जा सकते हैं।
- (3) निवेश के संबंध में प्राप्त ब्याज, लाभांश और किराया सकल राशि पर बताये जाएँगे, स्रोत पर काटा गया आय-कर “प्रदत्त अग्रिम कर” और स्रोत पर काटे गये करों के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए।
- (4) वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (i) अभिव्यक्ति “प्रावधान” से नीचे के (v) के अधीन अभिप्रेत होगा ऐसी कोई राशि जो अपलिखित हो या मूल्यहास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो, अथवा किसी ज्ञात देयता अथवा हानि के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो जिसमें उक्त राशि का निर्धारण पर्याप्त सहीपन के साथ नहीं किया जा सकता;
 - (ii) अभिव्यक्ति “आरक्षित निधि” पूर्वोक्त रूप में कथित के अधीन, ऐसी किसी राशि को शामिल नहीं करेगी जो अपलिखित हो या मूल्यहास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो अथवा किसी ज्ञात देयता या हानि के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो;
 - (iii) अभिव्यक्ति “आरक्षित पूँजी” में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी जो लाभ-हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए निःशुल्क के रूप में मानी गई है; तथा अभिव्यक्ति “राजस्व आरक्षित निधि” से आरक्षित पूँजी (कैपिटल रिज़र्व) को छोड़कर कोई अन्य आरक्षित निधि अभिप्रेत होगी;
 - (iv) अभिव्यक्ति “देयता” में सभी विवादित या आकस्मिक देयताओं के लिए संविदा किये गये व्यय के संबंध में सभी देयताएँ शामिल की जाएँगी।
 - (v) जहाँ—
 - (क) ऐसी कोई राशि जो अपलिखित है या मूल्यहास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई है, अथवा
 - (ख) ऐसी कोई राशि जो किसी ज्ञात देयता या हानि के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई है, जो ऐसी राशि से अधिक है जो निदेशकों की राय में उक्त प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है, वहाँ उक्त आधिक्य को एक आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा, न कि प्रावधान के रूप में।
- (5) कंपनी कानूनी मुकदमों के अंतर्गत क्षति के लिए प्रावधान करेगी जहाँ प्रबंधन की राय में अधिनिर्णय बीमाकर्ता के विरुद्ध जा सकता है।
- (6) रखी गई और पुनः बीमित जोखिम की सीमा का प्रकटीकरण अलग से किया जाएगा।
- (7) लाभ-हानि खाते का कोई भी नाम शेष अवचनबद्ध आरक्षित निधियों से कटौती के रूप में दर्शाया जाएगा और शेष, यदि कोई हो, अलग से दर्शाया जाएगा।
- (8) सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे शेयरधारकों और पालिसीधारकों के लिए अलग-अलग निवेश खाते रखें तथा निवेश पर आय/उपचित हानियाँ/पूँजीगत अभिलाभ /हानियाँ राजस्व खाते/लाभ-हानि खाते में, जैसी स्थिति हो, जमा/नामे की जाएँ।

10. प्रबंधन रिपोर्ट की विषय-वस्तु:- वित्तीय विवरणों के साथ एक प्रबंधन रिपोर्ट संलग्न की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित निम्नलिखित विषय होंगे:-

- (1) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण की निरंतर विधिमान्यता के संबंध में पुष्टीकरण;
- (2) यह प्रमाणीकरण कि सांविधिक प्राधिकारियों को देय सभी राशियों का भुगतान विधिवत् किया गया है;
- (3) इस आशय का पुष्टीकरण कि वर्ष के दौरान शेयरधारिता का स्वरूप और शेयरों का कोई भी अंतरण सांविधिक या विनियामक अपक्षाओं के अनुसार है;
- (4) घोषणा कि प्रबंधन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों कि निधियों का भारत के बाहर निवेश नहीं किया है;
- (5) यह पुष्टीकरण कि अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन अनुरक्षित किये गये हैं;
- (6) इस आशय का प्रमाणीकरण कि सभी आस्तियों के मूल्यों की समीक्षा तुलन-पत्र की तारीख को की गई है तथा यह कि उसके (बीमाकर्ता के) विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में निर्धारित आस्तियाँ पृथक् शीर्षक "ऋण", "निवेश", "एजेंटों के शेष", "बकाया प्रीमियम", "बकाया ब्याज, लाभांश और किराया", "उपचित हो रहे परंतु जो देय नहीं हैं ऐसे ब्याज, लाभांश और किराया", "बीमा व्यवसाय करनेवाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से प्राप्य राशियाँ", "विविध देनदार", "प्राप्य बिल", "नकदी" तथा "अन्य खाते" के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कई मदों के अंतर्गत उनके वसूलीयोग्य या बाजार मूल्य से अनधिक राशियों पर कुल संकलित राशियों में दर्शाई गई हैं;
- (7) इस आशय का प्रमाणीकरण कि जीवन बीमा निधि के किसी भाग का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन बीमा निधियों के उपयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया है;
- (8) समग्र जोखिम एक्सपोज़र और इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति के संबंध में प्रकटीकरण;
- (9) अन्य देशों में परिचालन, यदि कोई हों, देश के जोखिम और एक्सपोज़र जोखिम तथा अपनाई गई बचाव-व्यवस्था की कार्यनीति के संबंध में प्रबंधन का अनुमान देते हुए एक अलग विवरण के साथ;
- (10) पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय में प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करते हुए दावों के निपटान में लगा समय (एजिंग);
- (11) इस आशय का प्रमाणीकरण कि तुलन-पत्र में दर्शाये गये रूप में निवेशों और स्टाकों तथा शेयरों के मूल्य कैसे प्राप्त किये गये हैं, तथा इस प्रकार दर्शाये गये मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए उनके बाजार मूल्य का पता कैसे लगाया गया है;
- (12) संविभाग के तौर पर आस्ति गुणवत्ता और निवेश के निष्पादन की समीक्षा अर्थात् स्थावर संपदा, ऋणों और निवेशों आदि के तौर पर अलग-अलग;
- (13) एक दायित्व विवरण उसमें निम्नलिखित को निर्दिष्ट करते हुए कि:-
 - (i) वित्तीय विवरण तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का अनुसरण किया गया है, महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हों, से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों के साथ;
 - (ii) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की परिस्थिति तथा वर्ष के लिए परिचालन लाभ या हानि का एवं कंपनी के लाभ या हानि का एक सही और निष्पक्ष चित्र दिया जा सके;
 - (iii) प्रबंधक-वर्ग ने कंपनी की आस्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

- (iv) प्रबंधन ने एक निरंतर महत्व रखने के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये हैं;
- (v) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान है और वह प्रभावी रूप में परिचालन कर रही है।
- (14) उन भुगतानों का एक कार्यक्रम जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं को किये गये हैं जिनमें बीमाकर्ता के निदेशकों का हित विद्यमान है।
- (15) सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में देशों में देशी, सांविधिक, विनियामक और अन्य विधियों के अनुपालन का पुष्टीकरण।
- (16) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

11. वित्तीय विवरण तैयार करना

- (1) बीमाकर्ता इस भाग में निर्धारित रूप में, या उसके निकटस्थ रूप में परिस्थितियों के अनुरूप, फार्म ए-आरए, फार्म ए-पीएल और फार्म ए-बीएस में राजस्व लेखा [पालिसीधारकों का खाता], लाभ-हानि खाता [शेयरधारकों का खाता] और तुलन-पत्र तैयार करेगा।

बशर्ते कि बीमाकर्ता वित्तीय विवरण और उनमें निहित अनुसूचियाँ निम्नलिखित व्यवसायों के लिए अलग-अलग तैयार करेगा तथा उस सीमा तक एएस 17 का विनियोग आशोधित किया गया है:-

- (i) संबद्ध व्यवसाय – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य
- (ii) असंबद्ध व्यवसाय सहभागी – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य
- (iii) असंबद्ध व्यवसाय – लाभरहित – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य
- (iv) भारत के अंदर व्यवसाय और भारत के बाहर व्यवसाय।
- (v) विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य खंड।
- (2) बीमाकर्ता एएस 3 - “नकदी प्रवाह विवरण” में निर्धारित प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार अलग प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करेगा।

फार्म ए-आरए			
बीमाकर्ता का नाम:			
पंजीकरण सं. और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख			
31 मार्च 20____ को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा			
पालिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता) (राशि लाख रु. में)			
विवरण	अनुसूची संदर्भ.	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अर्जित प्रीमियम - निवल			
(क) प्रीमियम	1		
(ख) अध्येर्पित पुनर्बीमा			
(ग) स्वीकृत पुनर्बीमा			
निवेशों से आय			
(क) व्याज, लाभांश और किराया - सकल			
(ख) निवेशों के विक्रय/ मोचन पर लाभ			
(ग) (निवेशों के विक्रय/मोचन पर हानि)			
(घ) अंतरण/पुनर्मूल्यन पर अभिलाभ/ उचित मूल्य में परिवर्तन ¹			
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/ निवेशों पर छूट			
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
शेयरधारकों के खाते से अंशदान			

(क)प्रति, प्रबंध के अधिक व्यय ²			
(ख)प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी ³			
(ग)अन्य			
कुल (क)			
कमीशन	2		
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	3		
संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान			
अपलिखित अशोध्य कर्ज			
कर के लिए प्रावधान			
प्रावधान (कराधान को छोड़कर अन्य)			
(क)निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (निवल)			
(ख)अन्य के लिए (विनिर्दिष्ट करें)			
यूलिप प्रभारों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)			
कुल (ख)			
प्रदत्त लाभ (निवल)			
प्रदत्त अंतरिम बोनस	4		
जीवन पालिसियों के संबंध में देयता के मूल्यांकन में परिवर्तन			
(क) सकल ⁴			
(ख) पुनर्बीमा में अध्यर्पित राशि			
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि			
(घ) संबद्ध पालिसियों के लिए आरक्षित निधि			
(ङ) समाप्त पालिसियों के लिए निधि			
कुल (ग)			
अधिशेष/(कमी) (घ) = (क)-(ख)-(ग)⁵			
शेयरधारकों के खाते (गैर-तकनीकी खाता) ⁶ से अंतरित राशि			
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि			
विनियोजन			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष			
कुल			

¹ विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माने गये प्राप्त लाभ को निरूपित करता है।

² यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं।

³ यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।

⁴ बोनस के आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधियों को निरूपित करता है।

⁵ कुल अधिशेष का प्रकटीकरण निम्नलिखित विवरण के साथ अलग-अलग किया जाएगा:

(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस:

(ख) पालिसीधारकों को बोनस का आबंटन:

(ग) राजस्व लेखे में दर्शाया गया अधिशेष:

(घ) कुल अधिशेष: [(क)+(ख)+(ग)]

⁶ राजस्व लेखे में कमी होने की स्थिति में

टिप्पणी:

- क) पुनर्बीमा प्रीमियम, चाहे व्यवसाय अध्यर्पित हों या स्वीकृत, शीर्ष पुनर्बीमा प्रीमियमों के अंतर्गत सकल खाते में (अर्थात् कमीशनों की कटौती करने से पहले) लाना चाहिए।
- ख) कुल प्रीमियमों (पुनर्बीमा को घटाकर) के एक प्रतिशत से अधिक आय की मदें अथवा रु.5,00,000, जो भी अधिक हो, एक अलग व्यवस्था की मद के रूप में दर्शाई जानी चाहिए।
- ग) किसी निवेश के संबंध में प्राप्त व्याज, लाभांश और किराया सकल राशि के रूप में बताया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गये आय-कर की राशि 'प्रदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर' के अंतर्गत शामिल की जाएगी।
- घ) किराये से आय में केवल प्राप्त किराया ही शामिल किया जाएगा, इसमें कोई भी आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाएगा।
- ङ) उप-शीर्ष "अन्य आय" के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लाभ या हानियाँ तथा अन्य मदों जैसी मदें शामिल की जाएँगी।

फार्म ए – पीएल			
बीमाकर्ता का नाम:			
पंजीकरण सं. और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख			
31 मार्च 20__ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता।			
शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता) (राशि लाख रु. में)			
विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पालिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाते) से अंतरित राशियाँ			
निवेशों से आय			
(क) व्याज, लाभांश और किराया - सकल			
(ख) निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ			
(ग) (निवेशों के विक्रय/मोचन पर हानि)			
(घ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट			
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल (क)			
बीमा व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यय को छोड़कर अन्य व्यय			
पालिसीधारकों के खाते में अंशदान			
(क) प्रति, प्रबंधन के अधिक व्यय ¹			
(ख) प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी का पारिश्रमिक ²			

(ग)अन्य			
गौण कर्ज पर व्याज			
सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय			
दंड			
अपलिखित अशोध्य कर्ज			
पालिसीधारकों के खाते में अंतरित राशि ³			
प्रावधान (कराधान को छोड़कर अन्य)			
(क)निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (निवल)			
(ख)संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान			
(ग)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल (ख)			
कर से पहले लाभ/(हानि)			
कराधान के लिए प्रावधान			
कर के बाद लाभ/(हानि)			
विनियोजन			
(क)वर्ष के प्रारंभ में शेष			
(ख)प्रदत्त अंतरिम लाभांश			
(ग)प्रदत्त अंतिम लाभांश			
(घ)आरक्षित निधियों/अन्य खातों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
लाभ/हानि तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया			

¹ यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं।

² यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।

³ राजस्व लेख में कमी होने की स्थिति में

टिप्पणी:

क) किसी निवेश के संबंध में प्राप्त व्याज, लाभांशों और किराया सकल राशि के रूप में बताया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गये आय-कर की राशि 'प्रदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर' के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए।

ख) किराये से आय में केवल प्राप्त किराया ही शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कोई भी आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाएगा।

फार्म ए-बीएस			
बीमाकर्ता का नाम:			
पंजीकरण सं. और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख			
31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (राशि लाख रु. में)			
विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियाँ:			

शेयर पूँजी	5		
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	6		
जमा/[नामे] उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
उप-जोड़			
उधार-राशियाँ	7		
पालिसीधारकों की निधियाँ:			
जमा/[नामे] उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
पालिसी देयताएँ			
समाप्त पालिसियों के लिए निधियाँ:			
(i) प्रीमियमों का भुगतान न करने के कारण समाप्त			
(ii) अन्य			
बीमा आरक्षित निधियाँ ¹			
संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान			
उप-जोड़			
भावी विनियोजनों के लिए निधियाँ			
संबद्ध			
असंबद्ध (सममूल्येतर)			
असंबद्ध (सममूल्य)			
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)			
कुल			
निधियों का उपयोग			
निवेश			
शेयरधारक	8		
पालिसीधारक	8		
संबद्ध देयताएँ कवर करने के लिए धारित आस्तियाँ	8		
ऋण	9		
अचल आस्तियाँ	10		
आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)			
चालू आस्तियाँ			
नकदी और बैंक शेष	11		
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12		
उप-जोड़ (क)			
चालू देयताएँ	13		
प्रावधान	14		
उप-जोड़ (ख)			
निवल चालू आस्तियाँ (ग) = (क - ख)			
विविध व्यय (अपलिखित न किये जाने और समायोजित न किये जाने की सीमा तक)	15		
लाभ और हानि खाते (शेयरधारकों के खाते) में नामे शेष			
राजस्व लेखे (पालिसीधारकों के खाते) में कमी			
कुल			

¹ बीमा आरक्षित निधियाँ ऋणात्मक आंकड़े नहीं होनी चाहिए।

आकस्मिक देयताएँ		(राशि लाख रु. में)		
	विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अंशतः प्रदत्त निवेश			
2	पालिसियों के आधार पर दावों को छोड़कर अन्य दावे, कंपनी द्वारा कर्जों के रूप में स्वीकृत न किये गये			
3	बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) (क)			
4	कंपनी के द्वारा या कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ			
5	विवादाधीन सांविधिक माँगें/ देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है			
6	पुनर्बीमा दायित्व, खातों में प्रावधान न करने की सीमा तक			
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	(क)			
	(ख)			
	कुल			

टिप्पणी:

(क) बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ – शेयरों के नये निर्गम के लिए अभिदान का जोखिम-अंकन करने के लिए प्रतिबद्धताएँ, परंतु जिसके लिए देयता निर्गम के पूर्णतः अभिदत्त न होने की आकस्मिकता से युक्त है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में बीमाकर्ताओं को निर्गमों का जोखिम-अंकन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) पुनर्बीमा दायित्व - इसमें बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमा संविदाओं के अंतर्गत दायित्व शामिल हैं, जिनके संबंध में तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अवस्थित दायित्व हैं, पर विधिमान्य कारणों से, बीमाकर्ता ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची I			
प्रीमियम			
		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	प्रथम वर्ष प्रीमियम		
2	नवीकरण प्रीमियम		
3	एकल प्रीमियम		
	कुल प्रीमियम		
	व्यवसाय से अंकित प्रीमियम आय:		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

	टिप्पणियाँ:		
क)	भारत के अंदर और बाहर किये गये व्यवसाय से प्राप्त प्रीमियम आय का प्रकटीकरण अलग-अलग किया जाए।		
ख)	प्रीमियम की सूचना वस्तु और सेवा कर को छोड़कर दी जाए।		

अनुसूची 2			
कमीशन व्यय		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	कमीशन		
	प्रत्यक्ष – प्रथम वर्ष प्रीमियम		
	- नवीकरण प्रीमियम		
	- एकल प्रीमियम		
	सकल कमीशन		
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन		
	घटाएँ : अध्वर्षित पुनर्बीमा पर कमीशन		
	निवल कमीशन		
	कुल		
	कमीशन का माध्यम-वार अलग-अलग विवरण (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर)		
	वैयक्तिक एजेंट		
	कारपोरेट एजेंट – बैंक/एफआईआई/एचएफसी		
	कारपोरेट एजेंट - अन्य		
	दलाल		
	सूक्ष्म एजेंट		
	प्रत्यक्ष व्यवसाय – आनलाइन ¹		
	प्रत्यक्ष व्यवसाय - अन्य		
	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)		
	वेब संग्राहक		
	आईएमएफ		
	बिक्री केन्द्र (पाइंट आफ सेल) (प्रत्यक्ष)		
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अंकित व्यवसाय पर कमीशन (पुनर्बीमा को छोड़कर)		

	भारत में		
	भारत के बाहर		

¹ कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन

टिप्पणी:

लाभ कमीशन का समायोजन अध्यर्पित / स्वीकृत पुनर्बीमा के साथ किया जाना चाहिए तथा इसे कमीशन व्ययों की अनुसूची में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

अनुसूची 3			
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण लाभ		
2	यात्रा, परिवहन और वाहन चालन व्यय		
3	प्रशिक्षण व्यय		
4	किराया, दरें और कर		
5	मरम्मत		
6	मुद्रण और लेखन-सामग्री		
7	संचार व्यय		
8	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार		
9	चिकित्सा शुल्क		
10	लेखा-परीक्षक शुल्क, व्यय आदि		
	क) लेखा-परीक्षक के रूप में		
	ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में		
	i) कराधान के मामले		
	ii) बीमा संबंधी मामले		
	iii) प्रबंधन सेवाएँ; तथा		
	ग) किसी अन्य क्षमता में		
11	विज्ञापन और प्रचार		
12	ब्याज और बैंक प्रभार		
13	मूल्यहास		
14	ब्रैंड/ट्रेड मार्क उपयोग शुल्क/प्रभार		
15	व्यवसाय विकास और बिक्री संवर्धन व्यय		

16	पालिसियों पर मुद्रांक शुल्क (स्टैंप ड्यूटी)		
17	सूचना प्रौद्योगिकी व्यय		
18	वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)		
19	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

टिप्पणी:

- क) कुल प्रीमियमों के (पुनर्बीमा को घटाकर) एक प्रतिशत से अधिक अथवा रु.5,00,000, जो भी अधिक हो, व्ययों की मदें एक अलग व्यवस्था की मद के रूप में दर्शाई जाएँगी।
- ख) विभिन्न बाह्यस्रोतीकरण कार्यकलापों/व्यवस्थाओं के लिए भुगतान किये गये व्यय उपयोग की गई सेवाओं के स्वरूप के आधार पर संबंधित व्यवस्था की मद के अंतर्गत दर्ज किये जाने चाहिए, इन्हें “बाह्यस्रोतीकरण व्ययों” के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

अनुसूची 4			
प्रदत्त लाभ [निवल]		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	1. बीमा संबंधी दावे		
	(क) मृत्यु होने पर दावे		
	(ख) परिपक्वता पर दावे		
	(ग) वार्षिकियाँ / पेंशन भुगतान		
	(घ) आवधिक लाभ		
	(ङ) स्वास्थ्य		
	(च) अभ्यर्पण		
	(छ) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रदत्त लाभ (सकल)		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

	2. (पुनर्बीमा में अध्यर्पित राशि)		
	(क) मृत्यु होने पर दावे		
	(ख) परिपक्वता पर दावे		
	(ग) वार्षिकियाँ / पेंशन भुगतान		
	(घ) आवधिक लाभ		
	(ङ) स्वास्थ्य		
	(च) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	3. पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि:		
	(क) मृत्यु होने पर दावे		
	(ख) परिपक्वता पर दावे		
	(ग) वार्षिकियाँ / पेंशन भुगतान		
	(घ) आवधिक लाभ		
	(ङ) स्वास्थ्य		
	(च) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रदत्त लाभ (निबल)		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

टिप्पणी:

- क) उपगत दावों में प्रदत्त दावे, विशिष्ट दावा निपटान लागते जहाँ भी लागू हो तथा दावों के लिए बकाया प्रावधान में परिवर्तन निहित होंगे।
- ख) दावों के साथ संबद्ध शुल्क और व्यय, दावों में शामिल किये जाएँगे।
- ग) विधिक और अन्य शुल्क और व्यय भी, जहाँ भी लागू हो, दावों की लागत का भाग बनेंगे।

अनुसूची 5			
शेयर पूँजी		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	प्राधिकृत पूँजी		
	प्रत्येक रु..... के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु..... के अधिमानी शेयर		
2	निर्गत पूँजी		

	प्रत्येक रु.....के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु.....के अधिमानी शेयर		
3	अभिदत्त पूँजी		
	प्रत्येक रु.....के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु.....के अधिमानी शेयर		
4	माँगी गई पूँजी		
	प्रत्येक रु.....के ईक्विटी शेयर		
	घटाएँ : अदत्त माँगें		
	जोड़ें : जब्त शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)		
	घटाएँ : वापस खरीदे गये ईक्विटी शेयरों का सम मूल्य		
	घटाएँ : प्रारंभिक व्यय		
	व्यय, निम्नलिखित पर कमीशन या दलाली सहित		
	जोखिम-अंकन या शेयरों का अभिदान		
	प्रत्येक रु..... के अधिमानी शेयर		
	कुल		

टिप्पणी:

- क) विभिन्न श्रेणियों की पूँजी का विवरण अलग-अलग बताया जाए।
- ख) बोनस शेयरों के निर्गम के कारण पूँजीकृत राशि का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
- ग) यदि पूँजी के किसी भी भाग को धारक कंपनी के द्वारा धारित किया जाता है, तो यह अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।

अनुसूची 5क				
शेयरधारिता का स्वरूप [प्रबंधन के द्वारा यथाप्रमाणित]				
शेयरधारक	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
प्रवर्तक				
भारतीय				
विदेशी				
निवेशक¹				
भारतीय				
विदेशी				
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)²				

भारतीय				
विदेशी				
कुल				

¹ निवेशक समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित।

² अन्य में ईएसओपीएस आदि शामिल किये जा सकते हैं।

अनुसूची 6			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	आरक्षित पूँजी निधि		
2	पूँजी मोचन आरक्षित निधि		
3	शेयर प्रीमियम		
4	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि		
5	सामान्य आरक्षित निधियाँ		
	घटाएँ : शेयरों की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि		
	घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि		
6	आपात आरक्षित निधि		
7	अन्य आरक्षित निधियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
8	लाभ और हानि खाते में लाभ का शेष		
	कुल		

टिप्पणी:

क) आरक्षित निधियों में परिवर्धन और आरक्षित निधियों से कटौतियाँ प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जाएँगी।

अनुसूची 7			
उधार राशियाँ (राशि लाख रु. में)			
क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	डिबेंचर/बांड		
2	बैंकों से		
3	वित्तीय संस्थाओं से		
4	अन्य से (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणी:

- (क) वह सीमा जहाँ तक उधार राशियाँ सुरक्षित हैं, नीचे दिये गये रूप में प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत जमानत का स्वरूप बताते हुए अलग से प्रकट की जाएगी।
- (ख) तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर देय/प्राप्य राशियाँ अलग से दर्शाई जाएँगी।
- (ग) डिबेंचरों में समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार जारी किये गये एनसीडी शामिल हैं।

जमानती उधार राशियों के लिए प्रकटीकरण (टिप्पणी क देखें)				
			(राशि लाख रु. में)	
क्रम सं.	स्रोत/लिखत	उधार ली गई राशि	जमानत की राशि	जमानत का स्वरूप
1				
2				
3				
4				
5				
...				

अनुसूची 8			
निवेश – शेयरधारक		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	अन्य निवेश		
	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		

4	बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	अन्य लिखत		
	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्यूचुअल फंड		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत		
	(घ) डिबेंचर/शेयर		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	कुल		

टिप्पणी: अनुसूची 8ख के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें।

अनुसूची 8-क			
निवेश – पालिसीधारक		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्यूचुअल फंड		

	(ग) व्युत्पत्ती लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) व्युत्पत्ती लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	कुल		

टिप्पणी: अनुसूची 8बी के अंत में संलग्न नोट्स देखें।

अनुसूची 8-ख			
संबद्ध देयताओं को कवर करने के लिए धारित आस्तियाँ		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	(क) शेयर		

	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) व्युत्पत्ती लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) व्युत्पत्ती लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
6	अन्य चालू आस्तियाँ (निवल)		
	कुल		

टिप्पणियाँ (अनुसूचियाँ 8, 8-क और 8-ख के लिए लागू)

क) सहायक/धारक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश अलग से, लागत पर प्रकट किये जाएँगे।

- i) धारक कंपनी और सहायक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित रूप में समझा जाएगा।
- ii) संयुक्त उद्यम एक संविदागत व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या उससे अधिक पक्षकार एक आर्थिक कार्यकलाप संपन्न करेंगे, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।
- iii) संयुक्त नियंत्रण – किसी आर्थिक कार्यकलाप की वित्तीय और परिचालन नीतियों को नियंत्रित करने के लिए संविदागत रूप से सहमति-प्राप्त शक्ति की साझेदारी है, जिसके द्वारा उससे लाभ प्राप्त किये जा सकें।
- iv) सहयोगी संस्था – एक उद्यम है जिसमें कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है और जो कंपनी की न तो कोई सहायक संस्था है और न संयुक्त उद्यम।
- v) उल्लेखनीय प्रभाव (इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए) – से अभिप्रेत है किसी कंपनी के वित्तीय और परिचालन नीतिगत निर्णयों में सहभागिता, परंतु उन नीतियों का नियंत्रण नहीं। उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के द्वारा, नीतिनिर्णायक प्रक्रिया में सहभागिता के द्वारा, महत्वपूर्ण अंतर-कंपनी लेनदेनों, प्रबंधकीय कार्मिकों के अंतरपरिवर्तन के द्वारा अथवा तकनीकी सूचना पर निर्भरता के द्वारा। उल्लेखनीय प्रभाव साझे के स्वामित्व, संविधि या करार के जरिये प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक साझे के स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संस्थाओं के द्वारा निवेशिती की मतदान शक्ति के 20 प्रतिशत या उससे अधिक को धारित करता है, तो यह मान लिया जाता है कि निवेशक के पास उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है, जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता कि स्थिति यह नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक प्रत्यक्षतः या सहायक संस्थाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती की मतदान शक्ति के 20 प्रतिशत से कम को धारित करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक के पास उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है, जब तक ऐसे प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता। किसी अन्य निवेशक के द्वारा एक भारी अथवा अधिकांश स्वामित्व किसी निवेशक को आवश्यक रूप से उल्लेखनीय प्रभाव रखने से प्रतिबाधित नहीं कर सकता।
- ख) सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर कंपनी के निवेशों की समग्र राशि और साथ ही, उनका बाजार मूल्य प्रकट किया जाएगा।
- ग) आपात आरक्षित निधि से किया गया निवेश अलग से दर्शाया जाना चाहिए।
- घ) कर्ज प्रतिभूतियों को “परिपक्वता तक धारित” के रूप में माना जाएगा और इनका मापन परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागतों पर किया जाएगा।
- ङ) निवेश संपत्ति से अभिप्रेत है एक ऐसी संपत्ति [भूमि या भवन या भवन का भाग अथवा दोनों] जो सेवाओं के लिए या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के बजाय, किराये की आय अर्जित करने अथवा पूँजी की वृद्धि अथवा दोनों के लिए धारित है।
- च) निवेश जो तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर परिपक्व होते हैं, तथा तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर बेचने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ किये गये निवेश अल्पावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किये जाएँगे।

अनुसूचियाँ 8, 8क और 8ख के लिए प्रकटीकरण

सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर अन्य निवेशों का								
कुल मूल्य								
(राशि लाख रु. में)								
विवरण	शेयरधारक		पालिसीधारक		संबद्ध देयताओं को कवर करने के लिए धारित आस्तियाँ		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
दीर्घावधि निवेश:								
बही मूल्य								
बाजार मूल्य								

अल्पावधि निवेश:								
बही मूल्य								
बाजार मूल्य								

टिप्पणी: शेयरधारकों और पालिसीधारकों के निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य को विनिर्दिष्ट रूप में संबद्ध व्यवसाय निवेशों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

अनुसूची 9			
क्र.सं.	(राशि लाख रु. में)		
1	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण		
	जमानती		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि पर		
	(ग) पालिसियों की जमानत पर ऋण		
	(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अरक्षित		
	कुल		
2	उधारकर्ता-वार वर्गीकरण		
	(क) केन्द्र और राज्य सरकारें		
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		
	(ग) सहायक संस्थाएँ		
	(घ) कंपनियाँ		
	(ङ) पालिसियों की जमानत पर ऋण		
	(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
3	कार्यनिष्पादन-वार वर्गीकरण		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		

	(ख) प्रावधानों को घटाकर गैर-मानक ऋण		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	कुल		
4	परिपक्वता-वार वर्गीकरण		
	(क) अल्पावधि		
	(ख) दीर्घावधि		
	कुल		

टिप्पणी:

- क) अल्पावधि ऋणों में ऐसे ऋण शामिल होंगे जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर चुकौतीयोग्य हैं। दीर्घावधि ऋण वे ऋण होंगे जो अल्पावधि ऋण नहीं हैं।
- ख) अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान अलग से दर्शाये जाएँगे।
- ग) सभी दीर्घावधि जमानती ऋणों के मामले में जमानत का स्वरूप प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए जमानती ऋण से अभिप्रेत है कंपनी की आस्ति की जमानत पर पूर्णतः या अंशतः रक्षित ऋण।
- घ) संदिग्ध माने गये ऋण और ऐसे ऋणों के लिए निर्मित किये गये प्रावधान का प्रकटीकरण किया जाएगा।

अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान			
	अनर्जक ऋण	ऋण की राशि (लाख रु. में)	प्रावधान (लाख रु. में)
	अवमानक		
	संदिग्ध		
	हानि		
	कुल		

[illegible]

वाहन										
कार्यालय उपस्कर										
अन्य (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)										
कुल										
चालू कार्य										
कुल जोड़										
पिछले वर्ष										

टिप्पणी: ऊपर भूमि, संपत्ति और भवन में सम्मिलित आस्तियों में अनुसूची 8 की टिप्पणी (ड) में यथापरिभाषित निवेश संपत्तियाँ शामिल नहीं हैं।

अनुसूची 11			
नकदी और बैंक शेष		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	नकदी (चेकों ¹ , ड्राफ्टों और स्टैंपों सहित)		
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर प्राप्य)		
	(खख) अन्य		
	(ख) चालू खाते		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
3	माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	(क) बैंकों के पास		
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशियाँ		
	नकदी और बैंक शेष		
	भारत में		
	भारत के बाहर		
	कुल		

¹ हाथ में चेक जो रु. _____ (लाख में) की राशि के हैं

पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में : रु. _____ (लाख में)

टिप्पणी: बैंक शेष में मार्गस्थ विप्रेषण शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो स्वरूप और राशि अलग से बताया जाएगा।

अनुसूची 12			
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	अग्रिम		
1	अध्यर्पण करनेवाली कंपनियों के पास आरक्षित जमाराशियाँ		
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि		
3	पूर्व भुगतान		
4	निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम		
5	अग्रिम अदा किया गया कर और स्रोत पर काटे गये कर (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)		
6	वस्तु और सेवा कर जमा		
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल (क)		
	अन्य आस्तियाँ		
1	निवेशों पर उपचित आय		
2	बकाया प्रीमियम		
3	एजेंटों की शेष राशियाँ		
4	विदेशी एजेंसियों की शेष राशियाँ		
5	बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)		
6	सहायक कंपनियों / धारक कंपनी से प्राप्त		
7	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेश		
8	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज		
9	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल (ख)		
	कुल (क+ख)		

टिप्पणी:

- (क) उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत मदें संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधानों को घटाकर नहीं दिखाई जाएँगी। प्रत्येक शीर्ष के लिए राशि अलग से दर्शाई जानी चाहिए।
- (ख) शब्द 'अधिकारी' कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिये गये रूप में उस शब्द की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।
- (ग) विविध देनदार मद सं. 9 (अन्य) के अंतर्गत दर्शाये जाएँगे।

अनुसूची 13			
चालू देयताएँ		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	एजेंटों की शेष राशियाँ		
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेषराशियाँ		
3	अध्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमाराशियाँ		
4	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम		
5	अनाबंटित प्रीमियम		
6	विविध लेनदार		
7	सहायक कंपनियों / धारक कंपनी को देय		

8	बकाया दावे		
9	देय वार्षिकियाँ		
10	अधिकारियों / निदेशकों को देय		
11	पालिसीधारकों की अदावी राशि		
12	अदावी राशियों पर उपचित व्याज		
13	डिबेंचरों/बांडों पर देय व्याज		
14	वस्तु और सेवा कर देयताएँ		
15	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अदावी राशियों और उनपर निवेश आय का विवरण (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		
	जोड़ें : अदावी राशि में अंतरित राशि		
	जोड़ें : अदावी राशि से जारी किये गये परंतु पालिसीधारकों के द्वारा न भुनाये गये चेक (तभी शामिल किया जाए जब चेक पुराने हो गये हों)		
	जोड़ें : अदावी निधि पर निवेश आय		
	घटाएँ : वर्ष के दौरान अदा किये गये दावों की राशि		
	घटाएँ : वर्ष के दौरान एससीडब्ल्यूएफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में अदा किये गये दावों को घटाकर)		
	31 मार्च को अदावी राशि का अंतिम शेष		

अनुसूची 14 (राशि लाख रु. में)			
प्रावधान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कराधान के लिए (स्रोत पर कटौती किये गये भुगतानों और करों को छोड़कर)		
2	कर्मचारियों के लाभों के लिए		
3	अन्य के लिए (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 15			
विविध व्यय (उस सीमा तक जहाँ तक वे अपलिखित या समायोजित नहीं किये गये हैं) (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	शेयरों/डिबेंचरों के निर्गम में अनुमत छूट		
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणियाँ

(क) किसी भी मद को तब तक "विविध व्यय" में शामिल नहीं किया जाएगा और आगे नहीं ले जाया जाएगा जब तक:

1. भविष्य में उक्त व्यय से उचित रूप से कुछ लाभ प्राप्त करने की आशा न हो, तथा

2. ऐसे लाभ की राशि उचित रूप से निर्धारणीय न हो।

(ख) शीर्ष “विविध व्यय” के अंतर्गत शामिल की गई किसी मद के संबंध में आगे ले जाई जानेवाली राशि उक्त व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व / अन्य लाभों से अधिक नहीं होगी।

भाग II: स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए बीमाकर्ताओं सहित साधारण बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण, प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करना

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित सभी साधारण बीमाकर्ताओं और एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन सिद्धांत:

बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलन-पत्र, प्राप्ति और भुगतान लेखा [नकदी प्रवाह विवरण] तथा लाभ और हानि लेखा [शेयरधारकों का लेखा] कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप होंगे, केवल निम्नलिखित को छोड़कर, जहाँ तक वे साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए लागू हैं-

- (1) लेखांकन मानक 3 (एएस 3) – नकदी प्रवाह विवरण – नकदी प्रवाह विवरण केवल प्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत ही तैयार किया जाएगा।
- (2) लेखांकन मानक 13 (एएस 13) – निवेशों के लिए लेखांकन, लागू नहीं होगा।
- (3) लेखांकन मानक 17 (एएस 17) – खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग – सूचीबद्धता और उसमें उल्लिखित टर्नओवर के संबंध में अपेक्षाओं का विचार किये बिना सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

3. प्रीमियम –

- (1) आय के रूप में प्रीमियम का निर्धारण संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में किया जाएगा।
- (2) “अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम” वह प्रीमियम है जहाँ जोखिम के प्रारंभ की अवधि लेखांकन अवधि के बाहर है तथा इसे चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।
- (3) “अनाबंटित प्रीमियम” में प्रीमियम जमा और वह प्रीमियम शामिल है जो प्राप्त किया गया है, परंतु जिसके लिए जोखिम प्रारंभ नहीं हुआ है। इसे चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।

4. अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि:

अंकित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करनेवाली राशि के रूप में अनर्जित प्रीमियम की एक आरक्षित निधि निर्मित की जाएगी जो परवर्ती लेखांकन अवधियों के कारण है। ऐसी आरक्षित निधियों की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:

- (1) मरीन हल – पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान निवल अंकित प्रीमियम का 100 प्रतिशत;
- (2) अन्य खंड – पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान निवल अंकित प्रीमियम का 50 प्रतिशत; अथवा संबंधित पालिसियों की कुल अवधि की तुलना में असमाप्त अवधि के अनुपात के आधार पर।

तथापि, बीमाकर्ता एक सुसंगत तरीके से अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि के प्रावधानीकरण की पद्धति का अनुसरण करेंगे। प्रावधानीकरण की पद्धति में कोई भी परिवर्तन केवल सक्षम प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

5. प्रीमियम कमी:

प्रीमियम कमी का निर्धारण बीमाकर्ता के स्तर पर किया जाएगा, यदि प्रत्याशित दावा लागतों, संबंधित व्ययों और अनुरक्षण लागतों का कुल जोड़ असमाप्त जोखिमों के लिए संबंधित आरक्षित निधियों से अधिक हो जाता है।

6. अधिग्रहण लागतें:

अधिग्रहण लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि में व्यय की जाएँगी, जिसमें वे उपगत हैं। अधिग्रहण लागतें वे लागतें हैं जो नई और नवीकरण बीमा संविदाओं से किंचित् परिवर्तित हैं और प्राथमिक तौर पर उनके साथ संबंधित हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षण तो लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन के बीच अनिवार्य दायित्व (अर्थात् जोखिम का प्रारंभ) है।

7. दावे:

बीमाकर्ता के लिए दावों की अंतिम लागत के घटकों में पालिसियों के अंतर्गत दावे और विशिष्ट दावा निपटान लागते हैं। पालिसियों के अंतर्गत दावों में उपगत हानियों के लिए किये गये दावे, तथा किसी हानि के घटित होने के अनुसरण में पालिसियों के अंतर्गत अनुमानित या प्रत्याशित दावे हैं।

बकाया दावों के लिए एक देयता दोनों प्रत्यक्ष व्यवसाय और आवक पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में खाते में लाई जाएगी। उक्त देयता में शामिल होंगे:-

- (1) अदत्त सूचित किये गये दावों के संबंध में भावी भुगतान
- (2) अपर्याप्त आरक्षित निधियों सहित उपगत परंतु सूचित न किये गये दावे [समय-समय पर, उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये (आईबीएनईआर) के रूप में उल्लिखित], जो उन दावों के लिए निपटान करनेवाली देयताओं के लिए भावी नकदी/आस्ति व्यय में परिणत होंगे। अनुमानित देयता में परिवर्तन वित्तीय अवधि के प्रारंभ में और अंत में स्थित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता के बीच अंतर को निरूपित करता है।

लेखांकन अनुमान में अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के लिए समायोजित दावा लागत भी शामिल होगी यदि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त मात्रा में निश्चितता होगी।

8. दावा देयता का बीमांकिक मूल्यांकन – कुछ मामलों में :

उन संविदाओं के संबंध में किये गये दावों को जहाँ दावों के भुगतान की अवधि चार साल से अधिक हो जाती है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले विनियमों के अधीन बीमांकिक आधार पर स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामलों में, देयता के निर्धारण की निष्पक्षता के बारे में किसी नियुक्त बीमांकिक से प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। बीमांकिक धारणाओं का प्रकटीकरण उपयुक्त रूप से उक्त खाते की टिप्पणियों के रूप में किया जाएगा।

9. निवेशों के मूल्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया:

बीमाकर्ता निवेशों के मूल्यों का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से करेगा:-

(1) स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) – निवेश संपत्ति:

निवेश संपत्ति के मूल्य का निर्धारण ऐतिहासिक लागत पर कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनर्मूल्यन के अधीन किया जाएगा। निवेश संपत्ति की रखाव राशि में परिवर्तन पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में ले जाया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह आकलन करेगा कि क्या निवेश संपत्ति की कोई क्षति तो नहीं हुई है।

स्थावर संपदा की रखाव राशि में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभ/हानियाँ 'पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि' के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाई जाएँगी। 'निवेशों के विक्रय पर लाभ' अथवा 'निवेशों के विक्रय पर हानि', जैसी स्थिति हो, में किसी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में शीर्ष 'पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि' के अंतर्गत पूर्व में ईक्विटी में स्वीकृत रखाव राशि में संचित परिवर्तन शामिल किये जाएँगे तथा इन्हें उस संपत्ति का विक्रय किये जाने पर संबंधित राजस्व लेख में अथवा लाभ और हानि खाते में पुनः वापस ले लिया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के लिए आधार, खातों की टिप्पणियों में प्रकट किये जाएँगे।

किसी क्षतिमूलक हानि को एक व्यय के रूप में तत्काल राजस्व/लाभ-हानि खाते में स्वीकार किया जाएगा, जब तक उक्त आस्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता। किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की किसी क्षतिमूलक हानि को उस आस्ति की पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाएगा तथा यदि उक्त क्षतिमूलक हानि तदनुरूपी पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अधिक हो जाती है, तो ऐसे आधिक्य को राजस्व/लाभ-हानि खाते में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(2) कर्ज प्रतिभूतियाँ:

सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित कर्ज प्रतिभूतियाँ "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएँगी तथा उनका मापन परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया जाएगा।

(3) सक्रिय बाजारों में व्यापारित ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत:

सक्रिय बाजारों में व्यापारित सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों का मापन तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पर किया जाएगा। उचित मूल्य के परिकलन के प्रयोजन के लिए मापन एनएसई पर पिछला अंतिम उद्धृत भाव होगा। तथापि, एनएसई पर किसी स्टॉक के सूचीबद्ध न किये जाने की स्थिति में बीमाकर्ता ईक्विटी का मूल्यांकन पिछले अंतिम उद्धृत भाव के आधार पर कर सकता है।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह आकलन करेगा कि क्या सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूति(यों)/व्युत्पन्नी लिखतों को कोई क्षति तो नहीं हुई है।

एक सक्रिय बाजार से अभिप्रेत होगा एक ऐसा बाजार, जहाँ व्यापारित प्रतिभूतियाँ समरूप हैं, इच्छुक खरीदारों और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य है तथा कीमतें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभों/हानियों को शीर्ष "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाया जाएगा। उक्त "निवेशों के विक्रय पर लाभ" अथवा "निवेशों के विक्रय पर हानि", जैसी स्थिति हो, में किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध में शीर्ष उचित मूल्य परिवर्तन खाते के अंतर्गत ईक्विटी में पूर्व में स्वीकृत उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल किये जाएँगे, जिन्हें उस सूचीबद्ध प्रतिभूति के वास्तविक विक्रय पर लाभ-हानि खाते में वापस ले जाया जाएगा।

शंका के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि शेष राशि या उसका कोई भी भाग लाभांशों के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही, उपर्युक्त उचित मूल्य परिवर्तन खाते में किसी भी नामे शेष को लाभांशों की घोषणा करते समय लाभों/निर्बंध आरक्षित निधियों से घटाया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आकलन करेगा कि क्या कोई क्षति घटित हुई है। किसी भी क्षतिमूलक हानि (अर्थात् मूल्य में अस्थायी ह्रास को छोड़कर अन्य) को राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृत किसी पिछली क्षतिमूलक हानि द्वारा घटायें गये रूप में प्रतिभूति/निवेश के पुनः मापन किये गये उचित मूल्य और उसकी अधिग्रहण लागत के बीच के अंतर की सीमा तक राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। राजस्व/लाभ और हानि खाते में पूर्व में स्वीकृत क्षतिमूलक हानि के किसी भी प्रत्यावर्तन को राजस्व/ लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाएगा।

बीमाकर्ता क्षति संबंधी अपनी नीति का प्रकटीकरण खाते की टिप्पणियों में करेगा।

(4) असूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापारित को छोड़कर अन्य ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत:

असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत तथा सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत जो सक्रिय बाजार में नियमित रूप से व्यापारित नहीं हैं, ऐतिहासिक लागतों पर मापे जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार किये गये प्रावधान को अनुवर्ती अवधियों में उलट दिया जाएगा यदि बाह्य साक्ष्य पर आधारित अनुमान, निवेश की रखाव राशि की तुलना में उसके मूल्य में वृद्धि दर्शाते हैं। प्रावधान के उलटाव के कारण निवेश की बढ़ी हुई रखाव राशि ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी।

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रतिभूति को सक्रिय रूप से व्यापारित के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करनेवाले दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूति को "अत्यल्प मात्रा में व्यापारित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(5) ऋण:

ऋणों का मापन क्षति संबंधी प्रावधानों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया जाएगा।

बीमाकर्ता अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करेगा और क्षति के लिए प्रावधान करेगा। उक्त क्षति संबंधी प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं, व्युत्पन्न राशियों से निम्नतर नहीं होगा।

(6) आपात आरक्षित निधि:

आपात आरक्षित निधि का निर्माण यथाविनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। आपात आरक्षित निधियों में से निधियों का निवेश विनिर्दिष्ट रूप में निर्धारणों के अनुसार किया जाएगा।

10. वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटीकरण-**(1) निम्नलिखित का प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणियों के रूप में किया जाएगा,-****(i) आकस्मिक देयताएँ :**

- (क) अंशतः प्रदत्त निवेश
- (ख) बकाया जोखिम-अंकन संबंधी प्रतिबद्धताएँ
- (ग) पालिसियों के अंतर्गत को छोड़कर अन्य दावे, जो कर्जों के रूप में नहीं माने गये हैं
- (घ) कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ
- (ङ) विवादग्रस्त सांविधिक माँगें/देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है
- (च) खातों में प्रावधान नहीं किये जाने की सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व
- (छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ii) भारत के अंदर और बाहर कंपनी की आस्तियों पर ऋण-भारा**(iii) ऋणों, निवेशों और अचल आस्तियों के लिए की गई और बकाया प्रतिबद्धताएँ।****(iv) भारत के अंदर/बाहर दावेदारों को भुगतान किये गये दावे, पुनर्बीमा को घटाकर।****(v) उन दावों के मामले में दावा देयताओं के निर्धारण के लिए बीमांकिक पूर्वानुमान, जहाँ दावों के भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक है।****(vi) दावों की अवधि – छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया दावों और अन्य दावों के बीच भेद दिखाते हुए।****(vii) भारत के अंदर/बाहर व्यवसाय से जोखिम-अंकित प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर।****(viii) इस बात के साथ कि क्या बाह्य साक्ष्य पर निर्भरता रखी गई है, जोखिम के परिवर्तनशील स्वरूप के आधार पर, श्रेणी-वार, उसके लिए आधार और औचित्य के साथ, निर्धारित प्रीमियम आय की सीमा।****(ix) निम्नलिखित के लिए, निवेशों से संबंधित संविदाओं का मूल्य-****(क) खरीद जहाँ वितरण लंबित हैं****(ख) बिक्री जहाँ भुगतान अतिदेय हैं****(x) बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय: व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यय के आबंटन और प्रभाजन का आधार****(xi) उन निवेशों की ऐतिहासिक लागतें जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य आधार पर किया गया है****(xii) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना****(xiii) कर्ज प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार****(xiv) (क) सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभ/हानियों को शीर्ष "उचित मूल्य परिवर्तन खाता" के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाना चाहिए तथा प्राप्ति के बाद लाभ और हानि खाते में सूचित किया जाना चाहिए।****(ख) वसूली होने तक, "उचित मूल्य परिवर्तन खाता" में जमा शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।****(xv) निवेश आस्ति का उचित मूल्य और उसके लिए आधार।****(xvi) तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार निपटायें गये दावे और छह महीने से अधिक अवधि के लिए अदत्त दावे।**

(xvii) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में चालू वर्ष और पिछले वर्ष में निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए किये गये प्रावधान।

(xviii) प्रीमियम कमी की संगणना का आधार।

(2) निम्नलिखित लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनेंगी:

- (i) लेखांकन मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, तथा लेखांकन सिद्धांतों के भाग I में दिये गये महत्वपूर्ण सिद्धांत और नीतियाँ। बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण की गई कोई अन्य लेखांकन नीतियाँ लेखांकन मानक एएस 1 के अंतर्गत अपक्षित तरीके से बतायी जाएंगी।
- (ii) पूर्वोक्त प्रकार से लेखांकन नीतियों से किसी भी विचलन का प्रकटीकरण ऐसे विचलन के लिए कारणों के साथ अलग से किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित सूचना का भी प्रकटीकरण किया जाएगा:-

- (i) किसी भी सांविधिक अपेक्षा के अनुसार किये गये निवेश उनकी राशि, स्वरूप, प्रतिभूति और भारत के अंदर और बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों के साथ अलग-अलग प्रकट किये जाने चाहिए;
- (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए अर्जक/अनर्जक निवेशों के रूप में पृथक्करण;
- (iii) व्यवसाय क्षेत्र-वार प्रतिशत;
- (iv) राजस्व लेखा तथा लाभ और हानि खाते के बीच व्याज, लाभांशों और किराये के आबंटन का आधार;
- (v) नियुक्त बीमांकक के द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत, पूर्वानुमानों और अनुभव के आधार पर निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए प्रावधानीकरण हेतु नीति और सिद्धांतों का प्रकटीकरण;
- (vi) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

11. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

- (1) तुलन-पत्र, राजस्व लेखा तथा लाभ और हानि खाते में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसूची राशियाँ दी जानी चाहिए।
- (2) वित्तीय विवरणों में आंकड़े निकटतम लाख तक पूर्णांकित किये जाने चाहिए।
- (3) किसी निवेश के संबंध में प्राप्त व्याज, लाभांश और किराया सकल मूल्य के रूप में बताया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गये आय-कर की राशि "प्रदत्त अग्रिम कर" के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए।
- (4) किराये से आय में कोई आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- (5) वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) अभिव्यक्ति "प्रावधान" से नीचे की टिप्पणी (v) के अधीन अभिप्रेत है, ऐसी कोई राशि जो मूल्यह्रास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए अपलिखित है अथवा प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई है अथवा किसी ज्ञात देयता या हानि के लिए प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई है जिसकी राशि का निर्धारण पर्याप्त सहीपन के साथ नहीं किया जा सकता;
 - (ii) अभिव्यक्ति "आरक्षित निधि" पूर्वोक्त के अधीन, ऐसी किसी राशि को शामिल नहीं करता जो अपलिखित है अथवा मूल्यह्रास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई है अथवा किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधानीकरण करने के द्वारा रखी गई है;
 - (iii) अभिव्यक्ति "आरक्षित पूँजी निधि" में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी जो लाभ और हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए निःशुल्क के रूप में मानी गई हो; तथा अभिव्यक्ति "राजस्व आरक्षित निधि" से अभिप्रेत है आरक्षित पूँजी निधि को छोड़कर कोई भी अन्य आरक्षित निधि;

- (iv) अभिव्यक्ति "देयता" में संविदा किये गये व्यय तथा सभी विवादित या आकस्मिक देयताओं के संबंध में सभी देयताएँ शामिल की जाएँगी।
- (v) जहाँ :
 - (क) कोई भी राशि जो अपलिखित की गई है अथवा मूल्यहास, नवीकरण अथवा आस्तियों के मूल्य में हास के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई है, अथवा
 - (ख) किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई कोई भी राशि उस राशि से अधिक है जो निदेशकों की राय में उक्त प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है, उक्त आधिक्य को इन खातों के प्रयोजनों के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा, न कि एक प्रावधान के रूप में।
- (6) कंपनी को मुकदमों के अधीन हर्जाने के लिए प्रावधान करना चाहिए जहाँ प्रबंधन की राय है कि अधिनिर्णय बीमाकर्ता के विरुद्ध जा सकता है।
- (7) रखे गये और पुनर्बीमित किये गये जोखिम की सीमा का अलग से प्रकटीकरण करना चाहिए।
- (8) लाभ और हानि खाते का कोई भी नाम शेष अप्रतिबद्ध आरक्षित निधियों से कटौती के रूप में दिखाया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, अलग से दिखाई जाएगी।
- (9) सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे शेयरधारकों और पालिसीधारकों के लिए अलग निवेश खाते रखें तथा निवेशों पर उपचित आय/ हानियाँ / पूँजीगत अभिलाभ / हानियाँ राजस्व लेख/ लाभ और हानि खाते में जमा / नामे, जैसी स्थिति हो, की जानी चाहिए।

12. प्रबंधन रिपोर्ट की विषय-वस्तु:

वित्तीय विवरणों के साथ, एक प्रबंधन रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रबंधन द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित रूप में निम्नलिखित मदें होनी चाहिए:

- (1) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण की निरंतर विधिमान्यता के संबंध में पुष्टीकरण
- (2) प्रमाणीकरण कि सांविधिक प्राधिकारियों को देय सभी राशियाँ विधिवत् अदा की गई हैं
- (3) इस आशय का पुष्टीकरण कि वर्ष के दौरान शेयरधारिता का स्वरूप और शेयरों का कोई भी अंतरण सांविधिक अथवा विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार हैं
- (4) घोषणा कि प्रबंधन ने भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों की निधियों का निवेश भारत के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है
- (5) पुष्टीकरण कि अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन अनुरक्षित किये गये हैं
- (6) इस आशय का पुष्टीकरण कि तुलन-पत्र की तारीख को सभी आस्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है तथा उसके (बीमाकर्ता के) विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में निर्धारित आस्तियाँ विभिन्न शीर्षकों – "ऋण", "निवेश", "एजेंटों की शेष राशियाँ", "बकाया प्रीमियम", "बकाया ब्याज, लाभांश और किराया", "उपचित परंतु अदेय ब्याज, लाभांश और किराया", "बीमा व्यवसाय करनेवाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से प्राप्त राशियाँ", "विविध देनदार", "प्राप्य बिल", "नकदी" तथा "अन्य खाते" के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कई मदें इन शीर्षों के अंतर्गत उनके वसूलीयोग्य अथवा बाजार मूल्य से अनधिक राशियों पर समग्र रूप में दर्शाई गई हैं।
- (7) समग्र जोखिम एक्सपोजर के संबंध में प्रकटीकरण तथा जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए कार्यनीति
- (8) अन्य देशों में परिचालन, यदि कोई हों, देश जोखिम और एक्सपोजर जोखिम तथा अपनाई गई बचाव कार्यनीति के संबंध में प्रबंधन का अनुमान देते हुए एक अलग विवरण के साथ
- (9) पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान में प्रवृत्तियाँ निर्दिष्ट करते हुए दावों का समय (एजिंग)
- (10) इस आशय का प्रमाणीकरण कि तुलन-पत्र में दर्शाये गये रूप में निवेशों, तथा स्टाकों और शेयरों के मूल्य कैसे प्राप्त किये गये हैं, तथा इस प्रकार दर्शाये गये मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए उनके बाजार मूल्य का पता कैसे लगाया गया है

- (11) संविभागों के तौर पर अर्थात् स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), ऋण, निवेश, आदि के तौर पर अलग-अलग आस्ति गुणवत्ता और निवेश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा
- (12) एक दायित्व विवरण उसमें यह निर्दिष्ट करते हुए कि-
- वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू किये गये किन लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का अनुसरण किया गया है, महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हों, से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों के साथ;
 - प्रबंधन ने ऐसी लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की परिस्थिति का एवं परिचालन लाभ और हानि का तथा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;
 - प्रबंधन ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनकी पहचान करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/ कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
 - प्रबंधन ने एक निरंतर महत्व (कन्सर्न) के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये हैं;
 - प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान हो तथा प्रभावी रूप से परिचालन करे।
- (13) उन भुगतानों की एक अनुसूची जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं को किये गये हैं, जिनमें बीमाकर्ता के निदेशकों का हित है।
- (14) सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में देशों में देशी, सांविधिक, विनियामक और अन्य कानूनों के अनुपालन का पुष्टीकरण।
- (15) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

13. वित्तीय विवरण तैयार करना

- (1) बीमाकर्ता राजस्व लेखा, लाभ और हानि खाता [शेयरधारकों का खाता] तथा तुलन-पत्र फार्म बी-आरए, फार्म बी-पीएल, और फार्म बी-बीएस में, अथवा उनके निकटतम रूप में परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करेगा।
- इसके अतिरिक्त, विविध व्यवसाय के संबंध में, कम से कम निम्नलिखित के लिए अलग अनुसूचियाँ प्रस्तुत की जाएँगी:
- मोटर के अंतर्गत:- उप-खंड (क) मोटर निजी क्षति और (ख) मोटर टीपी, (एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए बीमाकर्ता समग्र मोटर स्तर पर अनुसूची तैयार कर सकते हैं)
 - स्वास्थ्य के अंतर्गत:- उप-खंड (क) स्वास्थ्य, (ख) वैयक्तिक दुर्घटना, और (ग) यात्रा,
 - कर्मकार प्रतिकर / नियोक्ता का दायित्व,
 - सरकारी / उत्पाद संबंधी दायित्व,
 - इंजीनियरिंग,
 - विमानन,
 - फ़सल,
 - बीमाकर्ता के कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10% से अधिक अंशदान करनेवाले किसी भी अन्य उप-खंड को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।
 - अन्य।
 - विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य खंड।

- (2) खंडों की सूचना व्यवसाय की व्यवस्था के आधार पर, तथा भारत के अंदर और बाहर के व्यवसाय के आधार पर दी जाए। खंडों का विवरण देते समय सभी खंडों के लिए तदनुसूची पिछले वर्ष के आंकड़े भी दिये जाने चाहिए।
- (3) प्रत्येक बीमाकर्ता आईसीएआई द्वारा जारी किये गये एएस 3- “नकदी प्रवाह विवरण” में निर्धारित प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार अलग-अलग प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करेगा।

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नाम:				
पंजीकरण सं. _____ और आईआरडीआई के पास पंजीकरण की तारीख: _____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि (फायर) खंड के लिए राजस्व लेखा (राशि लाख रु. में)				
	विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल टिप्पणी ¹			
4	अन्य			
	(क) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
	(i)			
	(ii)			
	(ख) शेयरधारकों के खाते से अंशदान			
	(i) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य ¹			
	(ii) प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूडी/अन्य केएमपी ²			
	(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
5	उपगत दावे (निवल)	2		
6	कमीशन	3		
7	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
	कुल (ख)			
8	परिचालन लाभ/(हानि) ग=(क-ख)			
9	विनियोजन			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

¹ यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं।

² यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें।

टिप्पणी-1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	(राशि लाख रु. में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोड़ें/घटाएँ:		
निवेश व्यय		

प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट		
मूल्यहासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईकृटियों से इतर के मूल्य में हास के लिए प्रावधान		
समूह (पूल) से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

*शब्द सकल का अर्थ है कि उसमें टीडीएस शामिल है

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नाम:				
पंजीकरण सं. _____ और आईआरडीआई के पास पंजीकरण की तारीख _____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लिए मरीन खंड के लिए राजस्व लेखा (राशि लाख रु. में)				
	विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल टिप्पणी ¹			
4	अन्य			
	(क) शेयरधारकों के खाते से अंशदान (i) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य ¹ (ii) प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/ अन्य केएमपी ² (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
5	उपगत दावे (निवल)	2		
6	कमीशन	3		
7	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
	कुल (ख)			
8	परिचालन लाभ/(हानि) ग=(क-ख)			
9	विनियोजन			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें

1 यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं,

2 यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

टिप्पणी - 1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	(राशि लाख रु. में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोड़ें/घटाएँ:-		
निवेश व्यय		
प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		
मूल्यहासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईकटियों को छोड़कर अन्य के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		
समूह से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

*शब्द सकल का अर्थ है कि इसमें टीडीएस शामिल है।

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नाम:				
पंजीकरण सं. _____ और आईआरडीआई के पास पंजीकरण की तारीख _____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष हेतु विविध खंड के लिए राजस्व लेखा				
(राशि लाख रु. में)				
	विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल			
	टिप्पणी ¹			
4	अन्य			
	(क) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
	(i).....			
	(ii).....			
	(ख) शेयरधारकों के खाते से अंशदान			
	(i) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य ¹			

	(ii) प्रति, एमडी/सीईओ/ डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी ²			
	(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
5	उपगत दावे (निवल)	2		
6	कमीशन	3		
7	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
	कुल (ख)			
8	परिचालन लाभ/(हानि)			
	ग= (क - ख)			
9	विनियोजन			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें

1 यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाता है,

2 यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

टिप्पणी – 1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	(राशि लाख रु. में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोड़ें/घटाएँ:-		
निवेश व्यय		
प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		
मूल्यहासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईकटियों को छोड़कर अन्य के मूल्य में हास के लिए प्रावधान		
समूह से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

*शब्द सकल का अर्थ है कि इसमें टीडीएस शामिल है।

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नाम:				
पंजीकरण सं. _____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख _____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी (कुल) के लिए राजस्व लेखा (राशि लाख रु. में)				
	विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल टिप्पणी ¹			
4	अन्य			
	(क) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) (i)..... (ii).....			
	(ख) शेयरधारकों के खाते से अंशदान (i) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य ¹ (ii) प्रति, एमडी/सीईओ/ डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी ² (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
5	उपगत दावे (निवल)	2		
6	कमीशन	3		
7	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
8	प्रीमियम कमी			
	कुल (ख)			
9	परिचालन लाभ/(हानि) ग= (क - ख)			
10	विनियोजन			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें

¹ यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाता है,

² यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

टिप्पणी – 1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	(राशि लाख रु. में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोड़ें/घटाएँ:-		
निवेश व्यय		
प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		
मूल्यहासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईक्विटियों को छोड़कर अन्य के मूल्य में हास के लिए प्रावधान		
समूह से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

*शब्द सकल का अर्थ है कि इसमें टीडीएस शामिल है।

फार्म बी-पीएल				
बीमाकर्ता का नाम:				
पंजीकरण सं. _____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख _____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा				
(राशि लाख रु. में)				
	विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	परिचालन लाभ/(हानि)			
	(क) अग्नि (फायर) बीमा			
	(ख) मरीन बीमा			
	(ग) विविध बीमा			
2	निवेशों से आय			
	(क) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल			
	(ख) निवेशों के विक्रय पर लाभ			
	(ग) (निवेशों के विक्रय/मोचन पर हानि)			
	(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट			
3	अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
4	प्रावधान (कराधान को छोड़कर अन्य)			

	(क) निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए			
	(ख)संदिग्ध कर्जों के लिए			
	(ग)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
5	अन्य व्यय			
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों को छोड़कर अन्य व्यय			
	(ख) अपलिखित अशोध्य कर्ज			
	(ग) गौण कर्ज पर व्याज			
	(घ) सीएसआर कार्यकलापों के लिए व्यय			
	(ङ) दंड			
	(च) पालिसीधारकों के खाते में अंशदान			
	(i) प्रबंधन व्ययों के आधिक्य के लिए ¹			
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/ अन्य केएमपी ² के पारिश्रमिक के लिए			
	(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	(i) _____			
	(ii) _____			
	कुल (ख)			
6	कर से पहले लाभ/			
7	कराधान के लिए प्रावधान			
8	कर के बाद लाभ/ (हानि)			
9	विनियोजन			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किये गये अंतरिम लाभांश			
	(ख) अदा किया गया अंतिम लाभांश			
	(ग) किन्हीं अन्य आरक्षित निधियों में या अन्य खातों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	पिछले वर्ष से आगे लाये गये लाभ/हानि का शेष			
	तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष			

¹ यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं,

² यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

फार्म बी-आरए और बी-पीएल के लिए टिप्पणियाँ

- (क) कुल प्रीमियमों (पुनर्विमा को घटाकर) के एक प्रतिशत से अधिक आय अथवा रु. 5,00,000, जो भी अधिक हो, की मदें एक अलग व्यवस्था की मद के रूप में दर्शाई जाएँगी।
- (ख) उप-शीर्ष "अन्य" के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अभिलाभों अथवा हानियों जैसी मदें और अन्य मदें शामिल की जाएँगी।
- (ग) किसी निवेश के संबंध में प्राप्त ब्याज, लाभांशों और किराये को एक सकल राशि के रूप में बताया जाना चाहिए, कटौती किये गये आय-कर की राशि को 'प्रदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। निवेश आय से संबंधित व्यय उदा. परिशोधन, अपलेखन, अन्य निवेश व्यय आदि की कटौती इससे यहाँ अलग से प्रकटीकृत को छोड़कर की जाएगी।
- (घ) किराये से आय में केवल प्राप्त किराया ही शामिल किया जाएगा। इसमें कोई आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाएगा।

फार्म बी-बीएस			
बीमाकर्ता का नाम:			
पंजीकरण सं. _____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख _____			
31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (राशि लाख रु. में)			
विवरण	अनुसूची संदर्भ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निधियों के स्रोत			
शेयर पूँजी	5&5क		
आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	6		
प्रधान कार्यालय खाता*	6क		
उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
-शेयरधारकों की निधियाँ			
-पालिसीधारकों की निधियाँ			
उधार राशियाँ	7		
कुल			
निधियों का विनियोग			
निवेश - शेयरधारक	8		
निवेश - पालिसीधारक	8क		
ऋण	9		
अचल आस्तियाँ	10		
आस्थगित कर आस्ति (निवल)			
चालू आस्तियाँ			
नकदी और बैंक शेष	11		
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12		

उप-जोड़ (क)			
आस्थगित कर देयता (निवल)			
चालू देयताएँ	13		
प्रावधान	14		
उप-जोड़ (ख)			
निवल चालू आस्तियाँ (ग) = (क - ख)			
विविध व्यय (अपलिखित न होने या समायोजित न होने की सीमा तक)	15		
कुल			

*केवल विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और लायड्स इंडिया की शाखाओं के लिए

आकस्मिक देयताएँ

(राशि लाख रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अंशतः प्रदत्त निवेश		
2. पालिसियों के आधार को छोड़कर अन्य दावे, कंपनी द्वारा कर्जों के रूप में न माने गये		
3. बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में)		
4. कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ		
5. विवादग्रस्त सांविधिक माँगें/ देयताएँ, जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है		
6. पुनर्बीमा दायित्व, खातों में प्रावधान न किये जाने की सीमा तक		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (क). _____ (ख). _____		
कुल		

टिप्पणी:

(क) बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ – शेयरों को नये निर्गम के लिए अभिदान का जोखिम-अंकन करने के लिए प्रतिबद्धताएँ, परंतु जिसका दायित्व निर्गम के पूर्णतः अभिदत्त न होने पर है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में बीमाकर्ताओं को निर्गमों का जोखिम-अंकन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) पुनर्बीमा दायित्व – इनमें बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमा संविदों के अंतर्गत दायित्व शामिल हैं जिनके संबंध में तुलन-पत्र की तारीख को अवशिष्ट दायित्व हैं, परंतु विधिमाम्य कारणों से बीमाकर्ता ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1		
अर्जित प्रीमियम [निवल] (राशि लाख रु. में)		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
जोड़ें : पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकृत		

घटाएँ : पुनर्बीमा पर प्रीमियम अध्यर्पित		
निवल अंकित प्रीमियम / निवल प्रीमियम आय		
जोड़ें : अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) का प्रारंभिक शेष		
घटाएँ : अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) का अंतिम शेष		
निवल अर्जित प्रीमियम		
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
-भारत में		
-भारत के बाहर		

अनुसूची 2		
उपगत दावे [निवल] (राशि लाख रु. में)		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
भुगतान किये गये दावे (प्रत्यक्ष)		
जोड़ें : प्रत्यक्ष दावों के लिए स्वीकृत पुनर्बीमा		
घटाएँ : भुगतान किये गये दावों को अध्यर्पित पुनर्बीमा		
निवल प्रदत्त दावे		
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे		
घटाएँ : वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे		
निवल उपगत दावे		
भुगतान किये गये दावे (प्रत्यक्ष)		
-भारत में		
-भारत के बाहर		
अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)		
अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)		

टिप्पणियाँ :

- (क) उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर), उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये (आईबीएनईआर) दावे बकाया दावों के लिए विद्यमान राशि में शामिल किये जाने चाहिए।
- (ख) दावों में विशिष्ट दावा निपटान लागत शामिल है, परंतु प्रबंधन के व्यय शामिल नहीं हैं।
- (ग) सर्वेक्षक शुल्क, विधिक और अन्य व्यय भी दावों की लागत का भाग बनेंगे, जहाँ भी लागू हो।
- (घ) दावों की लागत का समायोजन अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के लिए किया जाना चाहिए, यदि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त निश्चितता हो।
- (ङ) ऐसे खंड/उप-खंड के लिए अलग प्रकटीकरण करना चाहिए जो कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता है।

अनुसूची 3		
कमीशन (राशि लाख रु. में)		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन		
घटाएँ : अध्यर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन		

निवल कमीशन		
कमीशन का चैनल-वार विवरण (सकल):		
वैयक्तिक एजेंट		
कारपोरेट एजेंट – बैंक/एफआईआई/एचएफसी		
कारपोरेट एजेंट - अन्य		
बीमा दलाल		
प्रत्यक्ष व्यवसाय – आनलाइन ^ग		
एमआईएसपी (प्रत्यक्ष)		
वेब संग्राहक		
बीमा विपणन फर्म		
सामान्य सेवा केन्द्र		
सूक्ष्म एजेंट		
विक्री केन्द्र (प्रत्यक्ष)		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		
अंकित व्यवसाय पर कमीशन (पुनर्बीमा को छोड़कर):		
भारत में		
भारत के बाहर		

टिप्पणियाँ :

- (क) लाभ/कमीशन, यदि कोई हो, स्वीकृत पुनर्बीमा अथवा अध्वर्षित पुनर्बीमा के आंकड़ों के साथ सम्मिलित किये जाने चाहिए।
- (ख) ऐसे खंड/उप-खंड के लिए अलग प्रकटीकरण किया जाना चाहिए जो कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता है।
- (ग) कंपनी वेबसाइट के द्वारा प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन।

अनुसूची 4			
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण लाभ		
2	यात्रा, परिवहन और वाहन संचालन व्यय		
3	प्रशिक्षण व्यय		
4	किराया, दरें और कर		
5	मरम्मत		
6	मुद्रण और लेखन-सामग्री		
7	संचार व्यय		
8	विधिक और व्यावसायिक प्रभार		

9	लेखा-परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि		
	(क) लेखा-परीक्षक के रूप में		
	(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता अथवा किसी अन्य क्षमता में		
	(i) कराधान के मामले		
	(ii) बीमा संबंधी मामले		
	(iii) प्रबंध सेवाएँ; और		
	(iv) किसी अन्य क्षमता में		
10	विज्ञापन और प्रचार		
11	ब्याज और बैंक प्रभार		
12	मूल्यहास		
13	ब्रैंड/ट्रेड मार्क प्रयोग शुल्क/प्रभार		
14	व्यवसाय विकास और विक्रय संवर्धन व्यय		
15	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय		
16	वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)		
17	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

टिप्पणियाँ :

- (क) कुल प्रीमियमों (पुनर्बीमा को घटाकर) के एक प्रतिशत से अधिक व्ययों की मदें अथवा रु. 5,00,000 जो भी अधिक हो, एक अलग मद के रूप में दर्शाया जाएगा।
- (ख) जो खंड / उप-खंड कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता है, उसके लिए अलग प्रकटीकरण किया जाए।
- (ग) विभिन्न बाह्यस्रोतीकृत कार्यक्रमों / व्यवस्थाओं के लिए अदा किये गये व्यय प्रयुक्त सेवाओं के स्वरूप के आधार पर संबंधित व्यवस्था की मद के अंतर्गत दर्ज किये जाने चाहिए तथा इन्हें “बाह्यस्रोतीकरण व्यय” के रूप में नहीं दर्शाना चाहिए।

अनुसूची 5			
शेयर पूँजी		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	प्राधिकृत पूँजी		
	प्रत्येक रु. के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु. के अधिमानी शेयर		
2	निर्गत पूँजी		
	प्रत्येक रु. के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु. के अधिमानी शेयर		

3	अभिदत्त पूँजी		
	प्रत्येक रु. के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु. के अधिमानी शेयर		
4	माँगी गई पूँजी		
	प्रत्येक रु. के ईक्विटी शेयर		
	घटाएँ : अदत्त माँगे		
	जोड़ें : जब्त किये गये ईक्विटी शेयर (राशि मूल रूप से प्रदत्त)		
	घटाएँ : वापस खरीदे गये ईक्विटी शेयरों का सम मूल्य		
	घटाएँ : प्रारंभिक व्यय		
	निम्नलिखित के संबंध में कमीशन या दलाली सहित व्यय		
	शेयरों का जोखिम-अंकन या अभिदान		
	प्रत्येक रु. के अधिमानी शेयर		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

- (क) पूँजी की विभिन्न श्रेणियों का विवरण अलग से बताया जाना चाहिए।
- (ख) बोनस शेयरों के निर्गम के कारण पूँजीकृत राशि का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
- (ग) यदि पूँजी का कोई भाग नियंत्रक कंपनी के द्वारा धारित है, तो इसका प्रकटीकरण अलग से किया जाना चाहिए।

अनुसूची 5क				
शेयरधारिता का स्वरूप				
[प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित]				
शेयरधारक	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
प्रवर्तक				
भारतीय				
विदेशी				
निवेशक ¹				
भारतीय				
विदेशी				
अन्य ²				
भारतीय				
विदेशी				
कुल				

¹ निवेशक संबंधित विनियमों में यथापरिभाषित

² अन्य में ईएसओपीएस शामिल हो सकते हैं

अनुसूची 6			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	पूँजीगत आरक्षित निधि		
2	पूँजी मोचन आरक्षित निधि		
3	शेयर प्रीमियम		
4	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि		
5	सामान्य आरक्षित निधियाँ		
	घटाएँ : वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि		
	घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि		
6	आपात आरक्षित निधि		
7	अन्य आरक्षित निधियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
8	लाभ-हानि लेखे में लाभ का शेष		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

- (क) आरक्षित निधियों में परिवर्धन और आरक्षित निधियों से कटौतियाँ विनिर्दिष्ट शीर्षों में से प्रत्येक के अंतर्गत प्रकट की जानी चाहिए।

अनुसूची 6क			
प्रधान कार्यालय खाता अनुसूची			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	समनुदेशित पूँजी का प्रारंभिक शेष		
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	समनुदेशित पूँजी का अंतिम शेष*		
	कुल		

टिप्पणी: * पंजीकरण की शर्तों के अनुसार प्रधान कार्यालय द्वारा निधीकृत अप्रतिवर्तनीय नियत राशि को निरूपित करता है तथा किसी भी राशि / शेष का अंतरण देश के बाहर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

अनुसूची 7			
उधार राशियाँ (राशि लाख रु. में)			
1	डिबेंचर / बांड		
2	बैंक		
3	वित्तीय संस्थाएँ		
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

- क) उस सीमा का प्रकटीकरण अलग से किया जाए, जहाँ तक उधार राशियाँ रक्षित हैं तथा प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत जमानत का स्वरूप बताया जाए।
- ख) तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर देय/प्राप्य राशियाँ अलग से दर्शायी जानी चाहिए।
- ग) डिबेंचरों में संबंधित विनियमों के अनुसार जारी किये गये एनसीडी शामिल हैं।

रक्षित उधार राशियों के लिए प्रकटीकरण (टिप्पणी क देखें)

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	स्रोत / लिखत	उधार ली गई राशि	प्रतिभूति की राशि	प्रतिभूति का स्वरूप
1				

अनुसूची 8 और 8क							
निवेश अनुसूची				(राशि लाख रु. में)			
	विवरण	अनुसूची-8		अनुसूची-8क		कुल	
		शेयरधारक		पालिसीधारक			
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	दीर्घावधि निवेश						
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित						
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ						
3	अन्य निवेश						
	(क) शेयर						
	(कक) ईक्विटी						
	(खख) अधिमानी						
	(ख) म्युचुअल फंड						
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत						
	(घ) डिबेंचर/बांड						
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)						
	(च) सहायक						
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा						
4	बुनियादी संरचना और गृह-निर्माण में निवेश						

5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य						
	अल्पावधि निवेश						
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित						
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ						
3	अन्य निवेश						
	(क) शेयर						
	(कक) ईक्विटी						
	(खख) अधिमानि						
	(ख) म्युचुअल फंड						
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत						
	(घ) डिबेंचर/बांड						
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)						
	(च) सहायक						
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा						
4	बुनियादी संरचना और गृह-निर्माण में निवेश						
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य						
	कुल						
	कुल जोड़						

टिप्पणियाँ :

(क) सहायक/धारक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश लागत पर अलग-अलग प्रकट किये जाएँगे।

- (i) धारक कंपनी और सहायक संस्थाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित रूप में समझा जाएगा।
- (ii) संयुक्त उद्यम एक संविदागत व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या उससे अधिक पक्षकार एक आर्थिक कार्यकलाप करते हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।
- (iii) संयुक्त नियंत्रण संविदागत तौर पर सहमति-प्राप्त साझेदारी है जो एक आर्थिक कार्यकलाप की वित्तीय और परिचालन नीतियों को नियंत्रित करने के लिए है ताकि उससे लाभ प्राप्त किये जा सकें।
- (iv) सहयोगी संस्था एक उद्यम है जिसमें कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है तथा जो कंपनी की न तो सहायक संस्था है और न ही कंपनी का संयुक्त उद्यम।
- (v) उल्लेखनीय प्रभाव (इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए) – इससे अभिप्रेत है कंपनी के वित्तीय और परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में सहभागिता, परंतु उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं। उल्लेखनीय प्रभाव का उपयोग कई प्रकार से

किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के द्वारा, नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता, महत्वपूर्ण अंतर-कंपनी लेनदेनों, प्रबंधकीय कार्मिकों का आंतरिक परिवर्तन अथवा तकनीकी सूचना संबंधी निर्भरता के द्वारा। उल्लेखनीय प्रभाव साझा स्वामित्व, संविधि या करार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक साझा स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संस्थाओं के माध्यम से निवेशिती के मतदान अधिकार का 20 प्रतिशत या उससे अधिक धारित करता है, तो यह माना जाता है कि उक्त निवेशक उल्लेखनीय प्रभाव से युक्त है, जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया जाए कि यह स्थिति नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संस्थाओं के माध्यम से निवेशिती के मताधिकार का 20 प्रतिशत से कम धारित करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक उल्लेखनीय प्रभाव से युक्त नहीं है, जब तक ऐसे प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया जाता। किसी अन्य निवेशक द्वारा भारी या अधिकांश स्वामित्व आवश्यक रूप से निवेशक को उल्लेखनीय प्रभाव से युक्त होने से नहीं रोकता।

- (ख) आपात आरक्षित निधि से किये गये निवेश अलग से दिखाये जाने चाहिए।
- (ग) कर्ज प्रतिभूतियाँ “परिपक्वता तक धारित” प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाती हैं तथा इनका मापन परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया जाएगा।
- (घ) निवेश संपत्ति से अभिप्रेत है एक संपत्ति [भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों] जो सेवाओं में प्रयोग करने या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के बजाय किराये की आय अर्जित करने अथवा पूँजी की वृद्धि के लिए अथवा दोनों के लिए धारित है।
- (ङ) तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर परिपक्व होनेवाले निवेश तथा तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर निपटान करने के विशिष्ट उद्देश्य से किये गये निवेश अल्पावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किये जाएँगे।
- (च) समय-समय पर यथासंशोधित निवेश विनियम देखे जाएँ।
- (छ) सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर कंपनी के अन्य निवेशों की समग्र राशि तथा उनके बाजार मूल्य का भी प्रकटीकरण नीचे विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा।

सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर अन्य निवेशों का समग्र मूल्य

(राशि लाख रु. में)

विवरण	शेयरधारक		पालिसीधारक		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
दीर्घावधि निवेश:						
बही मूल्य						
बाजार मूल्य						
अल्पावधि निवेश:						
बही मूल्य						
बाजार मूल्य						

अनुसूची 9			
(राशि लाख रु. में)			
क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण		
	जमानती		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों पर		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अरक्षित		
	कुल		

2	उधारकर्ता-वार वर्गीकरण	
	(क)केन्द्र और राज्य सरकारें	
	(ख)बैंक और वित्तीय संस्थाएँ	
	(ग)सहायक संस्थाएँ	
	(घ)औद्योगिक उपक्रम	
	(ङ)कंपनियाँ	
	(च)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
	कुल	
3	कार्यनिष्पादन-वार वर्गीकरण	
	(क)मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण	
	(कक)भारत में	
	(खख)भारत के बाहर	
	(ख)प्रावधान घटाकर अनर्जक ऋण	
	(कक)भारत में	
	(खख) भारत के बाहर	
	कुल	
4	परिपक्वता-वार वर्गीकरण	
	(क) अल्पावधि	
	(ख) दीर्घावधि	
	कुल	

टिप्पणियाँ :

- (क) अल्पावधि ऋणों में ऐसे ऋण शामिल होंगे, जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर चुकौतीयोग्य हैं। दीर्घावधि ऋण अल्पावधि ऋणों को छोड़कर अन्य प्रकार के ऋण हैं।
- (ख) सभी दीर्घावधि जमानती ऋणों के मामले में जमानत का स्वरूप प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए जमानती ऋणों से अभिप्रेत हैं, वे ऋण जो पूर्णतः या अंशतः कंपनी की किसी परिसंपत्ति के आधार पर जमानती हैं।
- (ग) संदिग्ध माने गये ऋण और ऐसे ऋणों के लिए निर्मित प्रावधान की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (घ) अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान निम्नानुसार दर्शाये जाएँगे:

अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान (राशि लाख रु. में)			
	अनर्जक ऋण	ऋण की राशि	प्रावधान
	अवमानक (सब-स्टैंडर्ड)		
	संदिग्ध		
	हानि		
	कुल		

[illegible]

फर्निचर और फिटिंग										
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर										
वाहन										
कार्यालय उपस्कर										
अन्य (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)										
कुल										
चालू कार्य										
कुल जोड़										
पिछले वर्ष										

टिप्पणी: (क) ऊपर भूमि, संपत्ति और भवन में शामिल की गई आस्तियों में अनुसूची 8 निवेश अनुसूची की टिप्पणी (घ) में परिभाषित रूप में निवेश संपत्तियाँ शामिल नहीं हैं।

अनुसूची 11			
नकदी और बैंक शेष (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	नकदी (चेकों*, ड्राफ्टों और स्टांपों सहित)		
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (12 महीने के अंदर प्राप्य)		
	(खख) अन्य		
	(ख) चालू खाते		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
3	माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	(क) बैंकों के पास		
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	ऊपर 2 और 3 में शामिल किये गये गैर- अनुसूचित बैंकों के पास शेष		
	नकदी और बैंक शेष		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

*हाथ में चेक रु. _____ (लाख में) के हैं। पिछले वर्ष: रु. _____ (लाख में)

टिप्पणी:

(क) बैंक शेष में मार्गस्थ विप्रेषण शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो स्वरूप और राशि अलग से बताई जानी चाहिए।

अनुसूची 12			
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	अग्रिम		
1	अध्यर्पण करनेवाली कंपनियों के पास आरक्षित जमाराशियाँ		

2	निवेशों के लिए आवेदन राशि		
3	पूर्व भुगतान		
4	निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम		
5	अदा किया गया अग्रिम कर तथा स्रोत पर काटे गये कर (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)		
6	वस्तु और सेवा कर जमा		
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (i) _____ (ii) _____		
	कुल (क)		
	अन्य आस्तियाँ		
1	निवेशों पर उपचित आय		
2	बकाया प्रीमियम		
	घटाएँ : संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
3	एजेंटों के शेष		
4	विदेशी एजेंसियों के शेष		
5	बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)		
	घटाएँ : संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
6	सहायक/धारित से प्राप्त राशि		
7	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेश		
8	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज		
9	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (i) _____ (ii) _____		
10	प्रधान कार्यालय का चालू खाता*		
	कुल (ख)		
	कुल (क+ख)		

*केवल विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया के मामले में

टिप्पणियाँ :

(क) ऊपर के शीर्षों के अंतर्गत मर्दे संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधानों को घटाकर नहीं दिखाई जाएँगी। प्रत्येक शीर्ष के लिए प्रावधान की राशि अलग से दिखाई जानी चाहिए।

(ख) शब्द 'अधिकारी' कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिये गये रूप में उस शब्द की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

अनुसूची 13			
चालू देयताएँ		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	एजेंटों की शेष राशियाँ		
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष राशियाँ		
3	अध्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमाराशियाँ		
4	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम		
	(क) दीर्घवधि पालिसियों के लिए ^(क)		

	(ख) अन्य पालिसियों के लिए		
5	अनाबंटित प्रीमियम		
6	विविध लेनदार		
7	सहायक कंपनियों/धारित कंपनी को देय		
8	बकाया दावे		
9	अधिकारियों/निदेशकों को देय		
10	पालिसीधारकों की अदावी राशि		
11	अदावी राशियों पर उपचित ब्याज		
12	डिबेंचरों/बांडों पर देय ब्याज		
13	वस्तु और सेवा कर देयताएँ		
14	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (i) _____ (ii) _____		
15	प्रधान कार्यालय का चालू खाता*		
	कुल		

*केवल विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायइस इंडिया के मामले में

टिप्पणी:

- दीर्घावधि पालिसियाँ वे पालिसियाँ हैं जो एक वर्ष से अधिक अवधि की हैं।
- अदावी राशियों और निवेश आय का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

अदावी राशियों और उनपर निवेश आय का विवरण			(राशि लाख रु. में)
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
प्रारंभिक शेष			
जोड़ें : अदावी राशि में अंतरित की गई राशि			
जोड़ें : अदावी राशि में से जारी किये गये परंतु पालिसीधारकों के द्वारा नहीं भुनाये गये चेक (केवल तभी शामिल करें जब चेक पुराने हो गये हों)			
जोड़ें : निवेश आय			
घटाएँ : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि			
घटाएँ : एससीडब्ल्यूएफ में अंतरित			
अदावी राशि का अंतिम शेष			

अनुसूची 14			
प्रावधान (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अनर्जित आरक्षित प्रीमियम के लिए आरक्षित निधि		
2	प्रीमियम कमी के लिए आरक्षित निधि		
3	कराधान के लिए (अदा किये गये अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये करों को घटाकर)		
4	कर्मचारियों के लाभों के लिए		
5	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (क) _____ (ख) _____		
	कुल		

अनुसूची 15			
विविध व्यय (अपलिखित या समायोजित न करने की सीमा तक)			
	विवरण	चालू वर्ष	(राशि लाख रु. में) पिछला वर्ष
1	शेयरों/डिबेंचरों के निर्गम में दी गई छूट		
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

(क) किसी भी मद को शीर्ष "विविध व्यय" के अंतर्गत तब तक शामिल न किया जाए और आगे न ले जाया जाए जब तक:

1. भविष्य में उक्त व्यय से कुछ लाभ प्राप्त करने की प्रत्याशा उचित रूप से नहीं की जा सकती, तथा
2. ऐसे लाभ की राशि का उचित रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(ख) शीर्ष "विविध व्यय" के अंतर्गत शामिल की गई किसी भी मद के संबंध में आगे ले जाई गई राशि उक्त व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व/अन्य लाभों से अधिक नहीं होगी।

भाग III: लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रत्येक बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट यहाँ इस भाग में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित होगा:

1.

(1) कि उन्होंने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो, उनकी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनकी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे तथा क्या उन्होंने उन्हें संतोषजनक पाया है;

(2) क्या बीमाकर्ता द्वारा उचित लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया गया है जहाँ तक उनकी बहियों की जाँच से प्रतीत होता है;

(3) क्या शाखाओं से और अन्य कार्यालयों से लेखा-परीक्षित की गई या न की गई उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं और क्या वे लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त थीं;

(4) क्या रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा, लेखा-बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं;

(5) क्या देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकिक के द्वारा इस आशय के साथ विधिवत् प्रमाणित है कि ऐसे मूल्यांकन के लिए धारणाएँ जारी किये गये दिशानिर्देशों और मानदंडों, यदि कोई हों, के अनुसार है;

2. लेखा-परीक्षक निम्नलिखित के संबंध में अपनी राय व्यक्त करेंगे:

(1)

(i) क्या तुलन-पत्र वित्तीय वर्ष/अवधि के अंत में विद्यमान स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता के कार्यों का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(ii) क्या राजस्व लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए अधिशेष या कमी का एक सही और उचित चित्र देता है;

(iii) क्या लाभ और हानि लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए लाभ या हानि का एक सही और उचित चित्र देता है;

(iv) क्या प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का एक सही और उचित चित्र देता है;

(2)

ऊपर (क) पर बताये गये वित्तीय विवरण लागू होने की सीमा तक और अपेक्षित तरीके से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(3) निवेशों का मूल्यांकन अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(4) बीमाकर्ता द्वारा चयन की गई लेखांकन नीतियाँ उपयुक्त हैं तथा प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं इन विनियमों में या इस आशय के लिए जारी किये गये किसी अन्य आदेश या निदेश के द्वारा यथानिर्धारित लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।

3. लेखा-परीक्षक यह भी प्रमाणित करेंगे कि:

(1) उन्होंने प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा कोई सुस्पष्ट त्रुटि अथवा वित्तीय विवरणों के साथ कोई ठोस असंगति नहीं है;

(2) बीमाकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन किया है।

4. लेखा-परीक्षकों के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र [जो तुलन-पत्र के संबंध में दिये जाने के लिए विधि के द्वारा अपेक्षित किसी भी अन्य प्रमाणपत्र के अतिरिक्त होगा] कि-

(1) उन्होंने बीमाकर्ता के ऋणों, प्रतिवर्तनों और जीवन हितों (जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में) और निवेशों से संबंधित नकदी शेषों और प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है;

(2) किस सीमा, यदि कोई हो, तक उन्होंने एक न्यासी के रूप में बीमाकर्ता द्वारा किये गये किन्हीं न्यासों से संबंधित निवेशों और लेनदेनों का सत्यापन किया है; तथा

(3) पालिसीधारकों की निधियों की आस्तियों का किसी भी भाग का उपयोग पालिसीधारकों की निधियों के विनियोग और निवेशों से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया है।

अनुसूची III – निवेश कार्य

भाग-1

1. परिभाषाएँ :

- (1) “अनुमोदित निवेश” से इन विनियमों की अनुसूची III के खंड 2(1) और 2(2) के अनुसार किये गये निवेश अभिप्रेत हैं।
- (2) “आस्तियाँ” से अधिनियम की धारा 31 के उपबंधों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा धारित, भारत में आस्तियाँ अभिप्रेत हैं।
- (3) “वित्तीय व्युत्पन्नियाँ” से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कग) के अंतर्गत यथापरिभाषित व्युत्पन्नी अभिप्रेत है, तथा इसमें वह संविदा शामिल है जो अपना मूल्य अंतर्निहित कर्ज प्रतिभूतियों की व्याज दरों तथा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जानेवाली ऐसी अन्य व्युत्पन्नी संविदाओं से व्युत्पन्न करती है।
- (4) “समूह” से दो या उससे अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों, फर्मों, न्यासों, न्यासियों अथवा निगमित निकायों का संघ, या उनका कोई संगठन अभिप्रेत है जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में लेखांकन मानक (एएस) में यथापरिभाषित किसी सहयोगी, निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेखनीय प्रभाव और/या नियंत्रण का प्रयोग अथवा सामान्य ब्रैंड नामों का उपयोग करता है अथवा प्रयोग करने का स्थिति में स्थापित है।

स्पष्टीकरण: उल्लेखनीय प्रभाव और / या नियंत्रण के अन्य मानदंडों के साथ संयोजन में सामान्य ब्रैंड नामों के उपयोग की गणना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समूह का भाग बनने के रूप में समावेशन या अन्यथा के लिए निर्धारण करने के लिए की जाएगी।

- (5) “आवास वित्त कंपनी” का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसके लिए निर्धारित रूप में होगा।
- (6) “बुनियादी संरचना सुविधा” से समय-समय पर यथासंशोधित आर्थिक कार्य विभाग की सरकारी अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के अनुसार ‘बुनियादी संरचना के उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची’ अभिप्रेत है।
- (7) “निवेश आस्तियाँ” से निम्नलिखित में से किये गये सभी निवेश अभिप्रेत हैं :

(i) जीवन बीमाकर्ता के मामले में

(क) शेयरधारकों की निधियाँ जो शोधन-क्षमता मार्जिन, यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय की गैर-यूनिट आरक्षित निधियों, पालिसीधारकों की सहभागी और लाभरहित निधियों, एक वर्षीय नवीकरणयोग्य विशुद्ध सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) सहित उनके रखाव मूल्य पर परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियों को निरूपित करती हैं;

(ख) उनके रखाव मूल्य पर परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियों सहित पेंशन, वार्षिकी व्यवसाय और सामूहिक व्यवसाय की पालिसीधारकों की निधियाँ;

(ग) समय-समय पर इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार उनके बाजार मूल्य पर परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियों सहित यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय की पालिसीधारकों की यूनिट आरक्षित निधियाँ;

- (ii) पुनर्बीमा व्यवसाय या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनी की शाखा के मामले में उनके प्रधान कार्यालय खाते में अनुरक्षित निधियाँ, इन विनियमों के अनुसार तैयार किये गये तुलन-पत्र में दर्शाये गये रूप में उनके रखाव मूल्य पर शोधन-क्षमता मार्जिन को निरूपित करनेवाली शेयरधारकों की निधियाँ और पालिसीधारकों की निधियाँ

(8) मुद्रा बाजार लिखत

मुद्रा बाजार लिखतों में निम्नलिखित लिखतों से युक्त एक वर्ष से अनधिक परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि लिखत होते हैं :

- (i) सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग दिया गया जमा प्रमाणपत्र;
- (ii) सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग दिया गया वाणिज्यिक पत्र;
- (iii) प्रतिवर्ती रेपो;
- (iv) खजाना बिल (नकदी प्रबंध बिलों सहित);
- (v) माँग, सूचना, मीयादी मुद्रा;
- (vi) त्रि-पाक्षिक रेपो (टीआरईपीएस);
- (vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य लिखत;

भाग II

2. अनुमोदित निवेश

- (1) कोई भी बीमाकर्ता धारा 27ए के अंतर्गत यथापरिभाषित रूप में अपनी नियंत्रण निधि के किसी भाग / अधिनियम की धारा 27ई के साथ पठित अधिनियम की धारा 27(2) के अंतर्गत यथापरिभाषित आस्तियों का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(3) के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रकार से तथा निम्नलिखित में से किन्हीं अनुमोदित निवेशों में, निवेश नहीं करेगा अथवा निवेशित रूप में नहीं रखेगा, अर्थात् :

- (i) किसी कंपनी की किसी अचल संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर पर प्रथम प्रभार द्वारा रक्षित डिबेंचर, जिसने किसी चूक के बिना पूर्णतः ब्याज का भुगतान किया है;
- (ii) किसी कंपनी की किसी अचल संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर पर प्रथम प्रभार द्वारा रक्षित डिबेंचर जहाँ ऐसी संपत्ति, संयंत्र या उपस्कर का बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, ऐसे डिबेंचरों के मूल्य से तीन गुना अधिक है;
- (iii) किसी कंपनी की सभी आस्तियों पर एक अस्थिर दर द्वारा रक्षित डिबेंचर, जिसने तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए अपने ईक्विटी शेयरों पर लाभांश अदा किये हैं;
- (iv) किसी कंपनी के अधिमानी शेयर जिसने तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वित्तीय वर्षों के लिए अपने ईक्विटी शेयरों पर लाभांशों का भुगतान किया है;
- (v) किसी सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापारित कंपनी के ईक्विटी शेयर जिनपर तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश अदा किये गये हैं;

- (vi) भारत में स्थित अचल संपत्ति, बशर्ते कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त है;
- (vii) जीवन बीमा की पालिसियों पर उनके अभ्यर्पण मूल्य के अंदर ऋण उसके द्वारा दिये गये हों अथवा किसी ऐसे बीमाकर्ता द्वारा दिये गये हों जिसके व्यवसाय का अधिग्रहण उसने किया है तथा जिस व्यवसाय के संबंध में उसने देयता ग्रहण की है;
- (viii) ऐसे बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ जिन्हें फिलहाल भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है; तथा
- ऐसे अन्य निवेश जिन्हें प्राधिकरण सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अनुमोदित निवेशों के रूप में घोषित कर सकता है।
- (2) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित निवेश अनुमोदित निवेशों के रूप में माने जाएँगे
- (i) खंड 3 से 8 तक के साथ दिये गये नोट के अनुसार सभी रेटिंग प्राप्त डिबेंचर (बांडों सहित) तथा अन्य रेटिंग युक्त और रक्षित कर्ज लिखत। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये ईक्विटी शेयर, अधिमानी शेयर और कर्ज लिखत – बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति दिशानिर्देशों, बेंचमार्कों और एक्सपोज़र मानदंडों, सीमाओं के अनुसार निवेश किये जाएँगे।
- (ii) सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए अथवा उसके समकक्ष रेटिंग प्राप्त कंपनियों द्वारा जारी किये गये बांड और डिबेंचर तथा अल्पावधि बांड, डिबेंचर, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र जो ए1 अथवा उसके समकक्ष रेटिंग प्राप्त हों।
- (iii) निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों और सीमाओं के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में फिलहाल सम्मिलित बैंकों के पास खंड 2(1)(viii) के अनुसार मीयादी जमाराशियों सहित (उदा. चालू खाते में, माँग जमाराशियाँ, सूचना पर प्रतिदेय जमाराशियाँ, जमा प्रमाणपत्र आदि) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत् इस रूप में मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यापारियों के पास जमाराशियाँ।
- (iv) त्रि-पक्षीय एजेंट के पास निर्मित त्रि-पक्षीय रेपो, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है तथा इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये म्युचुअल फंड दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित निवेशों का भाग बननेवाली गिल्ट, जी.सेक, ओवरनाइट, अल्ट्रा-अल्पावधि और तरल म्युचुअल फंड को एक्सपोज़र तथा मुद्रा बाजार लिखत/निवेश।
- (v) इन विनियमों के विनियम 6(3) की अनुसूची-III के खंड 1(6) में “बुनियादी संरचना सुविधा” के अंतर्गत अंतर्निहित आवास ऋणों अथवा यथापरिभाषित अंतर्निहित रूप में बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ/प्रभाव अंतरण (पास श्रु) प्रमाणपत्र।
- (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त, सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा ए1 क्रेडिट रेटिंग प्राप्त, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र।
- (vii) इन विनियमों के विनियम 6(3) की अनुसूची-III के खंड 1(8) में यथापरिभाषित मुद्रा बाजार लिखत।
- स्पष्टीकरण: खंड 3 से 8 तक के साथ दिये गये 'नोट' में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।
- (3) बीमाकर्ता का बोर्ड, अधिनियम की धारा 27ए(2)(ii) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए निवेश समिति को पहले से किये गये निवेशों के लिए और अनुमोदित निवेश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से नियंत्रित निधि / आस्तियों से ऐसे निवेश जारी रखने के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में एए से कम रेटिंग से युक्त और अनुमोदित निवेश का भाग बननेवाले निवेशों के लिए प्रत्यायोजन कर सकता है। उक्त निवेश समिति निवेशों की अनर्जक आस्तियों के विवरण, विश्लेषण और तिमाही आवधिकता के साथ उनकी समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी।
- (4) जब तक प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जाती, तब तक भारत में कंपनियों से संबंधित विधियों के अधीन न बनी हुई किसी संस्था में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन अथवा पूर्व के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन बनी हुई कंपनी में कोई निवेश नहीं किया जाएगा।

3. निवेशों का विनियमन – जीवन बीमाकर्ता:

जीवन बीमाकर्ता इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, नियंत्रित निधि का भाग बननेवाली निवेश आस्तियों का निम्नानुसार निवेश करेगा और हर समय उन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेगा:

- (1) जीवन बीमा व्यवसाय की सभी निधियाँ (शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक धारित, एक अलग अभिरक्षा खाते में रखी हुई, शेयरधारकों की निधियों को छोड़कर) और एक वर्षीय नवीकरणयोग्य विशुद्ध सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) तथा खंड 4 के अनुसार, यूनिट सहबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय की सभी श्रेणियों की गैर-यूनिट आरक्षित निधियाँ;
 - (2) खंड 5 के अनुसार, पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की सभी निधियाँ; तथा
 - (3) खंड 6 के अनुसार, यूनिट सहबद्ध निधियों की सभी श्रेणियों का यूनिट आरक्षित निधि भाग।
4. अधिनियम की धाराओं 10(2ए), 27 या 27ए तथा इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जीवन बीमा का व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता खंड 3(1) में यथापरिभाषित (पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय एवं यूनिट सहबद्ध व्यवसाय की सभी श्रेणियों की यूनिट आरक्षित निधियों को छोड़कर अन्य निधियाँ) अपनी निवेश आस्तियों का निवेश निम्नलिखित तरीके से करेगा और हर समय उन्हें निवेशित स्थिति में रखेगा:

सं.	निवेश का प्रकार	खंड 3(1) के अंतर्गत विद्यमान रूप में निधियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	25% से अन्यून
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	50% से अन्यून(उपर्युक्त (i) सहित)
(iii)	इन विनियमों के खंड 2(1) और (2) में विनिर्दिष्ट रूप में अनुमोदित निवेश और अधिनियम की धारा 27ए(2) में विनिर्दिष्ट रूप में अन्य निवेश तथा, (सबको एकसाथ लेते हुए) खंड-8 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोजर/ विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन।	50% से अनधिक
(iv)	अन्य निवेश अधिनियम की धारा 27ए(2) में विनिर्दिष्ट रूप में, खंड-8 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोजर/ विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन।	15% से अनधिक
(v)	निम्नलिखित में अभिदान या उनकी खरीद के द्वारा आवास और बुनियादी संरचना में निवेश: ए. बुनियादी संरचना क. राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको के बांड/डिबेंचर ख. गृह-निर्माण कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त या सरकार द्वारा विधिवत् गारंटीकृत या सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा 'एए' से अन्यून वर्तमान रेटिंग से युक्त आवास वित्त कंपनियों के बांड/ डिबेंचर तथा कोई सक्रिय रूप से व्यापारित आवास वित्त कंपनी/हुडको के ईक्विटी शेयर जिनपर पिछले 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश दिये गये हों। ग. समय-समय पर इन विनियमों के अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हुए, अंतर्निहित आवास ऋणों से युक्त, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ। बी. बुनियादी संरचना में निवेश स्पष्टीकरण: बांडों/डिबेंचरों का अभिदान या खरीद, अंतर्निहित बुनियादी	आवास और बुनियादी संरचना में कुल निवेश (अर्थात् श्रेणियों (i), (ii), (iii) और (iv) को एकसाथ लेते हुए खंड 3(1) के अंतर्गत निधि के 15% से कम नहीं होगा।

संरचना आस्तियों के साथ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अर्हता-प्राप्त होंगी। 'बुनियादी संरचना सुविधा' का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित खंड 1(6) में दिये गये रूप में होगा। टिप्पणी: ऊपर श्रेणी (i) और (ii) में किये गये निवेश आवास और बुनियादी संरचना में किये गये निवेश के रूप में माने जाएँगे, बशर्ते कि संबंधित सरकार 'बुनियादी संरचना सुविधा' के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विशिष्ट रूप से ऐसी प्रतिभूति जारी करती है।	
--	--

5. अधिनियम की धाराओं 10(2एए), 27 या 27ए तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की अपनी निवेश आस्तियों का निम्नानुसार निवेश करेगा और हर समय इन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेगा:

सं.	निवेश का प्रकार	खंड 3(2) के अंतर्गत निधियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से अन्यून
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	40% से अन्यून (उपर्युक्त (i) सहित)
(iii)	शेष का निवेश खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोजर/विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, अनुमोदित निवेशों में करना चाहिए, जैसा कि खंड 2(1) और (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है।	60% से अनधिक

टिप्पणी: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 27ए(2) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट 'अन्य निवेश' के अंतर्गत आनेवाला कोई भी निवेश नहीं किया जाएगा।

6. यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय

- (1) अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27 या 27ए तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्रत्येक बीमाकर्ता यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के खंड 3(3) (अभिरक्षक स्तर पर अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित) के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसार अपनी वियोजित निधि(यों) का निवेश करेगा और हर समय उन्हें निवेशित स्थिति में बनाये रखेगा जहाँ यूनिटों को आस्तियों की श्रेणियों के साथ संबद्ध किया जाता है जो उत्पाद विनियमों के अनुसार दोनों विपणनयोग्य और तत्काल वसूलीयोग्य हैं।
- (2) तथापि, अनुमोदित निवेशों में निवेश प्रत्येक वियोजित निधि में ऐसी निधियों के 75% से कम नहीं होगा।
- (3) खंड 8 के अंतर्गत सभी विवेकपूर्ण और एक्सपोजर मानदंड एसएफआईएन स्तर पर वैयक्तिक वियोजित निधि के स्तर पर लागू होंगे।
- (4) बीमाकर्ता जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर पालिसीधारकों के हित के लिए अपेक्षित न्यूनतम सूचना प्रकट करेगा।

7. निवेशों का विनियमन – पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता

अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27, या 27बी तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमा का व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता नीचे निर्धारित तरीके से अपनी निवेश आस्तियों का निवेश करेगा और हर समय उन्हें निवेशित स्थिति में बनाया रखेगा:

सं.	निवेश का प्रकार	निवेश आस्तियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से अन्यून
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	30% से अन्यून (उपर्युक्त (i) सहित)

(iii)	खंड 8 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन अनुमोदित निवेश खंड 2(1) और (2) में विनिर्दिष्ट रूप में तथा अन्य निवेश धारा 27ए (2) (सबको एकसाथ लेते हुए)।	70% से अनधिक
(iv)	अन्य निवेश धारा 27ए(2) में विनिर्दिष्ट रूप में, खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन।	15% से अनधिक
(v)	निम्नलिखित के अभिदान या खरीद के द्वारा आवास और अग्निशमन उपस्कर के लिए राज्य सरकार को ऋण: ए. आवास में निवेश क. राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको के बांड/डिवेंचर ख. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गृहनिर्माण कार्यकलापों के लिए मान्यताप्राप्त या सरकार द्वारा विधिवत् गारंटीकृत या सेवी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीस) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा 'एए' से अन्यून वर्तमान रेटिंग से युक्त तथा किसी सक्रिय रूप से व्यापारित आवास वित्त कंपनी/ हुडको जिस पर दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए अदा किये गये हों। ग. समय-समय पर इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंड पूरे करनेवाले अंतर्निहित आवास ऋणों के साथ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ। बी. बुनियादी संरचना में निवेश घ. स्पष्टीकरण: बांडों/डिवेंचरों के अभिदान या खरीद, अंतर्निहित बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त ईक्विटी और आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अर्हता-प्राप्त होंगी। ड. 'बुनियादी संरचना सुविधा' का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित खंड 1(6) में दिये गये रूप में होगा। टिप्पणी: उपर्युक्त श्रेणी (i) और (ii) में किये गये निवेश आवास या बुनियादी संरचना में निवेश के रूप में माने जा सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित सरकार 'बुनियादी संरचना सुविधा' के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विशिष्ट रूप से ऐसी प्रतिभूति जारी करती है।	आवास और बुनियादी संरचना में कुल निवेश (अर्थात् उपर्युक्त श्रेणियों (i), (ii), (iii) और (iv) को एकसाथ लेते हुए निवेश आस्तियों के 15% से कम नहीं होगा।

“टिप्पणी--खंड 3 से 7 तक के प्रयोजन के लिए

(I) निवेश के स्वरूप की प्रयोज्यता

निवेश का स्वरूप अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक व्यवसाय में धारित शेयरधारकों की निधियों के लिए लागू नहीं होगा, तथा शोधन-क्षमता मार्जिन के परिकलन के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसा आधिक्य:

- (क) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा शोधन-क्षमता मार्जिन को निरूपित करनेवाली निधियों से आवास और बुनियादी संरचना निवेशों में निवेश का पूर्णतः अनुपालन करने के बाद बनाया जाएगा।
- (ख) शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक धारित, शेयरधारकों की निधियों का ऐसा आधिक्य पहचान-योग्य स्क्रिपों के साथ एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित किया जाएगा।
- (ग) ऐसे आधिक्य की निधियों का निर्धारण केवल नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित, बीमांकिक सत्यापन के बाद ही किया जाएगा तथा ऐसा मूल्यांकन प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा।
- (घ) तिमाहियों के बीच किया गया ऐसा अंतरण समवर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि उपर्युक्त बिन्दु (क), (ख) और (ग) का अनुपालन किया गया है।
- (ड) 'निवेशिती कंपनी', 'समूह', 'प्रवर्तक समूह' और 'उद्योग क्षेत्र' के एक्सपोजर मानदंड शोधन-क्षमता मार्जिन (एफआरएसएम) और अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक धारित निधियों को निरूपित करनेवाली दोनों निधियों के लिए लागू होंगे।

- (II) आस्तियों या लिखतों में सभी निवेश, जो बाजार व्यवहार के अनुसार रेटिंग से युक्त होने के लिए सक्षम हैं, ऐसी आस्तियों या लिखतों की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर किये जाएँगे। लिखतों में कोई अनुमोदित निवेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे लिखत रेटिंग किये जाने के लिए सक्षम हैं, परंतु उनकी रेटिंग नहीं की गई है।
- (III) रेटिंग सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की जानी चाहिये।
- (IV) ए से अन्यून रेटिंग प्राप्त बुनियादी संरचना निवेश जो अनुमानित ईएल1 की रेटिंग से युक्त हैं, अनुमोदित निवेश के रूप में माने जाएँगे।
- (V) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये किसी कर्ज लिखत की रेटिंग 'एए' या उसके समकक्ष रेटिंग का होगा। यदि इस ग्रेड के निवेश निवेशकर्ता बीमा कंपनी की अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तथा निवेशक बीमा कंपनी की निवेश समिति इसके बारे में पूर्णतः संतुष्ट है, तो निवेश समिति के कार्यवृत्त में लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से, निवेश समिति सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा 'ए+' से अन्यून या उसके समकक्ष रूप में दी गई वर्तमान रेटिंग को वहन करनेवाले लिखतों में निवेशों का अनुमोदन कर सकता है क्योंकि इन्हें 'अनुमोदित निवेश' के रूप में माना जाएगा।
- (VI) खंड 4,5,6 और 7 के अंतर्गत अनुमोदित निवेशों को, जिनका ग्रेड निर्धारित न्यूनतम रेटिंग से कम किया गया है या उनका लाभांश मानदंडों को पूरा करना जारी नहीं है, स्वयमेव 'अन्य निवेश' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा विशिष्ट रूप से संबंधित श्रेणी में उन्हें अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए।
- (VII) (क) जीवन बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में 75 प्रतिशत से अन्यून निवेश तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) का 65 प्रतिशत से अन्यून निवेश – दीर्घावधि लिखतों के लिए सरकारी (सावरिन) कर्ज, एएए रेटिंग या उसके समकक्ष रेटिंग से युक्त तथा अल्पावधि लिखतों के लिए सरकारी (सावरिन) कर्ज, ए1+ या उसके समकक्ष रेटिंग युक्त रूप में होगा। यह यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के मामले में वियोजित निधि(यों) के लिए लागू होगा।

टिप्पणी: जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में निवेश के 75 प्रतिशत तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश के 65 प्रतिशत का परिकलन करने में 'कर्ज' लिखतों में निवेश, अंतर्निहित क) कारपोरेट बांड से युक्त रिवर्स रेपो, ख) बैंक मीयादी जमाराशि ग) प्रवर्तक समूह म्युचुअल फंड और रेटिंग रहित म्युचुअल फंड(फंडों) में निवेश को दोनों न्यूनरेटर और डिनामिनेटर के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ख) जीवन बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) में खंड 3(1) और खंड 3(3) के अंतर्गत निधियों के 5 प्रतिशत से अनधिक तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में निवेश के 8 प्रतिशत से अनधिक के लिए दीर्घावधि के लिए ए या उससे कम अथवा उसके समकक्ष रेटिंग होगी।

(ग) खंड 3(2) के अंतर्गत निधियों से कोई निवेश अन्य निवेशों में नहीं किया जा सकता।

(घ) दीर्घावधि के लिए एए – (एए माइनस) या उससे कम रेटिंग प्राप्त कर्ज लिखतों में निवेश तथा अल्पावधि कर्ज लिखतों के लिए ए1 से नीचे या उसके समकक्ष और ए से नीचे या ईएल1 की रेटिंग से युक्त बुनियादी संरचना कर्ज लिखत अन्य निवेशों का भाग बनेंगे।

(VIII) उपर्युक्त के बावजूद, इस बात पर बल दिया जाता है कि रेटिंग द्वारा बीमाकर्ता की ओर से उपयुक्त जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन का स्थान नहीं लिया जाना चाहिए। बीमाकर्ता को चाहिए कि वह जोखिम विश्लेषण का संचालन उत्पाद(दों) की जटिलता और उनकी धारिता के महत्व के अनुरूप करे अथवा ऐसे निवेशों से वह दूर भी रह सकता है।

8. एक्सपोजर/विवेकपूर्ण मानदंडः

अधिनियम की धाराओं 10(2एए), 27, 27ए, 27बी और 27सी में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित एक्सपोजर मानदंडों के अनुसार नियंत्रित निधियों / सभी आस्तियों के अपने निवेशों को सीमित करेगा:

(1) निम्नलिखित के लिए एक्सपोजर मानदंड:

(i) जीवन बीमा व्यवसाय:

(क) जीवन बीमा व्यवसाय की सभी निधियाँ और एक वर्षीय नवीकरणयोग्य विशुद्ध सामूहिक मीयादी बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) तथा यूनिट सहबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय की सभी श्रेणियों की गैर-यूनिट आरक्षित निधियाँ;

(ख) खंड 5 के अनुसार पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की सभी निधियाँ; तथा

(ग) खंड 6 के अनुसार यूनिट सहबद्ध निधियों, जीवन, पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय तथा यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय (प्रवर्तक समूह एक्सपोजर को छोड़कर) के अंदर प्रत्येक वियोजित निधि की सभी श्रेणियों का यूनिट आरक्षित निधियों का अंश।

(ii) साधारण बीमा व्यवसाय

(iii) पुनर्बीमा व्यवसाय

(iv) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

खंड 2(1) और 2(2) के अनुसार दोनों अनुमोदित लिखतों और धारा 27ए(2) के अंतर्गत अनुमत रूप में अन्य निवेश निम्नानुसार होंगे।

(2) ऊपर उल्लिखित 1(ii), 1(iii) और 1(iv), (बिन्दु 1(i)(क), 1(i)(ख), 1(i)(ग) को एकसाथ लेते हुए) सभी निवेश आस्तियों से एक एकल 'निवेशिती' कंपनी (ईक्विटी, कर्ज और अन्य निवेशों को एकसाथ लेते हुए) के लिए अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नलिखित में से निम्नतर से अधिक नहीं होगी:

(क) खंड 1(7)(i)(ग) को छोड़कर, खंड 1(7) के अंतर्गत निवेश आस्तियों के उचित मूल्य परिवर्तन को छोड़कर खंड 1(7)(i), खंड 1(7)(ii) के अंतर्गत निवेश आस्तियों के 10 प्रतिशत की राशि।

(ख) निम्नलिखित सारणी के बिन्दु (क) और (ख) के अंतर्गत परिकलित रूप में संकलित राशि।

निवेश का प्रकार	'निवेशिती' कंपनी के लिए सीमा	निवेशिती कंपनी के समूचे समूह के लिए सीमा	उस उद्योग क्षेत्र के लिए सीमा जिससे निवेशिती कंपनी संबंधित है
(1)	(2)	(3)	(4)
क. 'ईक्विटी', अधिमानी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत* या उपर्युक्त 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) [वियोजित निधि] जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में अलग से माना गया/ पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में 1(i) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि जो भी कम हो	बिन्दु 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) या 1(ii) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि के 15 प्रतिशत से अनधिक प्रवर्तक समूह से संबंधित कंपनियों में किये गये निवेशों के लिए एक्सपोजर खंड 8 की टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु (VII) के अनुसार किया जाएगा।	किसी औद्योगिक क्षेत्र में बीमाकर्ता द्वारा निवेश बिंदु 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) या 1(ii) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। टिप्पणी: सभी क्षेत्रों के लिए, आवास और बुनियादी संरचना क्षेत्र को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक कार्यकलाप) - 2008 [एनआईसी] के अनुरूप किया जाएगा। एक्सपोजर का परिकलन ए से आर तक मंडल (डिविजन) के स्तर पर किया जाएगा। वित्तीय और बीमा कार्यकलापों के क्षेत्र के लिए एक्सपोजर का परिकलन अनुभाग स्तर पर किया जाएगा।

ख. कर्ज (सीपी सहित) / ऋणों और किसी अन्य अनुमत निवेशों में निवेश अधिनियम/उपर्युक्त मद 'क' को छोड़कर विनियम के अनुसार।	प्रदत्त शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत* , निर्बंध आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा 'निवेशिती' कंपनी के डिबेंचर/बांड (सीपी सहित) या जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में अलग से माने गये रूप में उपर्युक्त 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) [वियोजित निधि] के अंतर्गत राशि का 10 प्रतिशत/ पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में 1(ii) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि जो भी कम हो।		'बुनियादी संरचना' में निवेश नीचे उल्लिखित टिप्पणी II, III और IV के अधीन हैं।
---	--	--	---

नीचे उल्लिखित आकार के अंतर्गत खंड 1(7)(i) और 1(7)(ii) के आशय के अंदर निवेश आस्तियों से युक्त बीमाकर्ताओं के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत ईक्विटी, अधिमानी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, कर्ज, ऋणों या किसी अन्य अनुमति-प्राप्त निवेश में निवेश के लिए उपर्युक्त सारणी में () चिह्नित सीमा निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएगी:

निवेश आस्तियाँ	'निवेशिती' कंपनी के लिए सीमा	
	ईक्विटी	कर्ज
रु.2,50,000 करोड़ या उससे अधिक	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 15 प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों/बांडों का 15 प्रतिशत
रु.50,000 करोड़ परंतु रु.2,50,000 करोड़ से कम	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 12 प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों/बांडों का 12 प्रतिशत
रु.50,000 करोड़ से कम	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों/बांडों का 10 प्रतिशत

टिप्पणी:

(I) औद्योगिक क्षेत्र मानदंड निम्नलिखित में किये गये निवेशों के लिए लागू नहीं होंगे:

- (i) खंड 1(6) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'बुनियादी संरचना सुविधा'। एनआईसी वर्गीकरण 'बुनियादी संरचना सुविधा' में किये गये निवेशों के लिए लागू नहीं होंगे।
- (ii) एनआईसी वर्गीकरण 'आवास क्षेत्र' में किये गये निवेशों पर लागू नहीं होगा।

(II) आईडीएफ-एनबीएफसीएस (बुनियादी संरचना कर्ज निधि) में किये गये निवेशों की गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन बुनियादी संरचना में निवेशों के लिए की जाएगी:

- (i) आईडीएफ-एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत है।
- (ii) कर्ज प्रतिभूतियों की अवशिष्ट कालावधि 5 वर्ष से अन्यून अवधि की होगी (निवेश के समय)

- (iii) सेबी के पास पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए अथवा उसके समकक्ष की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग अनुमोदित निवेशों के लिए पात्र होगी।
- (iv) आईडीएफ-एनबीएफसी में निवेशों के लिए एक्सपोजर सीमाएँ नीचे के नोट (III) के अनुसार हैं।
- (III) किसी सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड 'बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी' और बुनियादी संरचना वित्त कंपनी (भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी-आईएफसी) में एक्सपोजर निम्नानुसार होगा:
 - (i) ईक्विटी के मामले में, प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 20 प्रतिशत (या)
 - (ii) कर्ज के मामले में, प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी और (प्लस) निर्बंध आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) और (प्लस) डिबेंचर/बांड एकसाथ लेते हुए, का 20 प्रतिशत (या)
 - (iii) खंड 8(2)(क) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो।
 - (iv) ऊपर उल्लिखित 20 प्रतिशत को, बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, केवल कर्ज लिखतों के मामले में अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक आगे और बढ़ाया जा सकता है।
 - (v) इस विनियम में ऊपर की सारणी में निर्धारित एक्सपोजर से अधिक, किसी बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी में कर्ज लिखतों में बकाया अवधि, निवेश के समय 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
 - (vi) ईक्विटी निवेश के मामले में, किसी कारपोरेट/पीएसयू की पूर्णतः स्वामित्व प्राप्त सहायक संस्था के प्राथमिक निर्गम की स्थिति में, इन विनियमों के अनुसार लाभांश का पिछला रिकार्ड धारक कंपनी पर लागू होगा।
 - (vii) 'बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी' में किये गये सभी निवेश सामूहिक/प्रवर्तक सामूहिक एक्सपोजर मानदंडों के अधीन होंगे।
- (IV) बीमाकर्ता निवेश करते समय, सामूहिक/प्रवर्तक सामूहिक एक्सपोजर मानदंडों के अधीन, बुनियादी संरचना क्षेत्र में लगे हुए सार्वजनिक लिमिटेड विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की परियोजना लागत (एक सक्षम निकाय द्वारा यथानिर्णीत) के अधिकतम 20 प्रतिशत (या) खंड 8(2)(क) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, का निवेश अनुमोदित निवेशों के एक भाग के रूप में कर सकता है, बशर्ते कि:
 - (i) ऐसा निवेश कर्ज में है;
 - (ii) मूल कंपनी दिये गये समूचे कर्ज एवं एसपीवी के ब्याज के भुगतान की गारंटी देती है;
 - (iii) यदि मूल धन या ब्याज चूक की स्थिति में है तथा नियत तारीख से 90 दिन के अंदर अदा नहीं किया जाता है, तो ऐसे कर्ज को अन्य निवेशों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा;
 - (iv) मूल कंपनी (कंपनियों) के नवीनतम लिखत की रेटिंग एए से कम नहीं है;
 - (v) मूल कंपनी (कंपनियों) की दी गई ऐसी गारंटी वर्तमान गारंटियों सहित, यदि कोई हों, मूल कंपनी (कंपनियों) की निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;
 - (vi) यदि सूचीबद्ध नहीं हैं तो मूल कंपनी (कंपनियों) की निवल मालियत रु.500 करोड़ से कम नहीं होगी अथवा जहाँ मूल कंपनी (कंपनियाँ) राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों से युक्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है, वहाँ निवल मालियत रु. 250 करोड़ से कम नहीं होगी;
 - (vii) निवेश समिति को ऐसे निवेशों के जोखिम का मूल्यांकन कम से कम छमाही आवधिकता पर करना चाहिए तथा जहाँ मूल कंपनी (कंपनियाँ) एक से अधिक एसपीवी को प्रवर्तित कर रही हो, वहाँ आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए;
- (V) प्रतिभूतिकृत आस्तियों (बंधक समर्थित प्रतिभूतियों)(एमबीएस)/ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस)/ प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ प्रभाव अंतरण (पास थ्रू) प्रमाणपत्रों (पीटीसी) दोनों अनुमोदित (एए की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग के साथ) और अन्य निवेश (एए से नीचे की क्रेडिट रेटिंग से युक्त) में निवेश जीवन बीमा कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा साधारण बीमा कंपनियों के मामले में निवेश आस्ति के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अंतर्निहित आवास या बुनियादी संरचना आस्तियों के साथ एमबीएस / एबीएस में अनुमोदित निवेश जीवन बीमा

कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा साधारण बीमा कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अंतर्निहित आवास या बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त कोई भी एमबीएस / एबीएस की रेटिंग, यदि एएए से नीचे या उसके समकक्ष रूप में कम की जाती है, तो अन्य निवेशों के रूप में उसका पुनःवर्गीकरण किया जाएगा।

- (VI) लेखांकन मानकों के आशय के अंदर और खंड 2(1)(vi) के अंदर कवर की गई निवेश संपत्ति निवेश के समय, (क) साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश आस्तियों के 5 प्रतिशत से तथा (ख) जीवन बीमाकर्ता के मामले में जीवन निधियों की निवेश आस्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 'निवेश संपत्ति' के रूप में धारित अचल संपत्ति 'स्वयं के उपयोग' के लिए नहीं होगी। स्वयं के उपयोग के लिए अचल संपत्ति केवल शेयरधारकों की निधियों से ही खरीदी जाएगी, तथा जारी किये गये परिपत्र/दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।
- (VII) ऊपर की सारणी में उल्लिखित एक्सपोज़र सीमाओं के अधीन, बीमाकर्ता के पास प्रवर्तक समूह से संबंधित सभी कंपनियों में समग्र रूप में अपनी निवेश आस्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं होंगे। प्रवर्तक समूह से संबंधित सभी कंपनियों में किया गया निवेश निजी स्थानन (बीएसई100/एनएसई100 कंपनियों के क्यूआईपीएस और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर) के द्वारा अथवा असूचीबद्ध लिखतों (अनुसूचित वाणिज्य बैंक में धारित ईक्विटी, कर्ज, जमा प्रमाणपत्र और मीयादी जमाराशियाँ) में, खंड 8 की टिप्पणी XII के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा बनाई गई कंपनियों को छोड़कर, नहीं किया जाएगा।
- (VIII) वित्तीय और बीमा कार्यकलापों के लिए एक्सपोज़र सीमा (समय-समय पर यथासंशोधित एनआईसी वर्गीकरण – 2008 की धारा के अनुसार) सभी बीमाकर्ताओं के लिए निवेश आस्तियों के 30 प्रतिशत पर रहेगी। आवास वित्तपोषण कंपनियों और बुनियादी संरचना वित्तपोषण कंपनियों में निवेश (हुडको, एनएचबी के बांडों/डिबेंचरों में निवेश तथा आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किये गये एए से अन्यून रेटिंग से युक्त बांडों में निवेश, किसी सक्रिय रूप से व्यापारित आवास वित्त कंपनी के ईक्विटी शेयरों में निवेश जिनपर तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश अदा किये गये हैं, तथा बुनियादी संरचना क्षेत्र का भाग बननेवाली समर्पित बुनियादी संरचना वित्तपोषण संस्थाओं के कर्ज, ईक्विटी में निवेश को छोड़कर) वित्तीय और बीमा कार्यकलापों में एक्सपोज़र का भाग बनेगा (एनआईसी वर्गीकरण—2008 की धारा के अनुसार);
- (IX) जहाँ कोई निवेश अंशतः प्रदत्त शेयरों में है, वहाँ ऐसे शेयरों पर माँगी न गई देयता एक्सपोज़र मानदंडों की संगणना के प्रयोजन के लिए निवेशित राशि में जोड़ी जाएगी;
- (X) खंड 8(2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी कंपनी के द्वारा वर्तमान शेयरधारकों को नये शेयर जारी किये जाते हैं, जिसके वर्तमान शेयर खंड 2(1)(v) द्वारा कवर किये जाते हैं और बीमाकर्ता पहले से ही एक शेयरधारक है, वहाँ बीमाकर्ता ऐसे नये शेयरों में अभिदान कर सकता है, बशर्ते कि उसके द्वारा अभिदान किये गये नये शेयरों का अनुपात उस अनुपात से अधिक नहीं होगा जो ऐसे अभिदान से तत्काल पहले उसके द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त राशि ऐसे अभिदान के समय कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी को वहन करती है;
- (XI) जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में किसी अनुसूचित बैंक की मीयादी जमाराशि और जमा प्रमाणपत्र में निवेश वित्तीय और बीमा कार्यकलापों में एक्सपोज़र के रूप में माना जाएगा (एनआईसी वर्गीकरण-2008 की धारा के अनुसार)। जमाराशियों में कोई भी निवेश, प्रवर्तक समूह के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय संस्थाओं में एफडी और सीडी सहित, नहीं किया जाएगा। एफडी में निवेश जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में नियंत्रित निधि के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा अथवा संबंधित निधि के आकार [एसएफआईएन स्तर पर पेंशन और सामान्य वार्षिकी निधि तथा यूनिट सहबद्ध निधि(याँ)] के 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में खंड 1(7)(ii) के अनुसार निवेश आस्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी: एसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) राशि के रूप में, बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह में आनेवाले बैंकों के पास एफडीएस सहित, अन्य प्रकार से रखी गई, इस विनियम के अंतर्गत अनुमत रूप में मीयादी जमाराशियाँ संगणना की उपर्युक्त सीमाओं में शामिल नहीं की जाएँगी। एसबीए अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए निर्दिष्ट, प्रवर्तक समूह के अंतर्गत बैंकों की एफडीएस, प्रवर्तक समूह में एक्सपोज़र का भाग बनेगी;

- (XII) बीमाकर्ता ऊपर खंड 8 में निर्धारित एक्सपोजर से अधिक, नियंत्रित निधि / आस्तियों से किसी एक कंपनी के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश नहीं करेगा या उन्हें निवेशित स्थिति में नहीं रखेगा, बशर्ते कि इस विनियम में निहित कोई भी बात एक कंपनी होते हुए, बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाली एक सहायक कंपनी बनाने के उद्देश्य के साथ, बीमाकर्ता के द्वारा प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से किये गये किसी भी निवेश पर लागू नहीं होगी;
- (XIII) आवास वित्त कंपनियों में एए+ से अन्यून रेटिंग से युक्त कर्ज एक्सपोजर, प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों / बांडों (सीपीएस सहित) अथवा खंड 8(2)(i) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, के 20 प्रतिशत तक होगा। इस विनियम में यहाँ उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एक अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। समूह, प्रवर्तक समूह के लिए लागू सभी एक्सपोजर मानदंड किसी आवास वित्त कंपनी में किये गये सभी निवेशों के लिए लागू होंगे।

भाग III

9. बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियाँ:

प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को विवरणियाँ (इलेक्ट्रानिक पद्धति में) ऐसे समय के अंदर और ऐसे अंतरालों पर इन विनियमों की अनुसूची III के अनुबंध आईएनवी-III में यथाविनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत करेगा।

10. अतिरिक्त सूचना माँगने की शक्ति:

सक्षम प्राधिकारी पालिसीधारकों के हित में सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा बीमाकर्ताओं से ऐसी अन्य सूचना की अपेक्षा उसमें विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से, अंतरालों पर और समय-सीमा के अंदर कर सकता है तथा अपने द्वारा उपयुक्त समझे गये रूप में बीमाकर्ताओं को निदेश जारी कर सकता है।

11. निवेश संविभाग को प्रभावित करनेवाली असाधारण घटनाओं की सूचना देने का कर्तव्य:

प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी जानकारी में आनेवाली ऐसी किसी भी घटना के प्रभाव या संभावित प्रभाव की सूचना, जिसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव निवेश संविभाग पर तथा परिणामतः पालिसीधारकों के लाभों की सुरक्षा पर या उनकी प्रत्याशाओं पर पड़ सकता है, तत्काल प्राधिकरण को देगा।

12. निवेश प्रबंध संबंधी उपबंध

(1) निवेश समिति का गठन:

प्रत्येक बीमाकर्ता एक निवेश समिति का गठन कारपोरेट अभिशासन विनियमों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये परिपत्रों में उल्लिखित रूप में संरचना के साथ करेगा। निवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय अभिलिखित किये जाएँगे तथा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(2) निवेश नीति

- (i) प्रत्येक बीमाकर्ता एक निवेश नीति (आईपी) (यूनिट-सहबद्ध बीमा व्यवसाय के मामले में निधि-वार आईपी) बनाएगा और निदेशक बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (ii) प्रत्येक बीमाकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 का अनुपालन करते हुए निवेश परिचालनों के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध अधिकारियों के आंतरिक / वैयक्तिक व्यापार की रोक-थाम करने के लिए आदर्श आचरण-संहिता तैयार करेगा तथा निदेशक बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (iii) निवेश नीति बनाते समय, बोर्ड निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:
 - (क) चलनिधि, विवेकपूर्ण मानदंड, एक्सपोजर सीमाएँ, प्रतिभूतियों के व्यापार सहित हानि रोध सीमाएँ, सभी निवेश जोखिमों का प्रबंध, आस्तियों और देयताओं के असंतुलन का प्रबंध, निवेशों की आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षा का विस्तार, निवेश दलालों का पैनल बनाना और उसकी समीक्षा करना, निवेश सांख्यिकी और निवेश परिचालनों के अन्य सभी आंतरिक नियंत्रण, बीमा अधिनियम, 1938 तथा इन विनियमों से संबंधित विषय।
 - (ख) पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों का पर्याप्त प्रतिलाभ, ऐसी निधि(यों) के संरक्षण, सुरक्षा और तरलता के अनुरूप सुनिश्चित करना।

- (iv) पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित जीवन, साधारण बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में निवेश नीति निवेश समिति द्वारा लागू की जाएगी। बोर्ड तिमाही आधार पर निधि-वार तथा प्रत्येक उत्पाद (जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में दोनों सहभागी और लाभरहित) के संबंध में निगरानी की निम्नलिखित न्यूनतम समीक्षा करेगी:

(क) जीवन बीमाकर्ता:

- i. आयोजित नये व्यवसाय का मानों की तुलना में परिपक्वता अवधि के अंत में वास्तविक स्थिति
- ii. पूर्वानुमानित व्ययों की तुलना में वास्तविक स्थिति
- iii. पूर्वानुमानित निरंतरता / नवीकरण प्रीमियम प्रवाहों की तुलना में वास्तविक स्थिति
- iv. दावे – पूर्वानुमानित बनाम वास्तविक
- v. वास्तविक प्रतिफल बनाम पूर्वानुमानित प्राप्ति या प्रतिफल
- vi. कार्य योजना और अनुवर्तन की स्थिति

(ख) पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता (व्यवसाय की व्यवस्था के स्तर पर):

- i. पूर्वानुमानित प्रीमियम आय का सकल स्तर बनाम वास्तविक, ऋणात्मक वृद्धि, यदि कोई हो, के लिए कारणों सहित
- ii. सकल अंकित प्रीमियम की कम उपलब्धि की स्थिति में आयोजित रूप में प्राप्त व्यवसाय को सुधारने के लिए कार्रवाई
- iii. आयोजित जोखिम-अंकन परिणाम बनाम प्राप्त परिणाम, ऋणात्मक विचलनों के लिए कारणों सहित
- iv. दावों से संबंधित व्यय – पूर्वानुमानित बनाम वास्तविक – हानि अनुपात में वृद्धि / कमी के लिए प्रमुख कारण तथा भविष्य के लिए आयोजित सुधारात्मक कार्रवाई
- v. आयोजित अधिग्रहण लागत सहित व्यय बनाम वास्तविक व्यय – अनुमत सीमाओं की तुलना में आधिक्य की स्थिति में ऐसे आधिक्य के लिए कारण तथा सीमाओं का पालन करने के लिए योजना
- vi. समग्र वृद्धिशील निवेश – पूर्वानुमानित बनाम वास्तविक – नियोजित अनुवृद्धि से विचलन के लिए कारण तथा यदि वह नकारात्मक है तो इस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए कार्रवाई

- (v) बोर्ड निवेश नीति और उसके कार्यान्वयन की छमाही तौर पर तथा ऐसे अल्प अंतरालों पर जैसा वह निर्णय करती है, समीक्षा करेगी तथा पालिसीधारकों के हित के संरक्षण को तथा इन विनियमों में निर्धारित निवेश के स्वरूप को और यूनिट सहवद्ध बीमा व्यवसाय के मामले में पालिसीधारकों के साथ किये गये करार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए निवेश नीति में ऐसा आशोधन करेगी जैसा कि आवश्यक हो ताकि उसे अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में निर्धारित निवेश उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके।

(3) निवेश परिचालन

- (i) बीमाकर्ता की निधियों का निवेश सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई नीचे के नोट के खंड 3 से 7 तक के अनुसार रेटिंग दिये गए ईक्विटी शेयरों, ईक्विटी संबंधित लिखतों, और कर्ज लिखतों में किया जाएगा और उन्हें निरंतर निवेशित स्थिति में रखा जाएगा। बोर्ड पालिसीधारकों की निधियों की सुरक्षा और तरलता को तथा उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निवेश समिति द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए(2) में निर्धारित रूप में 'अन्य निवेश' में निवेश करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगा।
- (ii) निवेश कार्यों और परिचालनों के उचित आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ता स्पष्ट रूप से प्रारंभिक (फ्रंट), मध्य (मिड) और पश्च (बैक) कार्यालय (जैसा कि भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों निवेश कार्यों की आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में व्यवस्थित है) के कार्यों और परिचालनों को अलग करेगा तथा प्रारंभिक, मध्य और पश्च कार्यालय निवेश कार्य (कार्यों) के अंतर्गत

आनेवाले किसी भी कार्य का बाह्यस्रोतीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, निवेश प्रबंध के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर अनुप्रयोग का प्राथमिक डेटा सर्वर देश के अंदर ही रहेगा।

- (iii) बीमाकर्ता का बोर्ड अपने निवेशों के लिए अभिरक्षकीय सेवाएँ संचालित करने के लिए एक अभिरक्षक (कस्टोडियन) की नियुक्ति करेगा, जो उसके प्रवर्तक 'समूह' का व्यक्ति नहीं होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

(4) जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ और उनकी समीक्षा

- (i) बोर्ड प्राधिकरण द्वारा अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाई गई निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया कार्यान्वित करेगी। इस कार्यान्वयन का प्रमाणीकरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये 'बीमा कंपनियों की निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शी नोट' में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया जाएगा।
- (ii) उक्त निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा दो वित्तीय वर्षों में एक बार अथवा ऐसी अल्पकालिक बारंबारता के साथ की जाएगी जैसी कि बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा (ऐसी दो लेखा-परीक्षाओं के बीच का अंतराल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए)। यह समीक्षा एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की जाएगी तथा ऐसे सनदी लेखाकार द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पास पहली तिमाही की विवरणियों के साथ फाइल किया जाएगा।
- (iii) निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया के कार्यान्वयन को प्रमाणित करने तथा उनकी समीक्षा करने के लिए सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति इन विनियमों के अधीन जारी किये गये परिपत्र के अनुसार होगी।

(5) लेखा-परीक्षा और प्रबंधन को रिपोर्टिंग

- (i) प्रत्येक बीमाकर्ता बोर्ड की एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन ऐसी संरचना के साथ करेगा जैसा कि कारपोरेट अभिशासन विनियमों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये परिपत्रों में उल्लिखित है। उक्त लेखा-परीक्षा समिति का अध्यक्ष निवेश समिति का अध्यक्ष नहीं होगा।
- (ii) बीमाकर्ता इन विनियम के अंतर्गत जारी किये गये परिपत्र के अनुसार आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के द्वारा दोनों शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों को सम्मिलित करते हुए निवेश संबंधी लेनदेनों की लेखा-परीक्षा करवाएगा।
- (iii) दोनों शेयरधारकों एवं पालिसीधारकों के निवेशों को सम्मिलित करते हुए दी गई तिमाही आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये "बीमा कंपनियों के निवेश कार्यों की आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट" के अनुसार होगी।
- (iv) निवेश नीति, निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की स्थिति अथवा उसकी समीक्षा आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। लेखा-परीक्षक कार्यान्वयन की स्थिति, उसकी समीक्षा तथा निवेश परिचालनों, प्रणालियों और प्रक्रिया पर उसके प्रभाव के संबंध में अपनी रिपोर्ट में अपना अभिमत प्रकट करेगा जो बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(6) निवेशों की श्रेणी

प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी नियंत्रित निधि का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए के अंतर्गत परिभाषित रूप में / सभी आस्तियों का निवेश उक्त अधिनियम की धारा 27(2) के अंतर्गत परिभाषित रूप में केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये उक्त दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध निवेशों की संपूर्ण सूची के अंदर ही करेगा।

13. वित्तीय व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में लेनदेन

जीवन बीमा या साधारण बीमा या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता वित्तीय व्युत्पन्नियों में लेनदेन केवल अनुमत सीमा तक और समय-समय पर इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार कर सकता है।

14. विविध

प्राधिकरण का बोर्ड किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा स्वयं ही अथवा उनको प्रस्तुत किये गये आवेदन पर किसी बीमाकर्ता के लिए खंड 3 से 9 तक की प्रयोज्यता को आशोधित या परिवर्तित कर सकता है।

अनुबंध आईएनवी-1**जीवन बीमाकर्ता**

(खंड 3 से 6 देखें)

क. यूनिट सहबद्ध व्यवसाय आवेदन का प्रसंस्करण और एनएवी की घोषणा

प्रत्येक यूनिट सहबद्ध वियोजित निधि(याँ) की पहचान उसकी वियोजित निधि पहचान संख्या (एसएफआईएन) द्वारा की जाएगी तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

1. प्रीमियम भुगतान, अंतरणों (स्विचेज़), मोचन, अभ्यर्पण, परिपक्वता दावा आदि के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर समय की मुहर लगानी चाहिए और उनपर दिनांक दर्ज करना चाहिए।

2. “प्रीमियम भुगतान” के लिए आवेदन

क. स्थानीय चेकों, नकदी या प्रीमियम प्राप्त करने के स्थान पर सममूल्य पर देय माँग ड्राफ्ट के साथ कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) से पहले प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी उसी दिन का अंतिम एनएवी होगा।

ख. स्थानीय चेकों, नकदी या प्रीमियम प्राप्त करने के स्थान पर सममूल्य पर देय माँग-ड्राफ्ट के साथ कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी अगले कारोबार के दिन का अंतिम एनएवी होगा।

ग. बाहरी चेक या माँग ड्राफ्ट के साथ प्राप्त प्रीमियमों के लिए, जिस दिन उक्त चेक/ड्राफ्ट की वसूली होती है उस दिन का अंतिम एनएवी लागू होगा।

3. प्रीमियम भुगतान से “इतर” प्रयोजन के लिए आवेदन

क. कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) से पहले प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी उसी दिन का अंतिम एनएवी होगा।

ख. कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी अगले कारोबार के दिन का अंतिम एनएवी होगा।

4. उत्पाद और निधि संबंधी सूचना का दैनिक प्रकटीकरण/ समाधान

क. यूनिट सहबद्ध व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता उक्त प्रणाली के द्वारा प्रत्येक उत्पाद (विशिष्ट पहचान संख्या – यूआईएन) के अंतर्गत प्राप्त (प्रदत्त प्रभागों और लाभों को घटाकर) प्रीमियम का समाधान एक एकल यूआईएन के अंतर्गत धारित सभी वियोजित निधि(यों) के मूल्य के साथ (वियोजित निधि पहचान संख्या – एसएफआईएन) निधि प्रबंध प्रभागों को घटाकर दैनिक आधार पर, फार्म डी01 के अनुसार करेगा।

ख. बीमाकर्ता एक पोर्टल के द्वारा पालिसीधारक को एक सुरक्षित लाग-इन के माध्यम से (i) फार्म डी02 के अनुसार, उसके द्वारा धारित पालिसी-वार यूनिटों का मूल्य तथा (ii) निधि-वार एनएवी (एसएफआईएन-वार) दोनों बीमाकर्ता की वेबसाइट और जीवन परिषद वेबसाइट पर उसी दिन जानने में समर्थ बनायेगा।

प्रकटीकरण फार्मेट

सं.	फार्मेट	विवरण	आवृत्ति
01	फार्म डी01	यूलिप संविभाग का दैनिक समाधान	दिन के समापन पर (प्राधिकरण द्वारा न भरा जाए)
02	फार्म डी02	उत्पाद मूल्य का विवरण	वैयक्तिक पालिसीधारक को रक्षित लाग के द्वारा समर्थ बनाना
03		संविभाग प्रकटीकरण	जारी किये गये दिशानिर्देशों/परिपत्र के अनुसार मासिक आधार पर न्यूनतम सूचना

ग. आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षक स्वचालित प्रणाली पर रिपोर्ट करेगा तथा यूआईएन- वार समाधान को संभालने के लिए संसाधन करेगा (जैसा कि ऊपर बिन्दु 'क' पर है) तथा पालिसीधारक द्वारा धारित यूनियों का पालिसी-वार मूल्य-निर्धारण करेगा और तिमाही आधार पर निधि-वार एनएवी का निर्धारण करेगा।

5. तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को प्राप्त आवेदनों के लिए लागू एनएवी।

क. तिमाही के अंतिम कार्य-दिवस को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त आवेदनों के लिए अंतिम कार्य-दिवस के एनएवी के साथ प्रसंस्करण किया जाएगा (इस बात का विचार किये बिना कि भुगतान लिखत स्थानीय है या बाहरी)।

ख. अंतिम कार्य-दिवस को अपराह्न 3.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, वह अगली तिमाही में जाएगा तथा तत्काल अगले कार्य-दिवस का एनएवी लागू होगा।

ग. बीमाकर्ता तिमाही के अंतिम कार्य-दिवस के लिए एनएवी घोषित करेगा, भले ही वह कारोबार का दिन न हो।

6. यूनियों के आबंटन के लिए, लागू एनएवी नई पालिसी संविदाओं के लिए पालिसी के प्रारंभ की तारीख के अनुसार होगा तथा नवीकरणों के लिए प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख।

क. किसी नई पालिसी संविदा को यूनियों के आबंटन के लिए, एनएवी पालिसी संविदा के प्रारंभ की तारीख की स्थिति के अनुसार होगा। ऐसी स्थिति में प्रीमियम पालिसी संविदा के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख. वर्तमान पालिसियों के नवीकरणों के लिए, एनएवी नवीकरण की तारीख की स्थिति के अनुसार होगा जहाँ नियत तारीख को या उससे पहले प्रीमियमों की प्राप्ति की गई है तथा एनएवी प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख की स्थिति के अनुसार होगा जहाँ प्रीमियम नवीकरण की नियत तारीख के बाद प्राप्त की गई है।

ग. पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) के लिए, पुनःप्रवर्तन की तारीख यूनियों के आबंटन के द्वारा एनएवी को लागू करने के लिए संदर्भ तारीख होगी।

घ. ऐसे कारणों से जैसे टाप-अप या संबंधित पालिसी की शर्तों के अनुसार नियमित भुगतान कार्यक्रम से अलग, प्रीमियम के भुगतान के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख एनएवी लागू करने के लिए संदर्भ तारीख होगी।

7. बीमाकर्ता की पालिसी प्रबंध प्रणाली (पीएएस), बीच में बंद की गई पालिसियों के संबंध में 'पालिसी-वार' सूचना प्राप्त (ट्रैक) करने के लिए 'स्वचालित' होगी जिसके साथ विशिष्ट यूलिप निधि की सूचना भी प्राप्त की जा सकती है जिसके साथ वह संबंधित है।

8. आस्ति आबंटन और वियोजित निधि के लिए एक्सपोज़र मानदंड उसके प्रारंभ से पहले छह महीनों के लिए लागू नहीं होंगे या पहली बार जब वियोजित निधि रु. 5 करोड़ के आकार प्राप्त करेगी, जो भी पहले हो। छह महीनों के समाप्त होने पर प्रत्येक ऐसी वियोजित निधि खंड 8 के अंतर्गत सभी एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन करेगी। जहाँ किसी वियोजित निधि के मामले में वह रु. 5 करोड़ से नीचे पहुँचती है, वहाँ बीमाकर्ता पालिसीधारक को सूचित करने के बाद उसी प्रकार की निधि के उद्देश्य/जोखिम प्रोफाइल से युक्त एक अन्य निधि में एक मुक्त अंतरण (स्विच) उन्हीं या उससे कम निधि प्रबंध प्रभागों के साथ उपलब्ध करा सकता है।

9. वियोजित निधि (एसएफआईएन) पर प्रभारित निधि प्रबंध प्रभाग (एफएमसी): जहाँ निवेश म्युचुअल फंडों में किया जाता है, वहाँ विनिमय व्यापार निधियाँ वियोजित निधि (एसएफआईएन) की संबंधित उत्पाद की स्थितियों के अनुसार एफएमसी होंगी जिनमें से संबंधित म्युचुअल फंड/ईटीएफ द्वारा प्रभारित एफएमसी घटाये जाएँगे। यह प्रावधान वियोजित निधि के प्रारंभ की तारीख से प्रथम छह महीने के लिए या पहली बार वियोजित निधि के रु.5 करोड़ के आकार को प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होगा।

10. समाप्त पालिसी निधि के मामले में, खजाना बिलों में निवेश को केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के भाग के रूप में माना जाएगा।

11. सभी बीमाकर्ता निम्नलिखित के अनुपालन के लिए आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र फाइल करेंगे:

क. प्रत्येक वियोजित निधि के स्तर पर सभी एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन, तिमाही आधार पर।

- ख. तिमाही आधार पर पुष्टीकरण कि वियोजित निधि पर प्रभारित निधि प्रबंध प्रभार (एफएमसी), जहाँ निवेश म्युचुअल फंडों में किया गया है, वहाँ वियोजित निधि (एसएफआईएन) की संबंधित उत्पाद स्थितियों के अनुसार विनिमय व्यापारित निधियाँ एफएमसी होंगी जिनमें से संबंधित म्युचुअल फंड/ईटीएफ द्वारा प्रभारित एफएमसी कम किये जाएँगे।
- ग. आवेदनों के लिए लागू एनएवी के संबंध में ऊपर बिन्दु 5 पर जारी किया गया प्रत्येक निदेश अंतिम कार्य-दिवस को प्राप्त किया गया।
- घ. सांविधिक लेखा-परीक्षक भी वार्षिक लेखों में ऊपर 'ग' की पुष्टि करते हैं।

टिप्पणी:

1. कार्य-दिवस से अभिप्रेत है छुट्टियों को छोड़कर अन्य दिन जहाँ शेयर बाजार (मुहूरत व्यापार दिन को छोड़कर) राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों के साथ व्यापार के लिए खुले रहते हैं (उस दिन को छोड़कर जब शेयर बाजार परीक्षण के लिए खुले रहते हैं) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य-दिवस के रूप में घोषित कोई भी दिन।
2. बीमाकर्ता केवल ऐसे ही निवेशों में निवेश करता है जिनके लिए दैनंदिन मूल्यांकन उपलब्ध है तथा तत्काल वसूलीयोग्य हैं। किसी भी निधि या निधियों में या फिर ऐसी निधि में कोई निवेश नहीं किया जा सकता जिसके लिए दैनंदिन आधार पर एनएवी उपलब्ध नहीं है।

ख. निधि प्रबंध

1. (क) जीवन निधि, (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधियों के मामले में बीमाकर्ता सहभागी और लाभरहित निधियों के लिए पहचानयोग्य प्रतिभूतियों के साथ अलग उप-अभिरक्षा अनुरक्षित करेगा।
2. प्रत्येक बीमाकर्ता के पास रु.10000 करोड़ के निधि आकार (दोनों शेयरधारक और पालिसीधारक निधियों को एकसाथ लेते हुए) तक कर्ज और ईक्विटी के लिए एक अलग निधि प्रबंधक होगा। जब पहली बार उक्त निधि का आकार रु. 10000 करोड़ होता है, तब प्रत्येक निधि [(क) जीवन निधि (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि (ग) यूनिट सहबद्ध वियोजित निधि(यों)] के लिए एक प्रबंधक होगा। कोई भी निधि प्रबंधक (क) जीवन निधि, पेंशन और सामूहिक निधि तथा (ख) यूनिट सहबद्ध निधि(यों) के बीच सामान्य (एक ही व्यक्ति) नहीं होगा।

अनुबंध आईएनवी-II

(खंड-7 देखें)

पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता

क. निवेश के स्वरूप की प्रयोज्यता

जहाँ बीमाकर्ता खंड 1(7) के अनुसार पालिसीधारकों के लिए और उनकी ओर से समूची निवेश आस्तियाँ धारित करता है, वहाँ निवेश का स्वरूप समूची निवेश आस्तियों के लिए (दोनों शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों को एकसाथ लेते हुए) लागू होता है तथा निवेश आस्तियाँ एक एकल अभिरक्षा खाते में अनुरक्षित की जा सकती हैं।

- ख. "पालिसीधारकों की निधियाँ" से (1) बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता जिसमें उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) और उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किये गये (आईबीएनईआर), (2) असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर), (3) आपात आरक्षित निधि, (4) प्रीमियम कमी (5) अन्य देयताएँ जिनमें से तुलन-पत्र की तारीख को अन्य आस्तियाँ घटाकर - का कुल जोड़ अभिप्रेत है।

टिप्पणी: अन्य देयताओं में शामिल हैं : (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनाबंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष (iv) बीमा समूहों के अन्य सदस्यों को देय, यदि लागू हो (v) विविध लेनदार (पालिसीधारकों को देय)

टिप्पणी: अन्य आस्तियों में शामिल हैं : (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्य (iii) बीमा समूहों के पास शेष, यदि लागू हो।

- ग. "शेयरधारकों की निधियाँ" से शेयर पूँजी और (प्लस) सभी आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि और उचित मूल्य खाता को छोड़कर) संचित हानियाँ और विविध व्यय तुलन-पत्र की तारीख को अपलिखित न करने की सीमा तक घटाकर शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक व्यवसाय में निधियों के निवेशों के द्वारा निरूपित रूप में अभिप्रेत हैं।

घ. विविध

खंड-7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आवास और बुनियादी संरचना में अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) न्यूनतम निवेश स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं पर लागू नहीं है।

अनुबंध आईएनवी-III

सभी बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण को विवरणियां प्रस्तुत करें। हालांकि, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए विवरण की अवधिकता अर्ध-वार्षिक है। यदि किसी विशेष बिंदु के लिए कोई सूचना लागू नहीं होती है तो बीमाकर्ता को प्राधिकरण के पास दायर विवरणियों से उक्त बिंदु को हटाने के स्थान पर 'लागू नहीं' अथवा 'शून्य', जैसा भी मामला हो, इंगित करना चाहिए।

सं.	फार्म	विवरण	विवरणी की आवधिकता	प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा	सत्यापनकर्ता/ प्रमाणकर्ता
1	फार्म 1	निवेश और निवेश पर आय का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
2	फार्म 2 (भाग क, ख, ग)	ग्रेड घटाये गये निवेशों का विवरण, रेटिंग प्राप्त लिखतों का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
3	फार्म 3क (भाग क,ख, ग,घ,ङ)	निवेश आस्तियों का विवरण (जीवन बीमाकर्ता)	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
4	फार्म 3ख (भाग क,ख)	निवेश आस्तियों का विवरण (पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता)	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
5	फार्म 4 (भाग ख)	निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ – कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी आंतरिक/समवर्ती लेखा- परीक्षक का प्रमाणपत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	इस विनियम के अधीन नियुक्त आंतरिक/ समवर्ती लेखा- परीक्षक
6	फार्म 4क (भाग क, ख, ग, घ)	निवेश का विवरण एक्सपोजर मानदंडों के अधीन – निवेशिती कंपनी, समूह, प्रवर्तक समूह, उद्योग क्षेत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
7	फार्म 5	निवेश समाधान का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
8	फार्म 6	धारा 27ए (5) के अधीन प्रमाणपत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	अध्यक्ष, निदेशक1, निदेशक2, प्रधान अधिकारी
9	फार्म 7	अनर्जक आस्तियों का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)

टिप्पणी:

1. पिछली तिमाही की आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, उक्त रिपोर्ट में 'बहुत गंभीर', 'गंभीर' बिन्दुओं पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की टिप्पणियों के साथ (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों के निवेश कार्यों की आंतरिक/ समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार), तथा लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति वर्तमान तिमाही विवरणियों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएगी।
2. मार्च के साथ समाप्त तिमाही के लिए सभी विवरणियाँ ऊपर निर्धारित अवधि के अंदर अनंतिम आंकड़ों के साथ फाइल की जाएँगी तथा बाद में निदेशक बोर्ड के द्वारा लेखों के अंगीकरण से 15 दिन के अंदर लेखा-परीक्षित आंकड़ों के साथ पुनः प्रस्तुत की जाएँगी।

फार्म - 1

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की
तारीख:

निधि का नाम _____

निवेश और निवेश पर
आय का विवरण

प्रस्तुति की आवधिक: तिमाही

करोड़ रुपये:

सं.	निवेश की श्रेणी	श्रेणी कूट	वर्तमान तिमाही				अद्यावधि तक (इयर टू डेट) (चालू वर्ष)				अद्यावधि तक (इयर टू डेट) (पिछला वर्ष) ³			
			निवेश (रुपये) ¹	निवेश पर आय (रुपये)	सकल प्रतिफल (%) ¹	निवल प्रतिफल (%) ²	निवेश (रुपये) ¹	निवेश पर आय (रुपये)	सकल प्रतिफल (%) ¹	निवल प्रतिफल (%) ²	निवेश (रुपये)) ¹	निवेश पर आय (रुपये)	सकल प्रतिफल (%) ¹	निवल प्रतिफल (%) ²

कुल

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है अथवा गुप्त नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक:

पूरा नाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी: निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी

1. निवेशों के दैनिक साधारण औसत पर आधारित
2. 'प्रतिफल कर के लिए समायोजित
3. 'पिछले वर्ष के स्तंभ में, तदनुकूपी वर्ष के आंकड़े पिछले वितीय वर्ष की तारीख तक दर्शाये जाएँगे
4. फार्म-1 प्रत्येक निधि के लिए तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 1 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
5. 'वाईटीडी निवेश पर आय का समाधान पी & एल और राजस्व खाते में स्थित आंकड़ों के साथ किया जाएगा।

फार्म - 2

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

भाग - क

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

निधि का नाम:

ग्रेड कम किये गये निवेशों का विवरण प्रस्तुति की आवश्यकता: तिमाही

करोड़ रुपये

सं.	प्रतिभूति का नाम	सीओआई	राशि	खरीदने की तारीख	रेटिंग एजेंसी	मूल ग्रेड	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड घटाने की पिछली तारीख	टिप्पणी
क.	तिमाही के दौरान								
B.	आज की तारीख को								

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर:

दिनांक:

पूरा नाम और पदनाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

- 1 तिमाही के दौरान ग्रेड कम किये गये निवेशों का विवरण प्रस्तुत करें।
- 2 वर्तमान में ग्रेड बढ़ाये गये, पिछली तिमाही में ग्रेड घटाये गये रूप में सूचीबद्ध निवेश संचयी सूचीबद्धता से हटाये जाएँगे।
- 3 फार्म-2 प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। मूलपत्र के मामले में फार्म 2 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
- 4 निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 2

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

भाग - ख

पंजीकरण संख्या:

निवेश आस्तियों - रेटिंग रूपरेखा

निधि का

नाम: _____

करोड़ रुपये

सं.	निवेशों का प्रकार	राष्ट्रिक (सावरित) लिखतों में निवेश		एएए या समकक्ष		एए+ या एए		एए- या ए+ तक कम या समकक्ष		ए या ए से कम या समकक्ष		रेटिंग रहित		अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)		ईक्विटी और अन्य लिखत		कुल बी बी
		बीबी	निवेश आस्तियों का %	बी बी	निवेश आस्तियों का %	बी बी	निवेश आस्तियों का %	बी बी	निवेश आस्तियों का %	बी बी	निवेश आस्तियों का %	बी बी	निवेश आस्तियों का %	बी बी	निवेश आस्तियों का %	बी बी	निवेश आस्तियों का %	
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)								
i	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ																	
ii	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ																	
iii	(क) आवास क्षेत्र																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ऋण																	
	(3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
	(ख) बुनियादी संरचना क्षेत्र																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ईक्विटी लिखत																	
	(3) ऋण																	
	(4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
	(ग) अनुमोदित निवेश																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ईक्विटी लिखत																	
	(3) ऋण																	
	(4) निवेश संपत्ति - अचल																	
	(5) म्यूचुअल फंड																	
	(6) मुद्रा बाजार																	
	(7) निवल चालू आस्तियाँ																	
	(8) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
iv	अन्य निवेश																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ईक्विटी लिखत																	
	(3) ऋण																	
	(4) निवेश संपत्ति - अचल																	
	(5) म्यूचुअल फंड																	
	(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
	निवेश आस्तियाँ:																	

कर्ज लिखतों में निवेश	अंकित मूल्य (जीवन, पेंशन निधि और साधारण बीमाकर्ता)	बाज़ार मूल्य (यूलिप निधियों के लिए)	%
राष्ट्रिक (सावरित) लिखतों में निवेश			
अनुमोदित निवेश			
एएए			
एए+ से एए या समकक्ष तक			
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश			
अन्य निवेश			
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष रेटिंग			
रहित, ऋण, अन्य - अन्य निवेश			
कुल कर्ज निवेश (स्तंभ [क] से [ख] तक) _____			

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी में सम्मिलित विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित श्रेणियों के अंदर हैं।

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. स्तंभ (i) में दिये गये आंकड़े अवश्य फार्म 3ए (भाग क) / फार्म 3बी के साथ मेल खाने चाहिए (प्रत्येक प्रकार के निवेश के लिए)
2. अनर्जक निवेश आस्तियाँ रेटिंग का विचार किये बिना अलग से दर्शाई जाएँगी।
3. संबद्ध व्यवसाय के लिए निवेशों के मूल्य बाजार मूल्य पर होंगे
4. 'ईक्विटी समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अंतर्गत अनुमत रूप में होगी
5. 'फार्म - 2 (भाग ख) प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 2 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
6. निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 2

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

भाग - ग

पंजीकरण संख्या:

निवेश आस्तियाँ एवं आवास और बुनियादी संरचनागत निवेश - रेटिंग रूपरेखा

निधि का नाम _____

खंड - 1

निवेश आस्तियाँ	करोड़ रुपये	निवेश आस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ + अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
कुल (1)		
अनुमोदित निवेश		
एएए अथवा एए या समकक्ष तक		

ईक़्किटी - अनुमोदित निवेश		
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश		
कुल (2)		
अन्य निवेश		
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष		
ईक़्किटी - अन्य निवेश		
रेटिंग रहित, अनर्जक आस्तियाँ, ऋण, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (3)		
कुल निधि (1+2+3)		
खंड - 2		
आवास और बुनियादी संरचना निवेश		
अनुमोदित निवेश		
एएए अथवा एए या समकक्ष तक		
ईक़्किटी - अनुमोदित		
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश		
कुल (I)		
अन्य निवेश		
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष		
ईक़्किटी - अन्य निवेश		
ऋण, अनर्जक आस्तियाँ, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (II)		
कुल बुनियादी संरचनागत निवेश (I + II)		
प्रमाणीकरण प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी में सम्मिलित विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित श्रेणियों के अंदर हैं। हस्ताक्षर: पूरा नाम: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता टिप्पणी: - स्तंभ (i) में दिये गये आंकड़े अवश्य फार्म 3ए (भाग क) / फार्म बी के साथ (निवेश के प्रत्येक प्रकार के लिए) मेल खाने चाहिए। - फार्म-2 (भाग ग) जीवन निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। 'निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।		

फार्म - 3ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

निवेश आस्तियों का विवरण (जीवन बीमाकर्ता)

(भारत के अंदर व्यवसाय)

प्रस्तुति की आवश्यकता: तिमाही

भाग - क

करोड़ रुपये

खंड I

सं.	विवरण	अनुसूची	राशि
1	निवेश (शेयरधारक)	8	
	निवेश (पॉलिसीधारक)	8क	
	निवेश (संबद्ध देयताएँ)	8ख	
2	ऋण	9	
3	अचल आस्तियाँ	10	
4	चालू आस्तियाँ		
	क. नकदी और बैंक शेष	11	
	ख. अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12	
5	चालू देयताएँ		
	क. चालू देयताएँ	13	
	ख. प्रावधान	14	
	ग. विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
	घ. लाभ और हानि लेखे का नाम शेष		

निवेश आस्तियों का समाधान 'कुल निवेश आस्तियाँ (तुलन-पत्र के अनुसार)निम्नलिखित का तुलन-पत्र मूल्य:

क. जीवन निधि

ख. पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय

ग. यूनिट सहबद्ध निधियाँ

तुलन-पत्र के अनुसार निधियों का उपयोग (क)

0

घटाएँ : अन्य आस्तियाँ

अनुसूची

राशि

1

ऋण (यदि कोई हों)

9

2

अचल आस्तियाँ (यदि कोई हों)

10

3

नकदी और बैंक शेष (यदि कोई हों)

11

4

अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (यदि कोई हों)

12

5

चालू देयताएँ

13

6

प्रावधान

14

7

विविध व्यय, नहीं अपलिखित

15

8

भारत के बाहर धारित निवेश

9

लाभ और हानि लेखे का नाम शेष

खंड ॥ क

[illegible]

कुल जीवन निधि 100%

[illegible]

ख. पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय			विनियम के अनुसार %	पीएच		बही मूल्य (ग)=(क+ख)	वास्तविक % (घ)	एफवीसी राशि (ङ)	कुल निधि (च)=(ग+ङ)	बाजार मूल्य (छ)
				सहभागी	लाभरहित					
				(क)	(ख)					
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		20% से अन्यून							
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)		40% से अन्यून							
3	अनुमोदित निवेश में शेष		60% से अनधिक							
कुल पेंशन, सामान्य वार्षिकी निधि			100%							

संबद्ध व्यवसाय

ग. संबद्ध निधियाँ			विनियम के अनुसार %	पीएच		कुल निधि (ग)=(क+ख)	वास्तविक % (घ)
				सहभागी	लाभरहित		
				(क)	(ख)		
1	अनुमोदित निवेश		75% से अन्यून				
2	अन्य निवेश		25% से अनधिक				
कुल संबद्ध बीमा निधि			100%				

प्रमाणीकरण:

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

टिप्पणी:

1. '(+)' एफआरएसएम से 'ऋण शोधन क्षमता सीमा का निरूपण करनेवाली निधियाँ' निर्दिष्ट हैं।
2. 'ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक निधियों का एक अलग अभिरक्षा खाता होगा।
3. 'अन्य निवेशों की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए (2) के अनुसार दी जाएगी।
4. 'निवेश का स्वरूप दोनों ऋण शोधन क्षमता सीमा का निरूपण करनेवाली शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों पर लागू होगा।
5. 'अनावरण मानदंड शोधन क्षमता सीमा मार्जिन से अधिक धारित, एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित निधियों पर लागू होंगे।
6. निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फार्म 3ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय

भाग -
ख

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या

फार्म 3ए (भाग क) की मद 'ग' के साथ संबद्ध करें

प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़
रुपये

विवरण	एसएफआईएन 1	एसएफआईएन 2	एसएफआईएन 'एन'	सभी निधियों का जोड़
प्रारंभिक शेष (बाजार मूल्य)				
जोड़ें: तिमाही के दौरान अंतर्वाह				
वृद्धि / (कमी) निवेश का मूल्य [निवल]				
घटाएँ: तिमाही के दौरान बहिर्वाह				

कुल निवेशयोग्य निधियाँ (बाजार मूल्य)

यूनिट निधि का निवेश	एसएफआईएन 1		एसएफआईएन 2		एसएफआईएन 'एन'		सभी निधियों का जोड़	
	वास्तविक निवेश	% वास्तविक	वास्तविक निवेश	% वास्तविक	वास्तविक निवेश	% वास्तविक	वास्तविक निवेश	% वास्तविक
अनुमोदित निवेश (>=75%)								
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ								
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ								
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ								
निगमित बांड								
बुनियादी संरचना बांड								
ईक्विटी								
मुद्रा बाजार निवेश								
म्यूचुअल फंड								
बैंकों के पास जमा								

उप जोड़

(क)

चालू आस्तियाँ:								
उपचित व्याज								
प्राप्य लाभांश								
बही शेष								
निवेशों की बिक्री के लिए प्राप्य								
अन्य चालू आस्तियाँ (निवेशों के लिए)								

घटाएँ: चालू देयताएँ								
निवेशों के लिए देय								
देय निधि प्रबंध प्रभार								
अन्य चालू देयताएँ (निवेशों के लिए)								

उप जोड़ (ख)

अन्य निवेश (<=25%)								
निगमित बांड								
बुनियादी संरचना बांड								
ईक्विटी								
म्युचुअल फंड								
अन्य								

उप जोड़ (ग)

कुल (क + ख + ग)

आगे ले जाई गई निधि (एलबी2 के अनुसार)

दिनांक:

हस्ता

क्षर:

पूरा

नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

- उपर्युक्त सभी वियोजित यूनिट-निधियों के कुल योग का समाधान दोनों सहभागी और लाभरहित व्यवसाय के लिए फार्म 3ए (भाग क) की मद ग के साथ होना चाहिए।
- बीमांकिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए कुल व्यय का विवरण "बीमाकर्ता द्वारा अपने यूनिट लिंकड व्यवसाय के लिए बनाए गए अलग-अलग फंडों के लिए शुद्ध संपत्ति मूल्यों का विवरण" फॉर्म 3 ए (भाग बी) के साथ मिलान किया जाएगा।
- समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए(2) के अंतर्गत अन्य निवेश की अनुमत रूप में है।
- निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

भाग - ग

फार्म 3ए (भाग ख) के साथ संबद्ध करें

विवरण की संबंधित अवधि:

प्रस्तुति की आवश्यकता: तिमाही

वियोजित निधियों के एनएवी का विवरण

करोड़ रुपये

सं.	निधि का नाम	एसएफआईएन	प्रारंभ का दिनांक	सहभागी/गैर-सहभागी	उपर्युक्त दिनांक को प्रबंध के अंतर्गत आस्तियाँ	एलबी 2 के अनुसार एनएवी	उपर्युक्त दिनांक* को एनएवी	पिछली तिमाही का एनएवी	दूसरी पिछली तिमाही का एनएवी	तीसरी पिछली तिमाही का एनएवी	चौथी पिछली तिमाही का एनएवी	प्रति लाभ/प्रतिफल	3 वर्षीय आवर्ती सीएजीआर	प्रारंभ के बाद उच्चतम एनएवी
1	वियोजित निधि 1													
2	वियोजित निधि 2													
3	वियोजित निधि एन													

कुल

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि सभी वियोजित निधियों के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करने के बाद बोर्ड द्वारा उसकी समीक्षा की गई है। यहाँ दी गई सारी सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात नहीं छिपाई गई है अथवा गुप्त रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा

नाम:

प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

- * एनएवी प्रकाशित एनएवी को सूचना देने की तारीख को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- एनएवी 4 दशमलव तक होना चाहिए।
- निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

भाग - घ

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

फार्म 3ए (भाग क) के साथ संबद्ध करें

विवरण की स्थिति की तारीख:

निधियों में वृद्धि का विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय)

'प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

करोड़ रुपये

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष (1)	कुल का % (क)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि (2)	कुल वृद्धि में से %	कुल (1+2)	कुल का % (1+2)
क	जीवन निधि							
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	25% से अन्यून						
2	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	50% से अन्यून						
3	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश							
	क. आवास और बुनियादी संरचना	15% से अन्यून						
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. (i) अनुमोदित निवेश	35% से अनधिक						
	(ii) अन्य निवेश (15% से अधिक न हों)							

कुल (क)

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष	कुल का % (ख)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि	कुल वृद्धि का %	कुल	कुल का % (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
ख	पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय							
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से अन्यून						
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	40% से अन्यून						
3	अनुमोदित निवेश में शेष	60% से अनधिक						

कुल (ख)

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष	कुल का % (ग)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि	कुल वृद्धि का %	कुल	कुल का % (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
ग	संबद्ध निधियाँ							
1	अनुमोदित निवेश	75% से अन्यून						
2	अन्य निवेश	25% से अनधिक						

कुल (ग) 100%

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ता

क्षर:

पूरा

नाम:

प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

भाग - ड

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

वियोजित निधियों में यूलिप उत्पादों के निवेश का विस्तृत विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय)

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवश्यकता : तिमाही

वियोजित निधियों [एसएफआईएन] में "यूलिप" उत्पादों [यूआईएन] के निवेश का विस्तृत विवरण

अंतर्वाह	यूआईएन1	यूआईएन2	यूआईएन एन	'एन' में से कुल यूआईएन '1'
प्रीमियम				
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
कुल (क)				
बहिर्वाह				
कमीशन				
प्रभार				
दावे				
अन्य				
कुल (ख)				
कुल ग = (क-ख)				
उपर्युक्त "ग" पर पॉलिसी निधियाँ निम्नलिखित को आबंटित				
एसएफआईएन 1				
एसएफआईएन 2				
एसएफआईएन एन				
कुल (घ)				
अंतर (यदि कोई हो) ड = (ग-घ)				

प्रमाणीकरण:

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात नहीं छिपाई गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. यूआईएन यूलिप उत्पादों के अंतर्गत अनुमोदित "फाइल एण्ड यूज़" के अनुसार विशिष्ट उत्पाद संख्या को निरूपित करती है।

2. एसएफआईएन उत्पाद अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित वियोजित निधि पहचान संख्या को निरूपित करती है।
3. निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3बी

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ
पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख

भाग - क

निवेश आस्तियों का विवरण (पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय
करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता)

(भारत के अंदर व्यवसाय)

प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही खंड।

करोड़
रुपये

सं.	विवरण	अनुसू ची++	राशि
1	निवेश (शेयरधारक)	8	
	निवेश (पॉलिसीधारक)	8क	
2	ऋण	9	
3	अचल आस्तियाँ	10	
4	चालू आस्तियाँ		
	क. नकदी और बैंक शेष	11	
	ख. अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12	
5	चालू देयताएँ		
	क. चालू देयताएँ	13	
	ख. प्रावधान	14	
	ग. विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
	घ. लाभ और हानि लेखे का नामे शेष		

तुलन-पत्र के अनुसार निधियों
का उपयोग (क)

0

सं.	घटाएँ: अन्य आस्तियाँ	अनुसू ची++	राशि
1	ऋण (यदि कोई हों)	9	
2	अचल आस्तियाँ (यदि कोई हों)	10	
3	नकदी और बैंक शेष (यदि कोई हो)	11	
4	अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (यदि कोई हों)	12	
5	चालू देयताएँ	13	
6	प्रावधान	14	
7	विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
8	भारत के बाहर धारित निवेश		
9	लाभ और हानि लेखे का नामे शेष		
	ल	कुल	0

(ख) _____

फार्म 3बी के अनुसार 'निवेश
आस्तियाँ'

(क-ख) 0

खंड II

सं.	'निवेश' निम्न रूप में निरूपित	विनियम %	एसएच		पी एच	बही मूल्य (एसए च + पीएच)	% वास्त विक	एफ वीसी राशि	कुल	बा जार मू ल्य (ज)
			शेष	एफआरए सएम+						
			(क)	(ख)	(ग)	घ = (क+ख +ग)	ङ = (घ-क) %	(च)	(छ)=(घ +च)	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से								

		अन्यून								
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	30% से अन्यून								
3	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश									
	क. आवास और एफईई के लिए एसजी को आवास / बुनियादी संरचना और ऋण	15% से अन्यून								
	1. अनुमोदित निवेश									
	2. अन्य निवेश									
	ख. अनुमोदित निवेश	55% से अनधि क								
	ग. अन्य निवेश									

निवेश आस्तियाँ 100%

आवास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र
में निवेश सुलह

'निवेश' निम्न रूप में निरूपित	विनियम के अनुसार %	एसएच		पी एच	बही मूल्य (एसए च + पीएच)	% वास्त विक	एफ वीसी राशि	कुल	बा जार मू ल्य (ज)
		शेष	एफआरए सएम*						
		(क)	(ख)	(ग)	घ = (क+ख +ग)	ङ = (घ-क) %	(च)	(छ)=(घ +च)	
3 क. (2) + 3 ग उपरोक्त	15% से अनधि क								
1, 2 और 3 से कुल आवास और बुनियादी ढाँचा	15% से अन्यून								

प्रमाणीकरण:

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:**हस्ताक्षर:** _____**पूरा नाम:****प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता****टिप्पणी:**

1. (+) एफआरएसएम 'ऋण शोधन क्षमता सीमा को निरूपित करने वाली निधियों' को द्योतित करता है।
2. अन्य निवेशों को समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 के 27ए (2) के अंतर्गत अनुमति दी गई है।
3. निवेश का स्वरूप दोनों ऋण शोधन क्षमता सीमा को निरूपित करनेवाली शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों पर लागू है।
4. एक्सपोज़र मानदंड ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित, एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित निधियों पर लागू होंगे।
5. अनुसूची(++) विनियम के अनुसार तैयार किये गये तुलन-पत्र की अनुसूचियों का द्योतन करती है।
6. निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3बी**(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)**

बीमाकर्ता का नाम:

भाग - ख

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

आस्तियों की वृद्धि का विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय)

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही

सं.	निवेशों की श्रेणी	सीओआई	प्रारंभिक शेष	प्रारंभिक शेष का %	तिमाही के लिए निवल वृद्धि	कुल उपचय का %	कुल	कुल का %
			(क)		(ख)		(क+ख)	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ							
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)							
3	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश							
	क. आवास और एफएफई के लिए एसजी को आवास और ऋण							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. बुनियादी संरचना निवेश							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ग. अनुमोदित निवेश							
	घ. अन्य निवेश (15% से अनधिक)							

कुल

प्रमाणीकरण:

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. कुल (क+ख), निधि वार फार्म 3बी (भाग क) में दर्शाये गये आंकड़ों के साथ मेल खाना चाहिए।
2. निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 4

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ

पढ़ें)

बीमाकर्ता का**नाम:**

पंजीकरण

संख्या:

विवरण की स्थिति की

तारीख:**भाग ख**

निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों पर आंतरिक/ समवर्ती लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र - कार्यान्वयन की स्थिति

सं.	अनुबंध संदर्भ	लेखापरीक्षा उद्देश्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी	अननुपालन की गंभीरता	अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई	अपेक्षा का पालन करने के लिए आईआरडीएआई को बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा प्रतिबद्ध एमएमएम/वाईवाईवाईवाई	अपेक्षा का पालन करने के लिए लेखापरीक्षक को बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया (या) प्रदर्शित किया गया प्रमाण	प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के संबंध में आईआरडीएआई को सूचित निर्धारित 'समय-सीमा' के अननुपालन पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	पिछली तिमाही (तिमाहियों) के विषय							
ख	वर्तमान तिमाही में अनुपालन किये जानेवाले विषय							

प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त तिमाही के लिए निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा पिछली तिमाही (तिमाहियों) के लंबित विषयों के कार्यान्वयन पर आईआरडीएआई को सूचित किये जानेवाले सभी विषय [आईआरडीएआई को प्रतिबद्ध रूप में] जारी किये गये सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध रूप में उपर्युक्त सारणी में सम्मिलित किये गये हैं।

[illegible]

[illegible]

प्रमाणीकरण :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक
:

हस्ताक्षरः

पूरा नामः

प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग तथा प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग रूप से और प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।
2. केवल ऋणात्मक विचलनों की ही सूचना दी जानी चाहिए।
3. एक्सपोजर गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

फार्म - 4ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

भाग ख

पंजीकरण संख्या:

फार्म 3ए/3बी के अनुसार तिमाही के लिए कुल निवेश आस्ति:

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़ रुपये

एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन - प्रवर्तक समूह

सं.	समूह कंपनी का नाम	विनियम 6 (3) के	वास्तविक निवेश	वास्तविक निवेश	विचलन
-----	-------------------	-----------------	----------------	----------------	-------

		खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा		(संचयी)	
क	ख	ग	घ	ङ	च=ग-ङ

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन उसके कुल निवेशों के कुल योग में किया जाएगा।
2. एक्सपोज़र गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए वही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

फार्म - 4ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

भाग ग

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़ रुपये

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश आस्ति:

एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन - सामूहिक

सं.	समूह कंपनी का नाम	विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा	वास्तविक निवेश	विचलन
क	ख	ग	घ	ङ=ग-घ
कुल				

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: _____

पूरा नाम: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग तथा प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग से और उसकी कुल निवेश आस्तियों के संदर्भ में प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।

2. एक्सपोजर गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

3. स्तंभ 'घ' के कुल योग का फार्म 3ए के अनुसार कुल निवेश आस्तियों के साथ समाधान होना चाहिए।

फार्म - 4ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

भाग घ

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़ रुपये

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश आस्ति:

उद्योग क्षेत्र में एक्सपोज़र				
सं.	उद्योग क्षेत्र का नाम (विनियमों के अनुसार)	विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा	वास्तविक निवेश	विचलन
क	ख	ग	घ	ङ=ग-घ

कुल

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर:

दिनांक:

पूरा नाम:

वित्त का प्रमुख

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग एवं प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग से और उसकी कुल निवेश आस्तियों के संदर्भ में प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।
2. एक्सपोज़र गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य पर और यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।
3. स्तंभ 'घ' के कुल योग का समाधान फार्म 3ए के अनुसार निवेश आस्तियों के साथ होना चाहिए।

फार्म - 5

(अनुसूची III के भाग III के
खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति
की तारीख:

निवेश समाधान का
विवरण

निधि का नाम:

[illegible]

										कुल [3(क)]				
	(ख) बुनियादी संरचना निवेश													
	1. अनुमोदित निवेश													
	2. अन्य निवेश													
										कुल [3(ख)]				
	(ग) अनुमोदित निवेश													
										कुल [3(ग)]				
	(घ) अन्य निवेश													
										कुल (3(घ))				
कुल										कुल [3 (क+ख+ग+घ)]				
										कुल (1+2+3)				
प्रमाणीकरण प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शेयर बाजार पर निष्पादित सभी नकदी बाजार लेनदेन केवल वितरण के आधार पर ही किये गये हैं।														
दिनांक:										हस्ताक्षर				
										पूरा नाम और पदनाम				
										प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता				

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त प्रत्येक प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत वैयक्तिक श्रेणियों को श्रेणी कूट के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
2. फार्म-5 प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 5 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
3. फार्म-5 का प्रत्येक उप-जोड़ फार्म 3ए/ फार्म 3बी के भाग-क में उसके तदनुरूपी शीर्ष के साथ संबद्ध किया जाएगा।
4. समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए(2) के अंतर्गत अन्य निवेशों की अनुमत है।
5. 'कुल का %' स्तंभ, असंबद्ध निधियों के मामले में बही मूल्य पर संगणित किया जाएगा तथा संबद्ध निधियों के मामले में इसकी संगणना बाजार मूल्य के साथ होगी।

फार्म - 6

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:**पंजीकरण संख्या:**

निधि का

नाम: - -

विवरण की स्थिति की तारीख:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क(6) के अंतर्गत प्रमाणपत्र

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

सं.	निवेश का विवरण	निम्नलिखित की अभिरक्षा में					
		बैंक / अभिरक्षा (रुपये)		स्वयं (रुपये)		अन्य (रुपये)	
		शेयरधारक	पॉलिसीधारक	शेयरधारक	पॉलिसीधारक	शेयरधारक	पॉलिसीधारक
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ						
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ						
3	एक्सपोजर मानदंडों के अधीन निवेश						
	क. आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण						
	1. अनुमोदित निवेश						
	2. अन्य निवेश						
	ख. बुनियादी संरचना निवेश						
	1. अनुमोदित निवेश						
	2. अन्य निवेश						
	ग. अनुमोदित निवेश						
	घ. अन्य निवेश						
	कुल						

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी में समाविष्ट विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित संपूर्ण श्रेणियों के अंदर हैं।

हस्ताक्षर:

पूरा नाम: _____

वित्त का प्रमुख

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त विवरण, 'जीवन' बीमाकर्ताओं के मामले में 'निधि-वार' अर्थात् जीवन निधि, पेंशन और सामूहिक निधि, यूलिप निधि तथा प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर भी तैयार किया जायेगा।
2. कुल निवेश आस्तियों को फार्म 3ए / 3बी में दर्शाये गये आंकड़ों के साथ समाधान करना चाहिए।
3. सकल एनपीए किन्हीं प्रावधानों के पहले एनपीए के रूप में वर्गीकृत निवेश हैं।
4. 'मानक आस्तियों' के संबंध में किया गया प्रावधान समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र: 32/2/एफ एण्ड ए/परिपत्र/169/जन./2006-07 के अनुसार होगा।
5. निवल निवेश आस्तियाँ 'प्रावधानों' को घटाकर हैं।
6. निवल एनपीए प्रावधानों को घटाकर सकल एनपीए हैं।
7. अपलेखन बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में है।

बीमाकर्ता का नाम:

फार्म - डी01

पंजीकरण संख्या:

रिपोर्ट की
तारीख:

यूलिप संविभाग का दैनिक समाधान

विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)	उत्पाद का नाम	वियोजित निधि पहचान संख्या (एसएफआई एन)	निधि का नाम	जीवन/ सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली					
				प्रारंभिक यूनिट पूँजी (दिन के प्रारंभ में) (राशि रुपये में)	प्रारंभिक यूनिट (दिन के प्रारंभ में) (यूनिटों की संख्या)	दिन के लिए संगृहीत अथवा प्रतिदत्त निवल राशि (प्रभावों को घटाकर) (राशि रुपयों में)	दिन के लिए आबंटित अथवा प्रतिदत्त निवल यूनिट (यूनिटों की संख्या)	अंतिम यूनिट पूँजी (दिन की समाप्ति पर) (राशि रुपयों में)	अंतिम यूनिट (दिन की समाप्ति पर) (यूनिटों की संख्या)
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क) + (ग)	(च) = (ख) + (घ)
एक्स	ए	एक्सवाईजेड	निधि का नाम 1						
वाई	बी								
जेड	सी								
			उप जोड़						

एल	डी	एबीसी	निधि का नाम 'एन'							
एम	ई									
			उप जोड़							
निवेश प्रबंध प्रणाली										
एसएफआई एन	निधि का नाम	प्रारंभिक निधि मूल्य (दिन के प्रारंभ में)	प्रारंभिक यूनिट (दिन के प्रारंभ में) (यूनिटों की संख्या)	दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त निधि मूल्य	दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त यूनिट	दिन के लिए निवेश आय (अप्राप्त लाभ/हानि सहित)	दिन के लिए घटायें गये एफएमसी प्रभार	अंतिम निधि मूल्य (दिन की समाप्ति पर)	अंतिम यूनिट (दिन की समाप्ति पर) (यूनिटों की संख्या)	प्रति यूनिट घोषित एनएवी
		(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड) = (छ)+(झ)+(ट)-(ठ)	(ढ) = (ज) + (ञ)	(ण) = (ड) / (ढ)
	निधि 1									
	निधि 2									
	निधि 'एन'									
टिप्पणियाँ: 1. पिछले एनएवी दिन की जीवन/सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक यूनिट [(ख) देखें] निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ज) देखें] 2. निवेश प्रबंध प्रणाली में दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त निधि या यूनिट [(झ) और (ञ) देखें] जीवन/सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार संगृहीत या प्रतिदत्त निवल राशि या यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ग) और (घ) देखें] 3. पिछले एनएवी दिन की जीवन/ सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार अंतिम यूनिट [(च) देखें] निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार अंतिम यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ढ) देखें] 4. प्रति यूनिट घोषित एनएवी [(ण) देखें] अवश्य जीवन बीमा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रति यूनिट एनएवी के साथ समाधान करेगा। 5. जीवन/सामूहिक प्रबंध प्रणाली में दिन "टी" में यूनिट की घट-बढ़ एक कार्यदिवस अर्थात् टी+1 के अधिकतम समयांतर के साथ निवेश प्रबंध प्रणाली में प्रवाहित होगी।										

एक्सवाईजेड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड			
उत्पाद मूल्य का विवरण			
पंजीकरण संख्या:		फार्म - डी02	
पॉलिसीधारक आईडी	लाग-इन तारीख	दिन/माह/वर्ष	
पॉलिसीधारक का नाम			
पता:			
भाग - क			
उत्पाद	यूआई	प्रीमिय	प्रीमिय
आवंटित	पॉलिसी प्रबंध	प्रति यूनिट मूल्य	उत्पाद

	एन	म टॉप- अप सहित (रुपये)	म आबंटन प्रभार (रुपये)	निधियाँ (रुपये)	प्रणाली (पीएएस) के अनुसार यूनिट	(रुपये)	मूल्य (रुपये)
जेडएक्सवाई प्रीमियम प्लस							

[क]

भाग - ख				रुपये
विवरण		एसएफआईएन...	एसएफआईएन...	Σ एसएफआई एन
				
निधि का नाम		निधि एक्स	निधि वाई	कुल
यूनिट (निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार)				
आबंटन का प्रतिशत (लाग-इन तारीख को)		%	%	%
आबंटित निधियाँ				
स्विच इन				
स्विच आउट				
आहरण				
प्रभार				
आबंटन प्रभार				
स्विच प्रभार				
पॉलिसी प्रबंध प्रभार				
मृत्यु-दर प्रभार				
अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)				
जीएसटी				
वियोजित निधियों में निवेशित कुल राशि				
वर्तमान एनएवी				
लाग-इन तारीख को निधि मूल्य:				
				[ख]
भाग - ग (उत्पाद सांख्यिकी)				

दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक अंतरिम रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीमा रक्षा	
प्रारंभ से अदा किया गया कुल प्रीमियम	
बीमा रक्षा के लिए, प्रारंभ से कुल जोखिम प्रीमियम	
लाग-इन तारीख तक आबंटन प्रभार सहित मृत्यु-दर को छोड़कर कुल प्रभार और कटौतियाँ (सेवा प्रभार सहित)	
(ख) और (ग) के बीच अंतर (अप्राप्त लाभ / हानि)	
विनियमों में निर्धारित रूप में निम्नतर दर पर लाभ निदर्शन के अनुसार निवल निवेश पर संविभाग मूल्य	
विनियमों में निर्धारित उच्चतर दर से लाभ निदर्शन के अनुसार निवल निवेश पर संविभाग मूल्य	
टिप्पणी: 1. उत्पाद संविभाग मूल्य उत्पाद में सभी निधि मूल्यों का कुल योग होगा। 2. प्रति यूनिट उत्पाद मूल्य प्रारंभिक यूनिटों द्वारा कुल निधि मूल्य को विभाजित करने के बाद प्राप्त किया जाएगा। 3. समेकित उत्पाद मूल्य, उत्पाद मूल्यों का पूर्ण योग करने तथा उसे समेकित प्रारंभिक यूनिटों से विभाजित करने के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। 4. उत्पाद मूल्य सभी वर्तमान प्रकटीकरणों और परिकलनों के अतिरिक्त होगा। 5. वर्तमान निर्धारित प्रथाएँ जारी रहेंगी।	

1. परिभाषाएँ :

- (1) “अधिकारी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(59) में परिभाषित अधिकारी अभिप्रेत है, परन्तु इसमें गैर-पूर्णकालिक निदेशक शामिल नहीं है
- (2) “पूर्णकालिक कर्मचारी” से बीमाकर्ता के सभी कर्मचारी अभिप्रेत हैं तथा इनमें बीमाकर्ता के अधिकारी शामिल हैं

2. ऋण या अस्थायी अग्रिम:

- (1) कोई बीमाकर्ता किसी अधिकारी, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, को अधिनियम की धारा 29(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर, संपत्ति के दृष्टिबंधक पर या वैयक्तिक जमानत पर या अन्य प्रकार से कोई ऋण या अस्थायी अग्रिम प्रदान नहीं करेगा।
- (2) कोई बीमाकर्ता अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 29(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर, संपत्ति के दृष्टिबंधक पर या वैयक्तिक जमानत पर या अन्य प्रकार से कोई ऋण या अस्थायी अग्रिम प्रदान नहीं करेगा

बशर्ते कि बीमाकर्ता अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों को केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऋण या अस्थायी अग्रिम प्रदान कर सकता है:

- (i) कार और / या दुपहिया वाहन खरीदने के लिए ऋण
- (ii) निजी कंप्यूटर खरीदने के लिए और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ऋण
- (iii) फर्नीचर खरीदने के लिए ऋण
- (iv) निजी उपयोग के लिए मकान का निर्माण करने/ अधिग्रहण करने के लिए ऋण
- (v) कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण
- (vi) त्योहार के लिए अग्रिम
- (vii) इस संबंध में इस नीति में विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य प्रयोजन जो बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो

परन्तु यह भी शर्त है कि एक पूर्णकालिक कर्मचारी के द्वारा लिये गये सभी ऋणों का कुल योग एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा तथा इसे कर्मचारियों के नियत पारिश्रमिक के साथ संबद्ध किया जाएगा।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति:

प्रत्येक बीमाकर्ता जो अपने कर्मचारियों को ऋण और अस्थायी अग्रिम प्रदान करता है, उपर्युक्त ऋण और अस्थायी अग्रिम प्रदान करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक योजना लागू करेगा।

4. निबंधन और शर्तें :

इस विनियम के अनुसूची IV के खंड 2 में बताये गये ऋण और अस्थायी अग्रिम निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

- (i) ऋण और अग्रिम निदेशक बोर्ड अथवा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जिसे इस प्रकार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों, जैसी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति / पारिश्रमिक नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति / पारिश्रमिक पैकेज का भाग बनेंगे।
- (ii) इस प्रकार के ऋणों अथवा अग्रिमों की शर्तें बोर्ड द्वारा अथवा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जिसे ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित की जा सकती हैं।
बशर्ते कि पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों को प्रदत्त ऋणों अथवा अस्थायी अग्रिमों पर प्रभारित ब्याज दर बीमाकर्ता के अपने कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों अथवा अस्थायी अग्रिमों पर प्रभारित दर से कम नहीं हो सकती।
- (iii) ऐसे सभी ऋण और अग्रिम उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

अनुसूची-V: विवरणियों का निरीक्षण और आपूर्ति**1. विवरणियों का निरीक्षण और आपूर्ति:**

- (1) अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन किसी विवरणी के निरीक्षण अथवा किसी विवरणी की प्रति की अपेक्षा करनेवाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) निम्नलिखित दरों से शुल्क प्रभारित किया जाएगा: प्रत्येक पृष्ठ अथवा उसके भाग के लिए भौतिक रूप में केवल एक सौ रुपये (रु.100/-) तथा प्रत्येक पृष्ठ अथवा उसके भाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में केवल पचहत्तर रुपये (रु.75/-)।

2. बीमाकर्ता द्वारा संस्था के बहिर्नियमों (एमओए) और अंतर्नियमों (एओए) की प्रति की आपूर्ति:

- (1) अधिनियम की धारा 20(3) के अधीन संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति की अपेक्षा करनेवाला बीमाकर्ता का पालिसीधारक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) बीमाकर्ता संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर प्रदान करेगा।
- (3) शुल्क निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया जाएगा: प्रत्येक पृष्ठ अथवा उसके भाग के लिए भौतिक रूप में केवल एक सौ रुपये (रु.100/-) तथा प्रत्येक पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में केवल पचहत्तर रुपये (रु.75/-)।

अनुबंध बीमांकन - 1

फार्म एच

(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ____

को मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

फार्म कूट:

पंजीकरण की तारीख:

पंजीकरण संख्या:

मद सं.	प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	गणितीय रिज़र्व (आवंटित बोनसों की लागत सहित)
(1)		(2)	(3)
		भारत के अंदर व्यवसाय:	
01	सहभागी	असंबद्ध व्यवसाय	
02		सहबद्ध व्यवसाय	
03		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	
04		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
05		कुल (मद (1) से (4) तक का योग)	
06	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)	असंबद्ध व्यवसाय	
07		सहबद्ध व्यवसाय	
08		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	
09		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
10		कुल (मद (6) से (9) तक का योग)	
11		कुल जोड़ (मद (5) और (10) का योग)	
		कुल व्यवसाय:	
12	सहभागी	असंबद्ध व्यवसाय	
13		सहबद्ध व्यवसाय	
14		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	

15		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
16		कुल (मद (12) से (15) तक का योग)	
17	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)	असंबद्ध व्यवसाय	
18		सहबद्ध व्यवसाय	
19		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	
20		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
21		कुल (मद (17) से (20) तक का योग)	
22		कुल जोड़ (मद (16) से (21) तक का योग)	

टिप्पणी:

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- 2 गणितीय रिज़र्व स्तंभ (3) में आबंटित बोनसों की लागत सहित दिये जाएँगे

[illegible]

05	सामान्य	पुनर्वीमा से पहले																			
06	वार्षिकी	पुनर्वीमा के बाद																			
07	स्वास्थ्य	पुनर्वीमा से पहले																			
08		पुनर्वीमा के बाद																			
		सामूहिक व्यवसाय																			
	जीवन	एक वर्ष के लिए																			
	व्यवसाय	गारंटीकृत प्रीमियम:																			
09		पुनर्वीमा से पहले																			
10		पुनर्वीमा के बाद																			
		एक वर्ष से अनधिक																			
		अवधि के लिए																			
		गारंटीकृत प्रीमियम:																			
11		पुनर्वीमा से पहले																			
12		पुनर्वीमा के बाद																			
13	पेंशन	पुनर्वीमा से पहले																			
14		पुनर्वीमा के बाद																			
15	सामान्य	पुनर्वीमा से पहले																			
16	वार्षिकी	पुनर्वीमा के बाद																			
17	स्वास्थ्य	पुनर्वीमा से पहले																			
18		पुनर्वीमा के बाद																			
		कुल व्यवसाय																			
19	कुल जोड़	पुनर्वीमा से पहले																			
20		पुनर्वीमा के बाद																			

टिप्पणियाँ:

- सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- स्तंभ(19) = स्तंभ (11) + स्तंभ(12) + स्तंभ (13) + स्तंभ (14) + स्तंभ (15) +
स्तंभ(16) + स्तंभ (17) - स्तंभ (18)
- स्तंभ (22) = स्तंभ (19) + स्तंभ (20)+ स्तंभ (21)

[illegible]

24		पुनर्बीमा के बाद														
	सामान्य बापिकी	गारंटियों के साथ														
25		पुनर्बीमा से पहले														
26		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिना:														
27		पुनर्बीमा से पहले														
28		पुनर्बीमा के बाद														
		स्वास्थ्य	गारंटियों के साथ:													
29	पुनर्बीमा से पहले															
30	पुनर्बीमा के बाद															
	गारंटियों के बिना:															
31	पुनर्बीमा से पहले															
32	पुनर्बीमा के बाद															
	कुल जोड़		कुल व्यवसाय													
		गारंटियों के साथ:														
33		पुनर्बीमा से पहले														
34		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिना:														
35		पुनर्बीमा से पहले														
36		पुनर्बीमा के बाद														

टिप्पणियाँ :

1	सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
2	स्तंभ (14) = स्तंभ (11) + स्तंभ (12) + स्तंभ (13)
3	स्तंभ (17) = स्तंभ (14) + स्तंभ (15) + स्तंभ(16)

फार्म
बीआईपी
एनएलबी

अनुबंध बीमांकन- 1
(जारी)

(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च _____
को पॉलिसियों संबंधी सारांश और मूल्यांकन

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

वर्गीकरण:

प्रकार:

श्रेणी:

पंजीकर

ण संख्या:

फार्म कूट:

वर्गीकरण कूट:

प्रकार कूट:

श्रेणी कूट:

[illegible]

03	पेंशन	पुनर्वीमा से पहले																		
04		पुनर्वीमा के बाद																		
05	सामान्य वार्षिकी	पुनर्वीमा से पहले																		
06		पुनर्वीमा के बाद																		
07	स्वास्थ्य	पुनर्वीमा से पहले																		
08		पुनर्वीमा के बाद																		
		सामूहिक व्यवसाय																		
	जीवन व्यवसाय	एक वर्ष के लिए गारंटीकृत प्रीमियम:																		
09		पुनर्वीमा से पहले																		
10		पुनर्वीमा के बाद																		
		एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम:																		
11		पुनर्वीमा से पहले																		
12		पुनर्वीमा के बाद																		
13	पेंशन	पुनर्वीमा से पहले																		
14		पुनर्वीमा के बाद																		
15	सामान्य वार्षिकी	पुनर्वीमा से पहले																		
16		पुनर्वीमा के बाद																		
17	स्वास्थ्य	पुनर्वीमा से पहले																		
18		पुनर्वीमा के बाद																		
		कुल व्यवसाय																		
19	कुल जोड़	पुनर्वीमा से पहले																		
20		पुनर्वीमा के बाद																		
	टिप्पणियाँ :																			
1	सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए																			
2	स्तंभ(19)= स्तंभ (11) + स्तंभ(12) + स्तंभ(13) + स्तंभ (14) + स्तंभ (15)+ स्तंभ (16) + स्तंभ (17) - स्तंभ (18)																			
3	स्तंभ(22)= स्तंभ (19) + स्तंभ(20) + स्तंभ(21)																			

श्रेणी कूटः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		गारंटियों के बिना:														
31		पुनर्बीमा से पहले														
32		पुनर्बीमा के बाद														
		कुल व्यवसाय														
	कुल जोड़	गारंटियों के साथ:														
33		पुनर्बीमा से पहले														
34		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिना:														
35		पुनर्बीमा से पहले														
36		पुनर्बीमा के बाद														
	टिप्पणियाँ :															
	1	सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए														
	2	स्तंभ (14) = स्तंभ (11) + स्तंभ (12) + स्तंभ (13)														
	3	स्तंभ (17) = स्तंभ (14) + स्तंभ (15) + स्तंभ (16)														

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च _____

बीमाकर्ता का नाम:

को मूल्यांकन परिणाम

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

प्रकार:

प्रकार कूट:

मद सं.	विवरण	तुलन-पत्र में दर्शाया गया निधि शेष	गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर)	अधिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	भारत के अंदर व्यवसाय:			
	असंबद्ध			
	क लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ख लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	ग लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	घ लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
	यूनिट-सहबद्ध			

	ड	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	च	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	छ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	ज	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
		बीआईपी			
	झ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ञ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
02		कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर			
03		कुल व्यवसाय			
		असंबद्ध			
	क	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ख	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	ग	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	घ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
		यूनिट-सहबद्ध			
	ड	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	च	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	छ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	ज	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
		बीआईपी			

	झ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ञ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
04		कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ			
टिप्पणियाँ:					
	1	सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए			
	2	स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)			

अनुबंध बीमांकन - 3

फार्म आईए (सहभागी)

(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ____ को मूल्यांकन परिणाम

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

प्रकार:

प्रकार कूट:

मद सं.	विवरण	तुलन-पत्र में दर्शाया गया निधि शेष	गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर)	अधिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	भारत के अंदर व्यवसाय:			
	असंबद्ध			
क	जीवन			
ख	पेंशन			
ग	वार्षिकी			

	घ	स्वास्थ्य			
		असंबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		सहबद्ध			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		संबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
02		कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर			
03		कुल व्यवसाय			
		असंबद्ध			
	क	जीवन			

	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		असंबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		सहबद्ध			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		संबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
04		कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ			

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- 2 स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)

अनुबंध बीमांकन - 4

फार्म आई

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ____ को मूल्यांकन परिणाम

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

मद सं.	विवरण	तुलन-पत्र में दर्शाया गया निधि शेष	गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर)	अधिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	भारत के अंदर व्यवसाय:			
	क सहभागी पॉलिसियाँ			
	ख लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ			
02	कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर			
03	कुल व्यवसाय			
	क सहभागी पॉलिसियाँ			
	ख लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ			
04	कुल - पॉलिसीधारक निधियाँ			

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए।
- 2 स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)
- 3 स्तंभ (3) में दर्शाये गये आंकड़ों में पॉलिसीधारक निधि में अधिशेष शामिल है; यह शेयरधारक निधि में किसी अंतरण के किये जाने से पहले आस्तियों की तुलन-पत्र स्थिति है।
- 4 (3) में दर्शाये गये आंकड़ों और (5) में दर्शाये गये अधिशेष में भी कुछ खंडों में कमी पूरी करने के लिए पॉलिसीधारक निधि में शेयरधारक अंतरण शामिल है।
- 5 सममूल्य व्यवसाय के लिए स्तंभ (3) में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक को अदा किये गये अंतरिम और अंतिम बोनस की राशि शामिल नहीं है जो रुपये X है।

अनुबंध बीमांकन - 5

फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च _____ को आस्तियों का विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

फार्म एए			
ब्योरा (राशि 000' में)	पॉलिसीधारकों का खाता	शेयरधारकों का खाता	कुल
निवेश			
निवेश शेयरधारक अनुसूची 8(ए)			
पॉलिसीधारक अनुसूची- 8ए..... (बी)			
संबद्ध देयताओं की व्यवस्था हेतु धारित आस्तियाँ अनुसूची- 8बी.....(सी)			
बीएस# के अनुसार कुल निवेश----- (डी)=(ए)+(बी)+(सी)			
अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ***(ई)			
अचल आस्तियाँ			
बीएस के अनुसार अचल आस्तियाँ ----- (एफ)			
अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ*** ----- (जी)			

चालू आस्तियाँ			
बीएस के अनुसार नकदी और बैंकों में शेष ----- (एच)			
बीएस के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ ----- (आई)			
बीएस के अनुसार कुल चालू आस्तियाँ----- (जे) = (एच) + (आई)			
अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ*** ----- (के)			
चालू देयताएँ और प्रावधान			
बीएस के अनुसार चालू देयताएँ----- (एल)			
बीएस के अनुसार प्रावधान----- (एम)			
कुल चालू देयताएँ और प्रावधान ----- (एन) = (एल) + (एम)			
पॉलिसी ऋण			
बीएस के अनुसार पॉलिसी और अन्य स्वीकार्य ऋण ----- ---- (ओ)			

न्यूनतम शून्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता----- (पी)			
बीएस के अनुसार कुल आस्तियाँ ----- (क्यू) = (डी) + (एफ) + (जे) - (एन) + (ओ)			
कुल अस्वीकार्य आस्तियाँ ----- (आर) = (ई) + (जी) + (के) + (पी)			
शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ----(क्यू)-(आर)			
टिप्पणी: पॉलिसीधारक की आस्ति (अनुसूची 8ए) में संबद्ध व्यवसाय की सामान्य निधि देयताओं का समर्थन करनेवाली आस्तियाँ शामिल की जानी चाहिए। तथापि, अनुसूची 8बी में केवल देयताओं और पॉलिसी खाते का समर्थन करनेवाली आस्तियाँ ही शामिल की जाएँगी। ***इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग III ए के खंड 1 के अनुसार अग्राह्य परिसंपत्तियां। # 'बीएस' 'तुलन-पत्र' को निर्दिष्ट करता है			

	अनुबंध बीमांकन - 6			फार्म केटी-1						
	(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 31 मार्च _____को गणितीय आरक्षित निधियों और जोखिम पर राशि के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन									
	बीमाकर्ता का नाम: पंजीकरण की तारीख: फार्म कूट: वर्गीकरण: पंजीकरण संख्या: वर्गीकरण कूट:									
मद	विवरण	पुनर्बीमा से पहले	पुनर्बीमा के बाद	के1	पुनर्बीमा से	पुनर्बीमा के बाद	के2	पहला	दूसरा	अपेक्षित

[illegible]

[illegible]

- 1 के1 = 0.85 अथवा (गणितीय रिज़र्व पुनर्वीमा के बाद / गणितीय रिज़र्व पुनर्वीमा से पहले), जो भी उच्चतर हो।
- 2 के2 = 0.5 अथवा (पुनर्वीमा के बाद जोखिम पर राशि/पुनर्वीमा से पहले जोखिम पर राशि), जो भी उच्चतर हो।
- 3 स्तंभ (11) = [स्तंभ (3) x स्तंभ (5) x स्तंभ (9)] + [स्तंभ (6) x स्तंभ (8) x स्तंभ (10)]
- 4 जोखिम पर कुल राशि के परिकलन में, उन संविदाओं की उपेक्षा करें जिनके लिए जोखिम पर राशि एक ऋणात्मक अंक हो अथवा उसका अस्तित्व न हो।
- 5 पहला और दूसरा घटक क्रमशः एक्स% और वाई% हैं।
- 6 प्रत्येक पंक्ति के लिए के1 और के2 का परिकलन अलग से किया जाएगा।

अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (आरएसएम) कारक		
	पहला कारक	दूसरा कारक
1. प्रकार: लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)		
1.1. श्रेणी : असंबद्ध:		
1.1.1. भाग - वैयक्तिक		
1.1.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
1.1.1.1.क. टर्म को छोड़कर अन्य	3.00%	0.30%
1.1.1.1.ख. पूर्णतः टर्म	3.00%	0.10%
1.1.1.1.ग. आरओपी के साथ टर्म	3.00%	0.10%
1.1.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
1.1.1.3. उप-वर्ग - पेंशन	3.00%	0.30%
1.1.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य	3.00%	0.00%
1.1.2. भाग: सामूहिक व्यवसाय:		
1.1.2.1. उप-वर्ग: जीवन व्यवसाय :		
1.1.2.1.क. एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
1.1.2.1.ख. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
1.1.2.1.ग. निधि आधारित लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)	1.00%	0.10%
1.1.2.1.घ. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)	1.00%	0.05%
1.1.2.2. उप-वर्ग: सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
1.1.2.3. उप-वर्ग: पेंशन	3.00%	0.10%
1.1.2.4. उप-वर्ग- स्वास्थ्य	3.00%	0.00%

1.2. श्रेणी: संबद्ध :		
1.2.1. भाग - वैयक्तिक		
1.2.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
1.2.1.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
1.2.1.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.1.3. उप-वर्ग- पेंशन		
1.2.1.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		
1.2.1.4. क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%
1.2.1.4. ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%
1.2.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय :		
1.2.2.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
1.2.2.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.2.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
1.2.2.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.2.2.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.2.3. उप-वर्ग - पेंशन		
1.2.2.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%

1.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		
1.2.2.4.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%
1.2.2.4.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%
2. प्रकार : सहभागी		
2.1. श्रेणी : असंबद्ध :		
2.1.1. भाग - वैयक्तिक		
2.1.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय	3.00%	0.30%
2.1.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
2.1.1.3. उप-वर्ग - पेंशन	3.00%	0.10%
2.1.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य	3.00%	0.00%
2.1.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय :		
2.1.2.1. उप-वर्ग : जीवन व्यवसाय :		
2.1.2.1.क. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
2.1.2.1.ख. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
2.1.2.1.ग. निधि आधारित सहभागिता	1.00%	0.10%
2.1.2.2. उप-वर्ग : सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
2.1.2.3. उप-वर्ग : पेंशन	3.00%	0.10%
2.1.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य	3.00%	0.00%
2.2. श्रेणी: संबद्ध :		

2.2.1. भाग - वैयक्तिक		
2.2.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
2.2.1.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
2.2.1.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.1.3. उप-वर्ग - पेंशन		
2.2.1.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		
2.2.1.4.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%
2.2.1.4.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%
2.2.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय :		
2.2.2.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
2.2.2.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.2.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
2.2.2.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.2.2.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.2.3. उप-वर्ग - पेंशन		
2.2.2.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		

2.2.2.4. क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%
2.2.2.4.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%
टिप्पणियाँ: (1) समायोजनों के लिए लागू कारक आधारभूत उत्पादों के स्वरूप के अनुसार होंगे। (2) अनुवृद्धियों (राइडर्स) के लिए लागू कारक नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे:		
अनुवृद्धियों	पहला कारक	दूसरा कारक
स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धि के लिए	3.00%	0.00%
स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धि को छोड़कर अन्य के लिए	3.00%	0.10%

अनुबंध बीमांकन - 7

फार्म केटी-2
(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

पॉलिसीधारकों की निधियों की आस्तियों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन

31 मार्च _____

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

मद सं.	आस्ति की श्रेणी	टिप्पणियाँ	राशि (नीचे की टिप्पणियाँ देखें) रु.	तीसरा कारक %	अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	गैर-अधिदेशात्मक निवेश				
	कॉर्पोरेट बॉण्ड				
01	एएए अथवा समतुल्य				
02	एए अथवा समतुल्य				
03	ए अथवा समतुल्य				
04	बीबीबी अथवा समतुल्य				
05	बीबी अथवा समतुल्य				
06	बी अथवा समतुल्य				
07	बी से निम्नतर				
08	अनिर्धारित (अनरेटेड)				
	बंधक				
09	आवासीय				
10	वाणिज्यिक				
	स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)				
11	आवासीय				

12	वाणिज्यिक				
	अधिमानी शेयर				
13	सूचीबद्ध अधिमानी शेयर				
14	असूचीबद्ध अधिमानी शेयर				
	ईक्विटी				
15	सूचीबद्ध साधारण शेयर				
16	असूचीबद्ध साधारण शेयर				
17	कुल				
टिप्पणियाँ : (1) स्तंभ (5) = स्तंभ (3) X स्तंभ (4) (2) स्तंभ (4) = प्राधिकरण से अगली सूचना प्राप्त होने तक शून्य (3) इस सारणी में स्तंभ (3) में वह राशि दर्शानी चाहिए जो उपर्युक्त श्रेणी की आस्ति के संबंध में तुलन-पत्र मूल्य हो (जहाँ तुलन-पत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार तैयार किया गया हो)					

अनुबंध बीमांकन - 8

फार्म केटी-3

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ____ को उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन और शोधन क्षमता अनुपात

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

मद	विवरण	टिप्पणियाँ सं. ...	समायोजित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
01	पॉलिसीधारकों की निधि में उपलब्ध आस्तियाँ	2	
	घटाएँ :		
02	गणितीय आरक्षित निधियाँ	3	
03	अन्य देयताएँ	4	
04	पॉलिसीधारकों की निधियों में आधिक्य (01-02-03)		
05	शेयरधारकों की निधि में उपलब्ध आस्तियाँ :	5	
	घटाएँ:		
06	शेयरधारकों की निधि की अन्य देयताएँ :	4	
07	शेयरधारकों की निधियों में आधिक्य (05-06)		
08	कुल एसएसएम (04)+(07)		
09	कुल आरएसएम	6	
10	शोधन क्षमता अनुपात (एसएसएम/ आरएसएम)		

प्रमाणीकरण:

मैं,....., नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं; तथा इनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य और उचित हैं।

स्थान:

दिनांक:

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ :

1. सभी आंकड़े हजारों में होंगे;
2. मद सं. 1 पॉलिसीधारकों के खाते में फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए में उल्लिखित रूप में शोधन क्षमता हेतु कुल स्वीकार्य आस्तियों की राशि होगी;
3. मद सं. 02 फार्म एच में उल्लिखित रूप में गणितीय आरक्षित निधियों (रिज़र्वों) की राशि होगी;
4. मद सं. 03 और 06 तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में अन्य देयताओं की राशि होगी;
5. मद सं. 05 शेयरधारकों के खाते में फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए में यथाउल्लिखित शोधन क्षमता हेतु कुल स्वीकार्य आस्तियों की राशि होगी;
6. मद सं. 09 इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग III (बी) के फॉर्म केटी-1 एवं केटी-2 के तहत निर्दिष्ट तरीके से प्राप्त आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन का कुल योग होगा।

फार्म एस

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

अनुबंध बीमांकन - 9

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ____ को अधिशेष की संरचना और वितरण

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

प्रकार:

प्रकार कूट:

श्रेणी :

श्रेणी कूट :

अधिशेष की संरचना						
		जीवन	पेंशन	सामान्य वार्षिकी	स्वास्थ्य	कुल
01	वर्ष में निकला हुआ अधिशेष					
02	अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतरिम बोनस					
03	अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतिम बोनस					
04	अंतर-मूल्यांकन अवधि में प्रदत्त निष्ठा परिवर्धन या अन्य प्रकार के बोनस, यदि कोई हो					
05	अंतर-मूल्यांकन अवधि में शेयरधारकों की निधि से अंतरित राशियाँ					
06	पिछले मूल्यांकन से आगे लाई गई, पॉलिसीधारकों की निधियों					

	से अधिशेष की राशि					
07	कुल अधिशेष [2] (मद 1 से 6 तक की राशि)**					
अधिशेष का वितरण						
		जीवन	पेंशन	सामान्य वार्षिकी	स्वास्थ्य	कुल
01	प्रदत्त अंतरिम बोनसों के लिए					
02	अंतिम बोनसों के लिए					
03	निष्ठा परिवर्धनों या किसी अन्य प्रकार के बोनसों के लिए, यदि कोई हो					
04	तत्काल सहभागिता सहित पॉलिसीधारकों के बीच					
05	आस्थगित सहभागिता से युक्त पॉलिसीधारकों के बीच					
06	रियायती बोनस वर्ग या नकद बोनस में पॉलिसीधारकों के बीच					
07	प्रत्येक आरक्षित निधि या अन्य निधि या खाते के लिए					
08	अविनियोजित और आगे ले जाये गये रूप में					
09	शेयरधारकों की निधियों में (अंतर मूल्यांकन अवधि में उक्त खातों के द्वारा अंतरित ऐसी कोई भी राशियाँ अलग से बताई जाएँ)					
10	आबंटित कुल अधिशेष (मद 1 से 9 तक का योग) **					

अनुबंध बीमांकन – 10

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए

(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च, स्थिति के अनुसार स्वीकार्य आस्तियों का विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण की तारीख:

वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

विवरण	पॉलिसीधारकों का खाता	शेयरधारकों का खाता	कुल
निवेश			
निवेश शेयरधारक अनु. 8 (ए1)			
पॉलिसीधारक अनु. 8ए (ए2)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल निवेश -----			
(ए) = (ए1) + (ए2)			
अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ ¹ ----- (बी)			

अचल आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार अचल आस्तियाँ (बीएस) ----- (सी)			
अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ ¹ ----- (डी)			
चालू आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार नकदी और बैंक शेष (बीएस) ----- (ई)			
तुलन-पत्र के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (बीएस) ----- (एफ)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल चालू आस्तियाँ (बीएस) ----- (जी) = (ई) + (एफ)			
अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ ¹ ----- (एच)			
ऋण			
तुलन-पत्र के अनुसार ऋण (आई)			
न्यूनतम शून्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता ----- (जे)			

तुलन-पत्र के अनुसार कुल आस्तियाँ (बीएस) ----- (के) = (ए) + (सी) + (जी) + (आई) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			
चालू अस्वीकार्य आस्तियाँ ----- (एल) = (बी)+ (डी) + (एच) + (जे)			
ऋण शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ ----- (के)-(एल) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण इन विनियमों की अनुसूची I के भाग IV के अनुसार तैयार किया गया है।

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणियाँ:

1. अस्वीकार्य आस्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ होंगी जिन्हें इन विनियमों की अनुसूची I के भाग IV के अनुसार शून्य मूल्य के साथ रखा गया है।

अनुबंध बीमांकन – 11

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर

(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 202431 मार्च की स्थिति के अनुसार देयताओं का विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण की तारीख:

वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय/ कुल व्यवसाय:

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

आरक्षित निधि (रिज़र्व)	सकल आरक्षित निधि	निवल आरक्षित निधि
अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) (ए)		
प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) (बी)		
असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि		
(सी)=(ए)+(बी)		
बकाया दावा आरक्षित निधि (आईबीएनआर आरक्षित निधि को छोड़कर अन्य) ----- (डी)		

आईबीएनआर आरक्षित निधि (ई)		
तकनीकी देयताओं के लिए कुल आरक्षित निधियाँ (एफ)=(सी)+(डी)+(ई)		

प्रमाणीकरण

(1) सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमाकर्ता की देयताओं का निरूपण करता है जिनका निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में निर्धारित तरीके से किया गया है तथा ऐसी देयताओं की राशियाँ उचित और युक्तिसंगत हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण में सांविधिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए अनुमानित बकाया दावा आरक्षित निधियों, पीडीआर और आईबीएनआर आरक्षित निधियों का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा किया गया है तथा उनका प्रमाणपत्र इसके नीचे प्रस्तुत है।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों (देयताओं के निर्धारण के संबंध में)

स्थान:

दिनांक:

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

(2) नियुक्त बीमांकक से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार डेटा की जाँच की है तथा मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त डेटा सुसंगत, विश्वसनीय और संपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई बकाया आरक्षित निधियाँ जिनका अनुमान सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग करके किया गया है, पीडीआर और आईबीएनआर आरक्षित निधियाँ बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में

निर्धारित तरीके से निश्चित की गई हैं। ये आरक्षित निधियाँ, जो (जाँच-पड़ताल का वर्ष) के मार्च के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार अनुमानित हैं, मेरी राय में प्रत्याशित भावी अनुभव का निरूपण करती हैं।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों :

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

दिनांक:

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

(3) प्रधान अधिकारी से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि

- (क) 20XX के मार्च के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार तकनीकी आरक्षित निधियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नियुक्त बीमांकक <बीमांकक का नाम> को प्रत्येक पॉलिसी और दावे का संपूर्ण और सही ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) नियुक्त बीमांकक को उपलब्ध कराया गया डेटा मार्च 20XX के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित वित्तीय आंकड़ों के साथ सुसंगत है।
- (ग) बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण किये जाने वाले जोखिम-अंकन, दावों और पुनर्बीमा पॉलिसियों तथा प्रथाओं से संबंधित समस्त सूचना से नियुक्त बीमांकक को अवगत कराया गया है।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों :

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

दिनांक:

प्रधान अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(4) मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि यूपीआर का निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची II के भाग II के खंड 4 के अनुसार किया गया है।

अर्हताएँ (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों (यूपीआर के निर्धारण के संबंध में):

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

दिनांक:

मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुबंध बीमांकन – 12

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम
(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

सारणी I

31 मार्च, की स्थिति के अनुसार ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण का दिनांक:

वर्गीकरण: भारत में व्यवसाय / कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

[illegible]

टिप्पणियाँ :

(3) = सकल लिखित प्रीमियम आवक पुनर्बीमा सहित

(4) = निवल लिखित प्रीमियम

(5) = सकल उपगत दावे सकल आईबीएनआर के प्रभाव सहित

(6) = निवल उपगत दावे निवल आईबीएनआर के प्रभाव सहित

(3) और (4) का परिकलन 'अनुगामी 12 महीने के डेटा' के रूप में की जाती है

(5) और (6) की परिकलन मूल्यांकन तिथि से अधिकतम 'अनुगामी 12 महीने के डेटा' और 'अनुगामी 36 महीने के डेटा को 3 से विभाजित करके' के रूप में की जाती है।

(7) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 1 से निवल प्रीमियमों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा इसका निर्धारण उस राशि के बीस प्रतिशत (20%) के रूप में किया जाएगा जो सारणी 1(ए) में विनिर्दिष्ट रूप में कारक ए द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों तथा निवल प्रीमियमों में से जो भी उच्चतर हो।

(8) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 2 से निवल उपगत दावों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा इसका निर्धारण उस राशि के तीस प्रतिशत (30%) के रूप में किया जाएगा जो उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में कारक बी द्वारा गुणा किये गये सकल निवल उपगत दावों तथा निवल उपगत दावों में से जो भी उच्चतर हों।

(9) आरएसएम से अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा यह प्रत्येक एलओबी के लिए अलग-अलग वह राशि होगी जो आरएसएम 1 और आरएसएम 2 की राशियों में से उच्चतर हो।

अनुबंध बीमांकन – 12 (जारी)**सारणी I बी: उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन और ऋण शोधन क्षमता अनुपात**

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण की तारीख:

वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

(1)	(2)	(3)
मद सं.	विवरण	राशि
(क)	पॉलिसीधारकों की निधियाँ	
	उपलब्ध आस्तियाँ (फार्म जीआई-टीए के अनुसार)	
	घटाएँ :	
(ख)	तुलन-पत्र के अनुसार चालू देयताएँ	
(ग)	तुलन-पत्र के अनुसार प्रावधान	
(घ)	अन्य देयताएँ	
(ङ)	पॉलिसीधारकों की निधियों में आधिक्य (क)-(ख)-(ग)-(घ)	
	शेयरधारकों की निधियाँ	
(च)	उपलब्ध आस्तियाँ	
	घटाएँ :	
(छ)	अन्य देयताएँ	
(ज)	शेयरधारकों की निधियों में आधिक्य (च-छ)	
(झ)	कुल एएसएम (ङ+ज)	
(ञ)	कुल आरएसएम	
(ट)	ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (कुल एएसएम / कुल आरएसएम)	

प्रमाणीकरण:

मैं _____, सांविधिक लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं, तथा उनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थान:

दिनांक:

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

निम्नलिखित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रधान अधिकारी

नियुक्त बीमांकक

मुख्य वित्तीय अधिकारी

टिप्पणियाँ:

1. मद (क) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में उल्लिखित रूप में पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में आस्तियों के समायोजित मूल्य की राशि होगी।
2. मद (ख) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में उल्लिखित रूप में कुल देयताओं की राशि होगी।
3. मद (ग) पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य देयताओं की राशि होगी तथा तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में होगी।
4. मद (च) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में उल्लिखित रूप में शेयरधारकों की निधियों के संबंध में कुल आस्तियों की राशि होगी।
5. मद (छ) शेयरधारकों की निधियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य देयताओं की राशि होगी तथा तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में होगी।

अनुबंध बीमांकन – 13

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए
(अनुसूची I के भाग V का खंड 5 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च, स्थिति के अनुसार स्वीकार्य आस्तियों का विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण की तारीख:

वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय:

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

विवरण	पॉलिसीधारकों का खाता	शेयरधारकों का खाता	कुल
निवेश			
निवेश शेयरधारक अनु. 8			
पॉलिसीधारक अनु. 8ए			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल निवेश -----			

(ए)			
अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ ¹ ----- (बी)			
अचल आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार अचल आस्तियाँ (बीएस) ----- (सी)			
अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ ¹ ----- (डी)			
चालू आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार नकदी और बैंक शेष (बीएस) ----- (ई)			
तुलन-पत्र के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (बीएस) ----- (एफ)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल चालू आस्तियाँ (बीएस) ----- (जी) = (ई) + (एफ)			
अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ ¹ ----- (एच)			
ऋण			
तुलन-पत्र के अनुसार ऋण (आई)			

न्यूनतम शून्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता ----- (जे)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल आस्तियाँ (बीएस) ----- (के) = (ए) + (सी) + (जी) + (आई) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			
चालू अस्वीकार्य आस्तियाँ ----- (एल) = (बी) + (डी) + (एच) + (जे)			
ऋण शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ ----- (के)-(एल) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण इन विनियमों की अनुसूची I के भाग V के खंड 3 के अनुसार तैयार किया गया है।

नियुक्त बीमांकक / बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर**

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणियाँ:

1. अस्वीकार्य आस्तियाँ वे आस्तियाँ होंगी जिन्हें इन विनियमों के भाग V के अनुसार शून्य मूल्य पर रखा गया है।
2. **एफआरबी की रिपोर्टें प्रमाणित करनेवाले बीमांकक के हस्ताक्षर

अनुबंध बीमांकन – 14

फार्म आईआरडीएआई-आरआई-एसएम
(अनुसूची I के भाग V का खंड 5 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन और शोधन-क्षमता अनुपात का विवरण
31 मार्च..... की स्थिति के अनुसार

पुनर्बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण की तारीख:

वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय/कुल व्यवसाय:

(सभी राशियाँ लाख रुपयों में)

मद सं.	विवरण	राशियाँ
	पालिसीधारकों की निधियाँ	
(क)	उपलब्ध आस्तियाँ ('फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए' के अनुसार)	
	घटाएँ :	
(ख)	तुलन-पत्र (बीएस) के अनुसार चालू देयताएँ	
(ग)	तुलन-पत्र के अनुसार प्रावधान	
(घ)	तुलन-पत्र के अनुसार गणितीय आरक्षित निधियाँ	
(ङ)	तुलन-पत्र के अनुसार अन्य देयताएँ	
(च)	पालिसीधारकों की निधियों में अधिशेष (क)-(ख)-(ग)-(घ)	
	शेयरधारकों की निधियाँ	
(छ)	उपलब्ध आस्तियाँ ('फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए' के अनुसार)	
	घटाएँ :	
(ज)	तुलन-पत्र के अनुसार अन्य देयताएँ	

(झ)	शेयरधारकों की निधियों में अधिशेष (छ) – (ज)	
(ञ)	कुल एएसएम (च) + (झ)	
(ट)	आरएसएम (जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय)	
(ठ)	आरएसएम (साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय)	
(ड)	कुल आरएसएम (ट) + (ठ)	
(ढ)	शोधन-क्षमता अनुपात (कुल एएसएम / कुल आरएसएम)	

प्रमाणीकरण:

मैं _____, सांविधिक लेखा-परीक्षक इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा उनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थान:

दिनांक:

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित:

नियुक्त बीमांकक/बीमांकक**

मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रधान अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणियाँ :

1. **एफआरबी की रिपोर्टों का प्रमाणीकरण करनेवाले बीमांकक के हस्ताक्षर
2. मद (ख) और (ग) साधारण पुनर्बीमाकर्ता व्यवसाय के लिए लागू हैं।
3. मद (घ) जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए लागू है।
4. मद (ट) का निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के भाग III (ख) के फार्म केटी-1 और केटी-2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट तरीके से गणना किये गये अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिनों का कुल जोड़ होगा।
5. मद (ठ) का निर्धारण इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग V के खंड 2 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 20th March, 2024

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

F. No. IRDAI/Reg/10/204/2024.—In exercise of the powers conferred by clauses (g), (h), (i), (ia), (ib), (y), (z), (za), (zd) and (zab) of sub-section (2) of section 114A, Sections 11, 13, 20, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, clause (a) of sub-section (3) of section 29, 49, 64V, and 64VA of the Insurance Act, 1938, (4 of 1938) and section 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER-I**PRELIMINARY****Short title, applicability and commencement:**

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette or 1st April, 2024 whichever is later.
- (3) These regulations are applicable to all insurers including those engaged exclusively in reinsurance business, unless otherwise specified.
- (4) These regulations shall be reviewed once in every three years from the date of its publication, unless the review or repeal or amendment is warranted earlier.

2. Objectives: The key objectives of these regulations are to ensure that:

- (1) sound and responsive management practices are in place for effective discharge of actuarial, finance and investment functions and analysis, covering the areas including but not limited to the valuation of assets and liabilities, regulatory reporting, bonus distribution, asset-liability management, solvency, investment and risk management;
- (2) regulatory returns are prepared and reported in accordance with applicable standards, principles and policies to provide a true and fair view of state of affairs of the insurer;
- (3) policyholders' interests are protected and
- (4) ease of doing business is facilitated.

3. Definitions:

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-
 - (i) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

- (ii) “Actuarial Practice Standards” means the standards of practice and guidance notes issued by the Institute of Actuaries of India;
- (iii) “Actuary” means an actuary as defined in section 2(1) of Insurance Act, 1938;
- (iv) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (v) “Available Solvency Margin” means:

In case of a Life insurer, the excess of value of assets subject to admissibility criteria specified under these regulations, available in policyholders’ and shareholders’ funds over and above the value of Mathematical Reserves and other liabilities of policyholders’ and shareholders’ funds;

In case of a General insurer or Health insurer, the excess of value of assets subject to admissibility criteria specified under these regulations, available in policyholders’ and shareholders’ funds over and above the Technical Liabilities and other liabilities of policyholders’ and shareholders’ funds;

In case of a reinsurer, the excess of value of assets subject to admissibility criteria specified under these regulations, available in policyholders’ and shareholders’ funds over and above the Mathematical Reserves, Technical Liabilities and other liabilities of policyholders’ and shareholders’ funds;

- (vi) “Competent Authority” means
 - (a) Chairperson or
 - (b) such whole-time member or such committee of the whole-time members or such officer (s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson.
- (vii) “General insurer” means an insurer transacting general insurance business as defined in the Act;
- (viii) “Life insurer” means an insurer carrying on life insurance business as defined in the Act;
- (ix) “Mathematical Reserves” means the provisions determined in accordance with these regulations to cover liabilities (excluding liabilities which have fallen due and liabilities arising from deposit back arrangement in relation to any policy whereby an amount is deposited by re-insurer with the cedant) arising under or in connection with policies or contracts of life (Re)insurance business which includes specific provision for adverse deviations of all the bases including but not limited to mortality and morbidity rates; lapse rates, interest rates and expenses; and any explicit provision made in the valuation of liabilities;
- (x) “Premium Deficiency Reserve (PDR)” means the reserve held in excess of the unearned premium reserve, which allows for any expectation that the unearned premium reserve will be insufficient to cover the cost of claims and expenses incurred during the period of unexpired risk;
- (xi) “Required Solvency Margin” means the amount arrived in the manner as specified under Part III or Part IV or Part V of Schedule-I of these regulations as applicable subject to a minimum of fifty per cent of the amount of minimum capital as stated under section 6 of the Insurance Act, 1938;
- (xii) “Solvency Ratio” means the ratio of the amount of Available Solvency Margin to the amount of Required Solvency Margin;

- (xiii) “Technical Liabilities” means the provisions determined in accordance with these regulations to cover liabilities arising under or in connection with policies or contracts of General (Re)insurance business or Health (Re)insurance Business which include specific provision for adverse deviations of all the bases of actuarial valuation.
 - (xiv) “Unearned Premium Reserve (UPR)” means an amount representing that part of the premium written which is attributable and to be allocated to the succeeding accounting periods;
- (2) All words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or any Rules or Regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

CHAPTER- II

GUIDING PRINCIPLES FOR ACTUARIAL, FINANCE AND INVESTMENT FUNCTIONS

4. Principles governing the Actuarial, Finance and Investment functions of insurers

- (1) Mathematical Reserves or Technical liabilities, as the case may be, are based on sound actuarial principles;
- (2) Solvency margin of insurer is ensured at least at the control level at all times;
- (3) Financial statements reflect true and fair picture of the financial condition of the insurer;
- (4) Funds are invested such that the policyholders' liabilities are met as and when due;
- (5) Suitable and adequate resources are available with insurer to carry out actuarial, finance and investment functions.

5. Board approved policies of the insurer

Insurers shall have in place, policies governing areas of actuarial, finance and investment functions, such as bonus distribution philosophy as applicable, asset-liability management, investment and risk management duly approved by the Board of Directors or by the Executive Committee of Management in case of a foreign company engaged in re-insurance business through a branch established in India (FRB).

6. In addition to the above, insurers shall follow the respective provisions as set out below:

- (1) Schedule - I: Actuarial functions
- (2) Schedule - II: Finance functions
- (3) Schedule - III: Investment functions
- (4) Schedule- IV: Loans and Advances by Insurance Companies.
- (5) Schedule - V: Inspection and Supply of Returns

CHAPTER III
MISCELLANEOUS

7. Power to issue circulars, guidelines and directions

The Competent Authority may issue from time to time circulars, guidelines and directions relating to these regulations, if necessary including but not limited to, with profit committee, applicable norms in respect of Appointed Actuary, Foreign Reinsurer's Branches, detailed information to be obtained in relation to the statements appended to the Actuarial Report and Abstract, submission of any other additional forms or statements with respect to Life insurance, General insurance, Health insurance and Reinsurance business as applicable.

8. Power to issue clarifications and to remove difficulties

In order to remove any doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Competent Authority may issue appropriate clarifications as and when deemed necessary.

9. Repeals

- (1) These regulations shall repeal the following regulations from the date these regulations come into force:
- a. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 and subsequent amendments;
 - b. Insurance Regulatory and Development Authority (Distributions of Surplus) Regulations, 2002;
 - c. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016;
 - d. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 and subsequent amendments;
 - e. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2022;
 - f. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016;
 - g. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and subsequent amendments;
 - h. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015;
 - i. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Loans or Temporary Advances to Full Time Employees of the Insurers) Regulations, 2016;
- (2) Other provisions which were in existence in the regulations mentioned under sub regulation (1) of regulation 9 above and not mentioned in these regulations shall be provided separately by the circular issued under provision of regulation 7 of these regulations.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./865/2023-24]

SCHEDULE - I: ACTUARIAL FUNCTIONS**Part I: Definitions****1. General:**

- (1) "Institute of Actuaries of India" means a statutory body established under section 3 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);
- (2) "Valuation date" means, in respect of any valuation, the date as at which the valuation is made;
- (3) "Ordinarily Resident in India" means a resident in India defined as per the Income Tax Act, 1961

2. Definitions applicable to Life insurers:

- (1) "Extra premium" means a charge or premium collected for additional risk exposure beyond the risk factored in deriving the standard premium rates;
- (2) "Group business" means business other than individual business;
- (3) "Guarantees" means the terms in regard to benefits or premiums or charges, which shall not be altered during the currency of the policy;
- (4) "Individual business" means individual insurance contracts issued on single or joint life basis;
- (5) "Inter valuation period" means period between two successive actuarial valuations of asset and liabilities of an insurer;
- (6) "Maturity date" means a fixed date on which maturity benefit may become payable either absolutely or contingently;
- (7) "Non-par policies" or "policies without participation in profits" means policies which are not entitled for any share in surplus or profits;
- (8) "Non-participating policyholders" means the holders of "non-par policies";
- (9) "Options" means the rights available to a policyholder under a policy;
- (10) "Par policies" or "policies with participation in profits" means policies which are entitled to share in surplus or profits during the policy term as per Section 49 of the Insurance Act, 1938.;
- (11) "Policies with deferred participation in profits" means policies entitled for participation in profits after a certain period from the date of commencement of the policy;
- (12) "Participating policyholders" means the holders of "par policies" and "policies with deferred participation in profits";
- (13) "Premium payment term" means the period during which premiums are payable;
- (14) "Policy Accounts" means funds for each policy under Variable Linked Business and Variable Non-Linked Business;
- (15) "Sum at risk", at any point of time in respect of a policy is the excess of
Sum of
{ 'Lump sum benefit payable on death or any other contingency covered' }

and
 {'Present Value of the benefits payable on account of death or any other contingency in form of periodical payments including annuity payments'}
 Over
 {'Mathematical Reserves'} of the policy

3. Definitions applicable to General insurers:

- (1) "Allocated Loss Adjustment Expenses (ALAE)" are claim-related expenses that are directly attributable to a specific claim;
- (2) "Claim Reserves" means the reserves in respect of the claims which have already occurred as on the date of valuation;
- (3) "Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Reserves" means the reserves reflecting the expected changes in the estimates of reported claims including ALAE, if any;
- (4) "Incurred But Not Reported Claim (IBNR) Reserves" includes IBNER, estimate for reopened claims, provision for incurred but not reported claims, provision for claims in transit as on the date of valuation and ALAE;
- (5) "Outstanding Claim Reserves (OS Reserves)" means the provision made in respect of all outstanding reported claims as on the date of valuation including ALAE;
- (6) "Unexpired Risk Reserves" means the reserves in respect of the liabilities for unexpired risks and determined as the aggregate of Unearned Premium Reserve (UPR) and Premium Deficiency Reserve (PDR).

Part II: Appointed Actuary

1. Appointment of an Appointed Actuary:

An insurer registered to carry on insurance business in India shall appoint an actuary, on approval of the Competent Authority, who shall be known as the "Appointed Actuary" for the purposes of the Act.

2. Procedure for Appointment of an Appointed Actuary:

- (1) A person shall be eligible to be appointed as an Appointed Actuary for an insurer, if he or she is:
 - (i) An Ordinarily Resident in India;
 - (ii) A Fellow member in accordance with the Actuaries Act, 2006;
 - (iii) A Fellow Member of the Institute of Actuaries of India (IAI), satisfying the following requirements in case of a Life insurer:
 - (a) At least 12 years of experience in the area of Life Insurance and out of which at least 7 years shall be post fellowship experience.

Provided that, if the applicant has passed the Specialist Application or Specialist Advanced level subject in Life Insurance from Institute of Actuaries of India or from any other institute or body with

which IAI has Mutual Recognition Agreement, the experience criteria including post fellowship experience criteria as mentioned in clause 2(1)(iii)(a) of Part II of Schedule-I of these regulations, shall be reduced by 2 years.

- (b) At least 3 years post fellowship experience out of 7 years or 5 years as applicable, as specified under clause 2(1)(iii)(a) of Part II of Schedule-I of these regulations shall be in the preparation or review of annual statutory valuation or product pricing of an Indian Life insurer or Indian reinsurer or Foreign Reinsurer's Branch established in India.

Notwithstanding the above, experience in the area of Life Insurance as a Peer Reviewer or Independent Actuary or Panel Actuary or Actuary certifying the reinsurance returns for Life reinsurance business or experience in actuarial consultancy in Life Insurance business or relevant experience with the Authority shall also be considered.

- (c) At least 3 years of experience shall be in the role of middle or senior level management.

- (iv) A Fellow Member of the Institute of Actuaries of India (IAI), satisfying the following requirements in case of a General insurer:

- (a) At least 9 years of experience in the area of General Insurance and out of which at least 4 years shall be post fellowship experience.

Provided that, if the applicant has passed the Specialist Application or Specialist Advanced level subject in General Insurance from Institute of Actuaries of India or from any other institute or body with which IAI has Mutual Recognition Agreement, the experience criteria including post fellowship experience criterion as mentioned in clause 2(1)(iv)(a) of Part II of Schedule-I of these regulations, shall be reduced by 2 years.

- (b) At least 2 years post fellowship experience out of 4 years or 2 years as applicable, as specified under clause 2(1)(iv)(a) of Part II of Schedule-I of these regulations shall be in the preparation or review of annual statutory valuation or product pricing of an Indian General insurer or Indian reinsurer or Foreign Reinsurer's Branch established in India.

Notwithstanding the above, experience in the area of General Insurance as a Peer Reviewer or Panel Actuary or Actuary certifying reinsurance returns for General reinsurance business or experience in actuarial consultancy in General Insurance business or relevant experience with the Authority shall also be considered.

- (c) At least 3 years of experience shall be in the role of middle or senior level management.

- (v) A Fellow Member of the Institute of Actuaries of India (IAI), satisfying the following requirements in case of a Health insurer:

- (a) At least 9 years of experience in the area of General or Health Insurance and out of which at least 4 years shall be post fellowship experience.

Provided that, if the applicant has passed the Specialist Application or Specialist Advanced level subject in General or Health Insurance from Institute of Actuaries of India or from any other institute or body with which IAI has Mutual Recognition Agreement, the experience criteria including post fellowship experience criterion as mentioned in clause 2(1)(v)(a) of Part II of Schedule-I of these regulations, shall be reduced by 2 years.

- (b) At least 2 years post fellowship experience out of 4 years or 2 years as applicable, as specified under clause 2(1)(v)(a) of Part II of Schedule-I of these regulations shall be in the preparation or review of annual statutory valuation or product pricing of an Indian General or Health insurer or Indian reinsurer or Foreign Reinsurer's Branch established in India.

Notwithstanding the above, experience in the area of General or Health Insurance as a Peer Reviewer or Panel Actuary or Actuary certifying reinsurance returns for General or Health reinsurance business or experience in actuarial consultancy in General or Health insurance business or relevant experience with the Authority shall also be considered.

- (c) At least 3 years of experience shall be in the role of middle or senior level management.

- (vi) An employee of the insurer on full time basis;
- (vii) A person who has not committed any professional or other misconduct;
- (viii) Not an Appointed Actuary of any other insurer in India;
- (ix) A person who possesses a Certificate of Practice issued by the Institute of Actuaries of India;
- (x) Not over the age of 70 years.

- (2) Provision for existing Appointed Actuaries as on date of notification of these regulations:

The existing Appointed Actuaries as on the date of notification of these regulations are eligible to continue as Appointed Actuary of the respective insurer.

- (3) An insurer shall seek the approval of the Competent Authority for the appointment of Appointed Actuary, submitting the application in the format as may be specified from time to time.
- (4) The Competent Authority shall, within thirty days from the date of receipt of application, either accept or reject the same.

Provided that before rejecting the application, the Competent Authority shall give an opportunity of being heard to the insurer.

- (5) An insurer, who is unable to appoint an Appointed Actuary in accordance with clause 2(1) of Part II of Schedule-I of these regulations, shall make an application to the Competent Authority in writing for relaxation of any of the eligibility conditions. The Competent Authority may grant relaxation of one or more conditions. However, there shall be no relaxation in respect of conditions under clause 2(1)(ii), 2(1)(vii) & 2(1)(ix) of Part II of Schedule-I of these regulation.
- (6) The appointment of an Appointed Actuary shall take effect on or after the date of approval by the Competent Authority.

3. Effect of rejection of the application

The insurer shall, within four weeks of rejection of the application referred to under clause 2(5) of Part II of Schedule-I of these regulations, apply to the Competent Authority under clause 2(4) of Part II of Schedule-I of these regulations for the appointment of an actuary as an Appointed Actuary other than the one rejected by it under clause 2(5) of Part II of Schedule-I of these regulations.

4. Carrying on business without Appointed Actuary

- (1) No insurer shall carry on the business of insurance/reinsurance without an Appointed Actuary. Any non-compliance in this regard shall attract appropriate actions under the relevant provisions of the Act.
- (2) The Competent Authority, on request of the insurer for relaxation of the provisions under clause 4(1) of Part II of Schedule-I of these regulations, may grant relaxation for such period (not exceeding one year), as it may deem appropriate.
- (3) The Competent Authority may issue circular(s) from time to time regarding the transitory provisions for consideration of relaxation referred under clause 4(2) of Part II of Schedule-I of these regulations.

5. Cessation of Appointment as Appointed Actuary

- (1) An Appointed Actuary shall be given a notice of withdrawal of approval by the Competent Authority on the following grounds:
 - (i) that he or she ceases to be eligible in accordance with clause 2(1) of Part II of Schedule-I of these regulations, or
 - (ii) that he or she has, in the opinion of the Competent Authority, failed to perform adequately and properly the duties and obligations of an Appointed Actuary under these regulations.
- (2) The Competent Authority after serving a notice to such Appointed Actuary shall grant an opportunity of being heard and thereafter issue appropriate order either withdrawing approval or revocation of the notice issued.
- (3) If the Appointed Actuary makes formal intimation to the insurer to cease to be an Appointed Actuary of the insurer otherwise than on the grounds mentioned in clause 5(1) of Part II of Schedule-I of these regulations, the insurer and the Appointed Actuary shall intimate the Competent Authority the reasons thereof within one week of the date of such intimation to the insurer.
- (4) The insurer in consultation with Appointed Actuary shall endeavour to avoid delay in submission of annual statutory returns arising from cessation of services of Appointed Actuary.

6. Powers of Appointed Actuary

- (1) An Appointed Actuary shall have access to all such information and documents in possession or under control, of the insurer if the same access is necessary for the proper and effective performance of the functions and duties of the Appointed Actuary.
- (2) The Appointed Actuary may seek any information for the purpose of clause 6(1) of Part II of Schedule-I of these regulations from any officer or employee of the insurer.
- (3) The Appointed Actuary shall be entitled to attend, speak and discuss on any matter in meetings of the management including directors meeting of the insurer and in meetings of the shareholders or the policyholders of the insurer:
 - (i) that relates to the actuarial advice given to the directors;

- (ii) that may affect the solvency of the insurer;
 - (iii) that may affect the ability of the insurer to meet the reasonable expectations of policyholders; or
 - (iv) on which actuarial advice is necessary.
- (4) An Appointed Actuary shall be entitled to make any statement to insurer, for the purpose of the performance of his or her functions as Appointed Actuary. This is in addition to any other privilege conferred upon an Appointed Actuary under any other regulations.
- (5) No provision of the letter of appointment of the Appointed Actuary, shall restrict or prevent his or her duties, obligations and privileges under these regulations.

7. Duties and obligations of Appointed Actuary

In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing matters, and in the interests of the insurance industry and the policyholders, the duties and obligations of an Appointed Actuary of an insurer shall include:

- (1) Ensuring that all the requisite records have been made available to him or her for the purpose of conducting actuarial valuation of liabilities and assets of the insurer;
- (2) Rendering actuarial advice to the management of the insurer, in particular in the areas of product design and pricing, insurance contract wording, investments and reinsurance;
- (3) Identifying and monitoring the risks associated with the insurer's ability to maintain the solvency at all times and reporting those risks to the Board of the insurer where the Appointed Actuary believes that there are material concerns which may adversely affect the solvency of the insurer with recommendations on actions to be taken for rectification of solvency position and informing the Competent Authority, if the insurer fails to take necessary steps to rectify the situation;
- (4) Complying with the provisions of the section 64V of the Act in regard to certification of the assets and liabilities that have been valued in the manner required under the said section;
- (5) Complying with the provisions of the section 64 VA of the Act in regard to maintenance of required control level of solvency margin in the manner required under the said section;
- (6) Drawing the attention of management of the insurer, to any matter on which he or she thinks that action is required to be taken by the insurer to avoid any contravention of the Act of such a nature that it may affect the interests of the policyholders;
- (7) Complying with the Authority's directions from time to time;
- (8) Ensuring that overall pricing policy of the insurer is in line with the overall underwriting and claims management policy of the insurer;
- (9) Ensuring adequacy of reinsurance arrangements;
- (10) Contributing to the effective implementation of the risk management system;

- (11) Complying with the provisions of section 21 of the Act in regard to further information required by the Authority;
- (12) In addition to the above, the duties of an Appointed Actuary of an insurer carrying on life insurance business shall include:
- (i) Certifying the actuarial report and abstract and other returns as required under section 13 of the Act;
 - (ii) Complying with the provisions of the section 112 of the Act with regard to recommendation of interim bonus or bonuses payable by life insurer to policyholders whose policies mature for payment by reason of death or otherwise during the inter-valuation period;
 - (iii) Rendering actuarial advice in respect of expenses of management of the insurer;
 - (iv) Ensuring that the premium rates of the insurance products are fair;
 - (v) Certifying that the mathematical reserves have been determined in the manner prescribed in Part III of Schedule-I of these regulations and taking into account the Guidance Notes /Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India and any directions given by the Authority;
 - (vi) Ensuring that the policyholders' reasonable expectations have been considered in the matter of valuation of liabilities and distribution of surplus to the participating policyholders who are entitled for a share of surplus;
 - (vii) Submitting the actuarial advice in the interests of the insurance industry and the policyholders;
 - (viii) Coordinating the calculation of mathematical reserves;
 - (ix) Ensuring the appropriateness of the methodologies and underlying models used, as well as the assumptions made in the calculation of mathematical reserves;
 - (x) Assessing the sufficiency and quality of the data used in the calculation of mathematical reserves;
 - (xi) Informing the Board of insurer about the reliability and adequacy of mathematical reserves;
- (13) In addition to sub clause (1) to (11) of clause 7 of Part-II of Schedule-I of these regulations, the duties of the Appointed Actuary of the insurer carrying on general insurance business or health insurance business include:
- (i) Ensuring that the premium rates of the insurance products are fair;
 - (ii) Certifying that claims reserves including reserves for incurred but not reported claims (IBNR) and other reserves (including reserves for incurred but not enough reported claims (IBNER) and premium deficiency reserve (PDR)) have been determined using actuarial principles and in the manner prescribed in Part IV of Schedule-I of these regulations;
 - (iii) Rendering actuarial advice in respect of expenses of management of the insurer;
 - (iv) Coordinating the calculation of reserves for IBNR and other reserves (including reserves for IBNER and PDR);

- (v) Assessing the sufficiency and quality of the data used in the calculation of reserves for IBNR and other reserves including reserves for IBNER and PDR;
 - (vi) Informing the Board of insurer about the reliability and adequacy of reserves for IBNR and other reserves including reserves for IBNER and PDR;
- (14) informing the Competent Authority in writing of his or her opinion, within a reasonable time,
- (i) any contravention of the Act or any other Acts by the insurer is of such a nature that it may affect significantly the interests of the Policyholders or beneficiaries of policies issued by the insurer;
 - (ii) whether the directors of the insurer have failed to take such action as is reasonably necessary to enable him or her to exercise his or her duties and obligations under these regulations; or
 - (iii) whether an officer or employee of the insurer has engaged in conduct in order to prevent him or her exercising his or her duties and obligations under these regulations.
- (15) If an Appointed Actuary is disqualified to act as an Actuary, he or she ceases to exist as Appointed Actuary forthwith;
- (16) While carrying out his or her duties and obligations, the Appointed Actuary shall pay due regard to generally accepted actuarial principles and practices;
- (17) The Appointed Actuary shall inform the Competent Authority of any disciplinary proceedings initiated against him or her by any entity within seven days from the date of such initiation.

8. Conflict of interest

- (1) The Appointed Actuary shall function in accordance with these regulations, and he or she shall not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing his or her role as Appointed Actuary in accordance with these regulations.
- (2) The insurer and the Appointed Actuary shall comply with the provisions of clause 8(1) of Part II of Schedule-I of these regulations above at all times during his or her tenure as Appointed Actuary.

9. Obligations of the insurer

- (1) The insurer shall provide adequate resources to the Appointed Actuary.
- (2) In order to build up or develop sufficient actuarial expertise, life insurers shall have at least two actuaries and general/standalone health insurers shall have at least one actuary in addition to Appointed Actuary for pricing and valuation purposes within such period as may be notified by the Competent Authority from time to time.
- (3) The insurer shall ensure that different functions of the insurer provide adequate support to the Appointed Actuary in discharging his or her duties and obligations.
- (4) The insurer shall ensure that the Appointed Actuary does not simultaneously perform the role of Chief Risk Officer of the insurer. The Chief Risk Officer, however may preferably be an Actuary independent of the Appointed Actuary.

- (5) The insurer shall ensure that the Appointed Actuary reports directly to Chief Executive Officer of the insurer.

10. Applicability to reinsurance business

Part II of Schedule- I of these regulations shall apply to Indian reinsurers. The norms applicable in respect of FRBs shall be as specified by the Competent Authority.

Part III: Valuation of Life Insurance Business

1. Applicability

This part of regulations shall be applicable to all the life insurers.

(A) Assets, Liabilities and Solvency Margin

1. Valuation of Assets

All assets of a life insurer shall be valued in accordance with Schedule- II – Finance functions of these regulations, other applicable Regulations, including IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024 and applicable extant norms, except the following assets which shall be placed with value zero for solvency margin computation:

- (1) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums in India, to the extent they are not realised within a period of thirty days;
- (2) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums outside India, to the extent they are not realisable;
- (3) Sundry debts, to the extent they are not realisable;
- (4) Advances and receivables of an unrealisable character;
- (5) Loans and advances as per Schedule – IV of these regulations;
- (6) Furniture, fixtures, dead stock and stationery;
- (7) Deferred expenses;
- (8) Debit balance of Profit and loss appropriation account balance and any fictitious assets other than pre-paid expenses;
- (9) Reinsurer's balances outstanding for more than one hundred and twenty days;
- (10) Leasehold improvements;
- (11) Goods and Services Tax (GST) unutilized credit outstanding for more than one hundred and twenty days;
- (12) Seventy-five percent of the 'Deferred Tax Asset' other than that arising on account of "Accumulated losses";
- (13) 'Deferred Tax Asset' arising on account of "Accumulated losses";
- (14) Investments representing unclaimed amounts and investment income accrued or earned thereon;
- (15) Any other assets to the extent not realisable.

2. Determination of Amount of Liabilities

Every insurer transacting life insurance business shall value the amount of liabilities in the manner as set out below:

- (1) Mathematical Reserves shall be determined for each contract by a prospective method of valuation in accordance with sub clause (2) to (4) of clause 2 of Part III (A) of Schedule- I of these regulations.

- (2) The valuation method shall take into account all prospective contingencies under which any premiums (by the policyholder) or benefits (to the policyholder/beneficiary) may be payable under the policy, as determined by the policy conditions. The level of benefits shall take into account the reasonable expectations of policyholders (with regard to bonuses, including terminal bonuses, if any) and any established practices of an insurer for payment of benefits.
 - (3) The valuation method shall take into account the cost of any options and guarantees that may be available to the policyholder under the terms of the contract.
 - (4) The determination of the amount of liability under each policy shall be based on prudent assumptions of all relevant parameters. The value of each such parameter shall be based on the insurer's expected experience and shall include an appropriate margin for adverse deviations (hereinafter referred to as MAD) that shall not result in decrease in the amount of mathematical reserves.
 - (5) Treatment of negative reserves and surrender value deficiency reserves:
 - (i) The amount of mathematical reserve in respect of a policy, determined in accordance with sub - para (4), may be negative (called "negative reserves") or less than the surrender value available (called "surrender value deficiency reserves") at the valuation date. The surrender value for this purpose shall be higher of special surrender value and guaranteed surrender value.
 - (ii) The Appointed Actuary shall, for the purpose of section 35 of the Act, use the amount of such mathematical reserves without any modification;
 - (iii) The Appointed Actuary shall, for the purpose of sections 13, 49, 64V and 64VA of the Act, set the amount of such mathematical reserve to zero, in case of such negative reserve, or to the surrender value, in case of such surrender value deficiency reserves, as the case may be.
 - (6) The valuation method shall be "Gross Premium Valuation" except for the following cases:
 - (i) One-year renewable group term assurances including riders attached to group business wherein Reserves shall allow for Unearned Premium, Premium deficiency and Incurred But Not Reported claims.
 - (ii) Riders attached to individual products wherein the reserve shall be higher of Gross Premium Valuation Reserve and Unearned Premium Reserve.
 - (7) For individual business, the Appointed Actuary may hold additional reserve in respect of Incurred But Not Reported claims.
 - (8) If in the opinion of the Appointed Actuary, a method of valuation other than the Gross Premium Method of valuation is to be adopted, then, other approximation methods (e.g. retrospective method) may be used.

 Provided that the amount of calculated reserve is expected to be at least equal to the amount that shall be produced by application of Gross Premium Valuation method.
 - (9) The method of calculation of the amount of liabilities and the assumptions for the valuation parameters shall not be subject to arbitrary discontinuities from one year to the next.
3. **Policy Cash Flows:** The gross premium method of valuation shall discount the following future policy cash flows at an appropriate rate of interest,

- (1) Premiums payable, if any,
- (2) Benefits payable, if any, on death, survival, maturity, voluntary termination of contract or any other contingencies covered under the policy
- (3) Bonuses that have already been vested as at the valuation date if any,
- (4) Bonuses as a result of the valuation at the valuation date if any
- (5) Future bonuses if any (one year after valuation date) including terminal bonuses
- (6) Any other benefits as applicable
- (7) Commission and remuneration payable, if any, in respect of a policy (this shall be based on current practice of the insurer). No allowance shall be made for non-payment of commission in respect of orphaned policies
- (8) Policy maintenance expenses, if any, in respect of a policy;
- (9) Allocation of profit to shareholders, if any, where there is a specified relationship between profits attributable to shareholders and the bonus rates declared for policyholders

Provided that allowance must be made for tax, if any.

- (10) Any other cash flow as applicable

4. Policy Options and Guarantees:

Where a policy provides built-in options that may be exercised by the policyholder, such as conversion or addition of coverage at future date(s) without any evidence of good health, or guarantees, such as annuity rate guarantees at maturity of contract, investment guarantees etc., the costs of such options or guarantees shall be estimated and treated as special cash flows in calculating the mathematical reserves.

5. Valuation Parameters:

- (1) The valuation parameters shall constitute the bases on which the future policy cash flows shall be computed and discounted. Each parameter shall be appropriate to the block of business to be valued. The Appointed Actuary shall take into consideration the following:
 - (i) The value(s) of the parameter shall be based on the insurer's experience study, where available. If reliable experience study is not available, the value(s) can be based on the industry study, if available and appropriate. If neither is available, the values may be based on the bases used for pricing the product. In establishing the expected level of any parameter, any likely deterioration in the experience shall be taken into account;
 - (ii) The expected level, as determined in sub clause 1(i) of clause 5 of Part III of Schedule-I of these regulations, shall be adjusted by an appropriate Margin for Adverse Deviations (MAD), the level of MAD being dependent on the degree of confidence in the expected level, and such MAD in each parameter shall be based on the Actuarial Practice Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Actuaries of India, with the concurrence of the Authority;
 - (iii) The values used for the various valuation parameters should be consistent among themselves.

- (2) **Mortality rates** to be used shall be by reference to a published table, unless the insurer has constructed a separate table based on its own experience:

Provided that such published table shall be made available to the insurance industry by the Institute of Actuaries of India, with the concurrence of the Authority.

Provided further that such rates determined by reference to a published table shall not be less than one hundred percent of that published table.

Provided further that such rates determined by reference to the published table may be less than one hundred percent of that published table if the Appointed Actuary can justify a lower percent.

- (3) **Morbidity rates** to be used shall be by reference to a published table, unless the insurer has constructed a separate table based on its own experience:

Provided that such published table shall be made available to the insurance industry by the Institute of Actuaries of India, with the concurrence of the Authority:

Provided further that such rates determined by reference to a published table shall not be less than one hundred percent of that published table.

Provided further that such rates determined by reference to the published table may be less than one hundred percent of that published table if the Appointed Actuary can justify a lower percent.

- (4) **Policy maintenance expenses** shall have regard to the actual expense experience of the insurer. All expenses shall be increased in future years for inflation; the rate of inflation assumed should be consistent with the valuation rate of interest.

Provided that appropriate additional provisions shall be made if the actual experience has not been considered for the valuation.

Provided further that the above provision shall not be applicable to the life insurance companies for the first five years from the date of commencement of the business.

- (5) **Valuation rate of interest:**

- (i) The best estimate interest rate shall first be, determined based on the current and expected yields from existing assets attributable to blocks of life insurance business, and the yields which the insurer is expected to obtain from the sums to be invested in the future, and such assessment shall take into account:
 - (a) the composition of assets supporting the liabilities, expected cash flows from the investments on hand, the cash flows from the block of policies to be valued, the likely future investment conditions and the reinvestment and disinvestment strategy to be employed in dealing with the future net cash flows;
 - (b) the risks associated with investment in regard to receipt of income on such investment or repayment of principal;
 - (c) the expenses associated with the investment functions of the insurer;

- (ii) such best estimate shall be adjusted by the Margin for Adverse Deviation to arrive at the valuation rate of interest
- (iii) Further, the valuation rate of interest,
 - (a) shall not be higher than the rates of interest, determined from prudent assessment of the yields from existing assets attributable to blocks of life insurance business, and the yields which the insurer is expected to obtain from the sums to be invested in the future;
 - (b) shall not be higher than, for the calculation of present value of policy cash flows in respect of a particular category of contracts, the yields on assets maintained for the purpose of such category of contracts;
 - (c) in respect of non-participating business, shall recognize the risk of decline in the future interest rates;
 - (d) in respect of participating business, shall be based on the assumption (with regard to future investment conditions), that the scale of future bonuses used in the valuation is consistent with the valuation rate of interest.
- (6) **Lapse rate**, if considered for valuation, should be a prudent assumption based on past experience of the product or similar products; and shall have regard to the expected future experience based on the nature of the products, target market, distribution channel etc.
- (7) **Other parameters** may be taken into account, depending on the type of policy. In establishing the values of such parameters, the considerations set out in Part III-A of this Schedule shall be taken into account.
- (8) Reinsurance arrangement with an element of borrowing in the form of deposit or credit of any kind from insurer's reinsurers without the prior approval of the Competent Authority shall not be treated as credit for reinsurance for the purpose of determination of required solvency margin.
- (9) In case the mathematical reserve is calculated allowing for outgo in respect of reinsurance premium and credit taken for claim recoveries from reinsurer, the valuation basis and methods shall be as per the Part III of Schedule- I of these regulations.

6. Additional Requirements for Linked Insurance Business:

- (1) Reserves in respect of linked business shall consist of two components, namely, unit reserves or policy account value and general fund reserves.
- (2) Unit reserves or policy account value shall be calculated in respect of the units or policy account value allocated to the policies in force at the valuation date using unit values or policy account value if applicable, at the valuation date.
- (3) General fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:
 - (i) premiums, if any, payable in future;
 - (ii) death benefits, if any, provided by the general fund reserve (over and above the value of units or the policy account value);
 - (iii) charges paid to the general fund;

- (iv) guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (v) fund growth rates and fund management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with clause 5(5) of Part III (A) of Schedule- I of these regulations);
 - (vi) non-negative residual additions, if any,
 - (vii) other future cash flow, if any,
 - (viii) any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves;
- (4) General fund reserve under linked policies calculated as above, if negative, shall be set to zero.
- (5) The general fund reserves shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

7. Additional Requirements for Variable Linked Business:

- (1) Reserve in respect of variable linked business shall consist of two components, namely, policy account reserves and general fund reserves.
- (2) Policy account reserves shall be the balance in Policy Account on the date of valuation.
- (3) General fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account the following, namely:
 - (i) premiums, if any, payable in future;
 - (ii) death benefits, if any, provided by the general fund (over and above the value of policy account);
 - (iii) charges paid to the general fund;
 - (iv) guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (v) policy account growth rates and fund management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with clause 5(5) of Part III (A) of Schedule- I of these regulations);
 - (vi) non-negative residual additions, if any;
 - (vii) other future cash flow, if any,
 - (viii) any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves;
- (4) General fund reserves under variable linked policies calculated as above, if negative, shall be set to zero.
- (5) The general fund reserves shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

8. Additional Requirements for Variable Non-Linked Business (Par and Non-Par):

- (1) Reserve in respect of variable non-linked business shall consist of two components, namely, policy account reserves and general fund reserves.
- (2) Policy account reserves shall be the balance in Policy Account on the date of valuation.
- (3) General fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:
 - (i) premiums, if any, payable in future;
 - (ii) death benefits, if any, provided by the general fund (over and above the value of Policy account);
 - (iii) charges paid to the general fund;
 - (iv) guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (v) policy account growth rates and fund management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with clause 5(5) of Part III (A) of Schedule- I of these regulations);
 - (vi) non-negative residual additions, if any,
 - (vii) other future cash flow, if any,
 - (viii) any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves
 - (ix) future bonuses (one year after valuation date) including terminal bonuses (consistent with the valuation rate of interest)
 - (x) allocation of profit to shareholders, if any, where there is a specified relationship between profits attributable to shareholders and the bonus rates declared for policyholders.

Provided that allowance must be made for tax, if any

- (4) General fund reserves under variable non-linked policies calculated as above, if negative, shall be set to zero.
- (5) The general fund reserves under variable non-linked non-participating business shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.
- (6) The general fund reserves under variable non-linked participating business shall be considered as reserve for non-linked participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

9. Requirements for Additional Provisions:

The Appointed Actuary shall make aggregate provisions in respect of the following, where it is not possible to factor while calculating mathematical reserves for each policy, in the determination of mathematical reserves:

- (1) Policies in respect of which extra premiums have been charged on account of underwriting of substandard lives that are subject to extra risks such as occupation hazard, over-weight, underweight, smoking history, health, climatic or geographical conditions;
- (2) Lapsed policies not included in the valuation but under which a liability exists or may arise;
- (3) Reduced paid-up policies where there is a possibility of revival resulting in additional reserves;
- (4) Options available under individual and group insurance policies;
- (5) Guarantees available to individual and group insurance policies;
- (6) The rates of exchange at which benefits in respect of policies issued in foreign currencies have been converted into Indian Rupees and what provisions have been made for possible increase of mathematical reserves arising from future variations in rates of exchange;
- (7) Pandemic events, if any;
- (8) Others, if any.

10. Solvency Margin

- (1) Every life insurer shall determine the Required Solvency Margin, the Available Solvency Margin, and the Solvency Ratio as per the Forms KT-1, KT-2 and KT-3 as specified under Annexure ActI-6 to Annexure ActI-8 of these regulations.
- (2) The control level of solvency margin shall be one hundred and fifty percent of Required Solvency Margin for the purpose of sub-section 3 of Section 64 VA of Insurance Act, 1938.
- (3) Every life insurer shall at all times maintain solvency margin not below the control level of solvency margin.

11. Health Insurance Business

Where the Life insurer transacts health insurance business providing health covers, the amount of liabilities shall be determined in accordance with the principles specified under these regulations.

12. Business outside India

Where the Life insurer transacts life insurance business in a country outside India as a branch of the insurer and submits statements or returns or any such particulars to the host regulator, the insurer shall enclose the same along with the forms as specified in Part III (B) of Schedule-I of these regulations.

Provided that if Appointed Actuary is of the opinion that the liability and solvency norms outside India where the insurer transacts business, results in lower liability and/or solvency requirement as compared to the liability and solvency norms existing in India, then such person shall require the insurer to set aside additional reserves over and above the reserves shown in the statements or returns or any such particulars submitted to the host regulator of a country outside India so as to comply with the liability and solvency norms existing in India.

13. Furnishing of Statements

Statements of Assets, Liabilities and Solvency Margin shall be furnished in forms as specified under Part III (B) of Schedule-I of these regulations and shall be furnished separately for life insurance business within India and total business transacted by the insurer.

(B) Report and Abstract for Life Insurance Business as stipulated under the Section 13 of the Act.

1. Procedure for Preparation of Actuarial Report and Abstract.

- (1) The abstracts and statements must be so arranged that the number and letters of the paragraphs correspond with clause 2 of Part III(B) of Schedule-I of these regulations.
- (2) The Abstracts and Statements shall be furnished to the Competent Authority, within three months from the end of the period to which they refer to or within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board, whichever is earlier.
- (3) There shall be appended to every such abstract and statement:
 - (i) Certificate signed by the Chief Executive Officer (CEO) that full and accurate particulars of every policy under which there is a liability, either actual or contingent, has been furnished to the Appointed Actuary for the investigation; however, exceptions if any, may be brought out along with action being taken to rectify the deficiency in the valuation data.
 - (ii) Certificate signed by the Appointed Actuary with his remarks, if any, to the effect that:
 - (a) the data furnished by the CEO has been included in conducting the valuation of liabilities for the purpose of the investigation;
 - (b) the provisions of the Act are complied with;
 - (c) the Actuarial Practice Standards issued by Institute of Actuaries of India with the concurrence of the Authority are complied with;
 - (d) reasonable steps have been taken to ensure the accuracy and completeness of data (if any data deficiency is observed this may be highlighted).
 - (e) in the opinion of the Appointed Actuary, the mathematical reserves are adequate to meet insurer's future commitments under the contracts, and the policyholders' reasonable expectations.

2. Requirements Applicable to Abstract and Statements

- (1) Abstracts and statements shall be prepared separately in respect of
 - (i) Participating; and
 - (ii) Non - Participating business
- (2) Every insurer shall append the following statements in the form specified in Annexure ActI-1 to Annexure ActI- 9 to the abstract prepared in accordance with these regulations:
 - (i) Statement of Liabilities – Form H, Form NLB, Form LB, Form VIPNLB and Form VIPLB
 - (ii) Form IA NPAR (In respect of Non-Participating Business)

- (iii) Form IA PAR (In respect of Participating Business)
- (iv) Valuation balance Sheet – Form I
- (v) Statement of Assets - Form AA
- (vi) Form KT-1
- (vii) Form KT-2
- (viii) Statement of Available Solvency Margin and Solvency Ratio - Form KT-3
- (ix) Composition and Distribution of Surplus – Form S

(3) Every insurer shall also submit the following along with above statements:

- (i) With Profit Committee Report
- (ii) Any other forms as prescribed by the Competent Authority from time to time
- (iii) Detailed information regarding the above statements may be obtained in the formats as specified by the Competent Authority.

(4) Each Abstract shall show:

- (i) The **Valuation Date** - The date on which valuation (investigation) is done;
- (ii) **Products** - A list of all products/riders included in the valuation along with their respective UIN;
- (iii) **Foreign Operations** - A brief description of the foreign operations of the insurer, during the inter-valuation period;
- (iv) **Valuation data** - The Appointed Actuary shall comment on the steps taken to verify consistency, completeness and accuracy of data provided by the CEO.
- (v) **Valuation Method** - A brief description of:
 - (a) the methods adopted in the determination of mathematical reserves in respect of insurance products;
 - (b) the method by which age at entry, premium term, maturity date, valuation age, period from the valuation date to the maturity date, have been treated for the purpose of valuation;
 - (c) the manner in which reinsurance has been taken into account in arriving at the valuation reserves net of reinsurance
 - (d) the method of allowing for:
 - (1) Incidence of premium income; and
 - (2) Premiums payable otherwise than annually;
 - (e) valuation methodology for various options and guarantees:
 - (1) Provide the details of various options that are provided under various products included in investigation.
 - (2) Summarize the methods used to make suitable provisions for these options, wherever explicitly provided.
 - (3) Provide the details of various guarantees that are offered under various products included in investigation.
 - (4) Summarize the methods used to make provisions for these guarantees, wherever explicitly provided.

(vi) **Other Adjustments (Provisions):**

The methods by which provisions, if any, have been made for the following matters, along with a statement of bases as part of Valuation bases, wherever necessary:

- (a) Policies in respect of which extra premiums have been charged on account of underwriting of under-average lives that are subject to extra risks such as occupation hazard, over-weight, under-weight, smoking history, health, climatic or geographical conditions;
- (b) Lapsed policies not included in the valuation but under which a liability exists or may arise;
- (c) Reduced paid-up policies where there is possibility of revival resulting in additional reserves;
- (d) Options available under individual and group insurance policies
- (e) Guarantees available to individual and group insurance policies
- (f) The rates of exchange at which benefits in respect of policies issued in foreign currencies have been converted into Indian Rupees and what provision has been made for possible increase of mathematical reserves arising from future variations in rates of exchange;
- (g) Pandemic events, if any;
- (h) Others, if any.

(vii) **Valuation bases:**

Valuation parameters used in the valuation shall be furnished separately for best estimate, margin for adverse deviation and valuation assumptions in the manner as specified in the table hereunder:

Description	Mortality basis used	Morbidity basis used	Inflation rate	Interest Rate	Expenses	Lapse / Surrender, if any	Future bonuses, if any	Others, please specify	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Insurance Product:									
(i) Regular Premium									
(ii) Single premium and Fully paid up									
(iii) Reduced Paid up									
(b) Insurance Product:									
(i) Regular Premium									
(ii) Single premium and Fully paid up									
(iii) Reduced Paid up									

Notes:

- a. Summarize the Margins for Adverse Deviations for these parameters.
- b. Provide the basis for arriving at the valuation parameters along with experience, if any
- c. Summarize and justify any material changes made to the assumptions during the inter-valuation period along with the impact.
- d. Specify separately the expenses related to premiums, sum assured, annuity, etc., and per policy under Column (6) of the table;

- e. Specify items such as terminal bonus in respect of with profit contracts and management charges, unit growth rate, policy account growth rate etc. in respect of linked business under Column (9) of the table;
 - f. Include items related to Other Provisions, if any, as part of Column (9)
3. **Negative Reserves and Guaranteed Surrender Value Deficiency Reserves:**
A brief description of treatment adopted for negative reserves and guaranteed surrender value deficiency reserves shall be furnished.
4. **Return on Assets:**
The yield on investment will be the investment income as a percentage of the mean fund over the period, on assets attributable to blocks of business / segments etc. The value of the assets for this purpose shall be the adjusted values of assets using the asset valuation method prescribed in Part III (A) of Schedule-I of these regulations. The mean fund would be assessed considering the amount and incidence of cash-flow to the fund.
5. **Distribution of surplus:**
The basis adopted in the distribution of surplus as between the shareholders and the policyholders, and whether such distribution was determined by the instruments constituting the Insurer or by its regulations or by-laws or how otherwise shall be mentioned.
6. **Principles adopted in distribution of surplus:**
The general principles adopted in distribution of surplus among policyholders, including statements on following points, shall be furnished:
- (1) Whether the principles were determined by instruments constituting the insurer, or by its regulations or by-laws or otherwise;
 - (2) The number of years premium to be paid, period to elapse and other conditions to be fulfilled before a bonus is allotted;
 - (3) Whether the bonus is allocated in respect of each year's premium paid, or in respect of each calendar year or year of assurance or otherwise; and
 - (4) Whether the bonus vests immediately on allocation, or, if not, conditions of vesting.
7. **Statement of composition of surplus and distribution of surplus in respect of policyholders' funds.**
(1) A Statement of composition of surplus and distribution of surplus in respect of policyholders' funds, showing total amount of surplus as at the Balance sheet date and the allocation of such surplus, shall be furnished separately for participating business and for non-participating business, with the particulars as mentioned below:
- Composition of Surplus:
- (i) Surplus emerging during the valuation year;
 - (ii) Interim Bonuses paid during the inter-valuation period;
 - (iii) Terminal Bonuses paid during the inter-valuation period;
 - (iv) Loyalty Additions or other forms of bonuses, if any, paid during the inter-valuation period;
 - (v) Sum transferred from shareholders' funds during the inter-valuation period;

(vi) Amount of surplus, from policyholders' funds, brought forward from preceding valuation;

(vii) Total Surplus (total of the items (i) to (vi)):

Distribution of Surplus:

Policyholders' Fund:

- (i) To Interim Bonuses paid;
- (ii) To Terminal Bonuses;
- (iii) To Loyalty Additions or any other forms of bonuses, if any;
- (iv) Among policyholders with immediate participation giving the number of policies which participated and the sums assured thereunder (excluding bonuses);
- (v) Among policyholders with deferred participation, giving the number of policies which participated and the sums assured thereunder (excluding bonuses);
- (vi) To every reserve fund or other fund or account (any such sums passed through the accounts during the inter-valuation period to be separately stated);
- (vii) As carried forward un-appropriated.

Share-holders' fund:

- (viii) To the shareholders' funds (any such sums passed through the accounts during the inter valuation period to be separately stated);

Totals:

- (ix) Total Surplus allocated: (total of the items (i) to (viii))

(2) Specimen of Bonuses allotted to policies for one thousand rupees of benefit together with the amounts apportioned under the various manners in which the bonus is receivable, for each type of participating product, shall be furnished.

8. Provisions related to submission of Statements:

- (1) Statements mentioned under clause 2 of Part III (B) of Schedule-I of these regulations shall have the following description, as applicable: -
 - (i) Classification
 - (ii) Type
 - (iii) Category
 - (iv) Division
 - (v) Sub-Class
 - (vi) Group
- (2) There shall be two Classifications, namely, Business Within India and Total Business (consisting of Business within India and Business outside India), with Classification Codes 'BWI' and 'BT' respectively

- (3) There shall be two Types, namely, Participating and Non-Participating with codes 'PAR' and 'NPAR' respectively under each classification.
- (4) There shall be four categories as under each Type namely,
 - (i) Non-Linked (other than Variable Insurance Products) with Category Code 'NL'
 - (ii) Linked (other than Variable Insurance Products) with Category Code 'L'
 - (iii) Non-Linked Variable Insurance Products with category code 'VIP-NL'
 - (iv) Linked Variable Insurance Products with category code 'VIP-L'
- (5) There shall be two Divisions, namely, Individual Business and Group Business, with Division Codes 'I' and 'G' respectively under each Category.
- (6) There shall be four Sub-Classes, namely, Life Business, Pension Business, General Annuity Business and Health Insurance Business with Sub-Class codes 'L', 'P', 'A', and 'HL'
- (7) There shall be two Groups, namely, Immediate Participation, Deferred Participation with Group Codes of 'I-PAR' and 'D-PAR' respectively under the Sub Class – Life Business of Individual Division under Participating Type.
- (8) There shall be two Groups, namely, Immediate Annuity and Deferred Annuity with Group Codes 'IA' and 'DA' under the Sub Class of General Annuity Business.
- (9) There shall be two Groups, namely, Premiums Guaranteed for not more than one year and Premiums Guaranteed for more than one year with Group Codes of 'NGP' and 'GP' respectively under Sub Class of Life Business under the Division of Group Business under Non-Linked Category.
- (10) There shall be two Groups, namely, With Guarantees and Without Guarantee with Group Codes of 'WG' and 'WOG' respectively under each of the categories Linked, Non-Linked Variable Insurance Products and Linked Variable Insurance Products.
- (11) "Nil" Statements shall be furnished for those forms where the insurer has no transactions.
- (12) All figures shall be furnished in thousands and all amounts shall be furnished in Indian Rupees.
- (13) In respect of Group Business, 'the number of policies' in Forms and Statements, wherever applicable, shall be read as 'number of schemes'.

(C) Distribution of Surplus by Life Insurance Companies:

1. Requirement to maintain a life insurance fund:

- (1) A life insurer registered under section 3 of the Act shall be required to maintain separately:
 - (i) A life fund for participating policyholders, and
 - (ii) A life fund for non-participating policyholders.
- (2) Non-Compliance with the requirements of clause 1(1) of Part III (C) of Schedule– I of these regulations shall mean that the life fund maintained by the insurer shall be for the benefit of the participating policy holders only.

2. Procedure for distribution of surplus:

A life insurer, may on the advice of his Appointed Actuary, reserve to its shareholders, a part of the actuarial surplus (also referred to as valuation surplus) arising out of a valuation of assets and liabilities made for a financial year in accordance with Part III of these regulations, in the following manner:

- (1) one hundred percent, in case of a life fund maintained for non-participating policy-holders;
- (2) one-ninth of the surplus allocated to policyholders in case of a life fund maintained for participating policy holders.

Provided that an insurer shall however be required to obtain prior approval of the Authority in cases where the said allocation is not the one-ninth of the surplus.

Provided further that an insurer shall not allocate or reserve exceeding ten percent, of the said actuarial surplus to its shareholders.

Part IV: Valuation of General Insurance Business:

1. Applicability:

This part of regulations shall be applicable to all the general insurers and standalone health insurers.

2. Assets, Liabilities and Solvency Margin:

1. Valuation of Assets:

All assets of a general insurer or a standalone health insurer shall be valued in accordance with Schedule- II – Finance functions of these regulations, other applicable regulations, including IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024 and applicable extant norms, except the following assets which shall be placed with value zero for solvency margin computation:

- (i) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums in India, to the extent they are not realized within a period of thirty days;
- (ii) Premiums receivables relating to State/Central government sponsored schemes, to the extent they are not realized within a period of 365 days;
- (iii) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums outside India, to the extent they are not realizable;
- (iv) Sundry debts, to the extent they are not realizable;
- (v) Advances and receivables of an unrealizable character;
- (vi) Loans and advances as per Schedule – IV of these regulations;
- (vii) Furniture, fixtures, dead stock and stationery;
- (viii) Deferred expenses;
- (ix) Debit balance of Profit and loss appropriation account balance and any fictitious assets other than pre-paid expenses;
- (x) Co-insurer's balances outstanding for more than ninety days;
- (xi) Balances of Indian Reinsurers and Foreign Reinsurers having Branches in India outstanding for more than 365 days;
- (xii) Reinsurer's balances other than mentioned in point (xi) above outstanding for more than 180 days;
- (xiii) Leasehold improvements;
- (xiv) Goods and Services Tax (GST) Unutilized Credit outstanding for more than 120 days;

- (xv) Seventy-five percent of the 'Deferred Tax Asset' other than that arising on account of "Accumulated losses";
- (xvi) 'Deferred Tax Asset' arising on account of "Accumulated losses";
- (xvii) Investments representing unclaimed amounts and investment income accrued or earned thereon;
- (xviii) Any other assets to the extent not realisable.

2. Determination of Amount of Liabilities

The amount of technical liabilities shall be determined on the Valuation Date separately for each line of business and shall be the sum total of Unexpired Risk Reserves and Claims Reserves. The Appointed Actuary shall ensure the reserves estimated are adequate to meet the liabilities.

(i) Unexpired Risk Reserves (URR):

The URR shall be calculated using sound actuarial principles and shall comprise of the following:

(a) Unearned Premium Reserve (UPR):

A reserve for unearned premium shall be provided as the amount representing that part of the premium written which is attributable to, and allocated to the succeeding accounting periods. UPR will be estimated as per the clause 4 of Part II of Schedule- II of these regulations and shall be certified by the Chief Financial Officer and the Statutory Auditor.

(b) Premium Deficiency Reserve (PDR):

The PDR shall be calculated using sound actuarial principles. Though the PDR shall be maintained at the insurer level, PDR on segmental basis would be monitored for assessing the sustainability of products and maintaining at lines of business level. PDR as maintained at the insurer level shall be subject to minimum of zero value.

Premium deficiency shall be recognized if the sum of expected claim costs, expenses and maintenance costs exceeds related unearned premium reserve. Premium deficiency reserve shall be calculated and duly certified by an Appointed Actuary.

(ii) CLAIMS RESERVE

- (a) The Claims Reserve shall be determined as the aggregate amount of Outstanding Claims Reserve, Incurred but Not Reported Claims Reserve (IBNR) and Incurred but not Enough Reported (IBNER) claim reserves as described below for the following lines of business. In case of FRB, the claims reserve may be arrived at aggregate level for each of Motor and Heath lines of business if the granular data is not available.

ITEM NO.	LINE OF BUSINESS
	MOTOR
1	Motor OD - Private car
2	Motor OD - Two Wheeler
3	Motor OD - Commercial Vehicle
4	Motor TP - Private car
5	Motor TP - Two Wheeler
6	Motor TP - Commercial Vehicle (Declined Pool)
7	Motor TP - Commercial Vehicle (TP Pool)
8	Motor TP - Commercial Vehicle (Other than Pool)

	HEALTH
9	Health Insurance - Individual
10	Health Insurance - Group-Government Schemes
11	Health Insurance - Group-Employer/Employee Schemes
12	Health Insurance - Group-Other Schemes
	PERSONAL ACCIDENT
13	Personal Accident – Individual
14	Personal Accident - Group (Government Schemes)
15	Personal Accident – Group (Others)
16	TRAVEL
17	FIRE
	MARINE
18	Marine Cargo
19	Marine – Other than Marine Cargo
	OTHER MISCELLANEOUS
20	Engineering
21	Aviation
22	Product Liability
23	Liability Insurance
24	Workmen Compensation / Employer's Liability
25	Crop Insurance
26	Weather Insurance
27	Credit Insurance
28	Others

(b) Outstanding Claims Reserve:

The outstanding claims reserve shall be determined in the following manner:

- (i) Where the amount of outstanding claims of the insurers is known, the amount is to be provided in full;
- (ii) Where the amount of outstanding claims can be reasonably estimated according to the insurer, insurer shall follow the 'case by case method' after taking into account the explicit allowance for changes in the settlement pattern or average claim amounts, expenses and inflation;
- (iii) For lines of business, where the Appointed Actuary is of the view that the statistical method is most appropriate for the estimation of Outstanding claims, the Appointed Actuary may use the appropriate statistical method of claims reserving instead of following case by case method. In such cases, the claims outstanding reserve shall be certified by Appointed Actuary. Where the Appointed Actuary identifies material changes in the claims handling practices, their impact on the outstanding claims reserve pattern shall be taken into account and reported.

(c) Incurred But Not Reported (IBNR) Claims Reserve:

- (i) The incurred but not reported (IBNR) claims reserve shall be determined using appropriate actuarial principles and methods and shall be certified by the Appointed Actuary.
- (ii) The Appointed Actuary shall estimate IBNR on both net of reinsurance and gross of reinsurance basis.
- (iii) The Appointed Actuary shall estimate the provision for IBNR for each year of occurrence and the figures shall be aggregated to arrive at the total amount to be provided.
- (iv) If estimate of IBNR provision for any year of occurrence produces a negative value, the Appointed Actuary shall consider the IBNR provision for that year of occurrence at least zero.
- (v) The estimation process shall not discount the estimated future development of claims to the current date.

3. Determination of Other Liabilities:

The general insurer shall place a proper value in respect of the following items, in full:

- (i) Provision for bad and doubtful debts; reserve for dividends declared or recommended, and outstanding dividends;
- (ii) Amount due to insurance companies carrying on insurance business;
- (iii) Amount due to sundry creditors;
- (iv) Provision for taxation;
- (v) Foreign exchange reserve; and
- (vi) Other liabilities, if any.

4. Determination of Solvency Margin:

(i) Every general insurer and standalone health insurer shall determine the Required Solvency Margin, the Available Solvency Margin, and the Solvency Ratio in FORM IRDAI-GI-SM in accordance with Annexure ActI-12.

(ii) Control level of solvency margin:

(a) The control level of solvency margin shall be one hundred and fifty percent of Required Solvency Margin for the purpose of sub-section 3 of Section 64 VA of Insurance Act, 1938.

(b) Every general insurer and standalone health insurer shall at all times maintain solvency margin not below the control level of solvency margin.

5. Statements to be Submitted:

- (i) Every general insurer and standalone health insurer shall submit a statement of value of admissible assets in FORM IRDAI-GI-TA in accordance with Annexure ActI- 10.
- (ii) The amount of Required Solvency Margin shall be determined on the Valuation Date separately for each line of business as listed in the FORM IRDAI-GI-SM. Every general insurer and standalone health insurer shall submit a statement of liabilities in FORM IRDAI-GI-TR in accordance with Annexure ActI-11, certified by the Appointed Actuary, Principal Officer, Statutory Auditor and Chief Financial Officer in accordance with Section 64V of the Act.
- (iii) Every general insurer and standalone health insurer shall submit a statement of solvency margin in FORM IRDAI-GI-SM in accordance with Annexure ActI- 12.
- (iv) The general insurer and standalone health insurer shall furnish any additional information as may be specified by the Competent Authority from time to time.
- (v) The Forms as prescribed above, namely, FORM IRDAI-GI-TA, FORM IRDAI-GI-TR and FORM IRDAI-GI-SM shall be furnished separately for General Insurance Business within India and Total Business transacted by the general insurer.
- (vi) These Forms shall be furnished to the Competent Authority, within three months from the end of the period to which they refer to or within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board of the insurer, whichever is earlier, along with any other reports as may be specified by the Competent Authority from time to time.

6. Business Outside India:

Where the insurer transacts general or health insurance business in a country outside India as a branch of the insurer and submits statements or returns or any such particulars to the host regulator of that country, the insurer shall enclose a copy of the same along with the Forms specified in accordance with these regulations and as may be specified by the Competent Authority from time to time.

Provided that if Appointed Actuary is of the opinion that the liability and solvency norms outside India, where the insurer transacts business, results in lower liability and/or solvency requirement as compared to the liability and solvency norms existing in India, then the Appointed Actuary shall require the insurer to set aside additional reserves over and above the reserves shown in the statements or returns or any such particulars submitted to the host regulator of a country outside India so as to comply with the liability and solvency norms existing in India.

Part V: Applicability to Reinsurers including 'Foreign Reinsurer's Branches' for the purpose of determination of solvency margin:**1. Life Reinsurance business:**

- (1) The amount of liabilities shall be determined in accordance with the Part III of Schedule- I of these regulations.
- (2) The Required Solvency Margin shall be determined in accordance with the Part III of Schedule- I of these regulations.
- (3) As regards the business ceded by the insurers, Part III of Schedule- I of these regulations shall be applicable to the net sums at risk retained by the insurer.
- (4) Life Reinsurance business includes life and health insurance business ceded by life insurers.

2. General Reinsurance business:

- (1) The amount of liabilities shall be determined in accordance with the Part IV of Schedule- I of these regulations;
- (2) The Required Solvency Margin shall be determined in accordance with the Part IV of Schedule- I of these regulations
- (3) As regards the business ceded by the insurers, Part IV of Schedule I of these regulations shall be applicable to the net sums at risk retained by the insurer.
- (4) General Reinsurance business includes general and health insurance business ceded by General and standalone health insurers.

3. Valuation of assets:

- (1) The available asset shall be valued at reinsurer level in accordance with Schedule- II – Finance functions of these regulations.
- (2) Inadmissible assets shall be valued in accordance with Part III and Part IV of Schedule- I of these regulations as applicable.

4. Control level of solvency margin:

- (1) The control level of solvency margin shall be one hundred and fifty percent of Total Required Solvency Margin, where Total Required Solvency Margin is the sum of Required Solvency Margin for Life Reinsurance business and Required Solvency Margin of General Reinsurance Business.
- (2) Every reinsurer shall at all times maintain solvency margin not below the control level of solvency margin.

5. Statements to be Submitted:**(1) Statements for Life Reinsurance Business:**

- (i) Statements of Liabilities (Annexure Actl-1)
- (ii) Form KT1(Annexure Actl-6)
- (iii) Form KT2(Annexure Actl-7)

(2) Statements for General Reinsurance Business:

- (i) Form IRDAI-GI-TR (Annexure Actl-11)
- (ii) Table IA of Form IRDAI-GI-SM (Annexure Actl-12)

(3) Combined statements for Life and General Reinsurance business

- (i) Statement of Assets – FORM IRDAI-RI-TA (Annexure Actl-13)
- (ii) Solvency Form - IRDAI-RI-SM (Annexure Actl-14)

(4) Every reinsurer shall submit the statements as specified above under clause 5(1) to 5(3) of Part V of Schedule- I of these regulations.**(5) Any other forms as prescribed by the Competent Authority from time to time**

6. The forms as referred in clause 5 of Part V of Schedule-I of these regulations shall be furnished to the Competent Authority, within three months from the end of the period to which they refer to or within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board of the reinsurer, whichever is earlier, along with any other reports as may be specified by the Competent Authority from time to time.

SCHEDULE – II: FINANCE FUNCTIONS**Part I: Preparation of financial statements, management report of life insurers****1. Applicability**

This part of regulations shall be applicable to all the life insurers.

2. Accounting Principles for Preparation of Financial Statements:

Applicability of Accounting Standards. - Every Balance-Sheet, Revenue Account [Policyholders' Account], Receipts and Payments Account [Cash Flow statement] and Profit and Loss Account [Shareholders' Account] of an insurer shall be in conformity with the Accounting Standards (AS) as notified under the Companies Act, 2013, to the extent applicable to insurers carrying on life insurance business, except that-

- (1) Accounting Standard 3 (AS 3) - Cash Flow Statements - Cash Flow Statement shall be prepared only under the Direct Method.
- (2) Accounting Standard 17 (AS 17) - Segment Reporting - shall apply to all insurers irrespective of the requirements regarding listing and turnover mentioned therein.

3. Premium:

Premium shall be recognised as income when due. For linked business the due date for payment may be taken as the date when the associated units are created.

4. Acquisition Costs:

Acquisition costs, if any, shall be expensed in the period in which they are incurred.

Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts. The most essential test is the obligatory relationship between costs and the execution of insurance contracts (i.e., commencement of risk).

5. Claims Cost:

The ultimate cost of claims shall comprise the policy benefit amount and specific claims settlement costs, wherever applicable.

6. Actuarial Valuation - Liability for Life Policies:

The estimation of liability against life policies shall be determined by the appointed actuary of the insurer pursuant to his annual investigation of the life insurance business. Actuarial assumptions are to be disclosed by way of notes to the account.

The liability shall be so calculated that together with future premium payments and investment income, the insurer can meet all future claims (including bonus entitlements to policyholders) and expenses.

7. Procedure to determine value of investments:

An insurer shall determine the values of investments in the following manner:

(1) Real Estate - Investment Property:

The value of investment property shall be determined at historical cost, subject to revaluation at least once in every three years. The change in the carrying amount of the investment property shall be taken to Revaluation Reserve.

The insurer shall assess at each balance sheet date whether any impairment of the investment property has occurred.

Gains/losses arising due to changes in the carrying amount of real estate shall be taken to equity under 'Revaluation Reserve'. The 'Profit on sale of investments' or 'Loss on sale of investments', as the case may be, shall include accumulated changes in the carrying amount previously recognised in equity under the heading 'Revaluation Reserve' in respect of a particular property and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on sale of that property.

The bases for revaluation shall be disclosed in the notes to accounts. The Competent Authority may issue directions specifying the amount to be released from the revaluation reserve for declaring bonus to the policyholders. For the removal of doubt, it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as per the Competent Authority's direction, no other amount shall be distributed to shareholders out of Revaluation Reserve Account.

An impairment loss shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account immediately, unless the asset is carried at re-valued amount. Any impairment loss of a re-valued asset shall be treated as a revaluation decrease of that asset and if the impairment loss exceeds the corresponding revaluation reserve, such excess shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account.

(2) Debt Securities:

Debt securities, including government securities and redeemable preference shares, shall be considered as "held to maturity" securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation.

(3) Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in active markets:

Listed equity securities and derivative instruments that are traded in active markets shall be measured at fair value on the balance sheet date. Measurement for the purpose of calculation of fair value shall

be the last quoted closing price on NSE. However, in case of any stock not being listed in NSE, the insurer may value the Equity based on the last quoted closing price in BSE.

The insurer shall assess on each balance sheet date whether any impairment of listed equity security(ies)/derivative(s) instruments has occurred.

An active market shall mean a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing sellers is normal and the prices are publicly available.

Unrealised gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to equity under the head 'Fair Value Change Account'. The 'Profit on sale of investments' or 'Loss on sale of investments', as the case may be, shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading 'Fair Value Change Account' in respect of a particular security and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on actual sale of that listed security.

The Competent Authority may issue directions specifying the amount to be released from the Fair Value Change Account for declaring bonus to the policyholders. For the removal of doubt, it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as per the Competent Authority's prescription, no other amount shall be distributed to shareholders out of Fair Value Change Account. Also, any debit balance in Fair Value Change Account shall be reduced from profit/free reserves while declaring dividends.

The insurer shall assess, on each balance sheet date, whether any impairment has occurred. An impairment loss (i.e. other than temporary diminution in value) shall be recognised as an expense in Revenue/Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security/investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in Revenue/Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/Profit and Loss Account.

Insurer shall disclose its policy on recognition of impairment in notes to account.

(4) Unlisted and other than actively traded Equity Securities and Derivative Instruments:

Unlisted equity securities and derivative instruments and listed equity securities and derivative instruments that are not regularly traded in active markets shall be measured at historical cost. Provision shall be made for diminution in value of such investments. The provision so made shall be reversed in subsequent periods if estimates based on external evidence show an increase in the value of the investment over its carrying amount. The increased carrying amount of the investment due to the reversal of the provision shall not exceed the historical cost.

For the purposes of this regulation, a security shall be considered as being not actively traded, if as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI, such a security is classified as "thinly traded".

(5) Loans:

Loans shall be measured at historical cost subject to impairment provisions.

The insurer shall assess the quality of its loan assets and shall provide for impairment. The impairment provision shall not be lower than the amounts derived on the basis of guidelines prescribed from time to time by the Reserve Bank of India, that apply to companies and financial institutions.

(6) Linked Business:

The accounting principles used for valuation of investments are to be consistent with principles enumerated above. A separate set of financial statements, for each segregated fund of the linked businesses, shall be annexed.

Segregated funds represent funds maintained in accounts to meet specific investment objectives of policy-holders who bear the investment risk. Investment income/gains and losses generally accrue directly to the policyholders. The assets of each account are segregated and are not subject to claims that arise out of any other business of the insurer.

(7) Funds for future appropriation:

The funds for future appropriation shall be presented separately.

The funds for future appropriation represent all funds, the allocation of which, either to the policyholders or to the shareholders, has not been determined by the end of the financial year.

8. Disclosures Forming Part of Financial Statements**(1) The following shall be disclosed by way of notes to the Balance Sheet:**

- (i) Contingent Liabilities:
 - (a) Partly-paid up investments
 - (b) Underwriting commitments outstanding
 - (c) Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts;
 - (d) Guarantees given by or on behalf of the company
 - (e) Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for
 - (f) Reinsurance Obligations to the extent not provided for in accounts
 - (g) Others (to be specified).
- (ii) Actuarial assumptions for valuation of liabilities for life policies in force.
- (iii) Encumbrances to assets of the company in and outside India.
- (iv) Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.
- (v) Basis of amortisation of debt securities.
- (vi) Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the balance sheet date.
- (vii) Value of contracts in relation to investments, for:
 - (a) Purchases where deliveries are pending;
 - (b) Sales where payments are overdue.
- (viii) Operating expenses relating to insurance business: basis of allocation and apportionment of expenditure to various segments of business.
- (ix) Computation of managerial remuneration.
- (x) Historical costs of those investments valued on fair value basis.
- (xi) Basis of revaluation of investment property.
- (xii) Provisions made for policy cancellations during free look period in current year and previous year duly certified by the appointed actuary
- (xiii) Disclosure that contributions made by the shareholders to the Policyholders' A/c are irreversible in nature, and shall not be recouped to the shareholders at any point of time in future with reference to the general meeting of the insurer at which such prior approval of the shareholders has been obtained.

(2) The following accounting policies shall form an integral part of the financial statements:

- (i) All significant accounting policies in terms of the accounting standards and significant principles and policies given in Part I of Accounting Principles. Any other accounting policies, followed by the insurer, shall be stated in the manner required under Accounting Standard AS 1.
- (ii) Any departure from the accounting policies shall be separately disclosed with reasons for such departure.

(3) The following information shall also be disclosed:

- (i) Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its amount, nature, security and any special rights in and outside India;
- (ii) Segregation into performing/non-performing investments for purpose of income recognition as per the directions, if any, issued by the Competent Authority;
- (iii) Assets to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered in or outside India;
- (iv) Percentage of business sector wise;
- (v) Bases of allocation of investments and income thereon between Policy-holders' Account and Share-holders' Account;
- (vi) Disclosure of policy and principles for provisioning for policy cancellations during free look period, based on assumptions and experience, duly certified by the appointed actuary
- (vii) Any other information as may be specified.

9. General Instructions for Preparation of Financial Statements

- (1) The corresponding amounts for the immediately preceding financial year for all items shown in the Balance Sheet, Revenue Account, Profit and Loss Account and Receipts and Payments Account shall be given.
- (2) The figures in the financial statements may be rounded off to the nearest Lakhs.
- (3) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated at gross amount, the amount of income tax deducted at source should be included under "advance taxes paid" and taxes deducted at source.
- (4) For the purposes of financial statements, unless the context otherwise requires, -
 - (i) the expression "provision" shall, subject to (v) below mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability or loss of which the amount cannot be determined with substantial accuracy;
 - (ii) the expression "reserve" shall not, subject to as aforesaid, include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability or loss;
 - (iii) the expression "capital reserve" shall not include any amount regarded as free for distribution through the profit and loss account; and the expression "revenue reserve" shall mean any reserve other than a capital reserve;
 - (iv) The expression "liability" shall include all liabilities in respect of expenditure contracted for and all disputed or contingent liabilities.
 - (v) Where-
 - (a) any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or
 - (b) any amount retained by way of providing for any known liability or loss, is in excess of the amount which in the opinion of the directors is reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated as a reserve and not provision.
- (5) The company shall make provisions for damages under lawsuits where the management is of the opinion that the award may go against the insurer.
- (6) Extent of risk retained and re-insured shall be separately disclosed.
- (7) Any debit balance of the Profit and Loss Account shall be shown as deduction from uncommitted reserves and the balance, if any, shall be shown separately.
- (8) All insurers are required to maintain separate investment accounts for the shareholders and the policy holders and the income/ losses accrued / capital gains/losses on the investments is to be credited /debited to the Revenue Account/ Profit & Loss Account, as the case may be.

10. Contents of Management Report:

There shall be attached to the financial statements, a management report containing, inter alia, the following duly authenticated by the management: -

- (1) Confirmation regarding the continued validity of the registration granted by the Authority;
- (2) Certification that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid;
- (3) Confirmation to the effect that the shareholding pattern and any transfer of shares during the year are in accordance with the statutory or regulatory requirements;
- (4) Declaration that the management has not directly or indirectly invested outside India the funds of the holders of policies issued in India;
- (5) Confirmation that the required solvency margins have been maintained;
- (6) Certification to the effect that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in his (insurer's) belief the assets set forth in the Balance-sheets are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value under the several headings - " Loans", " Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", " Sundry Debtors", " Bills Receivable", " Cash" and the several items specified under "Other Accounts";
- (7) Certification to the effect that no part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investment of the life insurance funds;
- (8) Disclosure with regard to the overall risk exposure and strategy adopted to mitigate the same;
- (9) Operations in other countries, if any, with a separate statement giving the management's estimate of country risk and exposure risk and the hedging strategy adopted;
- (10) Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years;
- (11) Certification to the effect as to how the values, as shown in the balance sheet, of the investments and stocks and shares have been arrived at, and how the market value thereof has been ascertained for the purpose of comparison with the values so shown;
- (12) Review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios, i.e., separately in terms of real estate, loans, investments, etc.
- (13) A responsibility statement indicating therein that: -
 - (i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
 - (ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;
 - (iii) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - (iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
 - (v) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
- (14) A schedule of payments, which have been made to individuals, firms, companies and organizations in which Directors of the insurer are interested.
- (15) Confirmation of compliance with domestic, statutory, regulatory and other laws in the countries in relation to subsidiaries, associates, joint ventures and other arrangements.
- (16) Any other information as may be specified.

11. Preparation of Financial Statements

- (1) An insurer shall prepare the Revenue Account [Policy-holders' Account], Profit and Loss Account [Share-holders' Account] and the Balance Sheet in Form A-RA, Form A-PL and Form A-BS, as prescribed in this Part, or as near thereto as the circumstances permit.

Provided that an insurer shall prepare the financial statements and the schedules therein for the under mentioned businesses separately and to that extent the application of AS 17 shall stand modified: -

- (i) Linked Business- (a) Life, (b) Pension, (c) Health, (d) Others
 - (ii) Non-Linked Business Participating- (a) Life, (b) Pension, (c) Health, (iv) Others
 - (iii) Non-Linked Business -Non-Participating- (a) Life, (b) Pension, (c) Health, (d) Others
 - (iv) Business within India and business outside India.
 - (v) Any other segment as may be specified.
- (2) An insurer shall prepare separate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method prescribed in AS 3 - "Cash Flow Statement".

FORM A-RA			
Name of the insurer:			
Registration no. And date of registration with the IRDAI			
Revenue Account for the year ended 31st march, 20__.			
Policyholders' Account (Technical Account)		(Amount in Rs. Lakhs)	
Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
Premiums earned – net			
(a) Premium	1		
(b) Reinsurance ceded			
(c) Reinsurance accepted			
Income from Investments			
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross			
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)			
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value ₁			
(e) Amortisation of Premium / Discount on investments			
Other Income (to be specified)			
Contribution from Shareholders' A/c			
(a) Towards Excess Expenses of Management ²			
(b) Towards remuneration of MD/CEO/MTD/Other KMPs ³			
(c) Others			
TOTAL (A)			
Commission	2		
Operating Expenses related to Insurance Business	3		
Provision for doubtful debts			
Bad debts written off			
Provision for Tax			
Provisions (other than taxation)			
(a) For diminution in the value of investments (Net)			
(b) For others (to be specified)			

Goods and Services Tax on ULIP Charges			
TOTAL (B)			
Benefits Paid (Net)	4		
Interim Bonuses Paid			
Change in valuation of liability in respect of life policies			
(a) Gross ⁴			
(b) Amount ceded in Reinsurance			
(c) Amount accepted in Reinsurance			
(d) Fund Reserve for Linked Policies			
(e) Fund for Discontinued Policies			
TOTAL (C)			
SURPLUS/ (DEFICIT) (D) =(A)-(B)-(C) ⁵			
Amount transferred from Shareholders' Account (Non-technical Account) ⁶			
Amount available for appropriation			
Appropriations			
Transfer to Shareholders' Account			
Transfer to Other Reserves (to be specified)			
Balance being Funds for Future Appropriations			
TOTAL			

¹ Represents the deemed realised gain as per specified norms.

² In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

³ In case annual remuneration exceeds the specified limit,

⁴ Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus

⁵ The total surplus shall be disclosed separately with the following details:

(a) Interim Bonuses Paid:

(b) Allocation of Bonus to policyholders:

(c) Surplus shown in the Revenue Account:

(d) Total Surplus: [(a)+(b)+(c)].

⁶ In case of deficit in the Revenue Account

Note:

a) Reinsurance premiums whether on business ceded or accepted are to be brought into account gross (i.e. before deducting commissions) under the head reinsurance premiums.

b) Items of income in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs.5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.

c) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross amount, the amount of income tax deducted at source being included under 'advance taxes paid and taxes deducted at source'.

d) Income from rent shall include only the realised rent. It shall not include any notional rent.

e) Under the sub-head "Other Income" items like foreign exchange gains or losses and other items shall be included.

FORM A-PL			
Name of the Insurer:			
Registration No. and Date of Registration with the IRDAI			
Profit & loss account for the year ended 31st March, 20 ____.			
Shareholders' Account (Non-technical Account)		(Amount in Rs. Lakhs)	
Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
Amounts transferred from the Policyholders Account (Technical Account)			
Income from Investments			
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross			
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)			

(d) Amortisation of Premium / Discount on Investments			
Other Income (to be specified)			
TOTAL (A)			
Expense other than those directly related to the insurance business			
Contribution to Policyholders' A/c			
(a) Towards Excess Expenses of Management ¹			
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs ²			
(c) Others			
Interest on subordinated debt			
Expenses towards CSR activities			
Penalties			
Bad debts written off			
Amount Transferred to Policyholders' Account ³			
Provisions (Other than taxation)			
(a) For diminution in the value of investments (Net)			
(b) Provision for doubtful debts			
(c) Others (to be specified)			
TOTAL (B)			
Profit/ (Loss) before tax			
Provision for Taxation			
Profit / (Loss) after tax			
APPROPRIATIONS			
(a) Balance at the beginning of the year.			
(b) Interim dividend paid			
(c) Final dividend paid			
(d) Transfer to reserves/ other accounts (to be specified)			
Profit/Loss carried forward to Balance Sheet			

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

³ In case of deficit in the Revenue Account

Note:

a) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross amount, the amount of income tax deducted at source being included under 'advance taxes paid and taxes deducted at source'.

b) Income from rent shall include only the realised rent. It shall not include any notional rent.

FORM A-BS			
Name of the Insurer:			
Registration No. and Date of Registration with the IRDAI			
Balance sheet as at 31st March, 20____. (Amount in Rs. Lakhs)			
Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
Sources of funds			
Shareholders' funds:			
Share capital	5 & 5A		
Share application money pending allotment			
Reserves and surplus	6		
Credit/[debit] fair value change account			
Sub-total			
Borrowings	7		
Policyholders' funds:			
Credit/[debit] fair value change account			

Policy liabilities			
Funds for discontinued policies:			
(i) Discontinued on Account of Non-Payment Of Premiums			
(ii) others			
Insurance reserves ¹			
Provision for linked liabilities			
Sub-total			
Funds for future appropriations			
Linked			
Non-linked (non-par)			
Non-linked (par)			
Deferred tax liabilities (net)			
Total			
Application of funds			
Investments			
Shareholders'	8		
Policyholders'	8A		
Assets held to cover linked liabilities	8B		
Loans	9		
Fixed assets	10		
Deferred tax assets (net)			
Current assets			
Cash and bank balances	11		
Advances and other assets	12		
Sub-total (a)			
Current liabilities	13		
Provisions	14		
Sub-total (b)			
Net current assets (c) = (a – b)			
Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)	15		
Debit balance in profit & loss account (shareholders' account)			
Deficit in Revenue Account (policyholders' account)			
Total			

¹ the Insurance Reserves cannot be a negative figure

Contingent Liabilities		(Amount in Rs. Lakhs)		
	Particulars		Current Year	Previous Year
1	Partly paid-up investments			
2	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the company			
3	Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities) (a)			
4	Guarantees given by or on behalf of the Company			
5	Statutory demands/ liabilities in dispute, not provided for			
6	Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts			
7	Others (to be specified)			
	(a)			
	(b)			
	TOTAL			

Note:

(a) Underwriting commitments outstanding- Commitments to underwrite the subscription to a new issue of

shares, but the liability for which is contingent upon the issue not being fully subscribed. It is, however, clarified that insurers are presently not permitted to underwrite issues.

- (b) Re-insurance obligations - it includes obligations under reinsurance contracts with the insurer in respect of which, there are subsisting obligations as at the balance sheet date but for valid reasons, the insurer has not made any provision.

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE 1			
Premium			
		(Amount in Rs. Lakhs)	
	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1	First year premiums		
2	Renewal Premiums		
3	Single Premiums		
	TOTAL PREMIUM		
	Premium Income from Business written :		
	In India		
	Outside India		
	Notes:-		
	a) Premium income received from business concluded in and outside India shall be separately disclosed.		
	b) Premium to be reported excluding Goods & service tax.		

SCHEDULE 2			
Commission Expenses			
		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Commission		
	Direct – First year premiums		
	- Renewal premiums		
	- Single premiums		
	Gross Commission		
	Add: Commission on Re-insurance Accepted		
	Less: Commission on Re-insurance Ceded		
	Net Commission		
	TOTAL		
	Channel wise break-up of Commission (Excluding Reinsurance commission):		
	Individual agents		
	Corporate Agents-Banks/FII/HFC		
	Corporate Agents -Others		
	Brokers		
	Micro Agents		
	Direct Business - Online ¹		
	Direct Business - Others		
	Common Service Centre (CSC)		
	Web Aggregators		
	IMF		
	Point of Sales (Direct)		
	Others (Please Specify)		
	Commission (Excluding Reinsurance) Business written:		

	In India		
	Outside India		

¹ Commission on Business procured through Company website

Note:

Profit Commission should be adjusted with the Reinsurance ceded/ accepted and should not be shown in the Schedule of Commission Expenses

SCHEDULE 3			
Operating Expenses Related to Insurance Business (Amount in Rs. Lakhs)			
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Employees' remuneration & welfare benefits		
2	Travel, conveyance and vehicle running expenses		
3	Training expenses		
4	Rents, rates & taxes		
5	Repairs		
6	Printing & stationery		
7	Communication expenses		
8	Legal & professional charges		
9	Medical fees		
10	Auditors' fees, expenses etc		
	a) as auditor		
	b) as adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) Taxation matters		
	(ii) Insurance matters		
	(iii) Management services; and		
	c) in any other capacity		
11	Advertisement and publicity		
12	Interest & Bank Charges		
13	Depreciation		
14	Brand/Trade Mark usage fee/charges		
15	Business Development and Sales Promotion Expenses		
16	Stamp duty on policies		
17	Information Technology Expenses		
18	Goods and Services Tax (GST)		
19	Others (to be specified)		
	TOTAL		
	Operating Expenses Related to Insurance Business		
	In India		
	Outside India		

Note:

- Items of expenses in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs.5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.
- Expenses paid for various outsourcing activities/arrangements are to be booked under relevant line item on the basis of nature of services availed and not to be shown as "Outsourcing Expenses"

SCHEDULE 4			
Benefits Paid [Net] (Amount in Rs. Lakhs)			
	Particulars	Current Year	Previous Year
	1. Insurance Claims		

	(a) Claims by Death		
	(b) Claims by Maturity		
	(c) Annuities/Pension payment		
	(d) Periodical Benefit		
	(e) Health		
	(f) Surrenders		
	(g) any other (please specify)		
	Benefits Paid (Gross)		
	In India		
	Outside India		
	2. (Amount ceded in reinsurance):		
	(a) Claims by Death		
	(b) Claims by Maturity		
	(c) Annuities/Pension payment		
	(d) Periodical Benefit		
	(e) Health		
	(f) any other (please specify)		
	3. Amount accepted in reinsurance:		
	(a) Claims by Death		
	(b) Claims by Maturity		
	(c) Annuities/Pension payment		
	(d) Periodical Benefit		
	(e) Health		
	(f) any other (please specify)		
	Benefits Paid (Net)		
	In India		
	Outside India		

Note:

- Claims incurred shall comprise claims paid, specific claims settlement costs wherever applicable and change in the outstanding provision for claims
- Fees and expenses connected with claims shall be included in claims.
- Legal and other fees and expenses shall also form part of the claims cost, wherever applicable.

SCHEDULE 5			
Share Capital		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Authorised Capital		
	Equity Shares of Rs..... each		
	Preference Shares of Rs..... each		
2	Issued Capital		
	Equity Shares of Rs..... each		
	Preference Shares of Rs..... each		
3	Subscribed Capital		
	Equity Shares of Rs.....each		
	Preference Shares of Rs..... each		
4	Called-up Capital		
	Equity Shares of Rs.....each		
	Less : Calls unpaid		

	Add : Shares forfeited (Amount originally paid up)		
	Less : Par value of Equity Shares bought back		
	Less : Preliminary Expenses		
	Expenses including commission or brokerage on		
	Underwriting or subscription of shares		
	Preference Shares of Rs..... each		
	TOTAL		

Note:

- Particulars of the different classes of capital should be separately stated.
- The amount capitalised on account of issue of bonus shares should be disclosed.
- In case any part of the capital is held by a holding company, the same should be separately disclosed.

SCHEDULE 5A				
Pattern of Shareholding [As certified by the Management]				
Shareholder	Current Year		Previous Year	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
· Indian				
· Foreign				
Investors¹				
· Indian				
· Foreign				
Others(to be specified)²				
· Indian				
· Foreign				
TOTAL				

¹ Investors as defined under IRDAI regulations as amended from time to time

² Others may include ESOPs etc.

SCHEDULE 6			
Reserves and Surplus		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Capital Reserve		
2	Capital Redemption Reserve		
3	Share Premium		
4	Revaluation Reserve		
5	General Reserves		
	Less: Amount utilized for Buy-back of shares		
	Less: Amount utilized for issue of Bonus shares		
6	Catastrophe Reserve		
7	Other Reserves (to be specified)		
8	Balance of profit in Profit and Loss Account		
	TOTAL		

Note:

- Additions to and deductions from the reserves shall be disclosed under each of the specified heads.

SCHEDULE 7			
Borrowings		(Amount in Rs. Lakhs)	
Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Debentures/ Bonds		
2	From Banks		
3	From Financial Institutions		
4	From Others (to be specified)		
	TOTAL		

Note:

- The extent to which the borrowings are secured shall be separately disclosed stating the nature of the security under each sub-head, as given below.
- Amounts due within 12 months from the date of Balance Sheet should be shown separately.
- Debentures include NCDs issued as per IRDAI regulations as amended from time to time

Disclosure for Secured Borrowings (Refer Note a)				
		(Amount in Rs. Lakhs)		
Sl.No.	Source / Instrument	Amount Borrowed	Amount of Security	Nature of Security
1				
2				
3				
4				
5				
...				

SCHEDULE 8			
Investments-Shareholders		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Long Term Investments		
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2	Other Approved Securities		
3	Other Investments		
	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	Investment Properties-Real Estate		
4	Investments in Infrastructure and Housing Sector		
5	Other than Approved Investments		
	Short Term Investments		
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		

2	Other Approved Securities		
3	Other Investments		
	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	Investment Properties-Real Estate		
4	Investments in Infrastructure and Housing Sector		
5	Other than Approved Investments		
	TOTAL		

Note: See Notes appended at the end of Schedule 8B.

SCHEDULE 8-A			
Investments-Policyholders		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Long Term Investments		
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2	Other Approved Securities		
3	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	(g) Investment Properties-Real Estate		
4	Investments in Infrastructure and Housing Sector		
5	Other than Approved Investments		
	Short Term Investments		
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2	Other Approved Securities		
3	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	(g) Investment Properties-Real Estate		
4	Investments in Infrastructure and Housing Sector		
5	Other than Approved Investments		
	TOTAL		

Note: See Notes appended at the end of Schedule 8B.

SCHEDULE 8B			
Assets Held To Cover Linked Liabilities		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Long Term Investments		
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2	Other Approved Securities		
3	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	(g) Investment Properties-Real Estate		
4	Investments in Infrastructure and Housing Sector		
5	Other than Approved Investments		
	Short Term Investments		
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2	Other Approved Securities		
3	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	(g) Investment Properties-Real Estate		
4	Investments in Infrastructure and Housing Sector		
5	Other than Approved Investments		
6	Other Current Assets (Net)		
	TOTAL		

Notes (Applicable to Schedules 8, 8-A & 8-B)

- a) Investments in subsidiary/holding companies, joint ventures and associates shall be separately disclosed, at cost.
 - i) Holding company and subsidiary shall be construed as defined in the Companies Act, 2013.
 - ii) Joint Venture is a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity, which is subject to joint control.
 - iii) Joint control - is the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating policies of an economic activity to obtain benefits from it.
 - iv) Associate - is an enterprise in which the company has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the company.
 - v) Significant influence (for the purpose of this schedule) -means participation in the financial and operating policy decisions of a company, but not control of those policies. Significant influence may be exercised in several ways, for example, by representation on the board of directors, participation in the policymaking process, material inter-company transactions, interchange of managerial personnel or dependence on technical information. Significant influence may be gained by share

ownership, statute or agreement. As regards share ownership, if an investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, 20 percent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does have significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, less than 20 percent of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does not have significant influence, unless such influence is clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an investor from having significant influence.

- b) Aggregate amount of company's investments other than listed equity securities and derivative instruments and also the market value thereof shall be disclosed.
- c) Investment made out of Catastrophe reserve should be shown separately.
- d) Debt securities will be considered as "held to maturity" securities and will be measured at historical costs subject to amortisation
- e) Investment Property means a property [land or building or part of a building or both] held to earn rental income or for capital appreciation or for both, rather than for use in services or for administrative purposes.
- f) Investments maturing within twelve months from balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose of within twelve months from balance sheet date shall be classified as short-term investments

Disclosure for Schedules 8, 8A & 8B

Aggregate value of Investments other than Listed Equity Securities and Derivative Instruments								
(Amount in Rs. Lakhs)								
Particulars	Shareholders		Policyholders		Assets held to cover Linked Liabilities		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Long Term Investments:								
Book Value								
Market Value								
Short Term Investments:								
Book Value								
Market Value								

Note: Market Value in respect of Shareholders and Policyholders investments should be arrived as per the guidelines prescribed for linked business investments as specified

SCHEDULE 9			
(Amount in Rs. Lakhs)			
Loans			
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Security-Wise Classification		
	Secured		
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.		
	(c) Loans against policies		
	(d) Others (to be specified)		
	Unsecured		
	TOTAL		
2	Borrower-Wise Classification		
	(a) Central and State Governments		
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(c) Subsidiaries		
	(d) Companies		
	(e) Loans against policies		
	(f) Others (to be specified)		
	TOTAL		
3	Performance-Wise Classification		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) Non-standard loans less provisions		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	TOTAL		
4	Maturity-Wise Classification		
	(a) Short Term		
	(b) Long Term		
	TOTAL		

Note:

a) Short-term loans shall include those, which are repayable within 12 months from the date of balance sheet. Long term loans shall be the loans other than short-term loans.

b) Provisions against non-performing loans shall be shown separately.

- c) The nature of the security in case of all long term secured loans shall be specified in each case. Secured loans for the purposes of this schedule, means loans secured wholly or partly against an asset of the company.
- d) Loans considered doubtful and the amount of provision created against such loans shall be disclosed.

Provisions against Non-performing Loans			
	Non-Performing Loans	Loan Amount (Rs. Lakhs)	Provision (Rs. Lakhs)
	Sub-standard		
	Doubtful		
	Loss		
	Total		

SCHEDULE 10										
Fixed Assets					(Amount in Rs. Lakhs)					
Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Openi ng	Additi ons	Dedu ctions	Closi ng	Up to Last Year	For The Period	On Sales/ Adjustm ents	To Date	Curr ent Year	Previous Year
Goodwill										
Intangibles (specify)										
Land-Freehold										
Leasehold Property										
Buildings										
Furniture & Fittings										
Information Technology Equipment										
Vehicles										
Office Equipment										
Others (Specify nature)										
TOTAL										
Work in progress										
Grand Total										
Previous Year										

Note: Assets included in land, property and building above exclude Investment Properties as defined in note (e) to Schedule 8

SCHEDULE 11			
Cash and Bank Balances		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Cash (including cheques ¹ , drafts and stamps)		
2	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts		
	(aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)		
	(bb) Others		
	(b) Current Accounts		
	(c) Others (to be specified)		
3	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Banks		
	(b) With other Institutions		
4	Others (to be specified)		
	TOTAL		
	Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above		
	Cash & Bank Balances		
	In India		
	Outside India		
	TOTAL		

¹ Cheques on hand amount to Rs. _____ (in Lakhs)

Corresponding period of Previous year Rs. _____ (in Lakhs)

Note: Bank balance may include remittances in transit. If so, the nature and amount shall be separately stated.

SCHEDULE 12			
Advances and Other Assets		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Advances		
1	Reserve deposits with ceding companies		
2	Application money for investments		
3	Prepayments		
4	Advances to Directors/Officers		
5	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)		
6	Goods & Service tax credit		
7	Others (to be specified)		
	TOTAL (A)		
	Other Assets		
1	Income accrued on investments		
2	Outstanding Premiums		
3	Agents' Balances		
4	Foreign Agencies Balances		
5	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)		
6	Due from subsidiaries / holding company		
7	Investments held for Unclaimed Amount of Policyholders		

8	Interest on investments held for Unclaimed Amount of Policyholders		
9	Others (to be specified)		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A+B)		

Note:

- (a) The items under the above heads shall not be shown net of provisions for doubtful amounts. The amount of provision against each head should be shown separately.
- (b) The term 'officer' should conform to the definition of that term as given under the Companies Act, 2013
- (c) Sundry debtors will be shown under item 9 (Others)

SCHEDULE 13			
Current Liabilities		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Agents' Balances		
2	Balances due to other insurance companies		
3	Deposits held on re-insurance ceded		
4	Premiums received in advance		
5	Unallocated premium		
6	Sundry creditors		
7	Due to subsidiaries/ holding company		
8	Claims Outstanding		
9	Annuities Due		
10	Due to Officers/ Directors		
11	Unclaimed Amount of policyholders		
12	Income accrued on Unclaimed amounts		
13	Interest payable on debentures/bonds		
14	Goods and Service tax Liabilities		
15	Others (to be specified)		
	TOTAL		
Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon			
(Amount in Rs. Lakhs)			
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Opening Balance as at 1st April		
	Add: Amount transferred to unclaimed amount		
	Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)		
	Add: Investment Income on Unclaimed Fund		
	Less: Amount of claims paid during the year		
	Less: Amount transferred to SCWF during the year (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)		
	Closing Balance of Unclaimed Amount as at 31st March		

SCHEDULE 14			
Provisions (Amount in Rs. Lakhs)			
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	For Taxation (less payments and taxes deducted at source)		
2	For Employee Benefits		
3	For Others (To be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE 15			
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted) (Amount in Rs. Lakhs)			
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Discount Allowed in issue of shares/ debentures		
2	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Note:

- (a) No item shall be included under the head "Miscellaneous Expenditure" and carried forward unless:
1. some benefit from the expenditure can reasonably be expected to be received in future, and
 2. the amount of such benefit is reasonably determinable.
- (b) The amount to be carried forward in respect of any item included under the head "Miscellaneous Expenditure" shall not exceed the expected future revenue/other benefits related to the expenditure.

Part II: Preparation of financial statements, management report of general insurers including health insurers and those insurers engaged exclusively in reinsurance business**1. Applicability:**

This part of regulations shall be applicable to all the general insurers including health insurers and those insurers engaged exclusively in reinsurance business, unless otherwise specified.

2. Accounting Principles for Preparation of Financial Statements:

Every Balance Sheet, Receipts and Payments Account [Cash Flow statement] and Profit and Loss Account [Share-holders' Account] of the insurer shall be in conformity with the Accounting Standards (AS) as notified under Companies Act, 2013, to the extent applicable to the insurers carrying on general insurance business, except that-

- (1) Accounting Standard 3 (AS 3) - Cash Flow Statements - Cash Flow Statement shall be prepared only under the Direct Method.
- (2) Accounting Standard 13 (AS 13) - Accounting for Investments, shall not be applicable.
- (3) Accounting Standard 17 (AS 17) - Segment Reporting - shall apply to all insurers irrespective of the requirements regarding listing and turnover mentioned therein.

3. Premium:

- (1) Premium shall be recognized as income over the contract period or the period of risk, whichever is appropriate.
- (2) "Premium received in Advance" is the premium where the period of inception of the risk is outside the accounting period and is to be shown under current liabilities.
- (3) "Unallocated premium" includes premium deposit and premium which has been received but for which risk has not commenced. It is to be shown under current liabilities.

4. Unearned Premium Reserve:

A reserve for unearned premium shall be created as the amount representing that part of the premium written which is attributable and allocated to the succeeding accounting periods. Such Reserves shall be computed as under:

- (1) Marine Hull - 100 percent of Net Written Premium during the preceding twelve months;
- (2) Other Segments - 50 percent of Net Written Premium during the preceding twelve months; or on the basis of proportion of the unexpired period to the total period of the respective policies.

However, Insurers shall follow the method of provisioning of Unearned Premium Reserve in a consistent manner. Any change in the method of provisioning can be done only with the prior written approval of the Competent Authority.

5. Premium Deficiency:

Premium deficiency shall be recognised at the insurer level, if the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceeds related reserve for unexpired risks.

6. Acquisition Costs:

Acquisition costs, if any, shall be expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with, and are primarily related to, the acquisition of new and renewal insurance contracts. The most essential test is the obligatory relationship between costs and the execution of insurance contracts (i.e. commencement of risk).

7. Claims:

The components of the ultimate cost of claims to an insurer comprise the claims under policies and specific claims settlement costs. Claims under policies comprise the claims made for losses incurred, and those estimated or anticipated under the policies following a loss occurrence.

A liability for outstanding claims shall be brought to account in respect of both direct business and inward reinsurance business. The liability shall include:

- (1) Future payments in relation to unpaid reported claims;
- (2) Claims Incurred But Not Reported (IBNR) including inadequate reserves [sometimes referred to as Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER)], which will result in future cash/asset outgo for settling liabilities against those claims. Change in estimated liability represents the difference between the estimated liability for outstanding claims at the beginning and at the end of the financial period.

The accounting estimate shall also include claims cost adjusted for estimated salvage value if there is sufficient degree of certainty of its realisation.

8. Actuarial Valuation of claim liability - in some cases:

Claims made in respect of contracts where the claims payment period exceeds four years shall be recognised on an actuarial basis, subject to regulations that may be prescribed by the Authority. In such cases, certificate from a appointed actuary as to the fairness of liability assessment must be obtained. Actuarial assumptions shall be suitably disclosed by way of notes to the account.

9. Procedure to determine the value of investments:

An insurer shall determine the values of investments in the following manner:

(1) Real Estate - Investment Property:

The value of investment property shall be determined at historical cost, subject to revaluation at least once in every three years. The change in the carrying amount of the investment property shall be taken to Revaluation Reserve.

The insurer shall assess at each balance sheet date whether any impairment of the investment property has occurred.

Gains/losses arising due to changes in the carrying amount of real estate shall be taken to equity under 'Revaluation Reserve'. The 'Profit on sale of investments' or 'Loss on sale of investments', as the case may be, shall include accumulated changes in the carrying amount previously recognised in equity under the heading 'Revaluation Reserve' in respect of a particular property and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on sale of that property.

The bases for revaluation shall be disclosed in the notes to accounts.

An impairment loss shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account immediately, unless the asset is carried at re-valued amount. Any impairment loss of a re-valued asset shall be treated as a revaluation decrease of that asset and if the impairment loss exceeds the corresponding revaluation reserve, such excess shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account.

(2) Debt Securities:

Debt securities including government securities and redeemable preference shares shall be considered as "held to maturity" securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation.

(3) Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in active markets:

Listed equity securities and derivative instruments that are traded in active markets shall be measured at fair value as at the balance sheet date. Measurement for the purpose of calculation of fair value shall be the last quoted closing price on NSE. However, in case of any stock not being listed in NSE, the insurer may value the Equity based on the last quoted closing price in BSE.

The insurer shall assess on each balance sheet date whether any impairment of listed equity security(ies)/derivative(s) instruments has occurred.

An active market shall mean a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing sellers is normal and the prices are publicly available.

Unrealised gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to equity under the head "Fair Value Change Account". The "Profit on sale of investments" or "Loss on sale of investments", as the case may be, shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading Fair Value Change Account in respect of a particular security and being recycled to Profit and Loss Account on actual sale of that listed security.

For the removal of doubt, it is clarified that balance or any part thereof shall not be available for distribution as dividends. Also, any debit balance in the said Fair Value Change Account shall be reduced from the profits/free reserves while declaring dividends.

The insurer shall assess, at each balance sheet date, whether any impairment has occurred. An impairment loss (i.e. other than temporary diminution in value) shall be recognised as an expense in Revenue/Profit and Loss Account to the extent of the difference between the remeasured fair value of the security/investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in Revenue/Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/Profit and Loss Account.

Insurer shall disclose its policy on recognition of impairment in notes to account.

(4) Unlisted and other than actively traded Equity Securities and Derivative Instruments:

Unlisted equity securities and derivative instruments and listed equity securities and derivative instruments that are not regularly traded in active market will be measured at historical costs. Provision shall be made for diminution in value of such investments. The provision so made shall be reversed in subsequent periods if estimates based on external evidence show an increase in the value of the investment over its carrying amount. The increased carrying amount of the investment due to the reversal of the provision shall not exceed the historical cost.

For the purposes of this regulation, a security shall be considered as being not actively traded, if as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI, such a security is classified as "thinly traded".

(5) Loans:

Loans shall be measured at historical cost subject to impairment provisions.

The insurer shall assess the quality of its loan assets and shall provide for impairment. The impairment provision shall not be lower than the amounts derived on the basis of guidelines prescribed from time to time by the Reserve Bank of India, that apply to companies and financial institutions.

(6) Catastrophe Reserve:

Catastrophe reserve shall be created in accordance with norms, as specified. Investment of funds out of catastrophe reserve shall be made in accordance with prescriptions, as specified.

10. Disclosures Forming Part of Financial Statements:**(1) The following shall be disclosed by way of notes to the Balance-Sheet, -**

- (i) Contingent Liabilities:
 - (a) Partly-paid up investments
 - (b) Underwriting commitments outstanding
 - (c) Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts
 - (d) Guarantees given by or on behalf of the company
 - (e) Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for
 - (f) Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts
 - (g) Others (to be specified)
- (ii) Encumbrances to assets of the company in and outside India.
- (iii) Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.
- (iv) Claims, less reinsurance, paid to claimants in/outside India.
- (v) Actuarial assumptions for determination of claim liabilities in the case of claims where the claims payment period exceeds four years.
- (vi) Ageing of claims - distinguishing between claims outstanding for more than six months and other claims.
- (vii) Premiums, less reinsurance, written from business in/outside India.
- (viii) Extent of premium income recognised, based on varying risk pattern, category wise, with basis and justification therefor, including whether reliance has been placed on external evidence.
- (ix) Value of contracts in relation to investments, for-
 - (a) Purchases where deliveries are pending;
 - (b) Sales where payments are overdue.
- (x) Operating expenses relating to insurance business: basis of allocation and apportionment of expenditure to various classes of business.
- (xi) Historical costs of those investments valued on fair value basis.
- (xii) Computation of managerial remuneration.
- (xiii) Basis of amortisation of debt securities.
- (xiv) (a) Unrealised gain/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments are to be taken to equity under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss Account.
(b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.
- (xv) Fair value of investment property and the basis therefor.
- (xvi) Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the balance sheet date.
- (xvii) Provisions made for policy cancellations during free look period in current year and previous year duly certified by the appointed actuary
- (xviii) Basis of computation of premium deficiency

(2) The following accounting policies shall form an integral part of the financial statements:

- (i) All significant accounting policies in terms of the accounting standards, and significant principles and policies given in Part I of Accounting Principles. Any other accounting policies followed by the insurer shall be stated in the manner required under Accounting Standard AS 1.
- (ii) Any departure from the accounting policies as aforesaid shall be separately disclosed with reasons for such departure.

(3) The following information shall also be disclosed:

- (i) Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its amount, nature, security and any special rights in and outside India;
- (ii) Segregation into performing/non-performing investments for purpose of income recognition as per the directions, if any, issued by the Competent Authority;
- (iii) Percentage of business sector-wise;
- (iv) Basis of allocation of Interest, Dividends and Rent between Revenue Account and Profit and Loss Account.
- (v) Disclosure of policy and principles for provisioning for policy cancellations during free look period, based on assumptions and experience, duly certified by the appointed actuary.
- (vi) Any other information as may be specified.

11. GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

- (1) The corresponding amounts for the immediately preceding financial year for all items shown in the Balance Sheet, Revenue Account and Profit and Loss Account should be given.
- (2) The figures in the financial statements may be rounded off to the nearest lakhs.
- (3) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross value, the amount of income tax deducted at source being included under "advance taxes paid".
- (4) Income from rent shall not include any notional rent.
- (5) For the purposes of financial statements, unless the context otherwise requires,
 - (i) the expression "provision" shall, subject to note (v) below mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability or loss of which the amount cannot be determined with substantial accuracy;
 - (ii) the expression "reserve" shall not, subject to as aforesaid, include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability;
 - (iii) the expression "capital reserve" shall not include any amount regarded as free for distribution through the profit and loss account; and the expression "revenue reserve" shall mean any reserve other than a capital reserve;
 - (iv) The expression "liability" shall include all liabilities in respect of expenditure contracted for and all disputed or contingent liabilities.
 - (v) Where:
 - (a) any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or
 - (b) any amount retained by way of providing for any known liability is in excess of the amount which in the opinion of the directors is reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated for the purposes of these accounts as a reserve and not as a provision.
- (6) The company should make provisions for damages under lawsuits where the management is of the opinion that the award may go against the insurer.
- (7) Extent of risk retained and reinsured shall be separately disclosed.
- (8) Any debit balance of Profit and Loss Account shall be shown as deduction from uncommitted reserves and the balance if any, shall be shown separately.
- (9) All insurers are required to maintain separate investment accounts for the shareholders and the policy holders and the income/ losses accrued / capital gains/losses on the investments is to be credited /debited to the Revenue Account/ Profit & Loss Account, as the case may be.

12. Contents of Management Report:

There shall be attached to the financial statements, a management report containing, inter alia, the following duly authenticated by the management:

- (1) Confirmation regarding the continued validity of the registration granted by the Authority;
- (2) Certification that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid;
- (3) Confirmation to the effect that the shareholding pattern and any transfer of shares during the year are in accordance with the statutory or regulatory requirements;
- (4) Declaration that the management has not directly or indirectly invested outside India the funds of the holders of policies issued in India;
- (5) Confirmation that the required solvency margins have been maintained;
- (6) Certification to the effect that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in his (insurer's) belief the assets set forth in the Balance-sheets are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value under the several headings - "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and the several items specified under "Other Accounts";
- (7) Disclosure with regard to the overall risk exposure and strategy adopted to mitigate the same;
- (8) Operations in other countries, if any, with a separate statement giving the management's estimate of country risk and exposure risk and the hedging strategy adopted;
- (9) Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years;
- (10) Certification to the effect as to how the values, as shown in the balance sheet, of the investments and stocks and shares have been arrived at, and how the market value thereof has been ascertained for the purpose of comparison with the values so shown;
- (11) Review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios, i.e., separately in terms of real estate, loans, investments, etc.
- (12) A responsibility statement indicating therein that:
 - (i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
 - (ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;
 - (iii) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - (iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
 - (v) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
- (13) A schedule of payments, which have been made to individuals, firms, companies and organizations in which Directors of the insurer are interested.
- (14) Confirmation of compliance with domestic, statutory, regulatory and other laws in the countries in relation to subsidiaries, associates, joint ventures and other arrangements.
- (15) Any other information as may be specified.

13. Preparation of Financial Statements

- (1) An insurer shall prepare the Revenue Account, Profit and Loss Account [Shareholders' Account] and the Balance Sheet in Form B-RA, Form B-PL, and Form B-BS, or as near thereto as the circumstances permit.

In addition, in respect of miscellaneous business, separate Schedules shall be furnished for the following at the minimum:

- (i) Under Motor: sub-segments (a) Motor Own Damage and (b) Motor TP, (Insurers engaged exclusively in Reinsurance business may prepare the schedule at overall Motor level)
 - (ii) Under Health: sub-segments (a) Health, (b) Personal Accident and (c) Travel,
 - (iii) Workmen's Compensation/ Employer's liability,
 - (iv) Public/ Product Liability,
 - (v) Engineering,
 - (vi) Aviation,
 - (vii) Crop,
 - (viii) Any other sub-segment contributing more than 10% of the total gross direct premium of the insurer shall be shown separately.
 - (ix) Others.
 - (x) Any other segment as may be specified.
- (2) Segments to be reported on the basis of line of business, and on the basis of business within and outside India. While giving the segment details of corresponding previous year's figures should also be given for all the segments.
- (3) An insurer shall prepare separate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method prescribed in AS 3 - "Cash Flow Statement".

FORM B-RA				
Name of the Insurer: _____				
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____				
Revenue Account for Fire Segment for the year ended 31st march, 20....				
(Amount in Rs. Lakhs)				
	Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
1	Premiums earned (Net)	1		
2	Profit/ Loss on sale/ redemption of Investments			
3	Interest, Dividend & Rent – Gross Note 1			
4	Other			
	(a) Other Income (to be specified) (i)..... (ii).....			
	(b) Contribution from the Shareholders' Account (i) Towards Excess Expenses of Management ¹ (ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs ² (iii) Others (please specify)			
	TOTAL (A)			
5	Claims Incurred (Net)	2		
6	Commission	3		
7	Operating Expenses related to Insurance Business	4		
	TOTAL (B)			

8	Operating Profit/(Loss) C= (A - B)			
9	Appropriations			
	Transfer to Shareholders' Account			
	Transfer to Catastrophe Reserve			
	Transfer to Other Reserves (to be specified)			
	TOTAL (C)			

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

Notes: (a) See notes appended at the end of FORM B-PL

Note - 1

<u>Pertaining to Policyholder's funds</u>	(Amount in Rs. Lakhs)	
	Current Year	Previous Year
Interest, Dividend & Rent		
Add/Less:-		
Investment Expenses		
Amortisation of Premium/ Discount on Investments		
Amount written off in respect of depreciated investments		
Provision for Bad and Doubtful Debts		
Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		
Investment income from Pool		
Interest, Dividend & Rent – Gross*		

* Term gross implies inclusive of TDS

FORM B-RA				
Name of the Insurer: _____				
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____				
Revenue Account for Marine segment for the year ended 31st march, 20....				
(Amount in Rs. Lakhs)				
	Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
1	Premiums earned (Net)	1		
2	Profit/ Loss on sale/ redemption of Investments			
3	Interest, Dividend & Rent – Gross Note 1			
4	Other			
	(a) Other Income (to be specified)			
	(i)			
	(ii).....			
	(b) Contribution from the Shareholders' Account			
	(i) Towards Excess Expenses of Management ¹			

	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/CTD/Other KMPs ²			
	(iii) Others (please specify)			
	TOTAL (A)			
5	Claims Incurred (Net)	2		
6	Commission	3		
7	Operating Expenses related to Insurance Business	4		
	TOTAL (B)			
8	Operating Profit/(Loss) C= (A - B)			
9	Appropriations			
	Transfer to Shareholders' Account			
	Transfer to Catastrophe Reserve			
	Transfer to Other Reserves (to be specified)			
	TOTAL (C)			

Notes:- (a) See notes appended at the end of FORM B-PL

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

Note - 1

<u>Pertaining to Policyholder's funds</u>	(Amount in Rs. Lakhs)	
	Current Year	Previous Year
Interest, Dividend & Rent		
<u>Add/Less:-</u>		
Investment Expenses		
Amortisation of Premium/ Discount on Investments		
Amount written off in respect of depreciated investments		
Provision for Bad and Doubtful Debts		
Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		
Investment income from Pool		
Interest, Dividend & Rent – Gross*		

* Term gross implies inclusive of TDS

FORM B-RA				
Name of the Insurer: _____				
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____				
Revenue Account for Miscellaneous segment for the year ended 31st march, 20.... (Amount in Rs. Lakhs)				
	Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
1	Premiums earned (Net)	1		
2	Profit/ Loss on sale/ redemption of Investments			
3	Interest, Dividend & Rent – Gross Note 1			
4	Other			
	(a) Other Income (to be specified)			
	(i)			
	(ii).....			
	(b) Contribution from the Shareholders' Account			
	(i) Towards Excess Expenses of Management ¹			
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/CTD/Other KMPs ²			
	(iii) Others (please specify)			
	TOTAL (A)			
5	Claims Incurred (Net)	2		
6	Commission	3		
7	Operating Expenses related to Insurance Business	4		
	TOTAL (B)			
8	Operating Profit/(Loss) C= (A - B)			
9	Appropriations			
	Transfer to Shareholders' Account			
	Transfer to Catastrophe Reserve			
	Transfer to Other Reserves (to be specified)			
	TOTAL (C)			

Notes:- (a) See notes appended at the end of FORM B-PL

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

Note - 1

<u>Pertaining to Policyholder's funds</u>	(Amount in Rs. Lakhs)	
	Current Year	Previous Year
Interest, Dividend & Rent		
Add/Less:-		
Investment Expenses		
Amortisation of Premium/ Discount on Investments		
Amount written off in respect of depreciated investments		

Provision for Bad and Doubtful Debts		
Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		
Investment income from Pool		
Interest, Dividend & Rent – Gross*		

* Term gross implies inclusive of TDS

FORM B-RA				
Name of the Insurer: _____				
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____				
Revenue Account for Marine segment for the year ended 31st march, 20....				
(Amount in Rs. Lakhs)				
	Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
1	Premiums earned (Net)	1		
2	Profit/ Loss on sale/ redemption of Investments			
3	Interest, Dividend & Rent – Gross Note 1			
4	Other			
	(a) Other Income (to be specified) (i) (ii).....			
	(b) Contribution from the Shareholders' Account (i) Towards Excess Expenses of Management ¹ (ii) Towards remuneration of MD/CEO/MTD/Other KMPs ² (iii) Others (please specify)			
	TOTAL (A)			
5	Claims Incurred (Net)	2		
6	Commission	3		
7	Operating Expenses related to Insurance Business	4		
	TOTAL (B)			
8	Operating Profit/(Loss) C= (A - B)			
9	Appropriations			
	Transfer to Shareholders' Account			
	Transfer to Catastrophe Reserve			
	Transfer to Other Reserves (to be specified)			
	TOTAL (C)			

Notes:- (a) See notes appended at the end of FORM B-PL

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

Note - 1

Pertaining to Policyholder's funds	(Amount in Rs. Lakhs)	
	Current Year	Previous Year
Interest, Dividend & Rent		

Add/Less:-		
Investment Expenses		
Amortisation of Premium/ Discount on Investments		
Amount written off in respect of depreciated investments		
Provision for Bad and Doubtful Debts		
Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		
Investment income from Pool		
Interest, Dividend & Rent – Gross*		

* Term gross implies inclusive of TDS

FORM B-RA				
Name of the Insurer: _____				
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____				
Revenue Account for Miscellaneous segment for the year ended 31st march, 20.... (Amount in Rs. Lakhs)				
	Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
1	Premiums earned (Net)	1		
2	Profit/ Loss on sale/ redemption of Investments			
3	Interest, Dividend & Rent – Gross Note 1			
4	Other			
	(a) Other Income (to be specified)			
	(i)			
	(ii).....			
	(b) Contribution from the Shareholders' Account			
	(i) Towards Excess Expenses of Management ¹			
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTG/Other KMPs ²			
	(iii) Others (please specify)			
	TOTAL (A)			
5	Claims Incurred (Net)	2		
6	Commission	3		
7	Operating Expenses related to Insurance Business	4		
	TOTAL (B)			
8	Operating Profit/(Loss) C= (A - B)			
9	Appropriations			
	Transfer to Shareholders' Account			
	Transfer to Catastrophe Reserve			
	Transfer to Other Reserves (to be specified)			
	TOTAL (C)			

Notes:- (a) See notes appended at the end of FORM B-PL

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

Note - 1

<u>Pertaining to Policyholder's funds</u>	(Amount in Rs. Lakhs)	
	Current Year	Previous Year
Interest, Dividend & Rent		
Add/Less:-		
Investment Expenses		
Amortisation of Premium/ Discount on Investments		
Amount written off in respect of depreciated investments		
Provision for Bad and Doubtful Debts		
Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		
Investment income from Pool		
Interest, Dividend & Rent – Gross*		

* Term gross implies inclusive of TDS

FORM B-RA				
Name of the Insurer: _____				
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____				
Revenue Account for the company (total) the year ended 31st march, 20....				
(Amount in Rs. Lakhs)				
	Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
1	Premiums earned (Net)	1		
2	Profit/ Loss on sale/ redemption of Investments			
3	Interest, Dividend & Rent – Gross Note 1			
4	Other			
	(a) Other Income (to be specified)			
	(i)			
	(ii).....			
	(b) Contribution from the Shareholders' Account			
	(i) Towards Excess Expenses of Management ¹			
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTG/Other KMPs ²			
	(iii) Others (please specify)			
	TOTAL (A)			
5	Claims Incurred (Net)	2		
6	Commission	3		
7	Operating Expenses related to Insurance Business	4		
8	Premium Deficiency			
	TOTAL (B)			
9	Operating Profit/(Loss) C= (A - B)			
1	Appropriations			

	Transfer to Shareholders' Account			
	Transfer to Catastrophe Reserve			
	Transfer to Other Reserves (to be specified)			
	TOTAL (C)			

Notes:- (a) See notes appended at the end of FORM B-PL

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

Note - 1

<u>Pertaining to Policyholder's funds</u>	(Amount in Rs. Lakhs)	
	Current Year	Previous Year
Interest, Dividend & Rent		
<u>Add/Less:-</u>		
Investment Expenses		
Amortisation of Premium/ Discount on Investments		
Amount written off in respect of depreciated investments		
Provision for Bad and Doubtful Debts		
Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		
Investment income from Pool		
Interest, Dividend & Rent – Gross*		

*** Term gross implies inclusive of TDS**

FORM B-PL				
Name of the Insurer: _____				
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____				
Profit and Loss Account for the year ended 31st march, 20.....				
(Amount in Rs. Lakhs)				
	Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
1	Operating Profit/(Loss)			
	(a) Fire Insurance			
	(b) Marine Insurance			
	(c) Miscellaneous Insurance			
2	Income From Investments			
	(a) Interest, Dividend & Rent – Gross			
	(b) Profit on sale of investments			
	(c) (Loss on sale/ redemption of investments)			
	(d) Amortization of Premium / Discount on Investments			
3	Other Income (To be specified)			
	TOTAL (A)			
4	Provisions (Other than taxation)			
	(a) For diminution in the value of investments			
	(b) For doubtful debts			
	(c) Others (to be specified)			
5	Other Expenses			
	(a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	(b) Bad debts written off			
	(c) Interest on subordinated debt			
	(d) Expenses towards CSR activities			
	(e) Penalties			
	(f) Contribution to Policyholders' A/c			
	(i) Towards Excess Expenses of Management ¹			
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/CTD/Other KMPs ²			
	(iii) Others (please specify)			
	(g) Others (Please specify)			
	(i) _____			
	(ii) _____			
	TOTAL (B)			
6	Profit/(Loss) Before Tax			
7	Provision for Taxation			
8	Profit / (Loss) after tax			
9	Appropriations			
	(a) Interim dividends paid during the year			
	(b) Final dividend paid			
	(c) Transfer to any Reserves or Other Accounts (to be specified)			

	Balance of profit/ loss brought forward from last year			
	Balance carried forward to Balance Sheet			

¹ In case expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations,

² In case annual remuneration exceeds the specified limit,

Notes to Form B-RA and B- PL

- (a) Items of income in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs.5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.
- (b) Under the sub-head "Others" items like foreign exchange gains or losses and other items shall be included
- (c) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross amount, the amount of income tax deducted at source being included under 'advance taxes paid and taxes deducted at source'. The expenses pertaining to investment income e.g. Amortisation, Write off, other Investments expenses etc. are to be deducted from this other than separately disclosed here.
- (d) Income from rent shall include only the realized rent. It shall not include any notional rent.

FORM B-BS			
Name of the Insurer: _____			
Registration No. _____ and Date of Registration with the IRDAI _____			
Balance sheet as at 31st march, 20....			
(Amount in Rs. Lakhs)			
Particulars	Schedule Ref.	Current Year	Previous Year
Sources of Funds			
Share capital	5 & 5A		
Share application money pending allotment			
Reserves and surplus	6		
Head office account*	6A		
Fair value change account			
-Shareholders' Funds			
-Policyholders' Funds			
Borrowings	7		
TOTAL			
Application of Funds			
Investments-Shareholders	8		
Investments-Policyholders	8A		
Loans	9		
Fixed assets	10		
Deferred tax asset (net)			
Current Assets			
Cash and Bank Balances	11		
Advances and Other Assets	12		
Sub-Total (A)			
Deferred Tax Liability (Net)			
Current Liabilities	13		
Provisions	14		
Sub-Total (B)			
Net Current Assets (C) = (A - B)			
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	15		
Debit Balance In Profit And Loss Account			
TOTAL			

* in case of branches of foreign re-insurers and Lloyd's India only

Contingent liabilities

(Amount in Rs. Lakhs)

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Partly paid-up investments		
2. Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the company		
3. Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)		
4. Guarantees given by or on behalf		

of the Company		
5. Statutory demands/ liabilities in dispute, not provided for		
6. Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts		
7 Others (to be specified) (a). _____ (b). _____		
TOTAL		

Note:

- (a) Underwriting commitments outstanding- Commitments to underwrite the subscription to a new issue of shares, but the liability for which is contingent upon the issue not being fully subscribed. It is, however, clarified that insurers are presently not permitted to underwrite issues.
- (b) Re-insurance obligations - it includes obligations under reinsurance contracts with the insurer in respect of which, there are subsisting obligations as at the balance sheet date but for valid reasons, the insurer has not made any provision.

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE 1		
Premium Earned [Net]	(Amount in Rs. Lakhs)	
Particulars	Current Year	Previous Year
Gross Direct Premium		
Add: Premium on reinsurance accepted		
Less : Premium on reinsurance ceded		
Net Written Premium / Net Premium Income		
Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)		
Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)		
Net Earned Premium		
Gross Direct Premium		
- In India		
- Outside India		

SCHEDULE 2		
Claims Incurred [Net]	(Amount in Rs. Lakhs)	
Particulars	Current Year	Previous Year
Claims Paid (Direct)		
Add :Re-insurance accepted to direct claims		
Less :Re-insurance Ceded to claims paid		
Net Claim Paid		
Add Claims Outstanding at the end of the year		
Less: Claims Outstanding at the beginning of the year		
Net Incurred Claims		
Claims Paid (Direct)		
-In India		
-Outside India		
Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)		
Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)		

Notes:

- Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred but not enough reported [IBNER] claims should be included in the amount for outstanding claims.
- Claims includes specific claims settlement cost but not expenses of management.
- The surveyor fees, legal and other expenses shall also form part of claims cost, wherever applicable.
- Claims cost should be adjusted for estimated salvage value if there is a sufficient certainty of its realization.
- Separate disclosure to be made for segment/sub-segment which contributes more than 10 percent of the total gross direct premium.

SCHEDULE 3			
Commission		(Amount in Rs. Lakhs)	
Particulars		Current Year	Previous Year
Gross Commission			
Add:	Commission on Re-insurance Accepted		
Less:	Commission on Re-insurance Ceded		
Net Commission			
Channel wise break-up of Commission (Gross):			
Individual Agents			
Corporate Agents-Banks/FII/HFC			
Corporate Agents-Others			
Insurance Brokers			
Direct Business - Online ^c			
MISP (Direct)			
Web Aggregators			
Insurance Marketing Firm			
Common Service Centers			
Micro Agents			
Point of Sales (Direct)			
Other (to be specified)			
TOTAL			
Commission (Excluding Reinsurance)			
Business written :			
In India			
Outside India			

Notes:

(a) The profit /commission, if any, are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures.

(b) Separate disclosure to be made for segment/sub-segment which contributes more than 10 percent of the total gross direct premium

^c Commission on Business procured through Company website

SCHEDULE 4			
Operating expenses related to insurance business		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Employees' remuneration & welfare benefits		
2	Travel, conveyance and vehicle running expenses		
3	Training expenses		
4	Rents, rates & taxes		
5	Repairs		
6	Printing & stationery		
7	Communication expenses		
8	Legal & professional charges		
9	Auditors' fees, expenses etc.		
	(a) as auditor		
	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) Taxation matters		
	(ii) Insurance matters		
	(iii) Management services; and		
	(c) in any other capacity		
10	Advertisement and publicity		
11	Interest & Bank Charges		

12	Depreciation		
13	Brand/Trade Mark usage fee/charges		
14	Business Development and Sales Promotion Expenses		
15	Information Technology Expenses		
16	Goods and Services Tax (GST)		
17	Others (to be specified) ^a		
	TOTAL		
	In India		
	Outside India		

Notes:

(a) Items of expenses in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs.5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.

(b) Separate disclosure to be made for segment/sub-segment which contributes more than 10 percent of the total gross direct premium

(c) Expenses paid for various outsourcing activities/arrangements are to be booked under relevant line item on the basis of nature of services availed and not to be shown as "Outsourcing Expense"

SCHEDULE 5			
Share Capital		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Authorised Capital		
	Equity Shares of Rs..... each		
	Preference Shares of Rs..... each		
2	Issued Capital		
	Equity Shares of Rs.each		
	Preference Shares of Rs..... each		
3	Subscribed Capital		
	Equity Shares of Rs.....each		
	Preference Shares of Rs..... each		
4	Called-up Capital		
	Equity Shares of Rs.each		
	Less : Calls unpaid		
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)		
	Less : Par Value of Equity Shares bought back		
	Less : Preliminary Expenses		
	Expenses including commission or brokerage on		
	Underwriting or subscription of shares		
	Preference Shares of Rs..... each		
	TOTAL		

Notes:

(a) Particulars of the different classes of capital should be separately stated.

(b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares should be disclosed.

(c) In case any part of the capital is held by a holding company, the same should be separately disclosed.

SCHEDULE 5A				
Pattern of Shareholding				
[As certified by the Management]				
Shareholder	Current Year		Previous Year	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
· Indian				
· Foreign				
Investors ¹				
· Indian				
· Foreign				
Others ²				
· Indian				
· Foreign				
TOTAL				

¹ Investors as defined under relevant regulations

² Others may include ESOPs

SCHEDULE 6			
Reserves and Surplus		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Capital Reserve		
2	Capital Redemption Reserve		
3	Share Premium		
4	Revaluation Reserve		
5	General Reserves		
	Less: Amount utilized for Buy-back		
	Less: Amount utilized for issue of Bonus shares		
6	Catastrophe Reserve		
7	Other Reserves (to be specified)		
8	Balance of Profit in Profit & Loss Account		
	TOTAL		

Notes:

(a) Additions to and deductions from the reserves should be disclosed under each of the specified heads.

SCHEDULE 6A			
Head Office Account Schedule			
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Opening Balance of Assigned capital		
	Add: Addition during the year		
	Closing Balance of Assigned Capital*		
	TOTAL		

Note: *Represents irreversible fixed amount funded by Head Office as per terms of registration and no amount/balance shall be transferred out of the Country without approval of the Competent Authority.

SCHEDULE 7			
Borrowings		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Debentures/ Bonds		
2	Banks		
3	Financial Institutions		
4	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Notes:

- The extent to which the borrowings are secured shall be separately disclosed stating the nature of the security under each sub-head.
- Amounts due within 12 months from the date of Balance Sheet should be shown separately
- Debentures include NCDs issued as per relevant regulations.

Disclosure For Secured Borrowings (Refer Note a)

(Amount in Rs. Lakhs)				
Sl. No.	Source / instrument	Amount borrowed	Amount of security	Nature of security
1				
2				
3				
4				
5				

SCHEDULE 8 AND 8A							
Investment schedule		(Amount in Rs. Lakhs)					
	Particulars	SCH-8		SCH-8A		Total	
		Shareholders		Policyholders			
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	Long Term Investments						
1	Government securities						

	and Government guaranteed bonds including Treasury Bills						
2	Other Approved Securities						
3	Other Investments						
	(a) Shares						
	(aa) Equity						
	(bb) Preference						
	(b) Mutual Funds						
	(c) Derivative Instruments						
	(d) Debentures/ Bonds						
	(e) Other Securities (to be specified)						
	(f) Subsidiaries						
	(g) Investment Properties-Real Estate						
4	Investments in Infrastructure and Housing						
5	Other than Approved Investments						
	Short Term Investments						
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills						
2	Other Approved Securities						
3	Other Investments						
	(a) Shares						
	(aa) Equity						
	(bb) Preference						
	(b) Mutual Funds						
	(c) Derivative Instruments						
	(d) Debentures/ Bonds						
	(e) Other Securities (to be specified)						
	(f) Subsidiaries						
	(g) Investment Properties-Real Estate						
4	Investments in Infrastructure and Housing						
5	Other than Approved Investments						
	TOTAL						
	GRNAD TOTAL						

Notes:

(a) Investments in subsidiary/holding companies, joint ventures and associates shall be separately disclosed, at cost.

- (i) Holding company and subsidiary shall be construed as defined in the Company Act 2013:
- (ii) Joint Venture is a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity, which is subject to joint control.
- (iii) Joint control is the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating policies of an economic activity to obtain benefits from it.
- (iv) Associate is an enterprise in which the company has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the company.
- (v) Significant influence (for the purpose of this schedule) - means participation in the financial and operating policy decisions of a company, but not control of those policies. Significant influence may be exercised in several ways, for example, by representation on the board of directors, participation in the policymaking process, material inter-company transactions, interchange of managerial personnel or dependence on technical information. Significant influence may be gained by share ownership, statute or agreement. As regards share ownership, if an investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, 20 percent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does have significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, less than 20 percent of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does not have significant influence, unless such influence is clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an investor from having significant influence.

(b) Investments made out of Catastrophe reserve should be shown separately.

(c) Debt securities will be considered as "held to maturity" securities and will be measured at historical cost subject to amortisation.

(d) Investment Property means a property [land or building or part of a building or both] held to earn rental income or for capital appreciation or for both, rather than for use in services or for administrative purposes.

(e) Investments maturing within twelve months from balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose of within twelve months from balance sheet date shall be classified as short-term investments

(f) Investment regulations, as amended from time to time, to be referred

(g) Aggregate amount of company's investments other than listed equity securities and derivative instruments and also the market value thereof shall be disclosed as specified below

Aggregate value of Investments other than Listed Equity Securities and Derivative Instruments

(Amount in Rs. Lakhs)

<u>Particulars</u>	Shareholders		Policyholders		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
<u>Long Term Investments:</u>						
Book Value						
market Value						
<u>Short Term Investments:</u>						
Book Value						
market Value						

SCHEDULE 9			
Loans		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Security-Wise Classification		
	Secured		
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities		
	(c) Others (to be specified)		
	Unsecured		
	TOTAL		
2	Borrower-Wise Classification		
	(a) Central and State Governments		
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(c) Subsidiaries		
	(d) Industrial Undertakings		
	(e) Companies		
	(f) Others (to be specified)		
	TOTAL		
3	Performance-Wise Classification		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	TOTAL		
4	Maturity-Wise Classification		
	(a) Short Term		
	(b) Long Term		
	TOTAL		

Notes:

- (a) Short-term loans shall include those, which are repayable within 12 months from the date of balance sheet. Long term loans shall be the loans other than short-term loans.
- (b) The nature of the security in case of all long term secured loans shall be specified in each case. Secured loans for the purposes of this schedule, means loans secured wholly or partly against an asset of the company.
- (c) Loans considered doubtful and the amount of provision created against such loans shall be disclosed.
- (d) Provisions against non-performing loans shall be shown as below:

Provisions against Non-performing Loans (Amount in Rs. Lakhs)			
	Non-Performing Loans	Loan Amount	Provision
	Sub-standard		
	Doubtful		
	Loss		
	Total		

SCHEDULE 10										
Fixed Assets										
(Amount in Rs. Lakhs)										
Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Opening	Additions	Deductions	Closing	Up to Last Year	For The Period	On Sales/ Adjustments	To Date	Current Year	Previous Year
Goodwill										
Intangibles (specify)										
Land-Freehold										
Leasehold Property										
Buildings										
Furniture & Fittings										
Information Technology Equipment										
Vehicles										
Office Equipment										
Others (Specify nature)										
TOTAL										
Work in progress										
Grand Total										
Previous Year										

Note: Assets included in land, property and building above exclude Investment Properties as defined in note (e) to Schedule 8

SCHEDULE 11			
Cash and Bank Balances		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Cash (including cheques *, drafts and stamps)		
2	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts		
	(aa) Short-term (due within 12 months)		
	(bb) Others		
	(b) Current Accounts		
	(c) Others (to be specified)		
3	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Banks		
	(b) With other Institutions		
4	Others (to be specified)		
	TOTAL		
	Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above		
	CASH & BANK BALANCES		
	In India		
	Outside India		

* Cheques on hand amount to Rs. _____ (in Lakh) Previous Year : Rs. _____ (in Lakh)

Note:

(a) Bank balance may include remittances in transit. If so, the nature and amount should be separately stated.

SCHEDULE 12			
Advances and other assets		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Advances		
1	Reserve deposits with ceding companies		
2	Application money for investments		
3	Prepayments		
4	Advances to Directors/Officers		
5	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)		
6.	Goods & Service tax credit		
7.	Others (to be specified)		
	(i) _____		
	(ii) _____		
	TOTAL (A)		
	Other Assets		
1	Income accrued on investments		
2	Outstanding Premiums		
	Less : Provisions for doubtful ,if any		
3	Agents' Balances		
4	Foreign Agencies Balances		
5	Due from other entities carrying on Insurance business (including reinsurers)		
	Less : Provisions for doubtful, if any		
6	Due from subsidiaries/ holding		

7	Investments held for Unclaimed Amount of Policyholders		
8	Interest on investments held for Unclaimed Amount of Policyholders		
9	Others (to be specified) (i) _____ (ii) _____		
10	Current Account of Head Office*		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A+B)		

* in case of branches of foreign re-insurers and Lloyd's India only

Notes:

- (a) The items under the above heads shall not be shown net of provisions for doubtful amounts. The amount of provision against each head should be shown separately.
- (b) The term 'officer' should conform to the definition of that term as given under the Companies Act.

SCHEDULE 13			
Current liabilities		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Agents' Balances		
2	Balances due to other insurance companies		
3	Deposits held on re-insurance ceded		
4	Premiums received in advance		
	(a) For Long term policies ⁽¹⁾		
	(b) for Other Policies		
5	Unallocated Premium		
6	Sundry creditors		
7	Due to subsidiaries/ holding company		
8	Claims Outstanding		
9	Due to Officers/ Directors		
10	Unclaimed Amount of policyholders		
11	Income accrued on Unclaimed amounts		
12	Interest payable on debentures/bonds		
13	Goods and Service tax Liabilities		
14	Others (to be specified) (i) _____ (ii) _____		
15	Current Account of Head Office*		
	TOTAL		

* in case of branches of foreign re-insurers and Lloyd's India only

Note :

1. Long term policies are policies with more than one year tenure
2. Details of unclaimed amounts and Investment Income to be submitted as below

Details of unclaimed amounts and Investment Income thereon		
(Amount in Rs. Lakhs)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance		
Add: Amount transferred to unclaimed amount		
Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not		

encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)		
Add: Investment Income		
Less: Amount paid during the year		
Less: Transferred to SCWF		
Closing Balance of Unclaimed Amount		

SCHEDULE 14			
Provisions		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Reserve for unearned premium reserve		
2	Reserve for Premium Deficiency		
3	For taxation (less advance tax paid and taxes deducted at source)		
4	For Employee Benefits		
5	Others (to be specified) (a) _____ (b) _____		
	TOTAL		

SCHEDULE 15			
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted)		(Amount in Rs. Lakhs)	
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Discount Allowed in issue of shares/ debentures		
2	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Notes:

- (a) No item shall be included under the head "Miscellaneous Expenditure" and carried forward unless:
1. some benefit from the expenditure can reasonably be expected to be received in future, and
 2. the amount of such benefit is reasonably determinable.
- (b) The amount to be carried forward in respect of any item included under the head "Miscellaneous Expenditure" shall not exceed the expected future revenue/other benefits related to the expenditure.

Part III: AUDITOR'S REPORT

The report of the auditors on the financial statements of every insurer shall deal with the matters specified herein:

1.
 - (1) That they have obtained all the information and explanations which, to the best of their knowledge and belief were necessary for the purposes of their audit and whether they have found them satisfactory;
 - (2) Whether proper books of account have been maintained by the insurer so far as appears from an examination of those books;
 - (3) Whether proper returns, audited or unaudited, from branches and other offices have been received and whether they were adequate for the purpose of audit;
 - (4) Whether the Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;
 - (5) Whether the actuarial valuation of liabilities is duly certified by the appointed actuary including to the effect that the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms, if any, issued.
2. The auditors shall express their opinion on:
 - (1)
 - (i) Whether the balance sheet gives a true and fair view of the insurer's affairs as at the end of the financial year/period;
 - (ii) Whether the revenue account gives a true and fair view of the surplus or the deficit for the financial year/period;
 - (iii) Whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial year/period;
 - (iv) Whether the receipts and payments account gives a true and fair view of the receipts and payments for the financial year/period;
 - (2) The financial statements stated at (1) above are prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013, to the extent applicable and in the manner so required.
 - (3) Investments have been valued in accordance with the provisions of the Act and these regulations.
 - (4) The accounting policies selected by the insurer are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards and with the accounting principles, as prescribed in these regulations or any order or direction issued in this behalf.

3. The auditors shall further certify that:
 - (1) they have reviewed the management report and there is no apparent mistake or material inconsistencies with the financial statements;
 - (2) the insurer has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.
4. A certificate signed by the auditors [which shall be in addition to any other certificate or report which is required by law to be given with respect to the balance sheet] certifying that-
 - (1) they have verified the cash balances and the securities relating to the insurer's loans, reversions and life interests (in the case of life insurers) and investments;
 - (2) to what extent, if any, they have verified the investments and transactions relating to any trusts undertaken by the insurer as trustee; and
 - (3) no part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investments of the policyholders' funds.

SCHEDULE III - INVESTMENT FUNCTIONS**Part-I****1. Definitions:**

- (1) "Approved Investments" means Investments made as per clause 2(1) and 2 (2) of the Schedule III of these regulations.
- (2) "Assets" means assets in India, held by an Insurer in accordance with the provisions of Section 31 of the Act.
- (3) "Financial Derivatives" means a derivative as defined under clause (ac) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and includes a contract which derives its value from interest rates of underlying debt securities and such other derivative contracts as may be stipulated by the Competent Authority, from time to time.
- (4) "Group" means: two or more individuals, association of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate, or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, significant influence and / or control, directly or indirectly, over any associate as defined in Accounting Standard (AS), body corporate, firm or trust, or use of common brand names, Associated persons, as may be stipulated by the Competent Authority, from time to time.
Explanation: Use of common brand names in conjunction with other parameters of significant influence and / or control, whether direct or indirect shall be reckoned for determination for inclusion as forming part of the group or otherwise.
- (5) "Housing Finance Company" shall have the meaning assigned to it by the RBI, as amended from time to time.
- (6) "Infrastructure facility" means, the 'Harmonized Master list of Infrastructure sub-sectors' as per Gazette Notification Dt. October 11, 2022 of Department of Economic Affairs, as amended from time to time.
- (7) "Investment Assets" mean all investments made out of:
 - (i) in the case of Life Insurer
 - (a) shareholders' funds representing solvency margin, non-unit reserves of unit linked insurance business, participating and non-participating funds of policyholders, funds of variable insurance products including One Year Renewable Pure Group Term Assurance Business (OYRGTA) at their carrying value;
 - (b) policyholders' funds of Pension, Annuity business and Group business including funds of variable insurance products at their carrying value;
 - (c) policyholders' unit reserves of unit linked insurance business including funds of variable insurance products at their market value as per guidelines issued under these regulations, from time to time;
 - (ii) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance or in case of a branch of a foreign company engaged in the business of re-insurance, funds maintained in its head office account, shareholders' funds representing solvency margin and policyholders' funds at their carrying value as shown in its balance sheet prepared in accordance with these regulations;
- (8) **Money Market Instruments**
Money Market Instruments shall comprise of Short term investments with maturity not more than one year comprising of the following instruments:
 - (i) Certificate of deposit rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999;
 - (ii) Commercial paper rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999;
 - (iii) Reverse Repo;
 - (iv) Treasury Bills (including Cash Management Bills);
 - (v) Call, Notice, Term Money;

- (vi) Tri-party Repos (TREPs)
- (vii) Any other instrument as may be specified by the Competent Authority;

PART II

2. Approved Investments

- (1) No insurer shall invest or keep invested any part of its Controlled Fund, as defined under Sec 27A / Assets as defined under Sec 27 (2) of the Act, read together with Sec 27E of the Act, otherwise than in approved securities, as per Section 2(3) of Insurance Act, 1938, as amended from time to time and in any of the following approved investments, namely:

- (i) debentures secured by a first charge on any immovable property, plant or equipment of any company which has paid interest in full without any default;
- (ii) debentures secured by a first charge on any immovable property, plant or equipment of any company where either the book value or the market value, whichever is less, of such property, plant or equipment is more than three times the value of such debentures;
- (iii) first debentures secured by a floating charge on all its assets of any company which has paid dividends on its equity shares for at least 2 financial years out of immediately preceding 3 consecutive financial years;
- (iv) preference shares of any company which has paid dividends on its equity shares for at least 2 financial years out of immediately preceding 3 consecutive financial years;
- (v) equity shares of any listed and actively traded company on which not less than ten percent dividends have been paid for at least 2 financial years out of immediately preceding 3 consecutive financial years;
- (vi) immovable property situated in India, provided that the property is free of all encumbrances;
- (vii) loans on policies of life insurance within their surrender values issued by him or by an insurer whose business he has acquired and in respect of which business he has assumed liability;
- (viii) Fixed Deposits with banks included for the time being in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and

such other investments as the Authority may, by notification in the Official Gazette, declare to be Approved Investments.

- (2) In addition, the following investments shall be deemed as Approved Investments

- (i) All rated debentures (including bonds) and other rated & secured debt instruments as per Note appended to Clauses 3 to 8. Equity shares, preference shares and debt instruments issued by All India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India – investments shall be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms, limits approved by the Board of Directors of the insurer.
- (ii) Bonds or debentures issued by companies, rated not less than AA or its equivalent and A1 or its equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposits and commercial papers by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999.
- (iii) Subject to norms and limits approved by the Board of Directors of the insurer's deposits [including fixed deposits as per Clause 2(1)(viii) with banks (e.g. in current account, call deposits, notice deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the

Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934(2of 1934) and deposits with primary dealers duly recognized by Reserve Bank of India as such.

- (iv) Tri Party Repo created with the Tri-party Agent who is approved by RBI and exposure to Gilt, G Sec, overnight, ultra-short term and liquid mutual fund forming part of Approved Investments as per Mutual Fund Guidelines issued under these regulations and money market instrument/investment.
- (v) Asset Backed Securities/Pass through Certificates(PTCs) with underlying Housing loans or having infrastructure assets as underlying as defined under “infrastructure facility” in clause 1(6) of the Schedule- III to regulation 6(3) of these regulations.
- (vi) Commercial papers issued by All India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India having a credit rating of A1 by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999.
- (vii) Money Market instruments as defined in clause 1(8) of the Schedule- III to Regulation 6(3) of these regulations.

Explanation: All conditions mentioned in the ‘note’ appended to Clauses 3 to 8 shall be complied with.

- (3) The board of the insurer, to comply with the provisions of Section 27A (2) (ii) of the Act, may delegate to Investment Committee, for investments already made and the continuance of such investments from controlled fund / assets, in otherwise than in an approved investment, and in All India Financial Institutions recognized as such by RBI for investments carrying a rating of less than AA and being part of Approved Investment. The investment committee shall be responsible for the details, analysis and review of non-performing assets of investments on a quarterly periodicity.
- (4) Unless specifically permitted by the Authority, no investment shall be made in any entity not formed under laws relating to companies in India and in company formed under section 8 of the Companies Act, 2013 or erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956.

3. Regulation of Investments—Life Insurer:

A life insurer, for the purpose of these regulations, shall invest and at all times keep invested, the Investment Assets forming part of the Controlled Fund as under:

- (1) All funds (excluding Shareholders’ funds held beyond solvency margin, held in a separate custody account) of Life insurance business and One Year Renewable Pure Group Term Assurance Business (OYRGTA), and non-unit reserves of all categories of Unit linked life insurance business, as per clause 4;
 - (2) all funds of Pension, Annuity and Group Business as per clause 5; and
 - (3) the unit reserves portion of all categories of Unit linked funds, as per clause 6.
4. Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27 or 27A of the Act and any provisions of these regulations, every insurer carrying on the business of Life Insurance, shall invest and at all times keep invested its Investment Assets as defined in clause 3(1) (other than funds relating to Pension & General Annuity and Group Business and unit reserves of all categories of Unit Linked Business) in the following manner:

No	Type of Investment	Percentage to funds as under clause 3(1)
(i)	Central Government Securities	Not less than 25%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 50% (incl (i) above)
(iii)	Approved Investments as specified in clause 2(1) and (2) to these regulations and Other Investments as specified in Section 27A (2) of the Act and, (all taken together) subject to Exposure / Prudential Norms as specified in clause-8:	Not exceeding 50%
(iv)	Other Investments as specified in Section 27A (2) of the Act, subject to Exposure / Prudential Norms as specified in clause-8.	Not exceeding 15%
(v)	Investment in housing and infrastructure by way of subscription or purchase of: A. Investment in Housing a. Bonds / debentures of National Housing Bank & HUDCO b. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Bank, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 and equity shares of any actively traded Housing Finance Company/ HUDCO on which not less than ten percent dividends have been paid for at least 2 Financial years out of immediately preceding 3 consecutive Financial years. c. Asset Backed Securities with underlying housing loans, satisfying the norms specified in the guidelines issued under these regulations from time to time. B. Investment in Infrastructure Explanation: Subscription or purchase of Bonds / Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement. 'Infrastructure facility' shall have the meaning as given in clause 1(6) as amended from time to time. Note: Investments made under category (i) and (ii) above may be considered as investment in housing and infrastructure, provided the respective government issues such a security specifically to meet the needs of any of the sectors specified as 'infrastructure facility'.	Total Investment in housing and infrastructure (i.e.) investment in categories (i), (ii), (iii) and (iv) above taken together shall not be less than 15% of the fund under clause 3(1).

5. Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27 or 27A of the Act and any provisions of these regulations every insurer carrying on Pension, Annuity and Group Business shall invest and at all

times keep invested its Investment Assets of Pension, Annuity and Group business in the following manner:

No	Type of Investment	Percentage to funds under clause 3(2)
(i)	Central Government Securities	Not less than 20%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 40%(incl (i) above)
(iii)	Balance to be invested in Approved Investments, as specified in clause 2(1) and (2), subject to Exposure / Prudential norms as specified in clause 8.	Not exceeding 60%

Note: For the purposes of this regulation no investment falling under 'Other Investments' as specified under Section 27A (2) of the Act shall be made.

6. Unit Linked Insurance Business

- (1) Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27 or 27A of the Act and any provisions of these regulations every insurer shall invest and at all times keep invested its segregated fund(s) under clause 3(3) (with underlying securities at custodian level) of Unit linked business as per pattern of investment offered to and subscribed to by the policy-holders where the units are linked to categories of assets which are both marketable and readily realizable within the approved pattern as per the product regulations.
- (2) However, the investment in Approved Investments shall not be less than 75% of such fund(s) in each such segregated fund".
- (3) All prudential and exposure norms under clause 8, shall be applicable at the level of individual segregated fund at SFIN level.
- (4) Insurer shall, as per circular / guidelines issued, from time to time, disclose on their website, the minimum information required for the benefit of policyholders.

7. Regulation of Investments - General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance.

Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27, or 27B of the Act and any provisions of these regulations, an insurer carrying on the business of General Insurance including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance shall invest and at all times keep invested its investment assets in the manner set out below:

No	Type of Investment	Percentage of Investment Assets
(i)	Central Government Securities	Not less than 20%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities.	Not less than 30%(incl (i) above)
(iii)	Approved Investments as specified in clause 2 (1) and (2) and Other Investments as specified in Section 27A (2), (all taken together) subject to Exposure / Prudential Norms as specified in clause 8.	Not exceeding 70%
(iv)	Other investments as specified in Section 27A (2), subject to Exposure / Prudential Norms as specified in clause 8.	Not more than 15%
(v)	Loans to State Government for Housing and Fire Fighting equipment, by way of subscription or purchase of:	

No	Type of Investment	Percentage of Investment Assets
	A. Investments in Housing a. Bonds / debentures of National Housing Bank & HUDCO b. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Bank, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 and equity shares of any actively traded Housing Finance Company/HUDCO on which not less than ten percent dividends have been paid for at least 2 Financial years out of immediately preceding 3 consecutive Financial years. c. Asset Backed Securities with underlying Housing loans, satisfying the norms specified in the Guidelines issued under these regulations from time to time. B. Investment in Infrastructure d. Explanation: Subscription or purchase of Bonds/ Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement. e. 'Infrastructure facility' shall have the meaning as given in Clause 1(6) as amended from time to time. Note: Investments made under category (i) and (ii) above may be considered as investment in housing or infrastructure, as the case may be, provided the respective government issues such a security specifically to meet the needs of any of the sectors specified as 'infrastructure facility'.	Total Investment in housing and infrastructure (i.e.,) investment in categories (i), (ii), (iii) and (iv) above taken together shall not be less than 15% of the Investment Assets

"Note—For the purpose of Clauses 3 to 7

(I) Applicability of Pattern of Investment

Pattern of Investment will not be applicable for Shareholders' funds held in business beyond required solvency margin, and not taken in calculation of solvency margin. Such excess shall be:

- Made after fully complying with investment in Central Government Securities, State Government and Other Approved Securities and in Housing & Infrastructure Investments from funds representing solvency margin.
- Such excess of Shareholder's funds, held beyond Solvency Margin requirement, shall be held in a separate custody account with identified scrips.
- Such excess funds shall be determined only after Actuarial Valuation, certified by Appointed Actuary and such valuation is filed with the Authority.
- Such transfer made between quarters, shall be certified by the Concurrent Auditor to have complied with points (a), (b) and (c) above.
- Exposure Norms of 'investee company', 'group', 'promoter group' and 'industry sector' shall be applicable to both funds representing solvency margin (FRSM) and funds held in excess of required solvency margin.

- All investments in assets or instruments, which are capable of being rated as per market practice, shall be made on the basis of credit rating of such assets or

instruments. No approved investment shall be made in instruments, if such instruments are capable of being rated, but are not rated.

- (III) The rating should be done by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999.
- (IV) Infrastructure Investments rated not less than A along with Expected Loss Rating of EL1 would be considered as approved investment.
- (V) The rating of a debt instrument issued by All India Financial Institutions recognized as such by RBI shall be of 'AA' or equivalent rating. In case investments of this grade are not available to meet the requirements of the investing insurance company, and Investment Committee of the investing insurance company is fully satisfied about the same, then, for the reasons to be recorded in the Investment Committee's minutes, the Investment Committee may approve investments in instruments carrying current rating of not less than 'A+' or equivalent as rated by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, would be considered as 'Approved Investments'.
- (VI) Approved Investments under Clauses 4, 5, 6 and 7 which are downgraded below the minimum rating prescribed or not continuing to satisfy dividend criteria should be automatically re-classified under 'Other Investments' and specifically identified under relevant category.
- (VII) (a) Not less than 75% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of life insurer and not less than 65% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance – shall be in sovereign debt, AAA or equivalent rating for long term and sovereign debt, A1+ or equivalent for short term instruments. This shall apply at segregated fund(s) in case of Unit linked business.

Note: In calculating the 75% in the case of Life insurers and 65% in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance, of investment in 'Debt' instruments, investment in a) Reverse Repo with corporate bond underlying (b) Bank Fixed Deposit (c) Investment in Promoter Group Mutual Fund(s) and un-rated Mutual funds, shall not be considered both in numerator and denominator.

- (b) Not more than 5% of funds under clause 3(1) and clause 3(3) in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of life insurer and not more than 8% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance—shall have a rating of A or below or equivalent rating for long term.
- (c) No investment can be made in other investments out of funds under clause 3(2).
- (d) Investments in debt instruments rated AA – (AA minus) or below for long term and below A1 or equivalent for short term debt instruments and Infrastructure Debt Investments rated below A or EL1 shall form part of Other Investments.
- (VIII) Notwithstanding the above, it is emphasized that rating should not replace appropriate risk analysis and management on the part of the Insurer. The Insurer should conduct risk analysis commensurate with the complexity of the product(s) and the materiality of their holding or could also refrain from such investments.

8. Exposure/Prudential Norms:

Without prejudice to anything contained in Sections 10(2AA), 27, 27A, 27B and 27C of the Act every insurer shall limit its investment of controlled funds/all assets as per the following exposure norms:

(1) Exposure norms for:

(i) Life Insurance business:

(a) all funds of Life insurance business and One Year Renewable pure Group Term Assurance Business(OYRGTA) and non-unit reserves of all categories of Unit linked life insurance business;

(b) all funds of Pension, Annuity and Group Business as per clause 5; and

(c) the unit reserves portion of all categories of Unit linked funds, as per clause 6, Life, Pension, Annuity and Group business and each segregated fund within Unit Linked Insurance business (except for promoter group exposure).

(ii) General insurance business

(iii) Re-insurance business

(iv) Health insurance business

For both Approved Investments as per clause 2(1) and 2(2) and Other Investments as permitted under Section 27A (2) shall be as under.

(2) The maximum exposure limit for a single 'investee' company (equity, debt and other investments taken together) from all investment assets under point 1(i)(a), 1(i)(b), 1(i)(c) all taken together, 1(ii), 1(iii) and 1(iv) mentioned above, shall not exceed the lower of the following;

(a) An amount of 10% of investment assets as under clause 1(7)(i), clause 1(7)(ii) excluding fair value change of investment assets under clause 1(7) except clause 1(7)(i)(c).

(b) An **aggregate** of amount calculated under point (a) and (b) of the **following table**:

Type of Investment	Limit for 'Investee' Company	Limit for the entire Group of the Investee Company	Limit for Industry Sector to which Investee Company belongs
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Investment in 'Equity', Preference Shares, Convertible Debentures	10% * of the Paid-up Equity Share capital or 10% of the amount under 1(i)(a) or 1(i)(b) or 1(i)(c) [segregated fund] above considered separately in the case of Life insurers /amount under 1(ii) or 1(iii) or 1(iv) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance	Not more than 15% of the amount under point 1(i)(a) or 1(i)(b) or 1(i)(c) or 1(ii) or 1(iii) or 1(iv) Exposure to Investments made in companies belonging to	Investment by the insurer in any industrial sector should not exceed 15% of the amount under point 1(i)(a) or 1(i)(b) or 1(i)(c) or 1(ii) or 1(iii) or 1(iv) Note: Industrial Sector shall be classified in the lines of National Industrial Classification (All Economic

	whichever is lower	Promoter Group shall be made as per Point (VII) under notes to clause 8	Activities) - 2008 [NIC] for all sectors, except housing and infrastructure sector.
b. Investment in Debt (incl. CPs) / Loans and any other permitted Investments as per Act /Regulation other than item 'a' above.	10% * of the Paid-up Share capital, Free reserves (excluding revaluation reserve) and Debentures /Bonds (incl. CPs) of the 'Investee' company or 10% of the amount under 1(i)(a) or 1(i)(b) or 1(i)(c) [segregated fund] above considered separately in the case of Life insurers /amount under 1(ii) or 1(iii) or 1(iv) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance Whichever is lower.		Exposure shall be calculated at Division level from A to R. For Financial and Insurance Activities sector exposure shall be at Section level. Exposure to 'infrastructure' investments are subject to Note: II, III and IV mentioned below.

* In the case of insurers having investment assets within the meaning of clause 1(7) (i) and clause 1(7)(ii) of the under mentioned size, the (*) marked limit in the above table for investment in equity, preference shares, convertible debentures, debt, loans or any other permitted investment under these regulations, shall stand substituted asunder:

Investment assets	Limit for 'investee' company	
	Equity	Debt
Rs. 2,50,000 Crores or more	15% of Paid up Equity Share Capital	15% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve)& debentures/ bonds
Rs.50,000 Crores but less than Rs.2,50,000 Crores	12% of Paid up Equity Share Capital	12% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve)&debentures/ bonds
Less than Rs.50,000 Crores	10% of Paid up Equity Share Capital	10% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve)&debentures/ bonds

Note:

- (I) Industry sector norms shall not apply for investments made in:
- 'Infrastructure facility' sector as defined under clause 1(6). NIC classification shall not apply to investments made in 'Infrastructure facility'.
 - NIC classification shall not apply to investments made in 'Housing Sector'.

- (II) Investments in IDF-NBFCs (Infrastructure Debt Fund), shall be reckoned for investments in Infrastructure subject to the following conditions:
- (i) IDF-NBFC is registered with RBI
 - (ii) Debt securities shall have residual tenure of not less than 5 years (at the time of investment).
 - (iii) Minimum Credit Rating of AA or its equivalent by a Credit Rating Agency registered with SEBI to be eligible for approved investments.
 - (iv) The exposure limits for investments in IDF-NBFCs is as per the note (III) below.
- (III) Exposure to a public limited 'Infrastructure investee company' and Infrastructure Finance Company (NBFC-IFC registered with RBI) will be:
- (i) 20% of Paid up Equity Share Capital in case of equity (or)
 - (ii) 20% of Paid up Equity Share Capital plus free reserves (excluding revaluation reserve) plus debentures/bonds taken together, in the case of debt (or)
 - (iii) Amount under clause 8(2)(a) whichever is **lower**.
 - (iv) The 20% mentioned above, can be further increased by an additional 5%, in case of **debt** instruments alone, with the prior approval of Board of Insurer.
 - (v) The outstanding tenure of debt instruments, beyond the exposure prescribed in the above table in this regulation, in an infrastructure Investee Company, should not be less than 5 years at the time of investment.
 - (vi) In case of Equity investment, dividend track record as per these regulations, in the case of primary issuance of a wholly owned subsidiary of a Corporate/ PSU shall apply to the holding company.
 - (vii) All investments made in an 'infrastructure investee company' shall be subject to group/promoter group exposure norms.
- (IV) An insurer can, at the time of investing, subject to group / promoter group exposure norms, invest a maximum of 20% of the project cost (as decided by a competent body) of an Public Limited Special Purpose Vehicle (SPV) engaged in infrastructure sector (or) amount under clause 8(2)(a), whichever is lower, as a part of Approved Investments provided:
- (i) such investment is in Debt;
 - (ii) the parent company guarantees the entire debt extended and the interest payment of SPV;
 - (iii) the principal or interest, if in default and if not paid within 90 days of the due date, such debt shall be classified under other investments;
 - (iv) the latest instrument of the parent company (ies) has (have) rating of not less than AA;
 - (v) such guarantee of the parent company (ies) should not exceed 20% of net worth of parent company (ies) including the existing guarantees, if any, given;
 - (vi) the net worth of the parent company (ies), if unlisted, shall not be less than Rs. 500 crores or where the parent company (ies) is listed on stock exchanges having nationwide terminals, the net worth shall not be less than Rs. 250 Crores.
 - (vii) Investment Committee should at least on a half-yearly periodicity evaluate the risk of such investments and take necessary corrective actions where the parent company (ies) is floating more than one SPV;
- (V) Investment in securitized assets (Mortgaged Backed Securities (MBS) / Asset Backed Securities (ABS) / Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTC)) both under approved (with minimum credit rating of AAA) and other investment (with credit rating below AAA) category shall not exceed 10% of Investment Assets in case of Life Insurance companies and 5% of Investment Asset in the case of General Insurance companies. Approved Investment in MBS / ABS with underlying Housing or Infrastructure Assets shall not exceed 10% of investment assets in the case of Life insurance companies and not more than 5% of investment assets in the case of General insurance companies. Any MBS / ABS with underlying housing or infrastructure assets, if downgraded below AAA or equivalent, shall be reclassified as Other Investments;
- (VI) Investment Property within the meaning of Accounting Standards, and covered under clause 2(1)(vi) shall not exceed, at the time of investment, 5% of (a) Investment Assets in the case

of general insurer and (b) 5% of Investment Assets of life funds in the case of life insurer. Immovable property, held as 'investment property' shall not be for 'self-use'. Immovable property, for self-use, shall be purchased only out of shareholders' funds, and shall comply with circular/ guidelines issued'

- (VII) Subject to exposure limits mentioned in the table above, an insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its investment assets in all companies belonging to the promoters' group. Investment made in all companies belonging to the promoters' group shall not be made by way of private placement (except QIPs of BSE100/NSE100 companies and Central Public Sector Enterprises) or in unlisted instruments (equity, debt, certificate of deposits and fixed deposits held in a Scheduled Commercial Bank), except for companies formed by Insurers under Note XII to clause 8;
 - (VIII) The exposure limit for financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification – 2008, as amended from time to time) shall stand at 30% of investment assets for all insurers. Investment in Housing Financing Companies and Infrastructure Financing Companies (except investment in Bonds / debentures of HUDCO, NHB and bonds issued by Housing Finance Companies having a rating of not less than AA, investment in equity shares of any actively traded Housing Finance Company on which not less than ten percent dividends have been paid for at least 2 Financial years out of immediately preceding 3 consecutive Financial years and investment in Debt, Equity in dedicated infrastructure financing entities forming part of Infrastructure sector) shall form part of exposure to financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification– 2008);
 - (IX) Where an investment is in partly paid-up shares, the uncalled liability on such shares shall be added to the amount invested for the purpose of computing exposure norms;
 - (X) Notwithstanding anything contained in clause 8(2) where new shares are issued to the existing shareholders by a company the existing shares of which are covered by clause 2(1)(v) and the insurer is already a shareholder, the insurer may subscribe to such new shares, provided that the proportion of new shares subscribed by him does not exceed the proportion which the paid-up amount on the shares held by him immediately before such subscription bears to the total paid-up capital of the company at the time of such subscription;
 - (XI) Investment in fixed deposit and certificate of deposit of a Scheduled Bank, in case of life insurers, would be deemed as exposure to financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification - 2008). No investment in deposits including FDs and CDs in financial institutions falling under Promoter Group shall be made. Investment in FDs shall not exceed either 3% of controlled fund or not more than 5% of respective fund size [Pension & General Annuity Fund and Unit linked fund(s) at SFIN level], whichever is lower, in the case of Life Insurers and 15% of Investment Assets as per clause 1(7)(ii) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance;
- Note:** Fixed Deposits as permitted under this Regulation kept as ASBA (Application Supported by Blocked Amount) deposit, including FDs with Banks falling under the promoter group of the Insurer, or otherwise, shall be excluded in computation of limits mentioned above. FDs of Banks under Promoter Group, earmarked for complying with ASBA requirement, will be part of exposure to Promoter Group;
- (XII) An insurer shall not out of the controlled fund / assets invest or keep invested in the shares or debentures of any one company more than the exposure prescribed in clause 8 above, **provided** that nothing in this regulation shall apply to any investment made with the previous approval of the Authority by an insurer, being a company with a view to forming a subsidiary company carrying on insurance / re-insurance business;

- (XIII) The debt exposure, in Housing Finance Companies, rated not less than AA+, shall be up to 20% of paid-up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) and debentures / bonds (incl. CPs) or amount under clause 8(2)(i) whichever is lower. The 20% limit mentioned herein can be further increased by an additional 5% with the prior approval of Board of Insurer. All exposure norms applicable to group, promoter group shall be applicable to all investments made in a Housing Finance Company.

PART III

9. Returns to be submitted by an Insurer:

Every insurer shall submit to the Authority returns (electronic mode) within such time, at such intervals in the manner as specified in ANNEXURE INV-III of Schedule III of these regulations.

10. Power to call for additional information:

The Competent Authority may, by general or special order, require from the insurers such other information in such manner, intervals and time limit as may be specified therein in the interest of policy holders and issue such directions to the insurers as it thinks fit.

11. Duty to Report extraordinary events affecting the investment portfolio:

Every insurer shall report to the Authority forthwith, the effect or the probable effect of any event coming to its knowledge, which could have material adverse impact on the investment portfolio and consequently on the security of policy-holder benefits or expectations.

12. Provisions on Investment Management

(1) Constitution of Investment Committee:

Every insurer shall constitute an Investment Committee with a composition as mentioned in the Corporate Governance regulations and Circulars issued thereon by the Authority from time to time. The decisions taken by the Investment Committee shall be recorded and be open to inspection by the officers of the Authority.

(2) Investment Policy

- (i) Every Insurer shall draw up, an Investment Policy (IP) (fund wise IP in the case of Unit Linked Insurance Business) and place the same before its Board of Directors for its approval.
- (ii) Every insurer shall have a model code of conduct to prevent insider / personal trading of Officers involved in various levels of Investment Operations in compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 1992 as amended from time to time and place the same before its Board of Directors for its approval.
- (iii) While framing the Investment Policy, the Board shall ensure compliance with the following:
 - (a) Issues relating to liquidity, prudential norms, exposure limits, stop loss limits including securities trading, management of all investment risks, management of assets liabilities mismatch, Scope of Internal or Concurrent audit of Investments, criteria for empanelment and review of investment brokers, investment statistics and all other internal controls of investment operations, the provisions of the Insurance Act, 1938 and these regulations.
 - (b) Ensuring adequate return on policyholders and shareholders' funds consistent with the protection, safety and liquidity of such fund(s).

- (iv) The investment policy of Life, General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance, as approved by the Board shall be implemented by the investment committee. The Board shall review on a quarterly basis the monitoring of fund wise and in respect of each product (both participating and non-participating products in the case of life insurers) the following minimum:

(a) Life Insurers:

- i. new business scale planned versus actual at the end of the period to maturity
- ii. expenses projected versus actual
- iii. persistency / renewal premium streams projected versus actual
- iv. claims - projected versus actual
- v. actual yield versus projected yield or returns
- vi. action plan and follow up status

(b) General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance (at line of business level):

- i. gross level of premium income projected vs actual along with reasons for negative growth if any
- ii. steps to correct the business achieved as planned in case of under achievement of gross written premium
- iii. underwriting results planned vs achieved along with reasons for negative deviations
- iv. claims outgo projected versus actual - major reasons for increase / decrease in loss ratio and corrective steps planned for future
- v. expenses including acquisition cost planned vs actuals- in case of excess over permitted limits, reasons for such excess along with plan to comply limits
- vi. overall incremental investments projected vs actual - reason for deviation from the planned accretion and steps planned to correct the trend if the same is negative

- (v) The Board shall review the investment policy and its implementation on a half-yearly basis or at such short intervals as it may decide and make such modification to the investment policy as is necessary to bring it in line with the investment provisions laid down in the Act and Regulations made there under, keeping in mind protection of policyholders' interest and pattern of investment laid down in these regulations or in terms of the agreement entered into with the policy holders in the case of unit linked insurance business.

(3) Investment Operations

- (i) The funds of the insurer shall be invested and continued to be invested in equity shares, equity related instruments and debt instruments rated as per Note below clause 3 to 7 by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999. The Board shall lay down norms for investing in 'Other Investments' as specified in section 27A(2) of the Insurance Act, 1938 by the investment committee, taking into account the safety and liquidity of the policyholders' funds and protection of their interest.
- (ii) To ensure proper internal control of investment functions and operations the insurer shall clearly segregate the functions and operations of front, mid and back office (as provided in the Guidance note on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies issued by the Institute of Chartered Accountants of India) and no function falling under Front, Mid and Back Office Investment function(s), shall be

outsourced. Also, the primary data server of the computer application used for investment management shall remain within the country.

- (iii) The Board of the Insurer shall appoint a Custodian to carry out the custodial service for its Investments, who shall not be an entity under its promoter 'Group' unless permitted otherwise by the Competent Authority.

(4) Risk Management Systems and its Review

- (i) The Board shall implement the Investment Risk Management Systems and Process, mandated by the Authority. The implementation shall be certified by a Chartered Accountant firm, as per the procedure laid down in the "Guidance note on Review and Certification of Investment Risk Management Systems and Process of Insurance Companies", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.
- (ii) The Investment Risk Management Systems and Process shall be reviewed once in two financial years or such shorter frequency as decided by the Board of the Insurer (the gap between two such audits should not be more than two years), by a Chartered Accountant firm and file the certificate issued by such Chartered Accountant, with the Authority along with the first quarter returns.
- (iii) The appointment of Chartered Accountant firm to certify implementation and review of Investment Risk Management Systems and Process shall be as per the circular issued under these regulations.

(5) Audit and Reporting to Management

- (i) Every insurer shall constitute an Audit Committee of the Board with a composition as mentioned in the Corporate Governance regulations and Circulars issued thereon by the Authority from time to time. The Chairperson of the Audit Committee shall not be the Chairperson of Investment Committee.
- (ii) The Insurer shall have the investment transactions covering both Shareholders and Policyholders funds be audited through Internal or Concurrent Auditor as per the circular issued under this regulation.
- (iii) The quarterly internal / concurrent audit report, covering investments of both shareholders as well as policyholders, shall be as per the "Guidance note on Internal/Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.
- (iv) The Details of Investment Policy, implementation status of Investment Risk Management Systems and Process or its review shall be made available to the internal or concurrent auditor. The auditor shall comment on implementation status, review and its impact on the investment operations, systems and process in their report to be placed before the Board's Audit Committee.

(6) Category of Investments

Every Insurer shall invest its controlled fund as defined under Section 27A / all assets as defined under Section 27(2) of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time, only within the exhaustive category of investments listed in the guidelines issued by the Competent Authority.

13. Dealing in Financial Derivatives

Every Insurer carrying on the business of life insurance or general insurance or health insurance business may deal in financial derivatives only to the extent permitted and in accordance with the guidelines issued by the Competent Authority in this regard from time to time.

14. Miscellaneous

The Board of the Authority may, by any general or special order, modify or change the application of clauses 3 to 9 to any insurer either on its own or on an application made to it.

ANNEXURE INV-I**LIFE INSURERS**

(See Clause 3 to 6)

A. Processing of Unit Linked Business Application and Declaration of NAV

Every Unit linked segregated fund(s), shall be identified by its Segregated Fund Identification Number(SFIN) and shall follow the guidelines issued by the Competent Authority.

1. *All applications received for premium payment, switches, redemption, surrender, maturity claim etc., should be time stamped and dated.*
2. **Applications for “premium payment”**
 - a. *for applications received, with local cheques, cash or demand draft payable at par at the place where the premium is received, before cut-off time (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the same day.*
 - b. *for applications received, along with local cheques, cash or demand draft payable at par at the place where the premium is received, after cut-off time (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the next business day.*
 - c. *For premiums received with an outstation cheque or demand draft, the closing NAV of the day on which the cheque/ demand draft is realized shall be applied.*
3. **Applications for “other than” premium payment**
 - a. *for applications received before the cut-off time (3.00pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the same day.*
 - b. *for applications received, after the cut-off time (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the next business day.*
4. **Daily disclosure/reconciliation of Product and Fund information**
 - a. *Every insurer doing Unit linked business shall reconcile, **through the system**, the premium received (net of charges and benefits paid) under each product (Unique Identification Number – UIN) with value of all the segregated fund(s)(Segregated Fund Identification Number–SFIN)net of fund management charges, held under a single UIN, **on a day to day basis**, as per Form D01.*
 - b. *The insurer, through a portal, shall enable the policyholder to know, through a secured login (i) the value of policy wise units held by him, as per Form D02and (ii) fund wise NAV (SFIN wise) on both the Insurer’s website and life council website on the same day.*

Disclosure format

No	Format	Description	Frequency
01	Form D01	Daily reconciliation of ULIP portfolio	End of the Day (not to be filed with Authority)
02	Form D02	Statement of Product Value	Enable through secured log into individual policy holder
03		Portfolio Disclosure	The minimum information, as per guidelines/circular issued, on a monthly basis

- c. *The internal / concurrent Auditor shall report on the automated system and process to handle the UIN wise reconciliation (as in point 'a' above) and value of policy wise units held by policyholder and fund wise NAV, on a quarterly basis.*
5. **Applicable NAV for the applications received on the last business day of the Quarter.**
- a. *for applications received on the last business day of the quarter UP TO 3.00 pm shall be processed with NAV of the last business day (irrespective of the payment instrument is local or outstation)*
- b. *for applications received AFTER 3.00pm on the last business day, the same shall fall into the next quarter and NAV of the immediate next business day would be applicable.*
- c. *The insurer shall declare NAV for the last business day of a quarter end, even if it is a non-business day.*
6. *For allotment of units, the applicable NAV shall be as per the date of commencement of policy for new policy contracts and date of receipt of premium for renewals.*
- a. *For allotment of units to a new policy contract, the NAV shall be applicable as at the date of commencement of the policy contract. The premium in such case shall have to be received on or before the date of commencement of policy contract.*
- b. *For renewals of existing policy contract, the NAV shall be applicable as at the date of renewal where the date of receipt of premiums on or before due date and as at the date of receipt of premium where the premium is received after the due date of renewal.*
- c. *For revivals, the date of revival shall be the reference date for application of NAV through allotment of units.*
- d. *The date of receipt of premium for reasons such as top-up or any other provision for payment of premium apart from regular payment schedule as per respective product conditions shall be the reference date for application of NAV.*
7. *The Insurer's Policy Admin System (PAS) shall be 'automated' for tracking 'policy-wise', information of discontinued policies along with the information of the particular ULIP fund to which the same pertains.*
8. *Asset allocation and exposure norms for a segregated fund shall not apply for either the first six months from the date of its launch or the segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier. On expiry of the sixth month, every such segregated fund, shall comply with all exposure norms under Clause 8. Where in case of a segregated fund, has gone below Rs.5 Crores, the insurer may provide a free switch, after informing the policyholder, to another fund with similar fund objective / risk profile with either same or lower fund management charges.*
9. *Fund Management Charges (FMC) charged on the segregated fund (SFIN), where investment is made in Mutual Funds, Exchange Traded Funds, shall be the FMC as per the respective product conditions of the segregated fund (SFIN) reduced by FMC charged by the respective Mutual Fund/ETF. This provision shall not be applicable for either the first six months from the date of launch of the segregated fund or the segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier.*
10. *In the case of discontinued policy fund, investment in treasury bills will be treated as part of Central Government Securities.*
11. *All Insurers shall file a certificate, issued by Internal /Concurrent Auditor for compliance of the following:*

- a. *Compliance to all exposure norms at the level of each segregated fund, on a quarterly basis.*
- b. *Confirmation on quarterly basis that Fund Management Charges (FMC) charged on the segregated fund (SFIN), where investment is made in Mutual Funds, Exchange Traded Funds, shall be the FMC as per the respective product conditions of the segregated fund (SFIN) reduced by FMC charged by the respective Mutual Fund/ETF.*
- c. *Each of the directions issued at point 5 above, regarding the applicable NAV for applications received on the last business day.*
- d. *The Statutory Auditors shall also confirm point 'c' above, in the Annual Accounts.*

Note:

1. **Business day** shall mean days other than holidays where stock exchanges (excluding Muhurat trading day) with national wide terminals are open for trade (other than day on which exchanges are open for testing) or any day declared by the Competent Authority as business day.
2. *The insurer shall invest only in such investments for which the day-to-day Valuations are available and readily realisable. No investment can be made in any Fund of Funds or a fund for which NAV is not available on a day-to-day basis.*

B. Fund Management

1. *In the case of (a) Life fund, (b) Pension, Annuity & Group funds, the insurer shall maintain separate sub-custody account with identifiable securities for participating and non-participating funds.*
2. *Every insurer shall have a separate fund manager for debt and equity up to a fund size (for both shareholder and policyholder funds taken together) of Rs.10000Crores. When the fund size, for the first time, is Rs.10000 Crores, every fund [(a) Life fund (b) Pension, Annuity & Group fund (c) Unit linked segregated fund(s)] shall have manager. No fund manager can be common between (a) Life fund, Pension & Group fund and (b) Unit linked fund(s).*

ANNEXURE INV-II

(See Clause-7)

General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance**A. Applicability of Pattern of Investment**

Where an Insurer, hold the entire investment assets, as per clause 1(7) for and behalf of the Policyholders, the pattern of investment shall apply to the entire investment assets (both shareholder and policyholder's funds taken together) and the investment assets can be maintained in a single custody account.

- B. "Policyholders' Funds" means the sum of (1) Estimated liability for Outstanding Claims including Incurred but not Reported (IBNR) & Incurred but not Enough Reported (IBNER) (2) Unexpired Risk Reserve (URR) (3) Catastrophe Reserve (4) Premium Deficiency (5) Other liabilities net off Other Assets as at the Balance Sheet date.

Note: Other Liabilities comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated premium (iii) Balance due to other Insurance Companies (iv) Due to others members of Insurance Pools, if applicable (v) Sundry creditors (due to Policyholders);

Note: Other Assets comprise of (i) Outstanding premium (ii) Due from other entities carrying on Insurance business including Re-insurers (iv) Balance with Insurance Pools, if applicable.

- C. "Shareholders' Funds" means Share Capital plus all Reserves and Surplus (except Revaluation Reserve and fair value change account) net of accumulated losses and miscellaneous expenditure to the extent not written off as at the Balance Sheet date, represented by investments of funds held in business beyond solvency margin.

D. Miscellaneous

The mandatory minimum investment in Housing and Infrastructure as specified under Clause-7, will not apply for Health Insurers.

ANNEXURE INV-III

All insurers are advised to furnish the returns to the Authority as specified below. However, the periodicity of return is half-yearly for branches of foreign reinsurers. In case there is no information applicable for a particular point the insurer should indicate 'Not Applicable' or 'Nil', as the case may be, rather than deleting the said point from the Returns filed with the Authority.

No	Form	Description	Periodicity of Return	Time limit for submission	Verified / Certified by
1	Form 1	Statement of Investment and Income on Investment	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
2	Form 2 (Part A, B, C)	Statement of Downgraded Investments, Details of Rated Instruments	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
3	Form 3A (Part A, B, C, D,E)	Statement of Investments Assets (Life Insurers)	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
4	Form 3B (Part A, B)	Statement of Investment Assets (General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance)	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
5	Form 4 (Part B)	Internal / Concurrent Auditor's Certificate on Investment Risk Management Systems - Implementation Status	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Internal / Concurrent Auditor appointed under this regulation
6	Form 4A (Part A, B, C,D)	Statement of Investment Subject to Exposure Norms – Investee Company, Group, Promoter	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)

No	Form	Description	Periodicity of Return	Time limit for submission	Verified / Certified by
		Group, Industry Sector			
7	Form 5	Statement of Investment Reconciliation	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
8	Form 6	Certificate under Sec 27A (5)	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chairman, Director 1, Director 2, Principal Officer
9	Form 7	Statement of Non-Performing Assets	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)

Note:

1. The Internal / Concurrent Audit Report of the previous quarter with comments of Audit Committee of the Board, on 'very serious', 'serious' points (as per the Guidance note on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies, issued by the Institute of Chartered Accountants of India) in the report, and status of implementation of Audit committee recommendation shall be filed with the Authority along with current quarter returns.
2. All returns for the quarter ending March shall be filed within the period stipulated above based on provisional figures and later re-submitted with Audited figures within 15 days of adoption of accounts by the Board of Directors.

FORM - 1

(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Name of the Fund

Statement of Investment and Income on Investment

Periodicity of Submission: Quarterly

No.	Category of Investment	Category Code	Current Quarter				Year to Date (current year)				Year to Date (previous year) ³			
			Investment (Rs.) ¹	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²	Investment (Rs.) ¹	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²	Investment (Rs.) ¹	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²

Rs Crore

TOTAL =====**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature _____

Date:

Full Name

Authorised Signatory

Note: Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines, as amended from time to time

1. Based on daily simple Average of Investments
2. Yield netted for Tax
3. In the previous year column, the figures of the corresponding Year to date of the previous financial year shall be shown
4. FORM-1 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP FORM 1 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.
5. YTD Income on investment shall be reconciled with figures in P&L and Revenue account

FORM - 2

(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)

PART - A

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Name of Fund

Statement of Down Graded Investments Periodicity of Submission: Quarterly

									<i>Rs Crore</i>
No	Name of the Security	COI	Amount	Date of Purchase	Rating Agency	Original Grade	Current Grade	Date of last Downgrade	Remarks
A.	<i>During the Quarter ¹</i>								
B.	<i>As on Date ²</i>								

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature _____

Date Full Name and Designation

Authorised Signatory

Note:

- 1 Provide details of Down Graded Investments during the Quarter.
- 2 Investments currently upgraded, listed as Down Graded during earlier Quarter shall be deleted from the Cumulative listing.
- 3 FORM-2 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP FORM 2 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.
- 4 Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 2**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)**

Name of the Insurer:

Registration No:

PART - B**INVESTMENT ASSETS - RATING PROFILE**

Name of the Fund: _____ Rs.Crore

No	Type of Investments	Investments in Sovereign instruments		AAA or Equivalent		AA+ or AA		AA- or lower upto A+ or Equivalent		A or lower than A or Equivalent		Unrated		NPA		Equity and other Instruments		Total BV
		BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	
		(a)	(b)	(b)	(c)	(c)	(d)	(d)	(e)	(e)	(f)	(f)	(g)	(g)	(h)	(h)	(i)	
i	Central Govt Securities																	
ii	State Govt Sec. or Other Approved Securities																	
ii i	(A) Housing Sector																	
	(1) Debt instruments																	
	(2) Loans																	
	(3) Others (Specify)																	
	(B) Infrastructure Sector																	
	(1) Debt instruments																	
	(2) Equity instruments																	
	(3) Loans																	
	(4) Others (Specify)																	
	(C) Approved Investments																	
	(1) Debt instruments																	
	(2) Equity instruments																	
	(3) Loans																	
	(4) Investment Property – Immovable																	
	(5) Mutual Fund																	
	(6) Money Market																	
	(7) Net current assets																	
	(8) Others (Specify)																	
iv	Other Investments																	
	(1) Debt instruments																	
	(2) Equity instruments																	
	(3) Loans																	
	(4) Investment Property - Immovable																	
	(5) Mutual Fund																	
	(6) Others (specify)																	

Investment
Assets

Investment in 'Debt' instruments	Book Value (Life, Pension Fund and General Insurers)	Market Value (for ULIP Funds)	%
Investments in Sovereign instruments			
APPROVED INVESTMENTS			
AAA			
AA+ upto AA or Equivalent			
MM, Loans, Others - Approved Invt.			
OTHER INVESTMENTS			
AA,A, lower than A or Equivalent			
Unrated, Loans, Others - Other Invt.			

Total Debt Investments
(Column [a] to [g])

=====

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: _____

Full name:

Authorised Signatory

Note:

1. The figures in Col (i) must match (for each type of investment) with Form 3A (Part A)/Form 3B.
2. Non-Performing investment assets shall be separately shown irrespective of the rating
3. For Linked business values of Investments shall be at Market Value.
4. Equity shall be as permitted under these regulations as amended from time to time.
5. FORM - 2 (Part B) shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP Form 2 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.
6. Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines, as amended from time to time.

FORM - 2**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)**

Name of the Insurer:

PART - C

Registration No:

INVESTMENT ASSETS & HOUSING AND INFRA INVESTMENTS - RATING PROFILE

Name of the Fund

SECTION - 1

INVESTMENT ASSETS	Rs Crore	% to Inv. Assets
Central Govt. Sec + Other Approved Securities		
TOTAL (1)		
Approved Investments		
AAA or upto AA or Equivalent		
Equity - Approved Invt		
MM, Loans, Others - Approved Invt		
TOTAL (2)		
Other Investments		
AA-, A, lower than A or Equivalent		
Equity - Other Invt		
Unrated, NPA, Loans, Others - Other Invt		
TOTAL (3)		
TOTAL FUND (1+2+3)		
SECTION - 2		
HOUSING AND INFRASTRUCTURE INVESTMENTS		
Approved Investments		
AAA or upto AA or Equivalent		
Equities-Approved		
MM, Loans, Others-Approved Invt		
TOTAL (i)		
Other Investments		
AA-, A, lower than A or Equivalent		
Equities-Other Investments		
Loans, NPAs, Others - Other Invt		
TOTAL (ii)		
Total Infra Investment (i + ii)		

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: _____

Full name: _____

Authorised Signatory _____

Note::

1. The figures must match (for each type of investment) with Form 3A (Part A)/Form 3B
2. FORM - 2 (Part C) shall be prepared in respect of life fund.
3. Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 3A**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****Name of the Insurer:****Registration Number:****PART - A****Statement as on:****Statement of Investment Assets (Life Insurers) (Business within India)****Periodicity of Submission: Quarterly***Rs. Crore***Section I**

No	PARTICULARS	SCH	Amount
1	Investments (Shareholders)	8	
	Investments (Policyholders)	8A	
	Investments (Linked Liabilities)	8B	
2	Loans	9	
3	Fixed Assets	10	
4	Current Assets		
	a. Cash & Bank Balance	11	
	b. Advances & Other Assets	12	
5	Current Liabilities		
	a. Current Liabilities	13	
	b. Provisions	14	
	c. Misc. Exp not Written Off	15	
	d. Debit Balance of P&L A/c		

Application of Funds as per Balance Sheet 0

	Less: Other Assets	SCH	Amount
1	Loans (if any)	9	
2	Fixed Assets (if any)	10	
3	Cash & Bank Balance (if any)	11	
4	Advances & Other Assets (if any)	12	
5	Current Liabilities	13	
6	Provisions	14	
7	Misc. Exp not Written Off	15	
8	Investments held outside India		
9	Debit Balance of P&L A/c		
	TOTAL (B)		0
	Investment Assets (A-B)		0

Reconciliation of Investment Assets**Total Investment Assets (as per Balance Sheet)****Balance Sheet Value of:**

A. Life Fund

B. Pension & General Annuity and

Group Business

C. Unit Linked Funds

0

[illegible]

B. PENSION & GENERAL ANNUITY AND GROUP BUSINESS			% as per Reg	PH		Book Value	Actual %	FVC Amount	Total Fund	Market Value
				PAR	NON PAR					
				(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)	(f)=(c+e)	(g)
1	Central Govt. Sec		Not Less than 20%							
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (1) above)		Not Less than 40%							
3	Balance in Approved investment		Not Exceeding 60%							

TOTAL PENSION, GENERAL ANNUITY FUND 100%

LINKED BUSINESS

C. LINKED FUNDS			% as per Reg	PH		Total Fund	Actual %
				PAR	NON PAR		
				(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)
1	Approved Investments		Not Less than 75%				
2	Other Investments		Not More than 25%				

TOTAL LINKED INSURANCE FUND 100

=====

CERTIFICATION:

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Date:

Full name:

Authorised Signatory

Note:

- 1 (+) FRSM refers to 'Funds representing Solvency Margin'.
- 2 Funds beyond Solvency Margin shall have a separate Custody Account.
- 3 Other Investments shall be as permitted as per Sec 27A (2) of Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- 4 Pattern of Investment is applicable to both Shareholders funds representing solvency margin and policyholders funds.
- 5 Exposure Norms shall apply to Funds held beyond Solvency Margin, held in a separate Custody Account.
- 6 Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines, as amended from time to time.

FORM 3A

(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)

Unit Linked Insurance Business**PART - B****Name of the Insurer:****Registration Number:****Link to Item 'C' of FORM 3A (Part A)****Periodicity of Submission: Quarterly****Statement as on:***Rs. Crore*

PARTICULARS	SFIN 1	SFIN 2	SFIN 'n'	Total of All Funds
Opening Balance (Market Value)				
Add: Inflow during the Quarter				
Increase / (Decrease) Value of Inv [Net]				
Less: Outflow during the Quarter				

TOTAL INVESTIBLE FUNDS (MKT VALUE)

INVESTMENT OF UNIT FUND	SFIN 1		SFIN 2		SFIN 'n'		Total of All Funds	
	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual
Approved Investments (>=75%)								
<i>Central Govt. Securities</i>								
<i>State Govt. Securities</i>								
<i>Other Approved Securities</i>								
<i>Corporate Bonds</i>								
<i>Infrastructure Bonds</i>								
<i>Equity</i>								
<i>Money Market Investments</i>								
<i>Mutual funds</i>								
<i>Deposit with Banks</i>								

Sub Total (A)

Current Assets:								
<i>Accrued Interest</i>								
<i>Dividend Receivable</i>								
<i>Bank Balance</i>								
<i>Receivable for Sale of Investments</i>								
<i>Other Current Assets (for Investments)</i>								
Less: Current Liabilities								
<i>Payable for Investments</i>								
<i>Fund Mgmt Charges Payable</i>								

<i>Other Current Liabilities (for Investments)</i>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Total (B)

Other Investments (<=25%)								
<i>Corporate Bonds</i>								
<i>Infrastructure Bonds</i>								
<i>Equity</i>								
<i>Mutual funds</i>								
<i>Others</i>								

Sub Total (C)

=====

Total (A + B + C)

=====

Fund Carried Forward (as per LB 2)

=====

Signature: _____

Date :

Full name: _____

Authorised Signatory _____

Note:

1. The aggregate of all the above Segregated Unit-Funds should reconcile with item C of FORM 3A (Part A), for both Par & Non Par Business.
2. Details of total expenditure reported in the Actuarial Return "Statement of Net Assets Values for the Segregated Funds maintained by the insurer for its Unit Linked Business" shall be reconciled with FORM 3A (Part B).
3. Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2) of Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
4. Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 3A

(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)

Name of the Insurer:

Registration Number:

PART - C

Link to FORM 3A (Part B)

Statement for the period:

Periodicity of Submission: Quarterly

Statement of NAV of Segregated Funds*Rs.Crore*

No	Fund Name	SFIN	Date of Launch	Par/Non Par	Assets Under Management on the above date	NAV as per LB 2	NAV as on the above date*	Previous Qtr NAV	2nd Previous Qtr NAV	3rd Previous Qtr NAV	4th Previous Qtr NAV	Return/ Yield	3 Year Rolling CAGR	Highest NAV Since inception
1	Segregated Fund 1													
2	Segregated Fund 2													
3	Segregated Fund n													
Total														

CERTIFICATION

Certified that the performance of all segregated funds have been placed and reviewed by the Board. All information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

DATE :**Signature:****Full name:****Authorised Signatory**

Note:

1. * NAV should reflect the published NAV on the reporting date.
2. NAV should be upto 4 decimal.
3. Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 3A**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****PART - D****Name of the Insurer:****Registration Number:****Link to FORM 3A (Part A)****Statement as on:**

Statement of Accretion of Funds

(Business within India)

Periodicity of Submission : Quarterly

Rs.Crore

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (A)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
A	LIFE FUND							
1	Central Govt. Sec	Not less than 25%						
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (1) above)	Not less than 50%						
3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Infrastructure	Not less than 15%						
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	b. (i) Approved Investments	Not exceeding 35%						
	(ii) Other Investments (Not to exceed 15%)							

Total (A)

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (B)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
B	PENSION & GENERAL ANNUITY AND GROUP BUSINESS							
1	Central Govt. Sec	Not less than 20%						
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved	Not less than 40%						

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (B)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
	Securities (incl (1) above)							
3	Balance in Approved investment	Not exceeding 60%						

Total (B)

=====

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (C)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
C	LINKED FUNDS							
1	Approved Investments	Not less than 75%						
2	Other Investments	Not more than 25%						

Total (C) 100%

=====

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:

Full name:

Authorised Signatory_____

Note:

Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 3A**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****PART - E****Name of the Insurer:****Registration Number:****Statement as on:****Statement of Investment Details of ULIP Products to Segregated Funds***(Business within India)**Rs. Crore*

Periodicity of Submission : Quarterly

INVESTMENT DETAILS OF "ULIP" PRODUCTS [UIN] TO SEGREGATED FUNDS [SFIN]				
Inflow	UIN1	UIN2	UIN n	Total UIN '1' to 'n'
Premium				
Others (Specify)				
TOTAL (A)				
Outflow				
Commission				
Charges				
Claims				
Others				
TOTAL (B)				
Total C = (A-B)				
Policy Funds at "C" above allotted to				
SFIN 1				
SFIN 2				
SFIN n				
TOTAL (D)				
Difference (if any) E = (C-D)				

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:**Signature:****Full name:****Authorised Signatory**_____**Note:**

1. UIN represents the Unique product number as per 'file and use' approved under ULIP products.
2. SFIN represents the Segregated Fund Identification Number as approved by the Product Approval Committee.
3. Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 3B

(Read with clause 9 of Part III of Schedule III) Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

PART - A**Statement of Investment Assets (General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance) (Business within India)**

Rs.Crore

Periodicity of Submission: Quarterly Section I

No	PARTICULARS	SCH ++	AMOUNT
1	Investments(Shareholders)	8	
	Investments(Policyholders)	8A	
2	Loans	9	
3	Fixed Assets	10	
4	Current Assets		
	a. Cash & Bank Balance	11	
	b. Advances & Other Assets	12	
5	Current Liabilities		
	a. Current Liabilities	13	
	b. Provisions	14	
	c. Misc. Exp not Written Off	15	
	d. Debit Balance of P&L A/c		
Application of Funds as per Balance Sheet Total (A)			0
	Less: Other Assets	SCH ++	Amount
1	Loans (if any)	9	
2	Fixed Assets (if any)	10	
3	Cash & Bank Balance (if any)	11	
4	Advances & Other Assets (if any)	12	
5	Current Liabilities	13	
6	Provisions	14	
7	Misc. Exp not Written Off	15	
8	Investments held outside India		
9	Debit Balance of P&L A/c		
Total		TOTAL(B)	0
'Investment Assets'		(A-B)	0
As per FORM 3B			=====

Section II

No	'Investment' represented as	Reg. %	SH		PH	Book Value (SH + PH)	% Actual	FVC Amount	Total	Market Value (h)
			Balance	FRSM ⁺						
			(a)	(b)	(c)	d = (a+b+c)	e = (d-a) %	(f)	(g)=(d+f)	
1	Central Govt. Securities	Not less than 20%								
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (1) above)	Not less than 30%								
3	Investment subject to Exposure Norms									
	a. Housing / Infra & Loans to SG for Housing and FFE	Not less than 15%								
	1. Approved Investments									
	2. Other Investments									
	b. Approved Investments	Not exceeding 55%								
	c. Other Investments									

Investment Assets 100%

=====

Housing and Infrastructure Sector Investments Reconciliation

Investment represented As	% As per Reg.	SH		PH	Book Value (SH+PH)	ACTUAL %	FVC Amount	Total	Market Value
		Balance	FRSM ⁺						
		(a)	(b)	(c)	d=(a+b+c)	(e) = (d-a)%	(f)	(g)=(d+f)	(h)
3 a.(2) + 3 c above	Not exceeding 15%								
Total Housing & Infrastructure From 1, 2 & 3	Not Less than 15%								

Certification:

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:**Signature:****Full name:****Authorised Signatory**

- Note:
1. (+) FRSM refers 'Funds representing Solvency Margin'
 2. Other Investments' are as permitted under 27A(2) of Insurance Act 1938 as amended from time to time.
 3. Pattern of Investment is applicable to both Shareholders funds representing solvency margin and policyholders funds.
 4. Exposure Norms shall apply to Funds held beyond Solvency Margin, held in a separate Custody Account.
 5. SCH (++) refers to Schedules to Balance Sheet, prepared as per these regulations.
 6. Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 3B**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)**

Name of the Insurer:

PART - B

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Accretion of Assets

Rs. Crore

(Business within India)

Periodicity of Submission : Quarterly

No	Category of Investments	COI	Opening Balance	% to Opening Balance	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accrual	TOTAL	% to Total
			(A)		(B)		(A+B)	
1	Central Govt. Securities							
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)							
3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Loans to SG for Housing and FFE							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	b. Infrastructure Investments							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	c. Approved Investments							
	d. Other Investments (not exceeding 15%)							

Total

=====

Certification:

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:_____

Full name:

Authorised Signatory

Note:

- a. Total (A+B), fund wise should tally with figures shown in Form 3B (Part A)
- b. Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines issued.

FORM - 4**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****PART B****Name of the Insurer:**

Registration Number:

Statement as on:

INTERNAL / CONCURRENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON INVESTMENT RISK MANAGEMENT SYSTEMS - IMPLEMENTATION STATUS

No	Annexure Ref	Audit Objective	Audit Observation	Severity of Non Compliance	Action(s) taken for Compliance	MMM/YYYY Committed by the Insurer's Board to IRDAI for complying with the requirement	Proof provided (or) demonstrated by the Insurer, to the Auditor to comply with the Requirement	Remarks & Comments of Audit Committee of the Board on non-compliance of 'time frame' communicated to IRDAI on implementing Systems & Processes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ISSUES OF PREVIOUS QUARTER(S)							
B	ISSUES TO BE COMPLIED IN CURRENT QUARTER							

CERTIFICATE

We certify that all issues, to be reported to IRDAI on implementation of Investment Risk Management Systems and Process, for the Quarter and pending issues of previous Quarter(s) [as committed to IRDAI], and as listed in the Chartered Accountant's Certificate have been covered in the above table.

Chartered Accountants

(Internal / Concurrent Auditor)

Place:

Date:

Note:

- No.** (under Col. 1 in above table) shall be as per the Annexure(s) to the Certificate issued by the Chartered Accountant appointed to certify implementation of Investment Risk Management Systems and Process.
- If all the issues have been complied with and no issues to be reported, a NIL statement should be filed.

FORM - 4A**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****PART A****Name of the Insurer:****Registration Number:**

Statement as on: Total Investment Assets for the quarter as per FORM 3A/3B:

EXPOSURE NORMS COMPLIANCE - INVESTEE COMPANY

Rs. Crore

No	Investee Company	Whether (Equity/Debt)	Equity		Debt + Others		Equity + Debt + Others		Deviation Amount		
			Eligibility Limit as per Clause 8 of Regulation 6(3)	Actual	Eligibility Limit as per Clause 8 of Regulation 6(3)	Actual	Eligibility Limit as per Clause 8 of Regulation 6(3)	Actual	Equity	(Debt + Others)	Equity + Debt + Others

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Date:

Full name: _____

Authorised Signatory _____

Note:

1. Above table shall be compiled separately for Life, Pension & General Annuity and Group Business and Individually for each Segregated Fund (SFIN) AND at Assets under Management Level.
2. Only (-ve) deviations are to be reported.
3. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds.

FORM - 4A**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****Name of the Insurer:****PART B****Registration Number:****Total Investment Assets for the quarter as per FORM 3A/3B:**

Statement as on:

Rs. Crore

EXPOSURE NORMS COMPLIANCE- PROMOTER GROUP

No	Name of Group Company	Eligibility Limit as per Clause 8 of Regulation 6(3)	Actual Investment	Actual Investments (Cumulative)	Deviation
a	b	c	d	e	f=c-e

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Date:

Full name: _____

Authorised Signatory _____

Note:

1. Above table shall be compiled in aggregate of its total investments.
2. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds.

FORM - 4A**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III))****PART C****Name of the Insurer:****Registration Number:**

Statement as on:

Rs. Crore

Total Investment Assets as per FORM 3A/3B:

EXPOSURE NORMS COMPLIANCE- GROUP

No	Name of Group Company	Eligibility Limit as per Clause 8 of Regulation 6(3)	Actual Investments	Deviation
a	b	c	d	e=c-d

Total _____

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Date:

Full name: _____

Authorised Signatory _____

Note:

1. Above table shall be compiled separately for Life, Pension & General Annuity and Group Business and Individually for each Segregated Fund (SFIN) AND at Assets under Management Level its total investment assets.
2. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds.
3. The Total of Column 'd' should reconcile with Total Investment Assets as per FORM 3A.

FORM - 4A**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****PART D****Name of the Insurer:****Registration Number:**

Statement as on:

Rs.Crore

Total Investment Assets as per FORM 3A/3B:

EXPOSURE TO INDUSTRY SECTOR

No	Name of Industry Sector (as per regulations)	Eligibility Limit as per Clause 8 of Regulation 6(3)	Actual Investments	Deviation
a	b	c	d	e=c-d

Total _____

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Date:

Full name: _____

Chief of Finance _____

Note:

1. Above table shall be compiled separately for Life, Pension & General Annuity and Group Business and Individually for each Segregated Fund (SFIN) AND at Assets under Management Level its total investment assets.
2. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds.
3. The Total of Column 'd' should reconcile with Investment Assets as per FORM 3A.

FORM - 5**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****Name of the Insurer:****Registration Number:****Statement as on:****Statement of Investment Reconciliation****Name of the Fund: _____****(Business within India)****Rs.Crore****Periodicity of Submission: Quarterly**

No	Category of Investments	COI	Opening Balance		Purchase for the Period		Sale for the Period		Adjustments		Closing Balance			% to Total (1+2+3)
			Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Makret Value	
1	Central Govt. Securities													
										Total (1)				
2	Central Govt. Sec, State Govt. Sec or Other Approved Sec.													
										Total [1+2]				
3	Investments subject to Exposure Norms													
	(a) Housing & Loans to State Govt for Housing / FFE													
	1. Approved Investments													
	2. Other Investments													
										Total [3(a)]				
	(b) Infrastructure Investments													
	1. Approved Investments													
	2. Other Investments													
										Total [3(b)]				
	(c) Approved Investments													
										Total [3(c)]				
	(d) Other Investments													
										Total (3(d))				
Total [3 (a+b+c+d)]														
Total (1+2+3)														

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief. Also, certified that all Cash Market transactions executed on the Stock Exchange are made only on Delivery basis.

Date:

Signature _____

Full Name & Designation

Authorised Signatory

NOTE:

1. *Individual Categories under each of the above Major heads should be listed with Category Code.*
2. *FORM-5 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP Form 5 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.*
3. *Each sub-total of FORM-5 shall be linked to its corresponding head in PART-A of FORM-3A / FORM-3B.*
4. *'Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2) of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.*
5. *The '% to Total' Column, in the case of Non-Linked funds shall be computed on Book Value and in the Case of Linked Funds it shall be Market Value.*

FORM - 6**(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)****Name of the Insurer:****Registration Number:**

Name of the Fund: _____

Statement as on:

Certificate under Section 27A (5) of Insurance Act, 1938

Rs. Crore

Periodicity of Submission: Quarterly

No	Investment Particulars	Under the Custody of						
		Bank / Custody (Rs)		Self (Rs)		Others (Rs)		Total (Rs)
		Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	SH + PH
1	Central Govt. Securities							
2	Central Govt Securities, State Govt Securities or Other Approved Securities							
3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Loans to State Govt. for Housing & FFE							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	b. Infrastructure Investments							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	c. Approved Investments							
	d. Other Investments							
	TOTAL							

CERTIFICATE

We certify that the above mentioned securities are held free of any encumbrance, charge, hypothecation, or lien as on the above date.

Signature: _____**Full name:** _____**Chairman:** _____**Signature:** _____**Full name:** _____**Director 1:** _____**Signature:** _____**Full name:** _____**Director 2:** _____**Signature:** _____**Full name:** _____**Principal Officer:** _____**Note**

1. Custodian should certify that he is not disqualified under SEBI (Custodian of securities) Regulations, 1996 as amended from time to time.
2. In the case of Life Insurance Business, FORM-6 shall be prepared in respect of each fund and in aggregate for Segregated Funds.
3. The values under certificate should be adjusted for Purchase / Sale of investments purchased and awaiting settlement. A reconciliation to this effect should be attached to the Certificate.

FORM 7

Name of the Fund

(Read with clause 9 of Part III of Schedule III)

DETAILS OF NON-PERFORMING ASSETS

Name of the Insurer:

Registration No:

(Rs. Crore)

NO	PARTICULARS	Bonds / Debentures		Loans		Other Debt instruments		All Other Assets		TOTAL	
		YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar)	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar)	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar)	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar)	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar)
1	Investments Assets (As per Form 5)										
2	Gross NPA										
3	% of Gross NPA on Investment Assets (2/1)										
4	Provision made on NPA										
5	Provision as a % of NPA (4/2)										
6	Provision on Standard Assets										
7	Net Investment Assets (1-4)										
8	Net NPA (2-4)										
9	% of Net NPA to Net Investment Assets (8/7)										
10	Write off made during the period										

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the exhaustive categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: _____

Full name: _____

Chief of Finance

Note:

1. The above statement, in the case of 'Life' Insurers shall be prepared 'fund-wise' Viz. Life Fund, Pension & Group Fund, ULIP Fund and at Assets Under Management level also.
2. Total Investment Assets should reconcile with figures shown in Form 3A / 3B.
3. Gross NPA is investments classified as NPA, before any provisions.
4. Provision made on the 'Standard Assets' shall be as per Circular issued, as amended from time to time.
5. Net Investment assets is net of 'provisions'.
6. Net NPA is gross NPAs less provisions.
7. Write off as approved by the Board.

Name of the Insurer:

FORM - D01

Registration No:

Report Date

DAILY RECONCILIATION OF ULIP PORTFOLIO

Unique Identity Number (UIN)	Name of the Product	Segregated Fund Identification Number (SFIN)	Name of the Fund	Life / Group Policy Admin System					
				Opening Unit Capital (as at the start of the day) (Amount in Rs)	Opening Units (as of the start of the day) (Number of Units)	Net Amount collected or redeemed (net of charges) for the day (Amount in Rs)	Net units allotted or redeemed for the day (Number of Units)	Closing unit capital (as at the end of the day) (Amount in Rs)	Closing units (as at the end of the day) (Number of Units)
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (c)	(f) = (b) + (d)
X	A	XYZ	Fund Name 1						
Y	B								
Z	C								
			Sub total						
L	D	ABC	Fund Name 'n'						
M	E								
			Sub total						

Investment Management System										
SFI N	Name of the Fund	Opening fund Value (as at the start of the day)	Opening units (as at the start of the day) (Number of Units)	Additional fund Value created or redeemed for the day	Additional Units created or redeemed for the day	Investment income for the day (including unrealised gain/loss)	FMC charges deducted for the day	Closing fund Value (as at the end of the day)	Closing Units (as at the end of the day) (Number of units)	NAV per Unit declared
		(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m) = (g)+(i)+(k)-(l)	(n) = (h) + (j)	(o) = (m) / (n)
	Fund 1									
	Fund 2									
	Fund 'n'									

NOTES:

- Opening units as per Life / Group Policy Admin System of previous NAV day [refer (b)] shall reconcile with Opening Units as per Investment Management System [refer (h)].
- Additional fund or Units created or redeemed for the day in Investment Management System [refer (i) and (j)] shall reconcile with Net Amount or Units collected or redeemed as per Life / Group Policy Admin System [refer (c) and (d)].
- Closing units as per Life / Group Policy Admin System of previous NAV day [refer (f)] shall reconcile with Closing Units as per Investment Management System [refer (n)]
- NAV per unit declared [refer (O)] must reconcile with NAV per unit uploaded on Life Insurance council's website.
- The unit movements of day "T" in Life/Group Admin System shall flow into Investment Management System with a maximum time lag of 1 working day i.e T+1.

FORM - D02
XYZ Life Insurance Company Limited
Statement of Product Value

Registration No:

Policyholder ID

Name of Policyholder

Address:

Login Dt

DD/MM/YYYY

PART - A

Product	UIN	Premium incl. Top- up (Rs)	Premium Allocation Charge (Rs)	Funds Allocated (Rs)	Units as per Policy Admin System (PAS)	Value per Unit (Rs)	Product Value (Rs)
ZXY Premium Plus							

[A]

PART - B

Rs.

Particulars	SFIN	SFIN	E SFIN
Name of the Fund	Fund X	Fund Y	Total
Units (as per Investment Management System)			
Percentage of Allocation (as on Login Dt)	%	%	%
Funds Allocated			
Switch In			
Switch Out			
Withdrawals			

Charges

Allocation Charges

Switch charge

Policy Administration charge

Mortality charges

Other charges (specify)

GST

Total amount invested in Segregated funds

Current NAV

Fund value as on Login Dt:

[B]

PART - C (Product Statistics)

Insurance Cover over the interim reporting period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy		
Total Premium Paid from inception		
Total Risk premium from inception, for insurance cover		
Total Charges and deductions other than Mortality including Allocation charges till Login Dt. (including Service Charges)		
Difference between (A) (B) (unrealised Gain / Loss)		
Portfolio value on Net Investment as per Benefit Illustration at the lower rate as prescribed in the regulations		
Portfolio value on Net Investment as per Benefit Illustration at the upper rate prescribed in the regulations		

NOTE:

1. *Product Portfolio value would be aggregate of all fund values in a product.*
2. *Product value per unit would be arrived at post dividing aggregate fund value by initial units*
3. *Consolidated Product Value would be a derived by aggregating the product values and dividing the same by consolidated initial units.*
4. *Product Value would be in addition to all the existing disclosures and calculations.*
5. *Current prescribed practices shall continue.*

SCHEDULE IV: LOANS AND ADVANCES BY INSURANCE COMPANIES**1. Definitions:**

- (1) "Officer" means an officer defined in Section 2 (59) of the Companies Act, 2013 but does not include non-whole-time director;
- (2) "Full time Employees" means all employees of the insurer and includes Officers of the insurer.

2. Loans or Temporary Advances:

- i. No insurer shall grant any loans or temporary advances to any officer who is not a whole-time Director either on hypothecation of property or on personal security or otherwise except as provided under Section 29 (1) of the Act.
- ii. No insurer shall grant any loans or temporary advances to its full-time Employees either on hypothecation of property or on personal security or otherwise, except as provided under Section 29 (1) of the Act;

Provided that an Insurer may grant the loans or temporary advances to its full time Employees only for the following purposes:

- (i) Loan for purchasing of car and / or two wheeler;
- (ii) Loan for purchasing of personal computer and for other electronic devices;
- (iii) Loan for purchasing of furniture;
- (iv) Loan for constructing/acquiring a house for personal use;
- (v) Loans for education of the children of the employees
- (vi) Advance for Festival;
- (vii) Any other purpose as may be specified in the policy in this regard approved by the Board of the Insurer.

Provided further that the aggregate of all loans taken together by a full time employee shall not exceed rupees one crore and shall be linked to the fixed remuneration of the employees.

3. Board Approved Policy:

Every Insurer who grants loans or temporary advances to its employees shall have in place a scheme duly approved by its Board of Directors for the grant of the above said loans or temporary advances.

4. Terms and Conditions:

The loans or temporary advances stated in clause 2 of Schedule-IV of these regulations shall be subject to the following conditions:

- (i) The loans and advances shall form part of the compensation /remuneration package in accordance with the compensation / remuneration policy approved by the Board of Directors or by the Nomination and Remuneration Committee of the Board to which powers have been so delegated, as the case may be.

- (ii) The terms and conditions of such loans or advances shall be such as may be approved by the Board or by the Nomination and Remuneration Committee of the Board to which such powers have been delegated.

Provided that the interest rate charged on loan or temporary advances to whole-time Directors and other officers cannot be lower than the rate charged on loans or temporary advances to the insurer's own employees.

- (iii) All such loans and advances shall not be admissible for Available Solvency Margin.

SCHEDULE – V: INSPECTION AND SUPPLY OF RETURNS

1. Inspection and Supply of Returns:

- (1) Any person seeking inspection of any return or a copy of any return under Section 20 (1) of the Act, shall make an application to the Authority in such manner as may be specified by the Competent Authority.
- (2) The fee shall be charged at the following rates: Rupees One Hundred Only (Rs. 100/-) for each page or part thereof in physical form and Rupees Seventy-Five (Rs. 75/-) per page in electronic form.

2. Supply of a copy of Memorandum and articles of association by the insurer:

- (1) A policyholder of an insurer seeking a copy of memorandum and articles of association under Section 20 (3) of the Act, shall make an application in such manner as may be specified by the Competent Authority.
- (2) The insurer shall furnish a copy of the memorandum and articles of association within such time period as may be specified by the Competent Authority.
- (3) The fee shall be charged at the following rates: Rupees One Hundred Only (Rs. 100/-) for each page or part thereof in physical form and Rupees Seventy-Five (Rs. 75/-) per page in electronic form

Annexure Actl- 1**Form H****(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)****Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024**

Summary of Valuation as at 31st MARCH _____

Name of the Insurer:

Form Code:

Date of Registration:

Registration Number:

Item No.	Type	Category of Business	Mathematical Reserves (inclusive of cost of bonuses allocated)
(1)		(2)	(3)
		Business within India:	
01	Par	Non-Linked Business	
02		Linked Business	
03		VIP-Non Linked Business	
04		VIP-Linked Business	
05		TOTAL (total of the items (1) to (4))	
06	Non-Par	Non-Linked Business	
07		Linked Business	
08		VIP-Non Linked Business	
09		VIP-Linked Business	
10		TOTAL (total of the items (6) to (9))	
11		Grand TOTAL (total of the items (5) and (10))	
		Total Business:	
12	Par	Non-Linked Business	
13		Linked Business	
14		VIP-Non Linked Business	
15		VIP-Linked Business	
16		TOTAL (total of the items (12) to (15))	
17	Non-Par	Non-Linked Business	
18		Linked Business	
19		VIP-Non Linked Business	
20		VIP-Linked Business	
21		TOTAL (total of the items (17) to (20))	
22		Grand TOTAL (total of the items (16) and (21))	

Note:

1 All figures should be in thousands

2 Mathematical reserves in Col (3) shall be furnished inclusive of cost of bonuses allocated

[illegible]

[illegible]

		rance																				
13	Pensio n	Before Reinsu rance																				
14		After Reinsu rance																				
15	Gener al Annuit y	Before Reinsu rance																				
16		After Reinsu rance																				
17	Health	Before Reinsu rance																				
18		After Reinsu rance																				
		TOTAL BUSINESS																				
19	Totals	Before Reinsu rance																				
20		After Reinsu rance																				

Notes:

1 All figures should be in thousands

2 Col (19) = Col (11) + Col (12) + Col (13) + Col (14) + Col (15) + Col (16) + Col (17) - Col (18)

3 Col (22) = Col (19) + Col (20) + Col (21)

Annexure Actl- 1 (Continued)

Form LB

(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

Summary and Valuation of policies as at 31st March.....

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code:

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Type:

Type Code:

Category:

Category Code:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30		After Reinsurance														
		Without Guarantees:														
31		Before Reinsurance														
32		After Reinsurance														
		TOTAL BUSIN ESS														
	TOTALS	With Guarantees:														
33		Before Reinsurance														
34		After Reinsurance														
		Without Guarantees:														
35		Before Reinsurance														
36		After Reinsurance														
	Notes: 1 All figures should be in thousands 2 Col (14) = Col (11) + Col (12) + Col (13) 3 Col (17) = Col (14) + Col (15) + Col (16)															

Annexure ActI- 1 (Continued)**Form VIPNLB**

(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

Summary and Valuation of policies as at 31st MARCH

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code:

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Type:

Type Code:

Category:

Category Code:

Item NO	Sub Class	Description	Policy				Particulars				Valuation Details											
			Number of policies	Number of Lives	Sum assured on Death / Rider	Sum Assured on Maturity	Vested Bonus	Annuity pa	Others, if any	Annualized Premium	All Benefits (e.g. Death, maturity, guaranteed additions. Etc.)	Annuity	Vested Bonus	Future Bonus	Cost of Bonus Allocated	Terminal Bonus	Expenses and Commission	Future Premium	Math Reserve (before Adjustment)	Negative Reserve adjustment	Surrender Value Deficiency Reserves	Adjusted Math Reserve
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		INDIVIDUAL BUSINESS																				
01	Life Business	Before Reinsurance																				
02		After Reinsurance																				
03	Pension	Before Reinsurance																				
04		After Reinsurance																				
05	General Annuity	Before Reinsurance																				
06		After Reinsurance																				
07	Health	Before Reinsurance																				
08		After Reinsurance																				
		GROUP BUSINESS																				
	Life Business	Premiums Guaranteed for one year:																				
09		Before Reinsurance																				
10		After Reinsurance																				
		Premiums Guaranteed for not more than one year:																				
11		Before Reinsurance																				
12		After Reinsurance																				
13	Pension	Before Reinsurance																				
14		After Reinsurance																				
15	General Annuity	Before Reinsurance																				
16		After Reinsurance																				
17	Health	Before Reinsurance																				
18		After Reinsurance																				
		TOTAL BUSINESS																				
19	Totals	Before Reinsurance																				
20		After Reinsurance																				

Notes:

1 All figures should be in thousands

2 Col (19) = Col (11) + Col (12) + Col (13) + Col (14) + Col (15) + Col (16) + Col (17) - Col (18)

3 Col (22) = Col (19) + Col (20) + Col (21)

Category Code:

[illegible]

[illegible]

23		Before Reinsurance														
24		After Reinsurance														
	General Annuity	With Guarantees:														
25		Before Reinsurance														
26		After Reinsurance														
		Without Guarantees:														
27		Before Reinsurance														
28		After Reinsurance														
		Health	With Guarantees:													
29			Before Reinsurance													
30	After Reinsurance															
	Without Guarantees:															
31	Before Reinsurance															
32	After Reinsurance															
			TOTAL BUSINESS													
	TOTALS		With Guarantees:													
33		Before Reinsurance														
34		After Reinsurance														
		Without Guarantees:														
35		Before Reinsurance														
36		After Reinsurance														
Notes: 1 All figures should be in thousands 2 Col (14) = Col (11) + Col (12) + Col (13) 3 Col (17) = Col (14) + Col (15) + Col (16)																

Annexure ActI- 2**Form IA (Non-Participating)****(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment
Functions of Insurers) Regulations, 2024**Valuation Results as at 31st March.....**

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Type:

Type Code:

Item No.	Description	Balance of Fund shown in Balance Sheet	Mathematical reserves (excluding cost of bonuses allocated)	Surplus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Business within India:			
	Non-Linked			
a	Non-par Policies - Life			
b	Non-par Policies - Pensions			
c	Non-par Policies - Annuity			
d	Non-par Policies – Health			
	Linked			
e	Non-par Policies – Life			
f	Non-par Policies - Pensions			
g	Non-par Policies - Annuity			
h	Non-par Policies – Health			
	VIP			
i	Non-par Policies - Life			
j	Non-par Policies - Pensions			

02		Totals - Policyholder Funds - within India			
03		Total Business			
		Non-Linked			
	a	Non-par Policies - Life			
	b	Non-par Policies - Pensions			
	c	Non-par Policies - Annuity			
	d	Non-par Policies - Health			
		Linked			
	e	Non-par Policies - Life			
	f	Non-par Policies - Pensions			
	g	Non-par Policies - Annuity			
	h	Non-par Policies - Health			
		VIP			
	i	Non-par Policies - Life			
	j	Non-par Policies - Pensions			
04		Totals - Policyholder Funds			
Notes: 1 All figures should be in thousands 2 Col (5) = Col (3) - Col (4)					

Annexure ActI- 3**Form IA (Participating)
(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)**

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

Valuation Results as at 31st March.....

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Type:

Type Code:

Item No.	Description	Balance of Fund shown in Balance Sheet	Mathematical reserves Mathematical reserves (excluding cost of bonuses allocated)	Surplus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Business within India:			
	Non-Linked			
	a Life			
	b Pensions			
	c Annuity			
	d Health			
	Non-Linked VIP			
	a Life			
	b Pensions			
	c Annuity			
	d Health			
	Linked			
	a Life			
	b Pensions			
	c Annuity			
	d Health			
	Linked VIP			
	a Life			
	b Pensions			
	c Annuity			
	d Health			
2	Totals - Policyholder Funds - within India			
3	Total Business			
	Non-Linked			
	a Life			
	b Pensions			
	c Annuity			
	d Health			
	Non-Linked VIP			
	a Life			
	b Pensions			

	c	Annuity			
	d	Health			
		Linked			
	a	Life			
	b	Pensions			
	c	Annuity			
	d	Health			
		Linked VIP			
	a	Life			
	b	Pensions			
	c	Annuity			
	d	Health			
4		Totals - Policyholder Funds			

Notes:

- 1 All figures should be in thousands
2 Col (5) = Col (3) - Col (4)

Annexure Actl- 4**Form I****(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)**

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

Valuation Results as at 31st March.....

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Item No.	Description	Balance of Fund shown in Balance Sheet	Mathematical reserves (excluding cost of bonuses allocated)	Surplus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Business within India:			
	a Participating Policies			
	b Non-participating Policies			
02	Totals - Policyholder Funds - within India			
03	Total Business			
	a Participating Policies			
	b Non-participating Policies			
04	Totals - Policyholder Funds			

Note:

- 1 All figures should be in thousands
- 2 Col (5) = Col (3) - Col (4)
- 3 The figures shown in column (3) includes surplus in the policyholder fund; it is the Balance Sheet position of assets prior to any transfer being made out to the shareholder fund.
- 4 The figures shown in (3) and the Surplus shown in (5) also includes shareholder transfer to the policyholder fund in order to meet the deficits in some segments.
- 5 The figures shown in column (3) for Par business does not include the amount of interim and terminal bonus paid to the policyholder during the inter valuation period amounting Rs. X.

Annexure Actl- 5

FORM IRDAI-ASSETS-AA

(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

Statement of Assets as at 31st MARCH.....

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code:

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Form AA

Particulars (Amount in 000's)	Policyholders A/C	Shareholders A/C	Total
Investments			
Investments Shareholder' SCH 8(A)			
Policyholders' SCH-8A(B)			
Assets held to cover linked liabilities SCH-8B(C)			
Total Investments as per BS# (D)=(A)+(B)+(C)			
Inadmissible Investment assets***(E)			
Fixed assets			
Fixed assets as per BS (F)			
Inadmissible Fixed assets***(G)			
Current Assets			
Cash & Bank Balances as per BS.....(H)			
Advances and Other assets as per BS(I)			
Total Current Assets as per BS (J) = (H) + (I)			
Inadmissible Current assets***(K)			

Current Liabilities & Provisions			
Current Liabilities as per BS.....(L)			
Provisions as per BS (M)			
Total Current Liabilities & Provisions(N) = (L) + (M)			
Policy Loans			
Policy and Other Admissible Loans as per BS.....(O)			
Fair Value Change Account subject to minimum of zero(P)			
Total Assets as per BS (Q) = (D) + (F) + (J) - (N) + (O)			
Total Inadmissible assets (R) = (E) + (G) + (K) + (P)			
Total Admissible assets for Solvency — (Q) - (R)			

Note: Policyholders' asset (SCH 8A) should include assets backing General Fund liabilities of linked business. However, SCH 8B will include only assets backing unit liabilities and policy account

*** Inadmissible assets as per **clause 1 of Part III A of Schedule I of these regulations.**

'BS' indicates 'Balance Sheet'

Annexure Actl- 6

Form KT-1

(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

Required Solvency Margin based on Mathematical Reserves and Sum at Risk as at 31st March.....

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code:

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

[illegible]

	Linked									
	Division / sub-class / group by									
										
	VIP Non-Linked									
	Division / sub-class / group by									
										
	VIP Linked									
	Division / sub-class / group by									
	Total Participating									
	Total									

(1) $K1 = 0.85$ or (Mathematical Reserves after Reinsurance / Mathematical Reserves before reinsurance), whichever is higher.

(2) $K2 = 0.5$ or (Sum at Risk after reinsurance / Sum at risk before reinsurance), whichever is higher

(3) $\text{Col. (11)} = [\text{Col. (3)} \times \text{Col. (5)} \times \text{Col. (9)}] + [\text{Col. (6)} \times \text{Col. (8)} \times \text{Col. (10)}]$

(4) In the computation of the total sum at risk, ignore the contracts for which the sum at risk is a negative figure or does not exist

(5) The first and second factor are x% and y% respectively

(6) $K1$ and $K2$ shall be calculated separately for each row.

Required Solvency Margin (RSM) Factors		
	First Factor	Second Factor
1.Type: Non-Participating		
1.1. Category: Non-Linked:		
1.1.1. Division- Individual		
1.1.1.1. Sub-Class- Life Business		
1.1.1.1.a. Other than term	3.00%	0.30%
1.1.1.1.b. Pure Term	3.00%	0.10%
1.1.1.1.c. Term with ROP	3.00%	0.10%
1.1.1.2. Sub-Class- General Annuity	3.00%	0.00%
1.1.1.3. Sub-Class-Pension	3.00%	0.30%
1.1.1.4. Sub-Class- Health	3.00%	0.00%

1.1.2. Division: Group Business:		
1.1.2.1. Sub-class: Life Business :		
1.1.2.1.a. Premiums guaranteed for not more than one year	1.00%	0.10%
1.1.2.1.b. Premiums guaranteed for more than one year	1.00%	0.10%
1.1.2.1.c. Fund Based Non Participating	1.00%	0.10%
1.1.2.1.d Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	1.00%	0.05%
1.1.2.2. Sub-class: General Annuity	3.00%	0.00%
1.1.2.3. Sub-class: Pension	3.00%	0.10%
1.1.2.4. Sub-Class- Health	3.00%	0.00%
1.2. Category: Linked :		
1.2.1. Division- Individual		
1.2.1.1. Sub-Class- Life Business		
1.2.1.1.a. with guarantees	1.80%	0.20%
1.2.1.1.b. without guarantees	0.60%	0.20%
1.2.1.2. Sub-class: General Annuity		
1.2.1.2.a. with guarantees	1.80%	0.20%
1.2.1.2.b. without guarantees	0.60%	0.20%
1.2.1.3. Sub-Class- Pension		
1.2.1.3.a. With guarantees	1.80%	0.20%
1.2.1.3.b. without guarantees	0.60%	0.20%
1.2.1.4. Sub-Class- Health		
1.2.1.4. a. With guarantees	1.80%	0.00%
1.2.1.4. b. without guarantees	0.60%	0.00%
1.2.2. Division: Group Business:		
1.2.2.1. Sub-Class- Life Business		
1.2.2.1.a. with guarantees	1.80%	0.20%
1.2.2.1.b. without guarantees	0.60%	0.20%
1.2.2.2. Sub-Class- General Annuity		
1.2.2.2.a. with guarantees	1.80%	0.20%
1.2.2.2.b without guarantees	0.60%	0.20%
1.2.2.3. Sub-Class- Pension		
1.2.2.3.a. With guarantees	1.80%	0.20%

1.2.2.3.b. without guarantees	0.60%	0.20%
1.2.2.4. Sub-Class- Health		
1.2.2.4.a. With guarantees	1.80%	0.00%
1.2.2.4.b. without guarantees	0.60%	0.00%
2. Type: Participating		
2.1. Category: Non-Linked:		
2.1.1. Division- Individual		
2.1.1.1. Sub-Class- Life Business	3.00%	0.30%
2.1.1.2. Sub-Class- General Annuity	3.00%	0.00%
2.1.1.3. Sub-Class- Pension	3.00%	0.10%
2.1.1.4. Sub-Class- Health	3.00%	0.00%
2.1.2. Division: Group Business:		
2.1.2.1. Sub-class: Life Business :		
2.1.2.1.a. Premiums guaranteed for not more than one year	1.00%	0.10%
2.1.2.1.b. Premiums guaranteed for more than one year	1.00%	0.10%
2.1.2.1.c. Fund Based Participating	1.00%	0.10%
2.1.2.2. Sub-class: General Annuity	3.00%	0.00%
2.1.2.3. Sub-class: Pension	3.00%	0.10%
2.1.2.4. Sub-Class- Health	3.00%	0.00%
2.2. Category: Linked :		
2.2.1. Division- Individual		
2.2.1.1. Sub-Class- Life Business		
2.2.1.1.a. with guarantees	1.80%	0.20%
2.2.1.1.b. without guarantees	0.60%	0.20%
2.2.1.2. Sub-Class- General Annuity		
2.2.1.2.a. with guarantees	1.80%	0.20%
2.2.1.2.b. without guarantees	0.60%	0.20%
2.2.1.3. Sub-Class- Pension		
2.2.1.3.a. With guarantees	1.80%	0.20%
2.2.1.3.b. without guarantees	0.60%	0.20%
2.2.1.4. Sub-Class- Health		

2.2.1.4.a. With guarantees	1.80%	0.00%
2.2.1.4.b. without guarantees	0.60%	0.00%
2.2.2. Division: Group Business:		
2.2.2.1. Sub-Class- Life Business		
2.2.2.1.a. with guarantees	1.80%	0.20%
2.2.2.1.b. without guarantees	0.60%	0.20%
2.2.2.2. Sub-Class- General Annuity		
2.2.2.2.a. with guarantees	1.80%	0.20%
2.2.2.2.b. without guarantees	0.60%	0.20%
2.2.2.3. Sub-Class- Pension		
2.2.2.3.a. With guarantees	1.80%	0.20%
2.2.2.3.b. without guarantees	0.60%	0.20%
2.2.2.4. Sub-Class- Health		
2.2.2.4. a. With guarantees	1.80%	0.00%
2.2.2.4. b. without guarantees	0.60%	0.00%

Notes:

- (1) The Factors Applicable to the Adjustments shall be as per the nature of the Base products
(2) The Factors Applicable to the Riders shall be as per the following table:

Riders	First Factor	Second Factor
For Health Insurance Rider	3.00%	0.00%
For Other than Health Insurance Rider	3.00%	0.10%

Annexure Actl- 7**Form KT-2**

(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024**Required Solvency Margin based on Assets of Policyholders' Funds as at 31st March.....**

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code:

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Item No.	Category of Asset	Notes	Amount (see Notes below) Rs.	Third Factor %	Required Solvency Margin
	(1)	(2).	(3)	(4)	(5)
	Non-Mandated investments				
	Corporate Bonds				
01	AAA or Equivalent				
02	AA or Equivalent				
03	A or Equivalent				
04	BBB or Equivalent				
05	BB or Equivalent				
06	B or Equivalent				
07	Lower than B				
08	Unrated				
	Mortgages				
09	Residential				
10	Commercial				
	Real Estate				
11	Residential				
12	Commercial				
	Preference Shares				
13	Listed Preference Shares				
14	Unlisted Preference Shares				

	Equity				
15	Listed Ordinary Shares				
16	Unlisted Ordinary Shares				
17	Total				

Note:

- (1) Column (5) = Column (3) X Column (4)
- (2) Column (4) = zero until further intimation from the Authority
- (3) **The table should show the amount (in column (3)) which is Balance Sheet Value in respect of the above mentioned category of asset (where the Balance Sheet is prepared in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024**

Annexure Actl- 8

Form KT-3

(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

Available Solvency Margin and Solvency Ratio as at 31st March.....

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code:

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Item	Description	Notes No...	Adjusted Value
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Available Assets in Policyholders' Fund:	2	
	Deduct:		
02	Mathematical Reserves	3	
03	Other Liabilities	4	
04	Excess in Policyholders' funds (01-02-03)		

05	Available Assets in Shareholders Fund:	5	
	Deduct:		
06	Other Liabilities of shareholders' fund	4	
07	Excess in Shareholders' funds (05-06)		
08	Total ASM (04)+(07)		
09	Total RSM	6	
10	Solvency Ratio (ASM/RSM)		

Certification:

I, the Appointed Actuary, certify that the above statements have been prepared in accordance with the section 64VA of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time; and the amounts mentioned therein are true and fair to the best of my knowledge.

Place:

Date:

Name and Signature of Appointed Actuary

Name and Signature of CEO

Notes:

1. All figures shall be in thousands;
2. Item No. 01 shall be the amount of the Total Admissible assets for Solvency as mentioned in Form IRDAI-Assets- AA under Policyholders A/C;
3. Item No. 02 shall be the amount of Mathematical Reserves as mentioned in Form H;
4. Item Nos. 03 and 06 shall be the amount of other liabilities as mentioned in the Balance Sheet;
5. Items No. 05 shall be the amount of the Total Admissible assets for Solvency as mentioned in Form IRDAI-Assets- AA under Shareholders A/C;
6. Items No. 09 shall be the sum total of the Required Solvency Margins arrived in the manner as specified under Form KT-1 and KT-2 of Part III (B) of Schedule-I of these regulations.

Annexure ActI- 9**Form S**

(See clause 2(2) of Part III (B) of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024**Composition and Distribution of Surplus as at 31st March.....**

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

Type:

Type

Code:

Category:

Category Code:

Composition of surplus

		Life	Pension	General Annuity	Health	Total
01	Surplus emerged during the year					
02	Interim bonus paid during the inter valuation period					
03	Terminal Bonus paid during the inter valuation period.					
04	Loyalty Additions or other forms of bonuses, if any, paid during the inter-valuation period					
05	Sums transferred from shareholders fund during the inter valuation period					
06	Amount of surplus, from policyholders' funds, brought forward from preceding valuation					
07	Total Surplus[2] (Sum of items 1 to 6)					

Distribution of surplus						
		Life	Pension	General Annuity	Health	Total
01	To Interim Bonuses paid					
02	To Terminal Bonuses					
03	To Loyalty Additions or any other forms of bonuses, if any					
04	Among policyholders with immediate participation					
05	Among policyholders with deferred participation					
06	Among policyholders in the discounted bonus class or Cash Bonus					
07	To every reserve fund or other fund or account					
08	As carried forward un-appropriated					
09	To the shareholders' funds (any such sums passed through the accounts during the inter valuation period to be separately stated)					
10	Total Surplus allocated (Sum of items 1 to 9)					

Annexure Actl- 10**FORM IRDAI-GI-TA**

(See clause 5 of Part IV of Schedule- I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024**STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS as at 31st March.....**

Name of Insurer:

Registration Number:

Date of registration:

Classification: Business within India/ Total Business

(All amounts in Rupees of Lakhs)

Particulars	Policyholders A/C	Shareholders A/C	Total
Investments			
Investments Shareholder' SCH 8 (A1)			
Policyholders' SCH 8A (A2)			
Total Investments as per BS (A) = (A1) + (A2)			
Inadmissible investment assets ¹ --- (B)			
Fixed assets			
Fixed assets as per BS (C)			
Inadmissible Fixed assets ¹ ----- (D)			
Current Assets			
Cash & Bank Balances as per BS (E)			
Advances and Other assets as per BS (F)			
Total Current Assets as per BS (G) = (E) + (F)			
Inadmissible Current assets ¹ ----- (H)			
Loans			
Loans as per BS (I)			
Fair Value Change Account subject to minimum of zero (J)			
Total Assets as per BS (K) = (A) + (C) + (G) + (I) (Excluding current liabilities and provisions)			
Total Inadmissible assets (L) = (B) + (D) + (H) + (J)			
Total Admissible assets for Solvency (K) - (L) (Excluding current liabilities and provisions)			

We certify that the statement has been prepared in accordance with Part IV of Schedule I of these regulations.

Name and Signature of Appointed Actuary

Name and Signature of Statutory Auditor

Name and Signature of Chief Executive Officer

Place

Date

Note:

1. Inadmissible assets shall be the assets which are placed with zero value as per Part IV of Schedule I of these regulations

Annexure ActI-11**FORM IRDAI-GI-TR****(See clause 5 of Part IV of Schedule-I)****Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024****STATEMENT OF LIABILITIES as at 31st March.....**

Name of Insurer:

Registration Number:

Date of registration:

Classification: Business within India/ Total Business:

(All amounts in Rupees of Lakhs)

Reserve	Gross Reserve	Net Reserve
Unearned Premium Reserves (UPR) (a)		
Premium Deficiency Reserves (PDR)....(b)		
Unexpired Risk Reserves (URR)....(c) = (a) +(b)		
Outstanding Claim Reserves (other than IBNR reserve)....(d)		
IBNR Reserves.... (e)		
Total Reserves for Technical Liabilities(f)= (c)+(d)+(e)		

Certification**(1) Certification by the Statutory Auditor:**

I certify that the above statement represents the liabilities of the insurer which have been determined in the manner prescribed in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and amounts of such liabilities are fair and reasonable. I also further certify that the outstanding claims reserves that are estimated using statistical methods, PDR and IBNR reserves in the statement above have been determined by the Appointed Actuary and his/her certificate is furnished below.

Qualifications, if any (in regard to the determination of liabilities):

Place:

Date:

Name and Signature of the Statutory Auditor

(2) Certification by the Appointed Actuary:

I certify that, I have checked the data to the best of my ability and I am satisfied that the data is consistent, reliable and complete. I also further certify that the outstanding claims reserves that are

estimated using statistical methods, PDR and IBNR reserves in the statement above have been determined using actuarial principles and in the manner prescribed in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024. These reserves, estimated as on the 31st day of March of (year of investigation) represent, in my opinion, a fair reflection of the expected future experience.

Qualifications, if any:

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Appointed Actuary

(3) Certification by the Principal officer:

I certify that

- (a) Full and accurate particulars of every policy and claim have been furnished to the Appointed Actuary: <name of the actuary> for the purpose of the determination of Technical Reserves as on the 31st Day of March of 20XX.
- (b) The data provided to the Appointed Actuary reconciles with the Audited Financials as at 31st Day of March 20XX.
- (c) The Appointed Actuary has been made aware of all the information pertaining to underwriting, claims and reinsurance policies and practices followed by the Insurer.

Qualifications, if any:

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Principal Officer

(4) Certification by the Chief Financial Officer:

I certify that the UPR has been determined as per the clause 4 of Part II of Schedule II of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

Qualifications, if any (in regard to determination of UPR):

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Chief Financial Officer

Annexure ActI- 12**FORM IRDAI-GI-SM****(See clause 5 of Part IV of Schedule-I)****Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024****TABLE - I****STATEMENT OF SOLVENCY MARGIN as at 31st March.....**

Name of Insurer:

Registration Number:

Date of registration:

Classification: Business within India / Total Business:

TABLE IA: REQUIRED SOLVENCY MARGIN BASED ON NET PREMIUM AND NET INCURRED CLAIMS

(All amounts in Rupees of Lakhs)

Item No.	Line of Business	Gross Premiums	Net Premiums	Gross Incurred claims	Net Incurred claims	RSM1	RSM2	RSM	Factor A	Factor B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	Fire								0.50	0.50
02	Marine Cargo								0.60	0.60
03	Marine – Other than Marine Cargo								0.50	0.50
04	Motor								0.75	0.75
05	Engineering								0.50	0.50
06	Aviation								0.50	0.50
07	Liability								0.75	0.75
08	Health								0.75	0.75
09	Miscellaneous								0.70	0.70
10	Crop Insurance								0.50	0.50
	Total									

NOTES:

(3) = Gross Written Premium including Inward Reinsurance

(4) = Net Written Premium

(5) = Gross Incurred Claims including impact of Gross IBNR

(6) = Net Incurred Claims including impact of Net IBNR

(3) and (4) are calculated as 'Trailing 12 Months' Data' from the valuation date

(5) and (6) are calculated as Maximum of 'Trailing 12 Months Data' and 'Trailing 36 Months Data' divided by 3' from the valuation date

(7) RSM 1 in the above table means Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as Twenty Percent (20%) of the amount which is the higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor A as specified in the Table IA and the Net Premiums.

(8) RSM 2 in the above table means Required Solvency Margin based on net incurred claims and shall be determined as Thirty Percent (30%) of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a Factor B as specified in the Table above and the Net Incurred Claims.

(9) RSM means Required Solvency Margin and shall be the higher of the amounts of RSM 1 and RSM 2 for each LOB separately.

Annexure Actl- 12 (Continued)**TABLE IB: AVAILABLE SOLVENCY MARGIN AND SOLVENCY RATIO**

Name of Insurer:
 Registration Number:
 Date of registration:
 Classification: Business within India / Total Business

(All amounts in Rupees of Lakhs)

(1)	(2)	(3)
ITEM NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
	Policyholder's Funds	
(A)	Available assets(as per Form IRDAI-GI-TA)	
	Deduct:	
(B)	Current Liabilities as per BS	
(C)	Provisions as per BS	
(D)	Other Liabilities	
(E)	Excess in Policyholder's funds (A)-(B)-(C)-(D)	
	Shareholder's Funds	
(F)	Available Assets	
	Deduct:	
(G)	Other Liabilities	
(H)	Excess in Shareholder's funds (F-G)	
(I)	Total ASM (E+H)	
(J)	Total RSM	
(K)	SOLVENCY RATIO (Total ASM/ Total RSM)	

Certification:

I ____, the Statutory Auditor, hereby certify that the above statements have been prepared in accordance with the Section 64VA of the Insurance Act, 1938, and the amounts mentioned therein are true to the best of my knowledge.

Place

Date:

Name and Signature of the Statutory Auditor

Counter signature by

Principal Officer:

Appointed Actuary

Chief Financial Officer

NOTES:

1. Item A shall be the amount of the Adjusted Value of Assets in respect of policyholders' funds as mentioned in FORM IRDAI-GI-TA.
2. Item B shall be the amount of Total Liabilities as mentioned in FORM IRDAI-GI-TR.
3. Item C shall be the amount of other liabilities arising in respect of policyholders' funds and as mentioned in the Balance Sheet.
4. Item F shall be the amount of the adjusted value of the Total Assets in respect of shareholders' funds as mentioned in FORM IRDAI- GI-TA.
5. Item G shall be the amount of other liabilities arising in respect of shareholders' funds and as mentioned in the Balance Sheet.

Annexure ActI-13**FORM IRDAI-RI-TA**

(See clause 5 of Part V of Schedule I)

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment
Functions of Insurers) Regulations, 2024

STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS as at 31st March.....

Name of reinsurer:

Registration Number:

Date of registration:

Classification: Business within India/ Total Business:

(All amounts in Rupees of Lakhs)

Particulars	Policyholders A/C	Shareholders A/C	Total
Investments			
Investments Shareholder' SCH 8			
Policyholders' SCH 8A			
Total Investments as per BS (A)			
Inadmissible investment assets ¹ --- (B)			
Fixed assets			
Fixed assets as per BS(C)			
Inadmissible Fixed assets ¹ ----- (D)			
Current Assets			
Cash & Bank Balances as per BS (E)			
Advances and Other assets as per BS (F)			

Particulars	Policyholders A/C	Shareholders A/C	Total
Total Current Assets as per BS (G) = (E) + (F)			
Inadmissible Current assets ¹ (H)			
Loans			
Loans as per BS (I)			
Fair Value Change Account subject to minimum of zero (J)			
Total Assets as per BS (K) = (A) + (C) + (G) + (I) (Excluding current liabilities and provisions as applicable)			
Total Inadmissible assets (L) = (B) + (D) + (H) + (J)			
Total Admissible assets for Solvency(K) - (L) (Excluding current liabilities and provisions)			

We certify that the statement has been prepared in accordance with clause 3 of Part V of the Schedule I of these regulations.

Name and Signature of Appointed Actuary/ Actuary**

Name and Signature of Statutory Auditor

Name and Signature of Chief Executive Officer

Place:

Date:

NOTES:

1. Inadmissible assets shall be the assets which are placed with zero value as per Part V of these regulations.
2. **Signature of the actuary certifying the reports of the FRB

Annexure ActI-14**FORM IRDAI-RI-SM****(See clause 5 of Part V of Schedule I)****Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024****STATEMENT OF AVAILABLE SOLVENCY MARGIN AND SOLVENCY RATIO****as at 31st March.....**

Name of reinsurer:

Registration Number:

Date of registration:

Classification: Business within India/ Total Business:

(All amounts in Rupees of Lakhs)

ITEM NO.	DESCRIPTION	AMOUNTS
	Policyholder's funds	
(A)	Available Assets (as per form 'Form IRDAI-RI-TA')	
	Deduct:	
(B)	Current Liabilities as per Balance Sheet (BS)	
(C)	Provisions as per BS	
(D)	Mathematical Reserves as per BS	
(E)	Other Liabilities as per BS	
(F)	Excess in Policyholder's funds (A) - (B) - (C) - (D) - (E)	
	Shareholder's funds	
(G)	Available Assets (as per form 'Form IRDAI-RI-TA')	
	Deduct:	
(H)	Other Liabilities as per BS	
(I)	Excess in Shareholder's funds (G) - (H)	
(J)	Total ASM (F) + (I)	

(K)	RSM (Life Reinsurance Business)	
(L)	RSM (General Reinsurance Business)	
(M)	Total RSM (K) + (L)	
(N)	SOLVENCY RATIO (Total ASM/ Total RSM)	

Certification:

I ____, the Statutory Auditor, hereby certify that the above statements have been prepared in accordance with the Section 64VA of the Insurance Act, 1938, and the amounts mentioned therein are true to the best of my knowledge.

Place

Date:

Name and Signature of the Statutory Auditor

Counter signature by

Appointed Actuary/Actuary**

Chief Financial Officer

Principal Officer/ /Chief Executive Officer:

NOTES:

1. **Signature of the actuary certifying the reports of the FRB
2. Items (B) and (C) are applicable for General Reinsurance business
3. Item (D) is applicable for Life Reinsurance business
4. Item (K) shall be determined shall be the sum total of the Required Solvency Margins arrived in the manner as specified under Form KT-1 and KT-2 of Part III (B) of Schedule-I of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.
5. Item (L) shall be determined as per clause 2 of Part V of Schedule-I of these regulations